षोडश माला, खंड 11, अंक 10

मंगलवार, 4 अगस्त, 2015
13 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 11, पांचवा सत्र, 2015/1937 (शक)
अंक 10, मंगलवार, 4 अगस्त, 2015 / 13 श्रावण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1*]तारांकित प्रश्न संख्या 203 से 205[2e] और 207 से 208[3ee]	19-47
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 210 से 222	48
अतारांकित प्रश्न संख्या [ee]2302 और 2303, 2305 से 2339, 2342 से 2375, 2377 से 2461, 2463 से 2473, 2475 से 2489, 2491 से 2530	

[1*]किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

[2e] तारांकित प्रश्न संख्या 206 को दिनांक 04.08.2015 के समाचार भाग 1 द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अंतरित किया गया।

[3ee] नियम 374क के अंतर्गत सदस्यों के निलंबन के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 209 और अतारांकित प्रश्न संख्या 2301, 2304, 2340, 2341, 2376, 2462, 2474 और 2490 को लोप किया गया, जैसा कि 04.08.2015 के समाचार भाग 1 में दर्शाया गया है।

अध्यक्ष द्वारा बधाई

भारतीय क्रीडा दल को 26 जुलाई से 2 अगस्त, 2015 तक लोस एंजेलेस, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल, 2015 में पदक जीतने पर बधाई 49

सभा पटल पर रखे गए पत्र 50-55

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन 56

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री रामविलास पासवान 56

(दो) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. संजीव बालियान 57

(तीन) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री संतोष कुमार गंगवार 57

(चार) निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री थावर चंद गहलोत 58

(पांच) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन से तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर 59

(छह) गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर में शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों को पेश आ रही समस्याओं ' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 183वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री किरेन रिजीजू 59-60

(सात) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. संजीव बालियान 60

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) आंध्र प्रदेश के उत्तरजीवी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में 63-68

(दो) तेलंगाना में एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने में विफल होने के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में 96-101

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील गंगरार के सोनियाना गांव में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सी. पी. जोशी 70-71

(दो) मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अजय निषाद 72

(तीन) मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में उत्पादित मीथेन गैस का राज्य में प्राथमिकता के आधार पर वितरण सुनिश्चित करने तथा गैस के उत्पादन के प्रयोजन हेतु जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है उन्हें पर्याप्त मुआवजा तथा रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री दलपत सिंह परस्ते 73

(चार) झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक उपक्रमों तथा आम जनता को नक्सलवादी हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा मजबूत किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 74

(पांच) राजस्थान के सीकर संसदीय क्षेत्र के बावड़ी में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र को पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती 75

(छह) उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा खोले जाने की आवश्यकता

श्री हरीश द्विवेदी 76

(सात) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की सेवाओं में सुधार करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा 77

(आठ) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में जन सुविधाओं तथा शैक्षिक और रोजगार संबंधी पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मिश्रा टेनी 78

(नौ) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुलाबपुरा और उनियारा के बीच सड़क मार्ग जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी के रूप में घोषित किया जा चुका है, की मरम्मत तथा रखरखाव का कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया 79

(दस) देश में उत्तर पूर्वी राज्यों में बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री कामाख्या प्रसाद तासा 80

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में आमी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता

श्री शरद त्रिपाठी 81

(बारह) उत्तर महाराष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्तर महाराष्ट्र विकास बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. टी. नाना पाटील 82

(तेरह) नेफेड द्वारा कोपरा के क्रय मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. महेंद्रन 83

(चौदह) केरल के मुल्लापेरियार बांध पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. उदयकुमार 84-85

(पंद्रह) सी.बी.एस.ई. की कक्षा बारहवीं की गणित की पूरक परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यार्थियों को सामान्यतया उत्तीर्ण घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री बलभद्र माझी 86

(सोलह) देश में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के कार्यकरण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री कृपाल बालाजी तुमाने 87

(सत्रह) आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री केसिनेनी श्रीनिवास 88

(अठारह) तेलंगाना राज्य के खाते में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनमाने ढंग से काटे गए तथा आयकर विभाग में जमा कराए गए 1274 करोड़ रुपये की राशि को राज्य को लौटाए जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार 89

(उन्नीस) अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री राधेश्याम बिश्वास 90

(बीस) धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला 91

(इक्कीस) बागडोगरा विमानपत्तन को स्थानान्तरित करने संबंधी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव के बारे में

श्री प्रेम दास राई 92

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2012-13 **102-172**

श्री जगदम्बिका पाल 103-111

श्री कालिकेश एन. सिंह देव 112-115

श्रीमती आर. वनरोजा 116-121

श्री प्रतापराव जाधव 122-125

श्री ओम बिरला 126-129

डॉ. रवीन्द्र बाबू 130-132

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 133-136

श्री गोपाल शेट्टी 136-141

श्री संजय हरिभाऊ जाधव 142-144

श्री दद्दन मिश्रा 144-147

श्री वी. एलुमलाई 148-149

श्री थोटा नरसिम्हम 150-152

श्री जुगल किशोर 153

श्री जी. हरि 154-155

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा 156-158

श्री सुरेश प्रभु 159-171

मांगें- स्वीकृत 172

विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2015 173-175

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 173

विचार करने के लिए प्रस्ताव 173

खंड 2, 3 और 1 174

पारित करने के लिए प्रस्ताव 175

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014

श्री थावर चंद गहलोत	176-177, 231-233
विचार करने के लिए प्रस्ताव	177
श्री वीरेन्द्र कश्यप	178-183
डॉ. के. गोपाल	184-191
श्री बलभद्र माझी	192-196
श्री माल्याद्री श्रीराम	197-200
डॉ. वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली	201-203
श्री रतन लाल कटारिया	204-206
श्री अरविंद सावंत	207-210
डॉ. किरीट पी. सोलंकी	211-212
साध्वी सावित्री बाई फूले	213-217
श्री अजय मिश्रा टेनी	218-220
डॉ. रवीन्द्र बाबू	221-222
श्री नाना पटोले	222-224
श्रीमती रमा देवी	225-227
डॉ. यशवंत सिंह	228-230
खंड 2 से 13 और 1	234-242
पारित करने के लिए प्रस्ताव	242

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. थम्बी तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रल्हाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

मंगलवार, 4 अगस्त, 2015/13 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी और श्री दुष्यंत चौटाला से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री दुष्यंत चौटाला, कृपया समझें, आपके द्वारा उठाए गए मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि यह अध्यक्ष की व्यवस्था पर आधारित है। आप इस नोटिस के तहत इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नोटिस बदल सकते हैं और इसे किसी अन्य नियम के तहत प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप प्रतिनिधियों के लिए या लोकतंत्र पर चर्चा चाहते हैं, तो आप किसी अन्य तरीके से नोटिस दे सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं जानती हूं कि अन्य मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्री जितेन्द्र रेड्डी और अन्य, मैं आपको सूचित करूंगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इसे किसी अन्य तरीके से या प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं। 'शून्य काल' में, मैं आपको इसे उठाने की अनुमति दूँगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं अब इसकी अनुमति नहीं दे रही हूं और मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठें। प्रश्नकाल के बाद मैं हर चीज की अनुमति दूँगी।

… (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

इस समय श्रीमती कविता कल्वाकुंतला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ऐसा मत कीजिए।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, प्रश्न काल के बाद, शून्य काल में मैं आपको सबसे पहले बोलने का मौका दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने कुछ लिख कर ही नहीं दिया है कि किस विषय पर बोलना है। मैं आपको कैसे अनुमति दे सकती हूं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्नकाल के बाद, मैं आपको अनुमति दूंगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको भी प्रश्नकाल के बाद इसकी अनुमति दूंगी। अब हम प्रश्नकाल शुरू करते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र यादव, मैं आपको भी अनुमति दूँगी। आप इसे 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं। मैं उसे भी इसकी इजाजत दूंगी, लेकिन अभी नहीं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल के बाद मैं आप सबको बोलने का मौका ज़रूर दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जयप्रकाश जी, प्लीज़ बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[4]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 203 – श्री प्रताप सिम्हा।

(प्रश्न संख्या 203)

श्री प्रताप सिम्हा: महोदया, मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया है और मैं उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हूं। (*व्यवधान*)

इरा सिंघल, रेणु राज, निधि गुप्ता और वंदना राव भारत के नए सितारे हैं। यू.पी.एस.सी. की सभी चार टॉपर महिलाएं हैं। इनमें से, इरा सिंघल सिर्फ एक स्टार ही नहीं हैं, बल्कि वह देश भर के कई दिव्यांग छात्रों के लिए प्रेरणा भी हैं। … (*व्यवधान*)

62 प्रतिशत विकलांगता के साथ यदि इरा विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकती है, तो प्रत्येक विकलांग छात्र सफल हो सकता है, यदि उन्हें अध्ययन और काम करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। … (*व्यवधान*) हमारे माननीय सामाजिक न्याय मंत्री, श्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि "ईरा विकलांगता विभाग के लिए एक उपयुक्त ब्रांड एंबेसडर होंगी"।… (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकरन : हम विरोध स्वरूप भवन से बाहर जा रहे हैं।… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

---

[4] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

इस समय श्री पी. करुणाकरन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

… (व्यवधान)

श्री प्रताप सिम्हा : महोदया, उच्च शिक्षा में विकलांगता की स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश भर के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 15,21,438 विद्यार्थियों में से केवल 8,449 विद्यार्थी ही विकलांग हैं, जो कुल विद्यार्थियों का मात्र 0.56 प्रतिशत है। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदया, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.06 बजे</u>

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव, श्री जय प्रकाश नारायण यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिम्हा: विकलांगता अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के बीस वर्ष बाद भी, वास्तविक कार्यान्वयन तीन प्रतिशत के अनिवार्य कोटे के मुकाबले केवल 0.5 प्रतिशत है। यह क्या दर्शाता है? क्या यह बहुत से सवाल नहीं उठाता है? … (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 11.07 बजे</u>

इस समय श्री वारा प्रसाद राव वेलागपल्ली और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको शून्यकाल में बोलने की अनुमति दूँगी। आप उस दौरान अपनी समस्या उठा सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (व्यवधान)

श्री प्रताप सिम्हा: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने पद संभालने के बाद क्या कदम उठाए हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप अपना मामला उठा सकते हैं और फिर सरकार जवाब दे सकती है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। मैंने आपको बताया है कि आप शून्य काल में जो भी मामला उठाना चाहते हैं, उसे उठा सकते हैं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैं तो आपको स्पेशल स्टेटस देने वाली नहीं हूँ। कृपया इसे समझें।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूँगी, लेकिन इस तरह नहीं। रेड्डी जी, आप यह जानते हैं। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइये। आप इस मामले को शून्यकाल में उठा सकते हैं और यदि सरकार चाहे तो जवाब दे सकती है, लेकिन मैं आपको प्रश्नकाल के बाद अनुमति दूँगी।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने यह बात कही है कि विकलांगजन भी मानव संसाधन का अभिन्न अंग है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप जानते हैं कि मैं आपको इसकी अनुमति दूँगी।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : उनको पढ़ने लिखने की और अन्य वर्गों की बराबरी में जो सुविधायें मिलती हैं, वे उनको भी मिलें।...(व्यवधान) इस प्रकार की भावना उन्होंने व्यक्त की है, निश्चित रूप से यह सराहनीय है। ...(व्यवधान) मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने सात प्रकार की स्कॉलरशिप विकलांगजनों को पढ़ने-लिखने के लिए दी है।...(व्यवधान) इसके अलावा विकलांगता को दूर करने की दृष्टि से चिकित्सा सुविधा, रीहैबिलिटेशन की दृष्टि से प्रशिक्षण, स्वावलंबन की दृष्टि से वित्त विकास निगम की ओर से कम ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।...(व्यवधान) जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, उनको काक्लीअर इम्प्लांट, 6 लाख रूपए तक का खर्चा हमारा मंत्रालय देता है और हम ऐसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं।...(व्यवधान) मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देते हैं, आवागमन बाधामुक्त हो, इस दृष्टिकोण से भी बहुत सारी योजनायें कायारन्वित की हैं और इसकी जानकारी मैंने प्रश्न में विस्तृत रूप से दी है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिम्हा : महोदया, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत भर में 21 मिलियन विकलांग व्यक्ति हैं। मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। मैंने प्रत्येक सतर्कता समिति की बैठक में यह प्रश्न

उठाया है, लेकिन प्रतिक्रिया निराशाजनक रही है। सरकार अधिकारियों को ग्रामीण भारत में विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता देने का कड़ाई से निर्देश क्यों नहीं देती? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, जहाँ तक विकलांगों की संख्या का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के मान से 2 करोड़ 68 लाख उनकी संख्या है। हमने इन सब लोगों को स्वावलंबन की दृष्टि से प्रशिक्षण देना, उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार के मंत्रालयों में की है। राज्य सरकारों ने भी अलग-अलग प्रतिशत के हिसाब से उनको नौकरियों में अवसर देने का प्रयास किया है। जहाँ तक मनरेगा में काम का सवाल है, निश्चित रूप से जहाँ जैसी उपलब्धता होती है, उनको काम मिलता है, ऐसी मेरी जानकारी है।

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार : महोदया, विकलांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकार विकलांग विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना के शुरू होने से अब तक कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं और इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है।

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, वैसे प्रश्न का जो उत्तर परिचालित किया है, उसमें यह विस्तृत जानकारी है। आप कहें तो मैं सातों योजनाओं की जानकारी दे सकता हूँ और कितने-कितने लाभार्थी उसमें हैं और कितनी-कितनी धनराशि दी है, मैं वह उपलब्ध करा दूँ। आप कहें तो मैं अभी पढ़कर सुना दूँ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री परेश रावल।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। मैं आपको बोलने की इजाजत दे दूँगी। यह कोई तरीका नहीं है ।

… (व्यवधान)

श्री परेश रावल: महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद... (*व्यवधान*)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खातों में तथा एक निश्चित समय के भीतर देने का प्रस्ताव रखा है... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, हमने छात्रवृत्ति की व्यवस्था डायरैक्ट बैनिफिट योजना के अंतर्गत कायारन्वित करने का निर्णय लिया है। हमने छात्रों के अकाउंट नंबर मंगाए हैं और उनकी छात्रवृत्ति डायरैक्ट उनके अकाउंट में ही भेजी जा रही है।

श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) : मुझे यह अवसर देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को दिव्यांग विद्यार्थियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं लागू करने के लिए बधाई देना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में, श्री हरिबाबू और मैंने मिलकर लगभग 3 करोड़ रुपये से 4 करोड़ रुपये की संपत्तियां दिव्यांग व्यक्तियों में वितरित की हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस विभाग का बजट बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरे देश में कई लोग भारत सरकार से सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं… (व्यवधान)। मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि दिव्यांग छात्रों के

लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाए। वर्तमान में जो राशि दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि बाजार में कीमतें बहुत अधिक हैं। यदि माननीय मंत्री के पास आंध्र प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई छात्रवृत्तियों का कोई विवरण हो, तो वे सदन को इसकी जानकारी दें।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, वैसे उत्तर में राज्यवार जानकारी दी है कि किस राज्य को कितनी छात्रवृत्ति की धनराशि दी है और कितने बैनिफिशरीज़ हैं। उसके बाद भी अगर माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश की जानकारी अलग से जानना चाहेंगे तो मैं दे दूँगा। ...(व्यवधान)

दूसरा प्रश्न उनका यह था कि क्या छात्रवृत्ति में वृद्धि करेंगे? निश्चित रूप से हमने इस पर विचार किया है। कुछ योजनाएँ जैसे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अक्तूबर, 2014 से ही प्रारंभ की है, उससे पहले यह छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। इसके अलावा विकलांग जनों के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हमने 2014-15 में ही प्रारंभ की हैं और हम विचार कर रहे हैं कि इन सब छात्रवृत्तियों को एक जैसा करेंगे और इसमें विस्तार भी करेंगे। अभिभावकों की जो आय लिमिट है, उसका भी युक्तियुक्तकरण करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूँगा कि जब से इस देश में माननीय मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने सारे लोक सभा क्षेत्रों में विकलांग जनों की सुविधा के लिए बहुत सारी योजनाएँ शुरू की हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो निःशक्त बच्चे हैं, इनकी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षक की ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश में देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकलांगजन पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर विशेष शिक्षकों की बहुत कमी है। भारत सरकार की योजना के तहत हर तीस बच्चों पर एक विशेष शिक्षक की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार इनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या कोई व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जब तक ये निःशक्त लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिलेगा। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है और मैं उनसे जानना

चाहूँगा कि जो प्रत्येक 30 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश में इनकी जो बहुत कमी है, इसकी भरपाई के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, हमारे विभाग से जो योजनाएं संचालित की जाती हैं, वे राज्य सरकार के निकायों द्वारा या एन.जी.ओज़. के माध्यम से की जाती हैं और ये प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से ही आते हैं। जब-जब प्रस्ताव आते हैं तो हम इन मापदण्डों का ध्यान रखते हैं और हमारी ओर से औचक जांच-पड़ताल भी करते हैं। हम राज्यों से समय-समय पर आग्रह भी करते हैं कि जो नियम, कायदे, कानून या नोर्म्स बने हुए हैं, उनका अनुपालन भी करें। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार से इस सम्बन्ध में सम्पर्क करूंगा, पत्र-व्यवहार करूंगा और प्रयास करूंगा कि जो समस्या है, उसका समाधान हो जाये।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूं कि आप अपनी सीटों पर वापस जाएं। मैं आपको प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दूँगी और यदि संभव हुआ तो सरकार भी जवाब दे सकेगी। लेकिन यह सही तरीका नहीं है।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारे आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों ने जिस विषय की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित किया है, उस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आन्ध्र प्रदेश के साथ न्याय होगा। हम किसी भी सूरत में आन्ध्र प्रदेश के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं और साथ ही तेलंगाना के सम्बन्ध में भी हमारी अभी-अभी लॉ मिनिस्टर से बात हुई है, इसके पहले भी हमारी लॉ मिनिस्टर से बातचीत हुई है। लॉ मिनिस्टर इसका समाधान निकालने के लिए अपनी तरफ से प्रयत्नशील हैं, इसलिए आन्ध्र प्रदेश के और तेलंगाना के, दोनों सम्मानित सदस्यों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से प्रयत्नशील है और जहां भी आवश्यक होगा, बातचीत करके यह एन्श्योर करने की कोशिश करेगी, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस न होने पाये।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री के यह कहने के बाद आप कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। [हिन्दी] ऐसा नहीं होता है, कोई लिखित में यहां बात नहीं होती। प्लीज़, ऐसे मैं यहां से आपसे बात नहीं करूंगी।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आपको अपनी सीटों पर वापस जाना होगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं टी.आर.एस. के सदस्यों से भी अनुरोध करती हूं कि वे अपनी सीटों पर वापस जाएं। अब आपको अपनी सीटों पर वापस जाना होगा। यह उचित तरीका नहीं है ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 204। श्री एन. क्रिस्टप्पा।

(प्रश्न संख्या 204)

श्री एन. क्रिस्टप्पा : माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रश्नकाल के दौरान मुझे पूरक प्रश्न उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी को भी इतना विस्तृत उत्तर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदया, मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार प्रणाली से जोड़ने के सरकार के प्रयास की सराहना करता हूं जो देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुचित कार्यान्वयन के लिए उपयोगी है। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि सबसे गरीब तबके के कुछ लोग जो कृषि कार्य में लगे हैं और जिनकी उंगलियां कट गई हैं, उन्हें आधार में पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं दी गई। राज्य सरकारों द्वारा लोगों को आधार से जोड़ने के निरंतर प्रयासों के बावजूद अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आधार के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हो पाए हैं और वे राशन आदि जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि उनमें से कितनों को अभी तक देश में आधार के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जाना बाकी है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्षा जी, जैसा कि सदन को मालूम है कि अभी दो तरह के सिस्टम हैं। एक सिस्टम है, जिसमें पी.डी.एस. पुराने आधार पर लागू है और सरकार ने 2013 में एक नया कानून बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके मुताबिक लागू है। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लागू है, उसमें अन्त्योदय परिवार के लोगों को 35 किलो पर महीना दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल मिलता है और जो पुराना सिस्टम है, उसमें ए.पी.एल. है, बी.पी.एल. है, अन्त्योदय है। अन्त्योदय के लोगों को दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल 35 किलो पर मंथ मिलता है। जो बी.पी.एल. परिवार के लोग हैं, उनको 4.15 रुपये किलो गेहूं और 5.65 रुपये किलो चावल मिलता है, वह 35 किलो मिलता था।

तीसरा, ए.पी.एल. कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको 6.10 रुपये और 8.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनाज मिलता था।...(व्यवधान) जो नया सिस्टम बना है, उस सिस्टम के मुताबिक पहले जो प्लानिंग कमीशन था, उसने यह निधाररित कर दिया कि इसका लाभ देहातों में 75% लोगों को मिलेगा और शहरों में 50% लोगों को मिलेगा और सभी को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं, तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाएगा।...(व्यवधान) लेकिन, जिन राज्यों में यह नया सिस्टम लागू हो जाएगा, वहां ए.पी.एल., बी.पी.एल. खत्म हो जाएगा और सिर्फ अंत्योदय योजना रहेगी।...(व्यवधान) अभी तक पूरे देश में तेरह राज्यों ने फूड सिक्यूरिटी एक्ट को लागू किया है।...(व्यवधान) इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, चंडीगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल हैं और अभी-अभी लक्षद्वीप ने इसे लागू किया है।...(व्यवधान) इसे राज्य सरकारें तय करती हैं कि रूरल एरिया में किनका नाम होगा, शहरी एरिया के अंतर्गत किनका नाम होगा और अंत्योदय में किनका नाम होगा। यह सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आप अपनी सीटों पर जाएं। [हिन्दी] कल जो बातें यहां हो रही थीं, आप सब उसे जानते हैं। जब आप यहां सांसद बनकर आते हैं तो आपके बैग में जो कॉपी दी जाती है उसमें एक नियम पुस्तिका है। [हिन्दी] ये जो रूल्स बनाए गए है, यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इसके लिए पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है। उस कमेटी के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं। उसके अनुसार हाउस को चलाना है। इसलिए यह समझते हुए भी आप यहां आकर कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, जान-बूझकर रूल तोड़ना चाहते हैं। मिनिस्टर ने भी आपको आश्वासन दिया है। मैंने भी आपको कहा है कि मैं आपको बोलने का समय दूंगी। हाउस प्रश्न उठाने के लिए होता है। उसके बाद सरकार से आश्वासन लेने के लिए होता है। उसके बाद जो भी कुछ होता है, उसे बैठकर आपस में तय करना होता है। अगर किसी को जान-बूझकर रूल्स के अगेंस्ट चलना हो, [अनुवाद] मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नियमों के लिए केवल अध्यक्ष ही जिम्मेदार नहीं है। [हिन्दी] यह आप सबके द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। कल तक आपकी यह बात नहीं थी। आज अचानक आप यहां

इसे लेकर आए हैं। [अनुवाद] मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं आपको प्रश्नकाल के बाद यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूँगी। फिर भी सरकार ने जवाब दिया है। [हिन्दी] आप जान-बूझकर रूल्स को चैलेंज करना चाहते हैं। रूल्स आपके ही द्वारा बनाए गए हैं। आप इसको चैलेंज करते रहें। [अनुवाद] मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी सीटों पर जाएँ। मैं आपको प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूँगी। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

श्री क्रिस्टप्पा, कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री एन. क्रिस्टप्पा: माननीय अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश सरकार सहित कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल्स प्रणाली को क्रियान्वित कर रही हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने ई.पी.ओ.एस. प्रणाली के माध्यम से राजकोष को 25 से 30 प्रतिशत तक की बचत की है, तथा राज्य में फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने में मदद की है, जिससे पिछले दस वर्षों से सरकार को भारी नुकसान हो रहा था।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने तथा जनता का पैसा बचाने के लिए पूरे देश में ई.पी.ओ.एस. प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, फूड सिक्यूरिटी एक्ट जब लागू हो जाएगा, तो बोगस कार्ड का मामला स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कहा है कि लाभार्थियों के नामों का चयन करके बेवसाइट पर डाल दिया जाएगा।...(व्यवधान) उनके नामों को उनके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा।...(व्यवधान) उसमें प्रत्येक व्यक्ति को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिलेगा। इसके अलावा, अभी जो वर्तमान पद्धति है, इसमें हमने राज्यों के लिए तीन बार समय बढ़ाया है। पहली बार, तीन महीने का समय बढ़ाया, फिर छः महीने का समय बढ़ाया, उसके बाद फिर छः महीने का समय बढ़ाया

गया है। लेकिन, अभी तक तेरह राज्यों को छोड़कर कहीं और फूड सिक्यूरिटी एक्ट लागू नहीं हो पाया है।...(व्यवधान) इसलिए मैं समझता हूं कि यदि फूड सिक्यूरिटी एक्ट लागू हो जाता है तो इन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा।...(व्यवधान)

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में जो कालाबाजारी, धांधली और जमाखोरी होती है, उससे निपटने के लिए हम राज्य सरकार पर निर्भर रहते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन उसके परिणाम हमें अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ...(व्यवधान) आज भी हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं और सरकार के पास जो कंप्लेंट्स आती हैं, उनमें हमें कुछ कमी नहीं दिखाई दे रही है। ...(व्यवधान) महाराष्ट्र में वर्ष 2012 में 9 कंप्लेंट्स आई थीं, वर्ष 2013 में 20 कंप्लेंट्स आई थीं, वर्ष 2014 में 25 और वर्ष 2015 में 4 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या ऐसी कोई निगरानी समिति हम बनाना चाहेंगे कि वह राज्यों को कंट्रोल करे? ...(व्यवधान) इसी के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहती हूं कि जैसे पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने सिलेण्डर की सब्सिडी डायरेक्ट ग्राहकों के खाते में दी है, क्या हम ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं कि यह योजना भी ऐसे ही लागू हो जाए कि पैसा डायरेक्ट पैसा उन गरीब लोगों के खाते में चला जाए?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, जहां तक पीडीएस में धांधली का मामला है, उस पर हम लोग भी पूरी तरह से चिंतित हैं। ...(व्यवधान) यह टोटली राज्य सरकार का काम है। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार का काम है कि हम अनाज को खरीदते हैं, खरीदकर के एफसीआई के गोदाम तक ले जाते हैं और एफसीआई के गोदाम से लेकर उनको वितरण करने का काम राज्य सरकार का होता है। ...(व्यवधान) किनको वितरण करना है, कौन लाभार्थी है, कैसे वितरण होता है, यह सारी की सारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ...(व्यवधान) राज्य सरकार से हम रिपोर्ट लेते हैं। ...(व्यवधान) नियम कानून के तहत जो पंचायत स्तर है, जो डीलर है, दुकान से लेकर राज्य तक नए कानून के मुताबिक खाद्य आयोग बनाना चाहिए। ...(व्यवधान) हम लोगों ने यह भी कहा है कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करो कि सामान कहां जाता है, कैसे जाता है, यह पता चले और डिपो को

ऑनलाइन करो। ...(व्यवधान) हम लोग हर गोदाम में सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। ...(व्यवधान) यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।...(व्यवधान) हम लोग सिर्फ उनसे जानकारी हासिल करते हैं। ...(व्यवधान) हमने दो बार मंत्रियों की बैठक बुलाई, अधिकारियों की बैठक भी लेते हैं। ...(व्यवधान) यह बात सही है कि शिकायतें हैं। उन शिकायतों के संबंध में हम लोग सिर्फ राज्य सरकार को जानकारी देने का काम करते हैं। ...(व्यवधान)

दूसरा, डॉयरेक्ट सब्सिडी का मामला है। डायरेक्ट सब्सिडी के मामले को लेकर हम लोगों ने तीन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन तीन राज्यों में चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दादर एवं नागर हवेली है, इन तीन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट है। हमने एक सप्ताह पहले बैठक ली थी। उसमें दिक्कत यह है कि जहाँ-जहाँ मान लेते हैं कि हम डॉयरेक्ट पेमेंट करेंगे तो एक तो पहली बात है कि यदि 90 परसेंट लोगों को मिल गया और 10 परसेंट लोगों को नहीं मिला तो हंगामा होना शुरू हो जाएगा। नम्बर दो, जहाँ-जहाँ हम डॉयरेक्ट पेमेंट करेंगे, वहां हम गरीब को सीधे उनके बैंक के खाते में पैसा दे देंगे। बैंक के खातें में तो पैसा देंगे, लेकिन उस पैसे से अनाज खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है, अच्छा अनाज खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है, इसको कैसे देखा जाएगा। ...(व्यवधान) नम्बर तीन, जब हम डायरेक्ट पैसा उनको देंगे तो फिर फेयर प्राइस शॉप का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, डीलर का क्या होगा?

चौथी बात, जो हमने इतने गोडाउंस बना रखें हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमें गोडाउंस में सामान रखना पड़े, चूँकि लाभार्थी कहीं से भी सामान खरीद सकता है, कोई सामान खरीद सकता है तो ये सारी समस्याएं हैं। ...(व्यवधान) इन समस्याओं को देखने के लिए हम लोगों ने तीन राज्यों में, जो छोटे-छोटे राज्य हैं, जो अर्बन एरिया हैं, रूरल एरिया में तो हमको लगता है कि निकट भविष्य में यह संभव नहीं है। ...(व्यवधान) हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान) लेकिन जो अर्बन एरिया है, वहाँ हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन तीन स्टेट्स में इस मुद्दे को लिया है और उसकी सफलता कितनी होती है, उसके आधार पर हम डायरेक्ट सब्सिडी को फर्दर बढ़ाने की बात सोचेंगे। ...(व्यवधान)

नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाने के बाद भी आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कालाबाजारी, अनियमितता के कारण गरीब मजदूर, किसान को समय पर राशन नहीं मिलता है। देश में बहुत ऐसी घटनायें हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में उक्त प्रकार की घटनाओं में लिप्त पाये जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, राज्यवार ब्योरा क्या है और उनके लिए क्या-क्या कार्रवाई की गयी है? ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि पिछले तीन सालों में क्या-क्या कार्यवाई की गयी है, कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाई की गयी है, उनका विवरण ऑलरेडी जवाब में दिया हुआ है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल: हम देश के कई भागों में भंडारण सुविधाओं और गोदामों की कमी के कारण खाद्यान्नों के बर्बाद होने और सड़ने की खबर सुनते हैं। यदि इन खाद्यान्नों को रियायती लागत पर अन्य राज्यों को भेजा जाए, जहां इसकी आवश्यकता है, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की मदद की जा सकती है।

जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, मेरी नेता और मुख्यमंत्री माननीय *अम्मा* ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए *अम्मा उनावगम,* यानी *अम्मा* कैंटीन शुरू की है। तमिलनाडु के विभिन्न भागों में 299 *अम्मा उनावगम* चल रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ऐसी और कैंटीन की योजना बना रही है। माननीय *अम्मा* 1.69 करोड़ वृद्धजनों को 20 किलो चावल भी निःशुल्क दे रही हैं। इसलिए, खाद्यान्न को सड़ने देने के बजाय, भारत सरकार को ऐसा खाद्यान्न तमिलनाडु को आवंटित करना चाहिए ताकि इसका उपयोग गरीबों की मदद करने और इन कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए किया जा सके।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तमिलनाडु को अधिक खाद्यान्न आवंटित करने के लिए आगे आएगी? ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि दो तरह के नियम हैं। एक नियम फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद का है, जिसमें 13 राज्य हैं लेकिन तमिलनाडु नहीं है और जो बचे हुये हैं, वे पुराने सिस्टम से चल रहे हैं। इनमें ए.पी.एल., बी.पी.एल. और अंत्योदय के परिवारों को हम सुविधा देते हैं, उनके अलग-अलग रेट्स हैं जो मैंने पहले बताया है। अब उसके अलावे कोई राज्य सरकार फ्री में देना चाहे या और फिर कुछ करना चाहे तो वह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। भारत सरकार जितनी सब्सिडी दे रही है, वह काफी है। हम 1,31,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी फूड ग्रेन के ऊपर दे रहे हैं। यह अच्छी बात है कि तमिलनाडु की सरकार सबको फ्री में राशन दे रही है, लेकिन एक्सट्रा बर्डन राज्य सरकार को वहन करना होता है और ऐसे कई राज्य हैं। ...(व्यवधान)

श्री आभिषेक सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कई बार जब आर्थिक और सामाजिक जनगणना होती है तो उनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार छूट जाते हैं लेकिन अपने-अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्रों में दौरे के दौरान ऐसे विषय सामने आते हैं, तो क्या केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना है, जिसमें गरीबी की रेखा की सर्वे सूची में छूटे हुए परिवारों को किसी तरह से शासन का कोई लाभ मिल सके? ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इसकी योजना है, हमने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया है, केन्द्र सरकार ने उसमें अपनी कोई जवाबदेही नहीं रखी है। यदि किसी राज्य में 100 में 80 प्रतिशत लोगों को गांव में सुविधा देनी है, फूड सिक्योरिटी के तहत वह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह किनको दे, वह जनगणना के आधार पर दे, वह जनगणना के आधार पर नहीं दे। यह बिल्कुल राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जो फूड सिक्योरिटी के तहत राज्य नहीं हैं, वहां यह नियम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में वर्ष 2011 के जनगणना के मुताबिक हम चलते हैं। जो बढ़ी हुयी जनगणना है, वह राज्य सरकार को देखना है कि बी.पी.एल. परिवार के लोग छूट तो नहीं गये हैं, जो बी.पी.एल. परिवार के लोग छूट गये हैं, उन्हें जोड़ दें। हम अनाज तो देते ही हैं। हम अनाज में कमी नहीं कर रहे हैं। इस पर बहुत डिसकसन हुयी है, इसलिए हम लोगों ने इसे राज्य सरकार के ऊपर छोड़ रखा है।

(प्रश्न संख्या 205)

[अनुवाद]

कुमारी शोभा करंदलाजे : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भारत सरकार, विशेषकर फार्मास्यूटिकल्स विभाग को 1 जनवरी, 2015 से फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज की समान संहिता (यू.सी.पी.एम.पी.) शुरू करने के लिए बधाई देती हूं, जो कई वर्षों से लंबित थी। डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच गलत कार्यों और अवैध मिलीभगत को नियंत्रित करने और उसका पता लगाने के लिए यह सरकार का एक अच्छा कदम है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज की समान संहिता स्वैच्छिक क्यों है, अनिवार्य क्यों नहीं? भारत में स्वैच्छिक कोई भी कार्य कारगर नहीं होगा, न ही उद्देश्य पूरा होगा, विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहती हूं कि फार्मास्यूटिकल विभाग समान संहिता को अनिवार्य बनाने के लिए क्या कार्रवाई करेगा और उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों और डॉक्टरों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस के समान संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। पिछले छह महीनों में कितनी कंपनियां इस संहिता के अंतर्गत आई हैं?

[हिन्दी] **श्री**

हंसराज गंगाराम अहीर : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है और हमने उसका जवाब भी दिया है। यह पूछा गया है कि इसे स्वैच्छिक क्यों रखा गया है। माननीय सदस्या ने यह भी माना है कि देश में इस पर पहली बार कुछ काम हो रहा है। इस पर सरकार विचार कर रही है। हमारे मंत्रालय ने इस पर जनवरी में विचार किया। हमने 31 अगस्त तक संबंधित कम्पनियों की एसोसिएशन्स को मौका दिया है कि वे ऐसी शिकायतों पर कुछ काम करें, विशेषकर डाक्टर्स के खिलाफ जो बात बताई गई है कि प्रलोभन दिया जाता है और बड़े उपहार, विदेश यात्रा के रूप में अपनी कम्पनी की महंगी दवाइयां बेचने का प्रयास होता है। इस पर हमारा मंत्रालय अकेले काम करने में सक्षम नहीं है। इसमें डाक्टरों का संबंध होने से हम इस मामले में

स्वास्थ्य मंत्रालय से भी सम्पर्क कर रहे हैं। हमारी इसी 29 जुलाई को संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग हुई। कुछ सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद हमारा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करके इस पर ठोस कोड बनाने पर विचार कर रहा है ताकि कम्पनियां प्रलोभन देकर डाक्टरों के माध्यम से अपनी महंगी दवाइयां बेचने का प्रयास नहीं करें। हमारा मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

कुमारी शोभा करंदलाजे : महोदया, मंत्री जी ने डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच मिलीभगत के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। वास्तव में कुछ दवा कंपनियां नकली और मिलावटी दवाएं बेच रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, अगर कहीं नकली दवाइयां गलत रास्ते से बेची जाती हैं तो हमारे मंत्रालय का एनपीपीए उस पर काम करता है। जो भी शिकायत आती है, उस पर संबंधित कम्पनियों या कहीं गलत तरीके से किसी स्टोर में दवाइयां बिक रही हैं तो कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेंथिलनाथन: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी योग्य नेता*पुरात्ची थलाइवी अम्मा* के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार गरीबों के लिए मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर रही है, जिसके माध्यम से सभी गरीब लोग निजी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा उपचार करवा सकते हैं। इसके अलावा, सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, हमारी अम्मा ने पूरे राज्य में अम्मा फार्मेसी खोली है, जिसके माध्यम से सभी दवाएं बिना लाभ, बिना हानि के आधार पर सस्ती कीमत पर बेची जाएंगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अम्मा फार्मेसी की तर्ज पर सभी राज्यों में भी ऐसी फार्मेसी खोली जाएगी, जिससे सभी दवाएं किफायती मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

इसके अलावा, हमें दवाओं के ऑनलाइन व्यापार जैसी अनैतिक विपणन प्रथाएं भी देखने को मिलती हैं। इससे दवा बेचने वाले लाखों लोग प्रभावित होंगे। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार दवा उद्योग में इस तरह के ऑनलाइन व्यापार को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।

धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, जिस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए जनऔषधि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाया है, उसी तरीके से भारत सरकार भी काम करने जा रही है। जेनरिक औषधि और जनऔषधि स्कीम में सुधार करके फिर से देश में लांच करने का मंत्रालय का विचार है। यह स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट भी चला रही है और भी कई राज्यों में चलाई जा रही है। आपके माध्यम से जो प्रश्न पूछा गया है, जो भी इस तरह की शिकायतें आती हैं, हम उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं और शिकायत मिलने पर हम उस आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदया, जब दवाईयों की बात आती है, यह बहुत अह्म हिस्सा है क्योंकि गरीब आदमी आज भी महंगी दवाई न खरीद पाने के कारण लाचार है। जब यूनिफार्म कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ फर्मासूटिकल्स प्रोडक्ट की बात आती है, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि सरकार मोनिटरिंग करने में सक्षम नहीं है। जब कोका कोला और अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर पेस्टिसाइड कंट्रोल की बात आई थी तब उस समय एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने का काम किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री जी अनंत कुमार जी सदस्य थे। क्यों नहीं फर्मासूटिक्लस कंपनी की मार्केटिंग के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाकर यह दिशानिर्देश हर विभाग को दिया जाए कि गरीब आदमी तक भी सस्ते दाम पर दवाई देने का काम करें। देश के हर गरीब आदमी तक मोनेटरी बेनिफिट देकर महंगी दवाइयां खरीदी जाती हैं इसे भी कम करने का काम किया जाए।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, डॉक्टरों द्वारा महंगी दवाइयां देने की सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन मंत्रालय के मंत्री अनन्त कुमार जी ने इस संबंध में 29 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई थी, इसमें एमसीआई के डॉयरेक्टर भी आए थे। सदस्य ने जो कहा है हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, निश्चित ही हमारा मंत्रालय गरीब लोगों से लूट न हो, चाहे नकली दवा की बात हो या महंगी दवा का प्रश्न हो हम इसी पर काम करने जा रहे हैं।

श्री डी.एस.राठौड़ : महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत में महंगी दवाइयों के मुकाबले में सस्ती जेनरिक दवाइयों को ज्यादा प्रचारित करने के बारे में कोई योजना है, यदि हां तो इसकी जानकारी दें।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, हमारा मंत्रालय जनऔषधि स्कीम 2015 लागू करने जा रहा है। हम उसकी पॉलिसी बना रहे हैं, जेनरिक औषधि दवाइयां सस्ती होती हैं, उसका स्टैंडर्ड मेनटेन करते हुए गरीब लोगों के लिए जगह-जगह पर स्टोर खोलने के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। हम यह स्कीम इसी वर्ष शुरू कर रहे हैं, सदस्य की इच्छा के अनुसार ही देश की गरीब जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए हम जनऔषधि स्टोर खोलने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 207, श्री ई अहमद -- उपस्थित नहीं।

श्री सुधीर गुप्ता।

(प्रश्न संख्या 207)

श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रश्न के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि आपने वर्ष 2013-14 और 2015 में पाकिस्तान के 7798 नागरिकों और बंगला देश के 246 नागरिकों को दीर्घावधि वीजा प्रदान किया है। ...(व्यवधान) इस वर्ष आपके पास 441 नागरिकों के आवेदन पेंडिंग हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके अलावा जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है, उनकी संख्या कितनी है और ऐसे लोगों को आप क्रमशः देश से बाहर करने के लिए कौन सी योजना पर काम कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने पिछले साल की संख्या कोट की है। हमने टास्क फोर्स बनाकर जो एप्लीकेशन्स रिसीव नहीं की हैं, उनकी संख्या हम यहां अभी नहीं दे पायेंगे। ...(व्यवधान) लेकिन माननीय सदस्य चाहें, तो हम पूरी जानकारी एकत्र करके उन्हें दे सकता हूं। देश के बाहर हमारा जो मिशन है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री में उस मिशन को जो मेन्ड करता है, उसके माध्यम से हम यह सारा प्रौसैस करते हैं। ...(व्यवधान) हमने पिछले एक साल में इस बारे में काफी स्टेप्स उठाये हैं खासकर बंगलादेश और पाकिस्तान के स्पेशली रिलिजस माइनोरिटीज कुछ विशेष घटना के कारण यहां आते हैं, उन्हें हम एक ह्यूमन टच देते हैं, अदरवाइज हम लोग लाँग टर्म वीजा देने, सिटीजनशिप देने में धर्म या कोई और आधार नहीं देखते हैं। ...(व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से लोग विस्थापित होकर भारत में आयें तो उन्हें नागरिकता प्रदान की गयी। उसी तरह अफगानिस्तान और बंगलादेश से बहुत सारे हिन्दू, बुद्धिस्ट और सिख विस्थापित हुए, जिन पर रिलिजिस पर्सिक्यूशन हुआ, जिन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए वहां से त्याग करके भारत में शरण ली, वे लोग नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे हैं। ...(व्यवधान) क्या भारत सरकार उन्हें नागरिकता देने के बारे में कोई विचार कर रही है? ...(व्यवधान) क्या ऐसा कोई विचार है? विशेषकर वर्ष 1971 में बंगलादेश से जो लोग विस्थापित होकर यहां आयें, उनमें से कई लोगों को असम अकॉर्ड के माध्यम से मान्यता दी गयी। ऐसे बच्चे-बच्चियों की शादियां भी हो गयीं और उनके बाल-बच्चे भी हो गये। ...(व्यवधान) वे अपनी नागरिकता मांग रहे हैं, लेकिन उनकी नागरिकता लंबित पड़ी है और नागरिकता नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी करने या और कोई काम करने में बहुत असुविधा आ रही है। ...(व्यवधान) क्या इस पर भारत सरकार गौर फरमायेगी? ...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, यह सवाल बहुत वाजिब है और इस तरह की घटनाएं बहुत देखने में आयी हैं। खासकर बंगलादेश से जो लोग आते हैं, उनमें से ज्यादातर विदाउट डाक्यूमैंट्स आते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं, वे डाक्यूमैंट्स के साथ आते हैं, लेकिन उनका डाक्यूमैंट्स ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम इनवैलिड हो जाता है या किसी कारण से वह रिन्यू नहीं हो पाता। ...(व्यवधान) लेकिन

हम इस पर गौर करके स्पेशल कदम उठा रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने पिछले एक साल से यह प्रौसैस बहुत ईजी कर दिया है। उसे हमें फास्टर और ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस के लिए हमने टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इसके माध्यम से सिटिजनशिप स्टेटस एक्वायर करने या लाँग टर्म वीजा प्राप्त करने में हमने बहुत ईजी प्रौसैस कर दिया है। इसके आतिरिक्त कोई और समस्या भी सामने आती है, तो उसका अध्ययन भी हम कर रहे हैं, ताकि स्पेशली रिलिजस माइनोरिटीज जो अंडर रिलिजस पर्सिक्यूशन के डर से आते हैं, उनकी हम खास मदद कर सकें।

[अनुवाद]

श्रीमती बिजोया चक्रवर्ती : माननीय सदस्य श्री आहलूवालिया जी ने विभाजन के बाद भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देने के संबंध में प्रश्न पूछा है। असम और त्रिपुरा में चार लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें 'डी' वोटर यानी संदिग्ध मतदाता कहा जाता है। वे एक प्रावधान के कारण चुनाव के मद्देनजर आ रहे हैं। … (*व्यवधान*) उन्हें अभी भी नागरिकता नहीं मिल रही है। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले कुछ लोगों को नागरिकता दी जाती है, लेकिन उस क्षेत्र से आने वाले बंगाली हिंदुओं को नहीं। मैं समझती हूं कि सरकार की ओर से भी प्रतिबद्धता है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इन लोगों को नागरिकता देने के लिए कुछ सोच रही है। ये हिन्दू बंगाली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ... (*व्यवधान*) वे दस्तावेजों के साथ नहीं आ सकते क्योंकि वे भाग कर भारत आए हैं। ... (*व्यवधान*) उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। वे कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सकते। वे केवल नागरिकता चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार असम, त्रिपुरा, बंगाल और बिहार में रहने वाले इन बंगाली हिंदुओं की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है? … (*व्यवधान*)

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, नागरिकता अधिनियम, 1965 के तहत भारतीय नागरिकता पांच प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त की जाती है - जन्म से, वंश से, प्राकृतिककरण से, पंजीकरण से और क्षेत्र अधिग्रहण से। यदि कोई भी व्यक्ति इन पांच श्रेणियों के दायरे में आता है, उसे स्वतः ही भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन

इसकी एक प्रक्रिया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं होता है, उन्हें अवैध प्रवासी करार दे दिया जाता है। अब, अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी हम कुछ कदम उठा रहे हैं ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एस.एस.अहलुवालिया : बिना डाक्युमेंट के क्या होगा?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः पहले मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको अनुमति दूँगी। पहले उन्हें पूरा करने दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे गृह मंत्रालय के विचाराधीन हैं। चूंकि हमने अभी तक कोई नीति घोषित नहीं की है, इसलिए मेरे लिए इस सम्माननीय सदन में कोई वक्तव्य देना कठिन है। अन्यथा, यह मुद्दा अभी विचाराधीन है। हम माननीय सदस्यों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों से बहुत चिंतित हैं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हजारों लोग अफगानिस्तान से आए थे, उनको पहले तो कह दिया गया कि हम सिटिजनशिप दे देंगे। लेकिन अब एक नए डॉक्युमेंट्स की डिमांड की जा रही है जो वहां से नहीं मिलते हैं। जो डाक्यूमेंट्स उनके पास हैं, उनके आधार पर अन्य देशों ने उन लोगों को सिटिजनशिप दे दी जो अलग-अलग देशों से अफगानिस्तान से आए, लेकिन इनको भारत में सिटिजनशिप नहीं मिली है। यहां बहुत से अफगानिस्तानी सिख और हिन्दू भाइओं

को सिटिजनशिप नहीं मिली है जबकि उनको यहां आए हुए 20 साल हो गए हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई उपाय कर रहे हैं?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए सिखों को ह्युमेनिटेरियन टच दे रहे हैं। हमारे पास आगे के लिए विकल्प खुला है, हम जो भी कर सकते हैं, करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब तक पालिसी नहीं बनाते है, उसका जिक्र या एनाउंसमेंट करना नामुमकिन है। यह हमारे संज्ञान में है, खास तौर से रिलीजियस माइनोरिटी को गृह मंत्रालय बहुत सीरियसली देख रहा है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : माननीय अध्यक्ष महोदया, धार्मिक उत्पीड़न, आर्थिक कारणों और रोजगार सृजन के कारण अन्य देशों के नागरिक हमारे देश में प्रवास कर रहे हैं। भारत ने हमेशा उन लोगों का खुले दिल से स्वागत किया है, जो हमारे पड़ोसी देशों में अपने धर्म के कारण उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। यह कोई नई घटना नहीं है… (व्यवधान)। यह पिछले हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। फारस और अन्य अरब देशों से बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में आए… (व्यवधान)। लेकिन हाल के समय में, मध्य एशियाई देशों और हमारे पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए, हमारे देश में एक प्रवासन नीति की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में ऐसी कोई नीति मौजूद नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार कहा है कि जिन देशों में प्रवासन हो रहा है, वहां प्रवासन नीति होनी चाहिए। अतः, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यथाशीघ्र एक प्रवासन नीति बनाई जाए, ताकि वे लोग यहां आकर हमारे नागरिकों और हमारे देश से पूर्ण समर्थन के साथ बस सकें?

श्री किरेन रिजीजू: माननीय सदस्य ने पूरी बहस को एक नया आयाम दिया है। हमारे पास अब तक कोई शरणार्थी नीति भी नहीं है। भारत शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसलिए, प्रवासन नीति के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उससे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तथाकथित

शरणार्थियों, जो अपनी मातृभूमि छोड़कर भारत में आ गए हैं, को किस श्रेणी में रखा जाए। एक बार यह बात स्पष्ट कर दी जाए, तो हम प्रवासन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसलिए मैं इस समय कोई बयान देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन, निश्चित रूप से हम इस मामले पर विचार करेंगे, जिसे माननीय सदस्य ने उठाया है, यदि इस संबंध में कुछ संभव होगा।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 208 – श्री रामेन डेकाः उपस्थित नहीं;

श्री बैजयंत जय पांडा : उपस्थित नहीं।

मंत्री महोदय, आप इस वक्तव्य को सभा पटल पर रख सकते हैं।

(प्रश्न संख्या 208)

श्री अनिल शिरोले: क्या सरकार ने कुछ प्रकार के प्लास्टिक को ईंधन तेल या अन्य उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने पर विचार किया है? यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सवाल यह है कि जो चालीस माइक्रोन से ज्यादा प्लास्टिक है, वह तो उठा लिया जाता है और वह रीसाइकिल भी होता है लेकिन अब नयी तकनीक आई है। सवाल उसी से पहले जुड़ा था कि जो चालीस माइक्रोन से कम पतली प्लास्टिक है, पन्नी वाली है, वह कोई नहीं उठाता है और उसी के सारे ढ़ेर सब जगह जमा हैं और पशु भी उसे खा रहे हैं। इसीलिए यह नयी तकनीक अभी आई है जिससे तेल या एनर्जी भी बनती है। इसलिए दोनों के प्रयोग चल रहे हैं। हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें से कौन सी तकनीक आगे चलेगी और कॉस्ट इफैक्टिव रहेगी। मुझे लगता है कि यह दो तीन साल का पीरिएड है जिसमें यह बात एसटेबिलिश हो जाएगी और नयी तकनीक के विकास के साथ ही आगे इसकी भी प्रोसैसिंग होगी।

[अनुवाद]

श्री जी. हरि: महोदया, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा के गतिशील नेतृत्व में, भारत के इतिहास में पहली बार तमिलनाडु में नगर निगम/नगर पालिका निकायों से एकत्रित

प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें भारी राशि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए केंद्र की सहायता जरूरी है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए इस उत्कृष्ट कदम का समर्थन करने हेतु अधिक अनुदान देने पर विचार कर रही है तथा क्या अन्य राज्य सरकारों को भी हमारे माननीय अम्मा के नेतृत्व में दिखाए गए इस मार्ग का अनुसरण करने का निर्देश दिया जाएगा?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय अध्यक्ष जी , जो प्लास्टिक के कचरे और अवशिष्ट की समस्या है, [अनुवाद] मुद्दा यह है कि हमें इसे सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता है; और इसलिए, हमने नियमों में संशोधन किया है। 2015 के मसौदा नियम पिछले दो महीनों से सार्वजनिक परामर्श हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हज़ारों लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा राज्यों - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों - को अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। पहले ग्राम पंचायतें और छोटे गांव प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन अब उन्हें भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। इसलिए, ये नए नियम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के पूरे परिदृश्य को बदल देंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष जी, 40 माइक्रो से नीचे जो भी प्लास्टिक बनता है, वह कचरे का रूपांतर होता है और खेती में भी उसका बहुत असर पड़ता है। प्लास्टिक की थैली बेचने वालों के बदले जहां इसकी मैनुफैक्चरिंग होती है, उन यूनिट्स पर पाबंदी लगाने की क्या सरकार की कोई योजना है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : हमने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी राज्यों को फिर से निर्देश दिया गया है। क्या कार्रवाई की गई है, इसका ब्यौरा अलग से दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने भी दिल्ली में कार्रवाई की

है और अनेक मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद किया है। जब इनकी मैनुफैक्चरिंग बंद होगी, तभी दुकानदार के पास यह उपलब्ध नहीं होगी। लोगों को और दुकानदारों को समझना चाहिए कि इनका यूज नहीं करना है। इस पर जो बैन लगा है, उसका लोगों को पालन करना चाहिए।

[5*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 210 से 222

अतारांकित प्रश्न संख्या [ee]2302 और 2303, 2305 से 2339, 2342 से

2375, 2377 से 2461, 2463 से 2473, 2475 से 2489, 2491 से 2530)

[5*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा बधाई</u>

भारतीय क्रीडा दल को 26 जुलाई से 2 अगस्त, 2015 तक लोस एंजेलेस, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल, 2015 में पदक जीतने के लिए भारतीय दल को बधाई

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं भारतीय दल को 26 जुलाई से 2 अगस्त, 2015 के दौरान लोस एंजेलेस में आयोजित विशेष ओलम्पिक, यह वास्तव में बहुत ही अच्छा विषय है, इस विशेष ओलम्पिक वर्ल्ड समर गेम्स, 2015 में हमारे भारतीय दल ने 173 पदक जीते हैं जिसमें 47 स्वर्ण पदक हैं, 54 रजत पदक हैं और 72 कांस्य पदक हैं। ये सभी पदक विशेष बच्चों ने जीते हैं। इस पर मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से बधाई देती हूं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तव में राष्ट्रीय गौरव का विषय है और हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत भी सिद्ध होगी। हम भारतीय दल को उनके भावी प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 515 (अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 20 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 213 (अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2881/16/15]

[अनुवाद]

युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2882/16/15)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2883/16/15)

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2884/16/15)

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरैस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरैस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2885/16/15)

(7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1783 (अ), जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2886/16/15)

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. गृह मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 2006 की आधिसूचना संख्या सा0का0नि0 676 (अ) द्वारा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक यथाविस्तारित बिहार निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) आधिनियम, 2002 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत चंडीगढ़ प्रशासन निक्षेपकों के हितों का

संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) नियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3/4/02/आरओ(1-2)/534 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2887/16/15)

3. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन आधिनियम, 2014 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(1) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2015, जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 311 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2015, जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 312(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2015, जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा0का0नि0 313 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 288 8/16/15)

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्धेश्वर): मैं सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 288 9/16/15)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षक, निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015, जो 28 मार्च, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 63 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) |

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2890/16/15)

(2) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015, जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) |

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2891/16/15)

(3) 3 जून, 2015 के आदेश संख्या 26018/133/2012-आईसी-II, जिसके द्वारा यह नियत किया गया है कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के सभी उपबंध तथा उसके अंतर्गत बनाए गए आदेश श्री अदनान सामी खान, पाकिस्तान राष्ट्रिक पर लागू नहीं होंगे तथा इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के अंतर्गत श्री अदनान सामी खान को विवासन कार्यवाहियों से छूट प्रदान की जाती है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2892/16/15)

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): महोदया, आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2893/16/15)

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2894/16/15)

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महोदया, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2014-2015) का तीसरी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.03½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[6*]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[6*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या क्रमश: एल.टी 2895/16/15 और एल.टी. 2896/16/15

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[7*]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, श्री राधा मोहन सिंह की ओर से, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

(तीन) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति [8**]

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[7*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या क्रमश: एल.टी 2895/16/15 और एल.टी. 2896/16/15

[8**] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या क्रमश: एल.टी 2897/16/15 और एल.टी. 2898/16/15

अपराह्न 12.05 बजे

(चार) निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[9*]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

[9*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या क्रमश: एल.टी 2897/16/15 और एल.टी. 2898/16/15

<u>अपराह्न 12.05½ बजे</u>

(पांच) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन से तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।[10*]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। :-

(1) रसायन और पेट्रोलियम विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

(छह) गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर में शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों को पेश आ रही समस्याओं ' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 183वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[10*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया । देखिए संख्या क्रमश: एल.टी 2899/16/15 और एल.टी. 2901/16/15

गृह राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदया, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर में शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों को पेश आ रही समस्याओं ' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 183वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अपराह्न 12.06½ बजे

(सात) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति [11*]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : माननीय अध्यक्ष महोदया, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

[11*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें सं. एल.टी. 2902/16/15

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, 'शून्यकाल'

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप अपनी सीट पर जा सकते हैं। मैं आपको अनुमति दूंगी, लेकिन आपको अपनी सीट पर जाना होगा।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

इस समय श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी अपनी सीट पर वापस चले गए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी को जाना होगा। ऐसा नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है, सुब्बा रेड्डी जी। आप सभी को अपनी सीट पर जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वे चार सदस्य यहां खड़े हों और आप बोल रहे हों। नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ। उन सभी को अपनी-अपनी सीटों पर जाना होगा। वे सभी आपके साथ हैं। इसलिए आपको वापस जाना होगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है। ऐसा नहीं है।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: स्पीकर्स रूलिंग पर आपने बात की, दुष्यंत जी समझने की कोशिश करें, कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है। ऐसा मामला यहाँ नहीं उठता है। थोड़ा रूल तो समझें। कृपया बैठ जाएं। वह सब नीचे रखेंगे, तो ही अलाऊ होगा। ऐसा नहीं होता है। आप मनमानी नहीं कर सकते हो।

<u>अपराह्न 12.07 ¾ बजे</u>

इस समय श्री वारा प्रसाद राव वेलागापल्ली और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपनी सीटों पर वापस चले गए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप सभी कृपया अपनी तख्तियां नीचे रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: महोदय, आपका नाम क्या है? आप अपनी सीट पर बैठें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपके दल के लोगों से अनुरोध कर रही हूं कि वे अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हां, उन्हें बैठना होगा, उन्हें अपनी सीट पर वापस जाना होगा। आप इन सभी चीजों को नहीं दिखा सकते। नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) आंध्र प्रदेश के उत्तरजीवी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी (नेल्लोर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन बहुत जल्दबाजी में, बहुत अवैज्ञानिक तरीके से किया गया था। उस समय हमने लोक सभा में भी इसी बात पर आपत्ति जताई थी। हमें निलंबित कर दिया गया था, विधेयक को आसानी से पारित कर दिया गया और यह राज्य सभा में भेज दिया गया। वहां भी, आंध्र प्रदेश से राज्य सभा के सांसदों ने आपत्ति जताई थी। उस समय, सत्ता में बैठी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भाजपा दोनों ही राज्य को विभाजित करने में रुचि रखती थीं। उन्होंने सोचा कि उन्हें राज्य का विभाजन कर देना चाहिए और उन्होंने यह काम जल्दबाजी में किया। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शेष बचे आंध्र प्रदेश राज्य को पांच साल के लिए विशेष दर्जा देने का वादा किया था। इसके बाद भाजपा सदस्यों श्री अरुण जेटली और श्री वेंकैया नायडू ने इसे दस साल के लिए बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह, वे सत्ता में आने वाले हैं और वे निश्चित रूप से इसे दस साल तक बढ़ाएंगे। जैसा कि उन्होंने सही कहा, वे किसी भी तरह अब सत्ता में आएंगे। शेष आंध्र प्रदेश राज्य भारी वित्तीय संकट में है। हम बड़े संकट में हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें अब शून्य से शुरू करना होगा। हमें शून्य से शुरुआत करनी होगी। हमारे पास राजधानी, सचिवालय, विधानसभा या कुछ भी नहीं है। हम घाटे की वित्तीय स्थिति में हैं। हमने सोचा था कि कम से कम भारत सरकार विशेष दर्जा तो देगी ताकि आंध्र प्रदेश राज्य औद्योगिक रूप से विकसित हो सके। एक बार यह दर्जा दिए जाने के बाद, हमें निश्चित रूप से 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण मिलेगा। अन्यथा, इसका उल्टा होगा। हमने सोचा कि कम से कम हम राज्य का औद्योगिक विकास तो कर ही सकते हैं ताकि आने वाले वर्षों में राज्य इस वित्तीय संकट से बाहर आ सके।

अब, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि लगभग एक वर्ष और तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार टालमटोल कर रही है। वे चीजों को टाल रहे हैं और उन्हें लटका रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह मुद्दा अभी भी विचाराधीन है और तत्कालीन राज्य वित्त मंत्री तथा योजना राज्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। अभी भी कुछ मंत्री कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा और यह भारत सरकार के विचाराधीन है।

अब आंध्र प्रदेश में लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमें कोस रहे हैं। हम वहां आकर नारे लगाने से खुश नहीं हैं। हम सदैव कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, और हम सदैव आपके निर्देशों का पालन करते हैं। लेकिन इसके बावज़ूद हमें वहां आकर नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अन्यथा, हमारे राज्य की जनता हमें माफ नहीं करेगी। वे हमें माफ नहीं करेंगे। इसलिए, हम उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा आंध्र प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यहां हैं।

माननीय अध्यक्ष: हां, मैं समझ सकती हूं।

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी: हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष श्रेणी राज्य घोषित करे। अन्यथा, वे इससे बच नहीं पाएंगे और लोकतंत्र की कोई पवित्रता नहीं रहेगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सदन में इसका वादा किया था और तत्कालीन विपक्ष ने इसका समर्थन किया था और कहा था कि वे 10 साल तक विशेष दर्जा देंगे। … (*व्यवधान*) एन.डी.ए. के चुनाव घोषणापत्र में भी यह कहा गया है। इसलिए, हम भारत सरकार से ईमानदारी से मांग करते हैं कि वह आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य घोषित करे और उसके अनुसार सभी अनुमतियां प्रदान करे। अन्यथा, हम नहीं करेंगे ... (*व्यवधान*) हम भारत सरकार से एक बहुत ही विशिष्ट और स्पष्ट घोषणा चाहते हैं। अन्यथा, हमारे लोग हमें माफ नहीं करेंगे। हम अपने लोगों के पास जाकर अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप उन्हें क्यों प्रेरित कर रहे हैं?

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी : अतः हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष श्रेणी राज्य घोषित करे। हम भारत सरकार से बहुत स्पष्ट जवाब चाहते हैं। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम. श्रीनिवास राव, क्या आप उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनकापल्ले): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस अत्यावश्यक मामले पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, यह उचित नहीं है। वह भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती): महोदया, वर्ष 2014 में संसद द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित किए जाने के बाद, पिछली यूपीए सरकार ने राज्य के विभाजन के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को पांच साल के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया था। भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया। जैसा कि सभा जानती है, सीमांध्र क्षेत्र ने विभाजन का पुरजोर विरोध किया तथा आम चुनावों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में एक साथ हुए राज्य चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को दंडित किया।

<u>अपराह्न 12.14 बजे</u>

इस समय श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

महोदया, भाजपा इतनी दयालु थी कि उसने संसद में मांग की कि सीमांध्र को दस से पंद्रह वर्षों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के कारण आंध्र प्रदेश के लोगों में पहले से ही असंतोष है। यदि निर्णय में और देरी होती है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए लोगों को समझाना कठिन हो जाएगा। … (*व्यवधान*)

विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय वित्तीय सहायता की गणना इस तरह से की जाती है कि इसका 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में माना जाता है और शेष 10 प्रतिशत ऋण के रूप में माना जाता है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है।

… (व्यवधान)

श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती): आंध्र प्रदेश के विभाजन से सीमांध्र को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। ... (*व्यवधान*) आई.टी. उद्योग, बुनियादी ढांचा उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केवल तेलंगाना राज्य में केंद्रित हैं। … (*व्यवधान*) हमें सब कुछ शुरू से ही बनाना होगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है। आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। वह एक ही बात कह रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) : वित्तीय बाधाओं के बावजूद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) आमंत्रित करके तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण करके नए राजधानी शहर के निर्माण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। … (*व्यवधान*) यह एक विशाल कार्य है। … (*व्यवधान*) यदि सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो ये चीजें सुचारू रूप से लागू हो सकेंगी। रायलसीमा क्षेत्र के सबसे पिछड़े जिलों और उत्तर आंध्र के तीन जिलों के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की गई है। वर्ष 2014-15 के वित्तीय वर्ष के दौरान, आंध्र प्रदेश को घाटे के बजट का सामना करना पड़ा। केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में वादा किया है कि वे घाटे के बजट को कम करने के लिए सभी कदम उठाएंगे। यह सराहनीय है कि हमारे राज्य के वित्त मंत्री गैर-योजना व्यय में कटौती करके राजस्व और

राजकोषीय घाटे को स्वीकार्य स्तर तक नियंत्रित कर सके, लेकिन उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि यदि राज्य को वादा किए गए अनुदान, सहायता और प्रोत्साहन शीघ्रातिशीघ्र नहीं दिए गए, तो पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत भी, अर्थात् वर्ष 2020-2025 तक, राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना रहेगा। इस पर गौर करने की जरूरत है।

तेलुगु देशम पार्टी के लिए दो मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि आंध्र प्रदेश की जनता के हित बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हमारे पास 33 सांसद थे, तब हमने एक भी मंत्रालय नहीं मांगा था और हमने वाजपेयी सरकार का समर्थन किया था।

आज, ...*(व्यवधान)*[12*] कांग्रेस पार्टी के नेता आंध्र प्रदेश आए... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया किसी का नाम न लें। मैं समझती हूं कि आप क्या कह रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) : आज आन्ध्र प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। मुझे बहुत खुशी है कि वाई.एस.आर. पार्टी के मेरे मित्र डेढ़ साल बाद आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सपोर्ट करते समय इतना नहीं बोलते हैं। आपकी बात का माननीय राजनाथ सिंह जी ने जवाब दे दिया था।

[अनुवाद]

श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी (अवंती) : आंध्र प्रदेश के सभी लोगों की ओर से, एक बार फिर, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यह हमारा विनम्र अनुरोध है, महोदया। ... (*व्यवधान*)

[12*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: अब, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (व्यवधान)[13*]

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीनिवास राव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह ठीक नहीं है। [हिन्दी] माननीय राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं, पहले ही आपकी बात का जवाब दे चुके हैं। यह किसी के हाथ में देने की चीज नहीं है। [अनुवाद] आपने जो कुछ कहा है, उसके बारे में उन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया है।

जितेन्द्र रेड्डी जी आप कुछ कहना चाहेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको अपनी सीटों पर वापस जाना पड़ेगा। मैं आपको अनुमति दूँगी, यदि आप ऐसा करते हैं; अन्यथा, मैं आपको अनुमति नहीं दूँगी।

… (व्यवधान)

माननीय सदस्य: [हिन्दी] बाकी का शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

13* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>अपराह्न 12.17 बजे</u>

नियम 377[14*] के अधीन मामले

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है व जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

14* सभा पटल पर रखा गया माना गया।

(एक) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील गंगरार के सोनियाना गांव में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील गंगरार के सोनियाना ग्राम में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना चल रही है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल सुविधा के निकट स्थित है। उपरोक्त क्षेत्र के 10 किलोमीटर दूरी पर ही भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध वस्त्र व्यवसाय के कारखाने हैं। प्रस्तावित सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाइल जोन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। स्थानीय स्तर की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। वर्तमान में यह पर्यावरण अनापत्ति के लिए विचाराधीन है। रीको द्वारा प्रस्तावित औद्यागिक क्षेत्र के समय पर प्रारंभ होने पर भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले के व्यवसायियों द्वारा तीव्र गति से इस क्षेत्र के विकास की संभावनाएं हैं। सुविधाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलवे यार्ड की सुविधा भी नजदीक ही है। वायु मार्ग से भी उपरोक्त क्षेत्र नजदीक ही हमीरगढ़ हवाई पट्टी के निकट स्थित है। सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार एवं भीलवाड़ा जिले की हमीरगढ़ तहसील हैं। औद्योगिक विकास से दोनों तहसीलों के लगभग 5. ग्राम पंचायतों के हजारों परिवार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार से लाभान्वित होंगे। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित बेरोजगारों एवं कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध होगा। रीको की इस महत्वाकांक्षी योजना से वस्त्र व्यवसाय में राजस्थान का योगदान बढ़ेगा। टेक्सटाइल जोन के रूप में उक्त क्षेत्र के विकास के कारण भविष्य में चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में रेडीमेड एवं गारमेन्ट व्यवसाय भी प्रारंभ हो सकेगा। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से सरकार को भी आवंटन की आय के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की नियमित आय

भी होगी। औपचारिकताओं के शीघ्र पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशानुरूप औद्योगिक विकास समय पर प्रारंभ होकर क्षेत्र के आमजन को रोजगार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगा।

अतः मेरा वन एवं पर्यावरण तथा वस्त्र मंत्री जी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(दो) मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अजय निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का एक प्रमुख व्यवसायिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक केन्द्र है और साथ ही इसके चारों तरफ उततर बिहार के लगभग 11-12 लोक सभा क्षेत्र हैं, जहाँ से चलने वाली कोई ऐसी सुपरफास्ट रेलगाड़ी नहीं है जो मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली 14-15 घंटे में पहुँचा सके। इस कारण मुझे एवं इन सभी 11-12 लोक सभा क्षेत्र के माननीय सांसदों को पटना आकर राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आना पड़ता है। मुजफ्फरपुर से पटना जाने में अगर जाम नहीं मिला तो लगभग 3 घंटों और फिर पटना से दिल्ली आने में लगभग 12-13 घंटों का वक्त लगता है। मैं इस संदर्भ में कई बार माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर सांसदों एवं आमजनों को होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए एक स्पेशल गाड़ी मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली चलाने का आग्रह कर चुका हूँ जो मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली 14-15 घंटे में पहुँचा दे। लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि न केवल हम सांसदों अपितु व्यापारियों एवं आमजनों को हो रही दिक्कतों से निजात दिलाने के मद्देनजर शीघ्र ही एक स्पेशल गाड़ी मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए चलवायी जाए जो 14-15 घंटे में इस दूरी को तय करें।

(तीन) मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में उत्पादित मीथेन गैस का राज्य में प्राथमिकता के आधार पर वितरण सुनिश्चित करने तथा गैस के उत्पादन के प्रयोजन हेतु जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है उन्हें पर्याप्त मुआवजा तथा रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री दलपत सिंह परस्ते (शहडोल) : मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोयले के भंडारों से मिथेन गैस का उत्पादन का कार्यभार रिलायन्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है। मिथेन गैस का वितरण राज्य के जिलों तथा राज्य में होना चाहिए, लेकिन गैसे दूसरे राज्यों में वितरित की जा रही है तथा साथ ही जिन आदिवासी किसानों की भूमि का अधिग्रहण जबरन किया गया है, उन्हें वापस किया जाए या जिन किसानों को उनकी जमीन का अधिग्रहण के बाद भी समान दर से मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें मुआवजे का वितरण शीघ्र किया जाए। ऐसे भी आदिवासी किसान हैं जिन्हें सरकार की ओर से नौकरी देने का आश्वासन दिया गया लेकिन उन्हें नौकरी भी नहीं दी गई। शीघ्र ऐसे किसानों की सहायता की जाए। गैस के वितरण के प्लांट में मेरे जिले को प्राथमिकता दी जाए।

(चार) झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक उपक्रमों तथा आम जनता को नक्सलवादी हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा मजबूत किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : झारखण्ड में वामपंथी उग्रवादियों के नाम पर भय का आतंक व्याप्त है । मेरा संसदीय क्षेत्र गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के कई सार्वजनिक लोक उपक्रमों का कार्य क्षेत्र है परंतु इन लोक उपक्रमों एवं आस-पास के क्षेत्रों में नक्सली हिंसा से निपटने के लिए समुचित प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में नक्सली हमले की संख्याओं में वृद्धि हो रही है। दिनांक 14.07.2015 को रात्रि 9.00 बजे सी.सी.एल. के 'खासमहल परियोजना' में कोयले से लदे करीब दो दर्ज ट्रकों/हाइवा में आग लगा दी गई। जिला परिषद सदस्य/अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य आभियन्ता, दामोदर घाटी निगम, बीटीपीएस को इस आग बुझाने के लिए दमकम भेजने का आग्रह किया गया क्योंकि घटना स्थल से बीटीपीएस की दूरी 4 किलोमीटर थी परंतु दमकल की गाड़ियाँ आग बुझाने नहीं पहुँचीं।

हमारे संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का लंबा इतिहास है। अप्रैल, 2006 में खासमहल में ही रात्रि 7.20 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के शिविर को नक्सलियों द्वारा उड़ा दिया गया और लगभग 00.30 बजे तक मुठभेड़ हुई परंतु आधा किलोमीटर पर पुलिस स्टेशन होने के बावजूद पुलिस बल घटना स्थल पर नहीं पहुँची और सीआईएसएफ कैम्प को भी हटा दिया गया। ऐसी स्थिति में पीएसयूज इस क्षेत्र में नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले और निवास करने वाले कितनी असुरक्षा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह कल्पना का विषय है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि हमारे संसदीय क्षेत्र नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए आमजनों और सार्वजनिक लोक उपक्रम के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने हेतु व्यापक सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(पांच) राजस्थान के सीकर संसदीय क्षेत्र के बावड़ी में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र को पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मेरे संसदीय क्षेत्र सीकर (राजस्थान) के गाँव बावड़ी में बालिका हॉकी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण का एक सेंटर (साई सेन्टर) है जो वर्ष 2006 से संचालित है। यह सेंटर पिछले वर्षों से लगातार उत्कृष्ट परिणाम दे रहा है। अनेक पदक विजेता तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस सेंटर ने दिए हैं परंतु इन सब के बावजूद पिछले दो वर्षों से अर्थात् 2013 से इस सेंटर को बिना कारण बंद कर दिया गया है। बालिका हॉकी के लिए पूरे राजस्थान में यह एकमात्र सेंटर था। ऐसे में प्रदेश की बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आने में बहुत कठिनाई हो रही है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ‘‘ मुहिम की शुरूआत की है। ऐसे में इस ‘‘साई सेंटर‘‘ को पुनः शुरू किए जाने से बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आगे आने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस ‘‘साई सेंटर‘‘ को शीघ्र पुनः आरंभ कराया जाए।

(छह) उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा खोले जाने की आवश्यकता

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती (उत्तर प्रदेश) में गन्ना एक प्रमुख फसल होने के साथ-साथ किसानों के जीवन का आधार है। रहने के लिए मकान, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, बेटियों की शादी से लेकर किसानों के तमाम सपने गन्ने की फसल से मिलने वाले मूल्य पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन कुछ सालों से गन्ना किसान मिल मालिकों और सरकार की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं जिससे इनका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती में कुल चार चीनी मिलें थीं - बस्ती, वाल्टरगंज, मुण्डेरवा और रूधौली। वर्ष 2002 में कतिपय कारणों से अचानक मुण्डेरवा चीनी मिल बन्द कर दी गई जिसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। तीन किसान इस आंदोलन में अपनी जान तक गँवा बैठे, फिर भी मिल चालू नहीं हो सकी। वर्ष 2012 में अपने बड़े दाने के लिए मशहूर बस्ती चीनी मिल को भी बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक मिल गेट पर किसानों का अनवरत धरना चल रहा है, फिर भी स्थिति 'जस की तस' है। दुर्भाग्य से इस वर्ष वाल्टरगंज चीनी मिल को भी बंद कर दिया जा रहा है। बजाज ग्रुप द्वारा संचालित बस्ती और वाल्टरगंज चीनी मिलों में आर्थिक भ्रष्टाचार व कर्मचारियों के शोषण की व्यापक शिकायतें मिल रही हैं। इसकी भी उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गन्ना किसानों की दशा पर गंभीरता से विचार करते हुए दोनों बंद हो चुकी मिलों को शीघ्र ही चालू कराया जाए तथा इस बार बंद हो रही वाल्टरगंज चीनी मिल को किसी भी दशा में बंद न होने दिया जाए।

(सात) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की सेवाओं में सुधार करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): दिल्ली में बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. नेटवर्क की सेवा अत्यधिक असंतोषजनक है। इन दोनों सेवाओं के उपभोक्ताओं का कॉल बीच में ही समाप्त जाना, खराब कनेक्टिविटी आदि सहित नेटवर्क संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बी.एस.एन.एल. ने वर्ष 2003 में अपनी सेवा शुरू की थी और बहुत जल्दी बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया था। इसने एयरटेल के बाद नंबर 2 के स्थान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वर्ष 2007 से, नेटवर्क विस्तार की कमी के कारण अपने प्रतिस्पर्धियों को अपना बाजार हिस्सा खोना शुरू कर दिया था। इन सभी वर्षों में, बी.एस.एन.एल. में राजनीतिक हस्तक्षेप और खराब नेतृत्व रहा है। ब्रॉडबैंड सेवा में नकारात्मक वृद्धि हुई है, जिसके कारण इसके ग्राहकों में भारी गिरावट आई है। एम.टी.एन.एल. पुरानी टी.डी.एम. प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है और कॉपर-केबल आधारित एक्सेस नेटवर्क की खराब स्थिति तथा उनके द्वारा खरीदे गए ड्रॉप वायर की घटिया गुणवत्ता के कारण उनकी सेवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। कर्मचारियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित नहीं किया गया है और कई शीर्ष पद खाली पड़े हैं।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए स्थिति में सुधार लाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में जन सुविधाओं तथा शैक्षिक और रोजगार संबंधी पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : मेरा लोक सभा क्षेत्र खेड़ी (उत्तर प्रदेश) वनाच्छादित तथा कई नदियों से घिरा है। यहाँ बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ रास्तों, शिक्षा, चिकित्सा व बिजली की व्यवस्था नहीं है। इसी क्षेत्र में किशनपुर, कॉपटॉडा, ग्रन्ट नं0 1, एलनगंज बंगाली कालोनी आदि राजस्व ग्राम जो भीरा क्षेत्र की पलिया तहसील में स्थित हैं जिनकी सम्मिलित आबादी बीस हजार के करीब है। इस क्षेत्र के लोग आजादी के 68 वर्ष बाद भी गुलामी झेल रहे हैं।

वन विभाग के लोग यहाँ के लोगों से गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं तथा विकास की सभी योजनाएं केवल इस कारण रोक दी जाती हैं कि यह वन क्षेत्र है। एक तरफ सरकार सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ने, विद्युतीकरण, शिक्षा व चिकित्सीय सुविधाओं सहित शुद्ध पेयजल व रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रयास कर रही है, वहीं इस क्षेत्र के लोगों को अपनी कृषि उपज गन्ने आदि ले जाने से लेकर शादी-ब्याह व रोगी को ले जाने हेतु एक हजार छः सौ (1600) रूपये की पर्ची कटानी पड़ती है। विद्युतीकरण के विषय में कहा जा रहा है कि बिना वन विभाग की अनापत्ति के विद्युतीकरण नहीं हो सकता। कॉपटॉडा आदि में आवश्यक सुविधाएं न होने के कारण आने वाली पीढ़ी भी अविकसित रह जायेगी जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त गाँवों को सड़कों से जोड़ने, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, रोजगार की उचित व्यवस्था के साथ-साथ सड़कों का निर्माण व विद्युतीकरण कराया जाए।

(नौ) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुलाबपुरा और उनियारा के बीच सड़क मार्ग जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी के रूप में घोषित किया जा चुका है, की मरम्मत तथा रखरखाव का कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में भारत सरकार ने वर्ष 2011 में गुलाबपुरा से उनियारा तक 203.97 किलोमीटर सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी घोषित किया परंतु आज 4 वर्ष पश्चात भी राष्ट्रीय राजमार्ग 148डी पर कोई कार्य नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के बाद राज्य सरकार ने उस मार्ग पर मरम्मत का कार्य भी बंद कर दिया है। भारत सरकार भी उक्त् राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई मरम्मत कार्य नहीं करवा रही है, क्योंकि सारी सड़क नई बनाने की टेण्डर प्रक्रिया पिछले चार वर्षों से चल रही है। वर्तमान में गुलाबपुरा से हुरदा एवं जंझावर से नैनवा तक सड़क की हालत बहुत खराब है जिसकी मरम्मत आवश्यक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी की मरम्मत के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत कराया जाए।

(दस) देश में उत्तर पूर्वी राज्यों में बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट): पूर्वोत्तर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है लेकिन इसे देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। भारतीय रेलवे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत विकास ला सकता है तथा उस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग का विकास कर सकता है। वर्तमान में इस क्षेत्र की रेल हमेशा देरी से चल रही हैं। अक्सर रेलगाड़ियां पेंट्री कार, पानी आदि के बिना चलती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई मरीज रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, क्योंकि एयर एम्बुलेंस बहुत महंगी है। लेकिन ट्रेनें कभी भी समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंचतीं, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। इसके अलावा, उत्तर पूर्व से भारत के अन्य राज्यों में यात्रा करने की कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए ट्रेनों की सेवाओं में सुधार करने का अनुरोध करता हूँ।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में आमी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): देश में पवित्र नदी गंगा का सफाई आभियान शुरू हो चुका है। गंगा विशेषकर उत्तर प्रदेश में ज्यादा औद्योगिक कचरा गिरने के कारण् सबसे आधिक प्रदूषित है। उसमें छोटी-छोटी नदियों के द्वारा औद्योगिक कचरे का प्रमुख योगदान है। उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर में बहने वाली 'आमी नदी' जहाँ संत कबीर का निर्माण स्थल भी है, उसके समीप स्थल जनपदों में स्थित औद्योगिक रूदौली बस्ती चीनी मिल द्वारा बेतहाशा कचरा गिरने से आज उसकी स्थिति बदतर हो गई है। मनुष्य क्या जानवरों की भी उसका पानी पीने से मौत हो जाती है। पूर्व में भी यह विषय आया था किन्तु सरकार के पर्यावरण एवं प्रदूषण विभाग के आधिकारियों द्वारा मात्र औपचारिका पूर्ण करने के कारण यह नदी प्रदूषण मुक्त नहीं हो पा रही है। यह आमी नदी राप्ती के माध्यम से बलिया में गंगा से मिलती है। आमी जैसी नदियों को जब तक प्रदूषण मुक्त नहीं किया जायेगा तब तक गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाएगी अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि औद्योगिक कचरा नदियों में गिराने वाली फैक्ट्रियों पर कठोरतापूर्ण कार्रवाई की जाए जिससे देश की नदियाँ प्रदूषण मुक्त हो सकें ताकि उनके किनारे बसे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके ओर सरकार के " अविरल गंगा निर्मला गंगा " के प्रयास को पूर्ण किया जा सके।

(बारह) उत्तर महाराष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्तर महाराष्ट्र विकास बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : महाराष्ट्र के खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र अभी तक विकास से कोसो दूर है। आजादी के 65 वर्षों बाद भी यह क्षेत्र विकास से अछूता है। पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया जिससे यह क्षेत्र कृषि, उद्योग, पेयजल, शिक्षा, रोजगार एवं आधारभूत संरचना में काफी पिछड़ गया है। सिंचाई एवं पेयजल यहां की प्रमुख समस्याएं हैं। इस क्षेत्र की मुख्य फसल केला और कपास हैं। इसके बावजूद केला आधारित प्रसंस्करण उद्योग का नितान्त अभाव है। उत्तर महाराष्ट्र स्थित जलगांव क्षेत्र में केले के साथ-साथ संतरा, आम, नीबू, अंगूर के उत्पादन को देखते हुए यहाँ पर एक 'मेगा फूड पार्क' लगाने की संभावना है। साथ ही कपास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 'टेक्सटाइल पार्क' बनाया जाए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए "उत्तर महाराष्ट्र विकास बोर्ड " की स्थापना जल्द से जल्द की जाए।

(तेरह) नेफेड द्वारा कोपरा के क्रय मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. महेंद्रन (पोल्लाची): मेरे पोल्लाची संसदीय क्षेत्र में लगभग 92000 हेक्टेयर क्षेत्र नारियल की खेती के अंतर्गत आता है, जो तमिलनाडु के नारियल क्षेत्र का एक-चौथाई है।

हर साल 2.02 लाख मीट्रिक टन खोपरा का उत्पादन किया जा रहा है। नारियल उत्पादकों के लिए खोपरा उत्पादन उनकी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेफेड द्वारा तय मिलिंग खोपरा के लिए समर्थन मूल्य केवल 55.50 रुपये प्रति किलोग्राम है।

खोपरा का व्यापार केवल 65 रुपये प्रति किलो के लिए खुले बाजार में किया जा रहा है और नारियल उत्पादक बहुत निराश हैं। उनके वित्तीय संकट को कम करने के लिए, उत्पादन लागत के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए, नेफेड द्वारा खरीद मूल्य को बढ़ाकर 140 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाना चाहिए।

इस वर्ष मानसून ने कुछ हद तक किसानों का साथ दिया है, इसलिए खोपरा का उत्पादन अधिशेष में है। यह जानकर दुख होता है कि नेफेड संबंधित राज्य संघों को परिवहन शुल्क वहन करने के लिए बाध्य कर रहा है, जिसके कारण राज्य अपने राज्यों में खरीद केंद्र नहीं खोल पा रहे हैं।

इसलिए, मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे नेफेड द्वारा खोपरे का खरीद मूल्य मौजूदा 55.50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 140 रुपये करें और संबंधित राज्यों द्वारा वहन किए जाने वाले परिवहन शुल्क की शर्त को माफ करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करें।

(चौदह) केरल के मुल्लापेरियार बांध पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. उदय कुमार (डिंडीगुल): मुल्लापेरियार बांध केरल के थेक्कडी जिले में स्थित है और इसका स्वामित्व और संचालन तमिलनाडु सरकार के पास है। मुख्य बांध की लंबाई 1200 फीट तथा बांध का शीर्ष 155 फीट ऊंचा है। बांध की सुरक्षा का अधिकार केरल पुलिस के पास है और तमिलनाडु इसका खर्च वहन करता है। मुल्लापेरियार के पानी से तमिलनाडु के पांच जिलों - थेनी, मदुरै, शिवगंगा, डिण्डीगुल और रामनाथपुरम में लगभग 2,17,486 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है और बिजली भी पैदा की जा रही है।

तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 06.12.2011 को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर मुल्लापेरियार बांध पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी, जिसमें बांध स्थल पर केरल के कुछ राजनीतिक दलों द्वारा की गई तोड़फोड़ की घटनाओं का हवाला दिया गया था।

हालाँकि, केरल के इस आश्वासन के बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया कि वह बांध की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

लेकिन फरवरी 2015 के महीने में, केरल के एक मौजूदा विधायक ने पत्रकारों के एक समूह के साथ मुल्लापेरियार का दौरा किया और बाद में छोटे बांध की संरचना को नुकसान पहुंचाया। केरल पुलिस मूकदर्शक बनी रही और लोगों को छोटे बांध को नुकसान पहुंचाने से रोकने में असफल रही। पत्रकारों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित पर्यवेक्षी समिति के अंतर्गत एक उप-समिति (तकनीकी) के सदस्य के साथ मारपीट की। तमिलनाडु

पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन केरल पुलिस ने शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार कर दिया।

तमिलनाडु सरकार ने 20 फरवरी 2015 को फिर से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर बांध और उससे जुड़ी संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) की तैनाती के लिए केन्द्र को निर्देश देने की मांग की।

(पंद्रह) सी.बी.एस.ई. की कक्षा बारहवीं की गणित की पूरक परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यार्थियों को सामान्यतया उत्तीर्ण घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): सी.बी.एस.ई. के माध्यम से कक्षा-10 की वर्ष 2015 की बोर्ड परीक्षा के दौरान यह बताया गया कि गणित (वैकल्पिक) के प्रश्न बहुत कठिन थे। कुछ सांसदों द्वारा भी सभा में यह मामला उठाया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, गणित (वैकल्पिक) विषय वाले कई छात्र अनुत्तीर्ण हो पाये। कुछ छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, लेकिन कम्पार्टमेंटल परीक्षा के परिणाम में देरी के कारण प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ और समय लगेगा।

अभिभावकों और छात्रों ने संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे कंपार्टमेंटल परिणाम आने तक इंतजार करें।

किसी भी परिस्थिति में, कुछ होनहार छात्र, जिन्होंने अन्य सभी विषयों में उच्च अंक प्राप्त किए, वे "कंपार्टमेंट पास" करने का कलंक लेकर चलेंगे।

अतः अनुरोध है कि अपवाद स्वरूप गणित (वैकल्पिक) में कम्पार्टमेंट वाले छात्रों को "सामान्यतः उत्तीर्ण" माना जाए।

(सोलह) देश में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के कार्यकरण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : शिक्षा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है। हर कोई अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है जिससे बच्चों का जीवन उज्ज्वल हो सके। परंतु आज के युग में किसान एवं जिनकी मासिक आय न के बराबर है, वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहा है।

आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। देश में हर जगह प्राइवेट कोचिंग सेन्टर चलाये जा रहे हैं तथा बच्चों से मनमाफिक फीस वसूली जा रही है। जिनके पास पैसा है, वे अपने बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं और जो किसान और निम्न आय वाले परिवार हैं, वे अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करा पाते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन सभी कोचिंग सेंटरों की समीक्षा की जानी चाहिए और फीस के लिए आवश्यक गाइड लाइन जारी की जानी चाहिए जिससे सभी को उचित कोचिंग मिल सके तथा मनमानी करने वाले सेन्टरों को तुरंत बंद किया जा सके।

(सत्रह) आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री केसिनेनी श्रीनिवास (विजयवाड़ा): केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश के अवशिष्ट राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के वादे को स्वीकार करते हुए 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई नकारात्मक सिफारिश का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस दर्जे के तहत आंध्र प्रदेश को मिलने वाले लाभ से अधिक देने के विकल्प तलाशे जा सकते हैं, लेकिन इस वैकल्पिक उपाय का वादा स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। यूपीए सरकार को राज्य पुनर्गठन अधिनियम में विशेष श्रेणी का दर्जा शामिल करना चाहिए था। वर्तमान सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करने के प्रति उत्सुक नहीं है। केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग की सिफारिश का हवाला देकर इस वादे से इंकार नहीं कर सकती, क्योंकि यह आश्वासन संसद में राज्य के विभाजन पर बहस के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत, पहले ही दिया गया था।

(अठारह) तेलंगाना राज्य के खाते में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनमाने ढंग से काटे गए तथा आयकर विभाग में जमा कराए गए 1274 करोड़ रुपये की राशि को राज्य को लौटाए जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): भारतीय रिजर्व बैंक ने तेलंगाना सरकार के राज्य खाते से ₹1274 करोड़ की कटौती कर उसे आयकर विभाग को स्थानांतरित कर दिया। यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस के और हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए की गई। आंध्र प्रदेश बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परिसंपत्तियों का बंटवारा अभी भी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जारी है और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के बीच देनदारियों की गणना पूरी नहीं हुई है। यह कटौती केवल तभी की जा सकती है जब यह प्रक्रिया पूरी हो और वह भी दोनों राज्यों से समान रूप से। इसके अलावा, तेलंगाना सरकार आयकर निर्धारक नहीं है। अतः कटौती की गई राशि को तुरंत तेलंगाना सरकार को लौटाया जाना चाहिए।

(उन्नीस) अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री राधेश्याम बिस्वास विश्वास (करीमगंज): मैं सरकार का ध्यान उन विद्यार्थियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो अनुसूचित जातियों से संबंध रखते हैं और पूरे देश में पोस्ट-मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मानकों के अनुसार, उनके माता-पिता की वार्षिक आय की सीमा का हर दो वर्ष में पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। दिनांक 12/07/2013 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा ₹4.50 लाख निर्धारित की। लेकिन अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए, जो केंद्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आते हैं, यह सीमा अभी भी ₹2.50 लाख प्रति वर्ष है और संबंधित प्राधिकारी द्वारा इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। इस वजह से, कई अनुसूचित जाति के विद्यार्थी मैट्रिकोत्तर शिक्षा की सुविधा से वंचित हो सकते हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय के एससीडी-V अनुभाग के निदेशक-प्रभारी ने अपने पत्र संख्या 11036/2/2015-एससीडी-V दिनांक 29.05.2015 में कहा कि, “सीमित निधि आवंटन को ध्यान में रखते हुए, पीएमएस-एससी योजना के तहत माता-पिता की आय सीमा में वृद्धि वित्त मंत्रालय से आवश्यक धनराशि की उपलब्धता पर विचार की जाएगी। यह आश्चर्यजनक है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए धन उपलब्ध है, लेकिन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए नहीं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(बीस) धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मात्र 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, जो वर्ष 2015-16 के लिए 1360 रुपये से बढ़ाकर 1410 रुपये की गई है, अत्यंत नगण्य और अनुचित है। सरकार ने घोषणा की है कि यह निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। किंतु, एमएसपी में मात्र 3.7 प्रतिशत की यह वृद्धि उन किसानों की किस्मत नहीं बदल सकती जो पहले से ही बाढ़, सूखा, खाद की कमी और उत्पादन लागत में समग्र वृद्धि जैसी अप्रत्याशित समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन परिस्थितियों के कारण किसान हर वर्ष कर्ज के जाल में फँसे रहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में पहले ही यह सिफारिश की गई थी कि किसानों को उनके वास्तविक उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ दिया जाना चाहिए। अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसानों के हितों की रक्षा हेतु धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।

(इक्कीस) बागडोगरा विमानपत्तन को स्थानान्तरित करने संबंधी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव के बारे में

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम): बागडोगरा सिक्किम और उत्तर बंगाल के लिए एकमात्र हवाई अड्डा है। यह भूटान, निचले असम, पूर्वी बिहार और पूर्वी नेपाल सहित एक बड़े क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के रूप में भी कार्य करता है।

यह हवाई अड्डा पूर्वी हिमालय और सिक्किम, जिसमें अब मानसरोवर भी शामिल है, आने वाले पर्यटकों के लिए केंद्र है। इसने हवाई यातायात में काफी वृद्धि देखी है, जो वर्ष 2014-15 में पहली बार 1 मिलियन को पार कर गया, पिछले वर्ष की तुलना में 40% से अधिक की दर से बढ़ रहा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बागडोगरा हवाई अड्डे को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के संबंध में एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। मैं सरकार से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूं कि वह इस क्षेत्र के लोगों के लिए हवाई अड्डे के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाने से बचें, किसी भी मुद्दे को राज्य सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी को अपना पक्ष रखने की अनुमति देने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें अपनी सीटों पर वापस जाना होगा। [हिन्दी] आप अपनी बात तो रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन सभी को अपनी सीटों पर वापस जाना होगा।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): श्री जितेन्द्र रेड्डी, कृपया अपनी सीट पर जाएं और अपनी बात रखें। … (*व्यवधान*) माननीय अध्यक्ष जी ने आपसे अनुरोध किया है, अतः आप सभी कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः डॉ. वेणुगोपाल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी समस्या क्या है? आपने लिखित में कुछ भी नहीं दिया है!

… (व्यवधान)

डॉ. पी. वेणुगोपाल: मैं निलंबन के मुद्दे पर सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहता हूं; यह कोई चर्चा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पक्ष है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है? आपने लिखित में कुछ नहीं दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी समस्या क्या है।

डॉ. पी. वेणुगोपाल: महोदया, हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं और मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: मुद्दा क्या है? क्या आप मछुआरों के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं? यदि ऐसा है, तो आप कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा करोगे तो मुझे फिर से शून्य काल शुरू करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको सदस्यों के निलंबन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप क्या कर रहे हैं? आप इस बारे में बात नहीं कर सकते। आपने मुझसे कहा कि आप मछुआरों के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, क्या ऐसा नहीं है? यह क्या है? आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं?

डॉ. पी. वेणुगोपाल: महोदया, मैं बस अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: किस मुद्दे के बारे में?

डॉ. पी. वेणुगोपाल: मैं किसी चर्चा की मांग नहीं कर रहा हूं। यह सदस्यों के निलंबन के संबंध में है।

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है कि आप उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

डॉ. पी. वेणुगोपाल: कृपया इस पर विचार करें, महोदया।

माननीय अध्यक्ष: यदि वे सहमत हैं तो कृपया लिखित में दें।

… (व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): महोदया, ओडिशा के सात जिले गंभीर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। लाखों लोग डूब चुके हैं। राज्य सरकार अपनी क्षमता और सीमा के भीतर बेहद अच्छा काम कर रही है। हमारे कुछ माननीय सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र ओडिशा में बाढ़ और लगातार बारिश से प्रभावित हुए हैं। दुःख की बात यह है कि भारत सरकार ने अभी तक उत्तरी और तटीय ओडिशा में बाढ़ की स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, ढेंकनाल, कटक, पुरी, क्योंझर, खुर्दा, जाजपुर और जगतसिंहपुर जैसे सभी जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। … (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.21 बजे</u>

इस समय श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपनी सीटों पर वापस चले गए।

श्री तथागत सत्पथी : इस समय जब सभा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत सक्रिय होकर ओडिशा में सहायता पहुँचानी चाहिए। निस्संदेह, वहाँ के लोगों की देखभाल राज्य सरकार कर रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार सो रही है और ओडिशा के लोगों के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है। एक समिति को तुरंत भेजा जाना चाहिए ताकि हुए नुकसान का अध्ययन किया जा सके। सामान्यतः हमने देखा है कि समितियाँ एक-दो महीने बाद जाती हैं, जब लोग अपने सामान्य जीवन में लौट चुके होते हैं, पानी उतर चुका होता है और कोई विशेष नुकसान दिखाई नहीं देता। इसलिए, मैं आग्रह करता हूँ कि जबकि सरकार सदन की कार्यवाही से व्यस्त है और हम आपकी धैर्यशीलता और इस स्थिति से निपटने के आपके प्रयासों की सराहना करते हैं, हम यह भी अनुरोध करते हैं कि... (*व्यवधान*)[15*]... विपक्ष की अनुपस्थिति में कोई सरकारी कार्य नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः श्री तथागत जी, कृपया ऐसा न करें। यह मुद्दा रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)… *

[15*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

<u>अपराह्न 12.22 बजे</u>

सदस्यों द्वारा निवेदन... . जारी

(दो) तेलंगाना में एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने में विफल होने के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में

माननीय अध्यक्ष: श्री जितेंद्र जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 31 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एक-एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए। यह प्रथा रही है। जब एन.डी.ए. की सरकार थी और भाजपा सत्ता में थी, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, उसके बाद झारखंड बना और उसके बाद उत्तरांचल बना। स्थापना दिवस आते ही न्यायालय को दो भागों में विभाजित करना पड़ा। यह प्रथा रही है। मुझे नहीं पता कि इसमें *कोई* दुर्भावनावश इरादा क्यों है। पिछले चार सत्रों में हमसे यह वादा किया गया है। आपने हमें आश्वासन दिया है और माननीय गृह मंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया है। हमारे मुख्यमंत्री श्री के.सी.आर. ने *प्रधानमंत्री जी* से मुलाकात की है और उन्होंने *राष्ट्रपति जी* से भी मुलाकात की है। सभी ने हमें यही आश्वासन दिया है। हमारे कानून मंत्री श्री सदानन्द गौड़ाजी ने हमें अपने घर बुलाया। न केवल हम बल्कि आंध्र प्रदेश के वकील भी वहां आंदोलन कर रहे हैं। पिछले चालीस-पचास दिनों से वकील सड़क पर उतर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार राज्य विभाजित हो गया तो हर व्यक्ति के अपने मामले हो सकते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहा हूं। राजनेताओं, व्यापारियों, छात्रों और किसानों को अपने मामलों के निपटारे के लिए अदालत जाना पड़ सकता है।

जैसा कि आप जानते हैं, उच्च न्यायालय के 29 न्यायाधीशों में से 25 आंध्र से हैं और तेलंगाना के लोग न्याय से वंचित हो रहे हैं। हमने इसे कई बार उठाया है। [हिन्दी] आज मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि यह सीधा राजाज्ञा का उल्लंघन है। बीजेपी की सरकार रहते हुए उन्होंने तीन राज्य बनाकर तुरंत हाई कोर्ट

बनायी थी। आज भी बीजेपी की सरकार के हुकूमत में रहते हुए तेलंगाना की हाई कोर्ट इस तरीके से क्यों डिले हो रही है, इसका हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम आपको यही बोल रहे हैं कि 12 साल हमारे लीडर्स ने आंदोलन किये थे। उन आंदोलनों में एक भी आदमी को बुलेट नहीं लगी, एक बार भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन हमारे 1200 बच्चों की आहुति हो गई। आज भी हम वैल में नहीं आना चाह रहे हैं, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहे हैं, हम हाउस की प्रोसीडिंग्स में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाह रहे हैं। आज भी हमारे दस एम.पीज. अपने पैरों पर खड़े रहकर अपने ऊपर कष्ट लेकर घंटों इंतजार करके जस्टिस मांग रहे हैं, हम दूसरा कुछ और नहीं कर रहे हैं। जो राजाज्ञा में है, जो कांस्टीट्यूशन में है, जो एक्ट में है, सैक्शन 31 के मुताबिक इस पर अमल किया जाए और हमें न्याय दिया जाए, यह हमारी मांग है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, हम चाहते थे कि कानून मंत्री इसके ऊपर रिस्पांस दें, मगर अभी अचानक बंगलुरू में चुनाव की घोषणा हुई, इसलिए स्थानीय एम.पी. होने के नाते उन्हें वहां जाना पड़ा, इसके पहले के बिजनेस में भी वह नहीं थे, चूंकि वह वहां के लिए निकल गये। श्री जितेन्द्र रेड्डी जी ने जो बोला और इनके पहले श्री राजमोहन रेड्डी जी ने जो बोला, दोनों विषयो में दम है। इसका कारण क्या है कि जो आंध्र प्रदेश विभाजन का जो कानून सदन ने पारित किया।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीनिवास राव ने भी यही बात कही, सभी आंध्र सदस्यों ने भी यही बात कही।

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : फिर बाद में हरि बाबू भी खड़े हो जायेंगे। जो विभाजन का कानून पारित किया गया, उस विभाजन के कानून के संदर्भ में उसके कारण से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। हालांकि तेलंगाना राज्य बन गया, शुरू-शुरू में लोगों ने उसका बहुत जश्न मनाया, लेकिन बाद में जो-जो कमियां आजकल देखने में आ रही हैं, उन्हें दूर करने में जो समय लग रहा है, उसके कारण से लोगों में थोड़ा असंतोष है। यहां स्पेशल स्टेटस

के बारे में 14वें वित्त आयोग के बारे में एक नई स्थिति बन गई कि क्या करना है, इस पर सरकार चर्चा कर रही है, लेकिन उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ। नेचुरली वहां लोग प्रोटैस्ट कर रहे हैं।

दूसरी साइड स्पेसिफिकली एक्ट में बताया कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट अलग होनी चाहिए, तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में होनी चाहिए। इसमें प्राब्लम क्या है, मैं इसके बारे में आज ज्यादा विस्तार से नहीं कह पाऊंगा। मेरे मित्र जोर देकर बीजेपी-बीजेपी कह रहे हैं, पहले वह भी कुछ दिन बीजेपी में थे। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वह सराहना कर रहे हैं कि आपने तीन राज्यों में अच्छे तरीके से किया है।

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : उन्होंने कोई गलत उद्देश्य से नहीं बोला है। वहां की स्थिति, यहां की स्थिति और जो आज की स्थिति है, हाई कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की गई है और मुझे जो बताया गया है, मैं उस डिपार्टमैन्ट को हैंडल नहीं कर रहा हूं, वह कह रहे हैं कि यह सबजुडिस है। इसलिए विस्तार से उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि [अनुवाद] मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लंबे समय से हैदराबाद में रहा हूं, जानता हूं कि एक बार राज्य का विभाजन हो जाने के बाद आपके पास एक उच्च न्यायालय नहीं हो सकता। यह वाट बहुत स्पष्ट है। यदि आप किसी राज्य को विभाजित करते हैं तो वहां दो अलग-अलग उच्च न्यायालय होने चाहिए। यह इस क्षेत्र और उस क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा। हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इसे कैसे किया जाए तथा इसमें व्यावहारिक समस्याएं क्या हैं। मैं जितेंद्र रेड्डी और राजमोहन रेड्डी *गारू* दोनों से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को उठाएं... (*व्यवधान*)

एक माननीय सदस्य: ये दो अलग मुद्दे हैं।

श्री एम. वेंकैया नायडू: ये अलग मुद्दे हैं लेकिन मैं केवल एक मंत्री हूं।

उच्च न्यायालय के इस मुद्दे पर मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि विधि मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि क्या हो रहा है। उन्होंने माननीय सदस्यों के साथ भी एक दौर की चर्चा की। मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि वे इस विचाराधीन मुद्दे पर विचार करने की संभावना पर विचार करें तथा *शीघ्रातिशीघ्र* इसका समाधान निकालने का प्रयास करें। सिद्धांत रूप में, भारत सरकार इस बात पर बहुत स्पष्ट और प्रतिबद्ध है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालय होने चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन तेलंगाना के अधिवक्ताओं के साथ न्याय होना चाहिए। उन्हें भी पात्रता और योग्यता के आधार पर न्यायाधीश बनने का अवसर मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर वहाँ जो भावना है, हम भी उसी भावना के साथ हैं।

दूसरे मुद्दे के संबंध में, मैंने पहले ही अपील की है कि यह मामला वित्त मंत्री और 14वें वित्त आयोग के विचाराधीन है। यह थोड़ा जटिल हो गया है क्योंकि यह अधिनियम में नहीं है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, यह सदन में किया गया एक वादा है। इसलिए इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। वित्त मंत्रालय इस जटिल मुद्दे की गंभीरता से जाँच कर रहा है।... (*व्यवधान*)

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां इच्छा होती है, वहां रास्ता निकल ही आता है।

माननीय अध्यक्ष: वह 'न' नहीं कह रहे हैं।

श्री बी. विनोद कुमार : महोदया, यह बहुत ही सरल मामला है। धारा 31, उपधारा 2 स्पष्ट रूप से कहती है कि "मंत्रिपरिषद को निर्णय लेना है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे।" यह बहुत ही सीधा मामला है। माननीय मंत्री ने कहा है कि उच्च न्यायलय में एक मामला लंबित है। लेकिन, महोदय, वह मामला पहले ही निपट चुका है। वह इसमें कोई बाधा नहीं है। अगर सरकार निर्णय लेना चाहती है, तो यह केवल उच्च न्यायलय के दो हिस्सों में विभाजन का मामला है। हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव तैयार हैं कि अगर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय को हैदराबाद में स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भवन आवंटित कर दें। उन्हें तुरंत हैदराबाद से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी राज्य सरकार भी उच्च न्यायलय को

हैदराबाद में समायोजित करने के लिए तैयार है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैदराबाद में हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हैदराबाद में हैं, आंध्र प्रदेश के डीजीपी हैदराबाद में हैं। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश भी हैदराबाद में रहकर मामलों का निपटारा क्यों नहीं कर सकते? यह बहुत ही सरल है। माननीय मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, को केवल निर्णय लेना है और राष्ट्रपति अधिनियम के अनुसार अधिसूचना जारी करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने यह निश्चित रूप से कहा है। उन्होंने आपकी बात का उत्तर दे दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपनी सीट पर जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन के बेचोबीच से नहीं बोल सकते। कृपया अपनी सीट पर जाएं।

इस समय श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है कि कोई भी अपनी सीट पर नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: इतना व्यवस्थित क्लैरिफिकेशन दिया गया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब आपको अपनी सीट पर बैठना होगा। श्री जयदेवजी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्होंने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। श्री जगदम्बिका पाल।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप शोर मत कीजिएगा।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.32 बजे</u>

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलव), 2012-13

माननीय अध्यक्ष: सभा अब वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) पर विचार करेगी तथा उसे सभा में मतदान के लिए रखेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि आदेश पत्र के तीसरे स्तंभ के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशि से अधिक न होने वाली संबंधित अतिरिक्त धनराशि भारत के राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से प्रदान की जाए, ताकि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों में हुई अधिकता की पूर्ति की जा सके, जो मांग संख्या 8, 10 और 13 के विरुद्ध दूसरे स्तंभ में दर्ज की गई मांगों के संबंध में है।"

वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) लोक सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	**मांग का नाम**	**सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदान की मांग की राशि**
		(रु.)

8	परिचालन व्यय- रोलिंग स्टॉक और उपकरण	33,88,59,057
10	परिचालन व्यय - ईंधन	658,82,43,046
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	981,95,20,896
	कुल	**1674,66,22,999**

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री जगदम्बिका पाल के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। … (*व्यवधान*) श्री जगदम्बिका पाल चर्चा शुरू करेंगे। इसके बाद, हम 'शून्यकाल' शुरू होगा। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि कम से कम आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। जो रेल देश की लाईफ लाईन कही जाती है, जो देश के लगभग तीन करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन 11000 गाड़ियां कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं, आज उसकी अनुपूरक अनुदान की मांगों के संबंध में आपने मुझे उस पर अपनी बात रखने की

अनुमति दी है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देश की सबसे बड़ी, ट्रांस्पोर्ट की सबसे सस्ती सेवाएं अगर हैं तो वे रेल की सेवाएं हैं। उस रेल से आज चाहे गरीब हो, अमीर हो, या देश का कोई व्यक्ति हो, रेल की जो यात्रा है, वह उसके जीवन का एक हिस्सा है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों जब अपना बजट प्रस्तुत किया तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का जो बजट था, तब केवल यह नहीं था कि घोाणाएं कर दी जाएं, नई-नई योजनाओं की परियोजनाओं की घोषणाएं कर दी जाएं।

आपने देखा है कि पिछले वषों में जो घोषणायें पूर्व रेल मंत्रियों के द्वारा इस सदन में की गईं, आज भी उन योजनाओं के लिए न परिव्यय है और न ही उन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा है।...(व्यवधान) हमारे तमाम संसद सदस्य चाहे वे इस पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, वे लगातार माननीय मंत्री जी से इस बात के लिए अप्रोच करते हैं कि हमारे यहाँ मीटर गेज से ब्रॉड गेज के कन्वर्जन की बात हुई थी, हमारे यहाँ नई रेल लाइन का सर्वे हो गया, रेल लाइन का सर्वे होने के बाद न लैंड एक्वीजिशन की कार्रवाई हो रही है या तमाम राज्यों के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है।...(व्यवधान) इससे लाखों-करोड़ों जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है।...(व्यवधान) जो रेलवे लाइन की क्षमता है, वह क्षमता आज 100 परसेंट से भी ऊपर हो रही है।...(व्यवधान) जहाँ गाड़ियों को सौ प्रतिशत चलना चाहिए, आज देश की तमाम ऐसी लाइनें हैं, जहाँ पर 130 परसेंट, 140 परसेंट, 150 परसेंट गाड़ियाँ चल रही हैं।...(व्यवधान) आज कहीं न कहीं माननीय मंत्री जी को नई घोषणाओं के बजाए इस बात को तय करना होगा कि हर हालत में कम से कम जो रेलगाड़ियां चल रही हैं, वे अपनी क्षमतानुसार सुचारू रूप से चले और वे गाड़ियाँ जनता को गंतव्य स्थान पर पहुँचाने में सफल हो सकें।...(व्यवधान)

आज कई जगह थर्ड रेल लाइन की बात हो रही है।...(व्यवधान) अभी तक जो डबलीकरण हुआ, उस डबलीकरण के बाद आज दिल्ली से कोलकाता की तरफ चले जाइए या दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर, गुवाहाटी की ओर चले जाइए या दिल्ली से चेन्नई की तरफ चले जाइए या दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए। हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि पिछले दिनों तक देश में जो हमारी ट्रेन की स्पीड थी, उस स्पीड को हमने बढ़ाया है, लेकिन आज भी जब हम जापान को देखते हैं, चाइना को देखते हैं, यूरोपियन

कंट्रीज को देखते हैं, आज हमारी रेलवे दुनिया में नम्बर दो पर है, हमसे आगे आज केवल चाइना है।...(व्यवधान) विश्व में आज भारत का रेलवे के मामले में सेकेंड स्थान है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम स्पीडवाइज लें तो शायद अभी भी हम बहुत पीछे हैं।...(व्यवधान) मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि अब भारत की जनता का भी बुलेट ट्रेन का सपना वास्तविकता के धरातल पर पूरा होगा और उस दिशा में उन्होंने एक घोषणा की।...(व्यवधान) आज केवल वह घोषणा ही नहीं हुई है, बल्कि मुम्बई से अहमदाबाद के सम्बन्ध में डीपीआर तैयार हो रही है, उसकी अग्रेतर कार्रवाई हो रही है।...(व्यवधान) इसी तरह से दिल्ली-कोलकाता की बात है।...(व्यवधान) कई जगहों पर जब हम सौ स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ देश में बुलेट ट्रेन की स्पीड की गाड़ियों को चलाने का सपना पूरा होगा।...(व्यवधान) इसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पाटी, एनडीए की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।...(व्यवधान) हर रेल बजट में केवल यह एक परम्परा होती थी कि हम मॉडल स्टेशंस बना दें या नई रेलगाड़ियों की घोषणा हो जाए, लेकिन वे रेलगाड़ियाँ नहीं चलती थीं। ...(व्यवधान) हमारे पिछले रेल बजट के समय रेल मंत्री जी ने कहा था कि यह रेल बजट केवल घोषणाओं का नहीं होगा, यह रेल बजट क्रियान्वयन का बजट होगा।...(व्यवधान) आपने देखा है कि आज रेल को जो भी बजटरी सपोर्ट मिलता है, 30 से 35 हजार करोड़, लेकिन अगर परियोजनाएं लाखों-करोड़ की घोषित हो जाती हैं तो हम उन परियोजनाओं के लिए कहाँ से संसाधन ला सकें।...(व्यवधान) हमेशा तो यह होता था कि पीपीपी सेक्टर में हम प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप में लेकर आएंगे, हम रेलवे की लैंड बैक का इस्तेमाल करके संसाधनों को मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा कदाचित होता नहीं था।...(व्यवधान)

आज जो रेलवे की आपरेटिंग कॉस्ट है, अगर वह 95 परसेंट, 98 परसेंट हो गई तो स्वाभाविक ही है कि अगर देश में रेलवे सौ रूपया कमा रही है और उसके परिचालन में, रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट में, रेलवे की सैलरीज में या रेलवे के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अगर हम 100 रूपए में से 95 रूपए खर्च कर रहे हैं तो पाँच रूपए में स्वाभाविक है कि जितनी परियोजनाएं पिछले वर्षों में घोषित हुई हैं, वे परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस

बार निश्चित तौर से केवल पीपीपी मॉडल की घोषणा या बीओटी मॉडल की घोषणा नहीं करेंगे, बल्कि हम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेज के साथ जुड़ेंगें। वे तमाम चाहे विश्व की हों या डोमैस्टिक इनवैस्टमैंट की बात हो या फॉरैन इनवैस्टमैंट की बात हो, उस इनवैस्टमैंट को लाकर हम भारत की रेलवे में उन योजनाओं को पूरा करेंगे, चाहे वह बुलेट ट्रेन की योजना हो या अन्य तमाम परियोजनाओं की बात हो। कम से कम एक नए एक्सपैरिमैंट पर उन्होंने शुरू किया, उससे कम से कम पूरे साल नई रेलगाड़ियों के चलाने की घोषणा हो सकती थी। अन्यथा पहले क्या होता था कि केवल बजट में जिन रेलगाड़ियों का प्रावधान हो जाता था या माननीय मंत्री के द्वारा उनके अपने रेल बजट के भाषण में जिन गाड़ियों की घोषणा होती है, उसके बाद अगर साल भर कहीं देश की जनता को बहुत आवश्यकता हो गई कि यहाँ पर रेलगाड़ी चलानी है, तो शायद माननीय मंत्री और सरकार के समक्ष यह कठिनाई होती थी क्योंकि नई गाड़ियों का प्रावधान केवल बजट के अंदर हो सकता था। अब मैं इस बात की भी बधाई दूँगा कि माननीय मंत्री जी साल भर नई गाड़ियों को चलाने में सक्षम हैं और जहाँ जन आकांक्षाओं के अनुरूप आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी उस गाड़ी को चला सकते हैं। ...(व्यवधान)

आज पूरे देश में जिस तरह से आज़ादी के बाद रेलवे की नैटवर्किंग बढ़ी है, पिछले दिनों आपने देखा कि प्रधान मंत्री जी गए, जम्मू-कश्मीर के पहाड़ों पर टनल के द्वारा जिस प्रकार से उसको हम रेलवे की नैटवर्किंग पर लाए, नार्थ ईस्ट को रेलवे की नैटवर्किंग पर ले आए, तो आज कहीं न कहीं आज़ादी के बाद, हम देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने की बात करते थे, लेकिन कन्याकुमारी से रेल कहीं जुड़ी नहीं थी। जुड़ी थी वह मैदानी इलाकों में, लेकिन आज यह रेल कम से कम उन दुर्गम इलाकों में भी, जो नॉर्थ ईस्ट तक के हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी आज रेलगाड़ियाँ जुड़ रही हैं। यहाँ तक कि जम्मू-कश्मीर, असम, शिलांग में भी हमने इसको जोड़ने का काम किया है। निश्चित तौर से भारत की रेल के बारे में सही कहा जाता है कि जब रेल बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। आज उस परिकल्पना को हम साकार करने की बात कर रहे हैं। हम केवल रेल लाइन को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि अगर किसी देश में सबसे बड़ा विकास का जो पैमाना है, प्रगति का पैमाना है, वह कनैक्टिविटी का पैमाना होता है। अगर देश में हम तेज स्पीड की कनैक्टिविटी देते हैं, अगर हम

ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और देश का एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो वह अच्छा होगा। आज चाइना की स्थिति क्या है कि ग्वांग्झो से बीजिंग अगर 3000 किलोमीटर है, तो लोग बीजिंग से सुबह चार घंटे में ग्वांग्झो पहुँचते हैं और शाम को फिर अपने घर पर आकर रोटी खाते हैं, काम करते हैं। इसी तरह से आज चाइना में तीन-चार हजार किलोमीटर ट्रेन जाती है, जैसे आज दिल्ली में गाजियाबाद से डेमू, मेमू चलती है, मुम्बई में सबर्बन है या कोलकाता और चेन्नई में भी है। अभी जो हम परिकल्पना करते हैं कि कई बड़े महानगरों से सौ किलोमीटर की पैरिफरी या सराउंडिंग्ज़ में लोग सुबह चलेंगे और उन महानगरों में आकर काम करेंगे, दिन भर की मेहनत-मशक्कत के बाद लोग अपने परिवार की आजीविका के लिए रोज़ी-रोटी कमा सकेंगे और फिर शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर सुकून से खाना खा सकते हैं। आज उस परिकल्पना को साकार करने के लिए कि हम उन महानगरों से दूर, जैसे आज दुनिया की बढ़ती हुई स्पीड है, भारत को भी यदि उस स्पीड के साथ चलना है तो निश्चित तौर से हमें नए उपाय करने होंगे और वे नए उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री जी जरूर अपने उत्तर में बताएँगे कि उन्होंने बजट के समय जो प्रॉमिस किया था कि हम इसके रिसोर्सेज़ के लिए दूसरे डिपार्टमैंट के साथ भी डकटेलिंग करेंगे और स्किल डैवलपमैंट में भी प्रधान मंत्री जी का जो सपना है कि हम देश के करोड़ों नौजवानों को देश से बेरोज़गारी दूर करने के लिए उनमें एक स्किल पैदा करें, तो वह गाँव के लोगों के लिए एक सपना ही था। गाँव के लोग यह महसूस करते थे कि सरकारें हमें रोज़गार कैसे देंगी, शायद उस दिशा में भी पहली बार मंत्रालय बनाकर उस दिशा में पहल कर रहे हैं और जिस तरह से स्किल डैवलपमैंट मंत्री ने कहा था कि हमारा रेलवे के साथ एम.[हिन्दी] ओ.यू. हो रहा है और उस एम.ओ.यू. को साइन करने के बाद उन्होंने निश्चित तौर से रेल के प्लेटफॉर्म पर हो, आज विपक्ष के द्वारा एक शंका उठाई जाती है कि हम शायद रेलवे का निजीकरण करने जा रहे हैं। यह पहल तो शायद कांग्रेस और यूपीए के समय हुई थी। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हम भारत की रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों रेल की तमाम यूनियन के लोगों ने इस सवाल को उठाया और मैं समझता हूँ कि शायद यह पब्लिक सैक्टर की सबसे बड़ी संस्था है। 11 हजार गाड़ियाँ प्रतिदिन तीन करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। जिस तरीके से देश के इतने लोगों के लिए घर हैं, रात को तमाम लोग

उस ट्रेन में, घर में रहते हैं और वहीं जिस तरीके से उनके लिए कैटरिंग का प्रबन्ध होता है, भोजन का प्रबन्ध होता है या उनके रहने का प्रबन्ध होता है तो मैं समझता हूं कि शायद यह वाकई देश की जो कहते हैं धमनियां हैं, लाइफलाइन है, वह लाइफलाइन है। अब रही बात कि निश्चित तौर से जो रेल की आम जनता की, देश की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर के निश्चित तौर से हमें संसाधन जुटाने होंगे। मंत्री जी, ज्यादा बजटरी सपोर्ट के साथ-साथ हम वित्तीय संस्थाओं के साथ या हम और लोगों को भी निवेश करने के लिए, फॉरेन इन्वैस्टमेंट के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे तो आज हम उनके उत्तर भाषण में जानना भी चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी उस दिशा में कितना आगे बढ़े हैं।

आज कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति आ रही है कि हमें अपनी उस रेलवे की टैक्नोलोजी को माडर्नाइज़ भी करना पड़ेगा, उसको आधुनिक भी करना पड़ेगा। कौन सी परिस्थितियां पिछले दिनों हुईं कि इटारसी में इंटर लाकिंग सिस्टम खराब हो गया और इटारसी के उस इंटर लाकिंग सिस्टम के खराब होने के कारण नोर्थ इंडिया की सारी गाड़ियों में से अधिकांश गाड़ियां कैंसिल होने लगीं। लगभग 800 गाड़ियां आज तक उस इटारसी के इंटर लाकिंग के खराब होने के बाद कैंसिल हुईं तो स्वाभाविक है कि इसका नुकसान रेलवे को हुआ। जो गाड़ियां कैंसिल होती हैं, उनके पैसेंजर्स को हम पैसा वापस लौटाते हैं और उससे न केवल उस पैसेंजर को पैसा लौटता है, लेकिन हर पैसेंजर, हर यात्री, जिसने एक कार्यक्रम कहीं जाने का निर्धारित कर रखा है, कहीं चाहे उसका कोई कार्यक्रम हो, अस्पताल का हो, शादी-विवाह हो, उसमें इतनी कठिनाइयां आती हैं कि फिर वह उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाता है। दूसरी तरफ रेलवे की आय में इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। यह भी समझ में नहीं आता कि उस इटारसी के इंटर लाकिंग सिस्टम को ठीक करने में कितने दिन लगेंगे। कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, बड़े अधिकारियों की आखिर कुछ जवाबदेही होगी कि नहीं होगी कि अगर कहीं एक स्टेशन की इंटर लाकिंग खराब हो जाये तो वहां से भोपाल हो, नागपुर हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, इधर की सारी गाड़ियां लेट होने लगीं, कैंसिल होने लगीं और आज कहीं न कहीं उसका फर्क यह पड़ रहा है कि गाड़ियां लेट हो रही हैं। उस सम्बन्ध में भी मंत्री जी को कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा कि आज देश की लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं, देश की लाइनें कहते हैं...(व्यवधान) अब चालू हो गया, लेकिन 45 दिनों में उसके कारण

800 गाड़ियां कैंसिल हुईं। मैं समझता हूं कि उसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इतने दिन क्यों लगे, क्यों नहीं चालू हुई। इसी तरीके से मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि जो ये बजट है, यह अनुपूरक अनुदान में लेकर के आये हैं, उसमें कहीं न कहीं रेलवे पर जो दबाव बढ़ रहा है, उसके सम्बन्ध में विकास करने की आवश्यकता है, जिससे कि आज चाहे रेलवे के प्लेटफार्म्स पर हो या रेलगाड़ियों में हो, जिस तरीके से एक बयान मैंने पढ़ा, अभी पिछले दिनों कुछ सवाल उठाये गये कि लोगों को टिकट लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन आया कि अब एक मिनट में ई-टिकटिंग के माध्यम से पांच से सात हजार टिकट बन जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आज वेटिंग की परेशानी बढ़ रही है, अगर कहीं लखनऊ से, गोरखपुर से, बिहार से दिल्ली आना हो तो महीनों-महीनों ट्रेन की कन्फर्म सीट नहीं मिलती है। आज कम से कम जो पैसेंजर्स रेलवे पर ही निर्भर हैं और जिनके पास रेलवे के सिवाय कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, उनके सम्बन्ध में भी मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में जरूर इस बात को बताएंगे कि सबसे ज्यादा लोग बिहार से, ईस्टर्न यू.पी. से लोग पंजाब जाते हैं, दिल्ली आते हैं, मुम्बई जाते हैं, देश के तमाम महानगरों में जाते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर अधिक खर्च भी हो जाता है, जैसे वर्ष 2012-13 में 1641 करोड़ ज्यादा खर्च हो गया तो आखिर उसकी स्वीकृति भी सदन देगा। मैं समझता हूं कि अगर 2012-13 में बिना सदन की स्वीकृति के अगर खर्च हुआ है तो उस सम्बन्ध में भी भविष्य में अगर रेलवे की कोई एडवांस प्लानिंग हो तो बेहतर होगा। सदन ने जितने बजट का प्रोवीज़न किया है और उसकी स्वीकृति दी है, अगर उससे आधिक पैसा खर्च होता है तो उस पैसे के सम्बन्ध में रेलवे ने कोई एडवांस प्लानिंग की है, उसको भी बताएंगे। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि जो हमारी एन.डी.ए. गवर्नमेंट है, जो पिछली गवर्नमेंट की तुलना में, जैसा पिछले दिनों कहा था कि हम केवल पोपुलिस्ट मैजर्स नहीं उठाएंगे, बल्कि हमारे जो नये प्रोजैक्ट्स होंगे या रेल ट्रैक्स होंगे, हम उनको पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने इस बात के लिए जोर दिया था कि हम आने वाले दिनों में ऑन गोइंग प्रोजैक्ट्स को पहले पूरा करेंगे। यह न हो कि ऑन गोइंग प्रोजैक्ट्स के लिए पैसा न दिया जाये और हम नये प्रोजैक्ट्स की घोषणा कर दें तो इस सम्बन्ध में मैं निश्चित तौर से मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी-एन.डी.ए. की सरकार बनी, उस समय जो गोरखपुर से गोंडा मीटरगेज से ब्रॉडगेज हो रही थी, जो

दद्दन मिश्रा जी के क्षेत्र से जाती है, शरद जी के क्षेत्र से, हमारे और पंकज चौधरी जी के क्षेत्र से, उन तमाम क्षेत्रों से जाती है, उसके लिए 100 करोड़ रुपया दिया और फिर जितनी और आवश्यकता हुई, अब बहुत जल्दी ही गोरखपुर से गोंडा मीटरगेज से ब्रॉडगेज हो जायेगी, एक कम से कम 150 किलोमीटर की एक नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन इस देश के ब्रॉडगेज के मैप पर जुड़ने जा रही है तो मैं समझता हूं कि इस तरीके का जो कदम है, इसी तरीके से कम से कम जो नई लाइन के जो अभी इस देश में कम से कम 154 वर्क्स चल रहे हैं और जिसके लिए 121907 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसी तरीके से गेज कन्वर्शन जो है, आज 42 गेज कन्वर्शन के काम इस देश में चल रहे हैं, जिसके लिए 1920 करोड़ की आवश्यकता है। डबलिंग वर्क्स के 166 प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी 34789 करोड़ की है, टोटल इस तरह से जो देश में कार्य चल रहे हैं, वे 362 प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, जो पेंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं। ये समय-समय पर हुए हैं, ये हमारी सरकार के नहीं हैं, ये पिछले कई वर्षों से, चाहे वह नई लाइन की हो या गेज कन्वर्शन के हों या डबलिंग के हों, 362 प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं। इन पैंडिंग वर्क्स को थ्रो फारवर्ड करने के लिए आज 1,58,616 करोड़ की आवश्यकता है तो इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि मंत्री जी प्रयास करेंगे।...(व्यवधान)

मैं केवल दो मिनट और लूंगा। मैं समझता हूं कि आज जो प्रोब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं, मैंने दो चीजों का तो कहा था कि वेट लिस्टेड टिकिट्स का था, ट्रेन्स का था और जो लार्ज नम्बर हमारे पेंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं या इनएडीक्वेट फैसिलिटीज़ एट रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस पर भी जैसे पिछले दिनों हमने कुछ मॉडल स्टेशंस बनाये थे, कुछ आदर्श स्टेशंस बनाये थे, लेकिन आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सभी स्टेशंस के खान-पान पर, स्टेशंस की सफाई पर, क्योंकि, प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा इस देश में स्वच्छता अभियान पर जोर दिया था, रेलवे में भी शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हम सभी सांसदों को डी.आर.एम. ने या जी.एम. ने पर्सनली फोन किया और कहीं न कहीं स्वच्छता अभियान का, सफाई अभियान का एक सप्ताह कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हम सांसद खुद गये और हमने प्लेटफार्म की सफाई में अपनी हिस्सेदारी की, बाहर की सफाई में की तो वह अभियान यह नहीं कि हम सांसद गये, वह लगातार चलता रहे, क्योंकि, स्टेशंस पर जिस तरीके से पैसेंजर्स की भीड़ होती है और जिस तरीके से अभी भी वह एक सेंस ऑफ रैस्पोंसिबिलिटी नहीं है

और स्टेशंस पर गंदगी होती है तो स्वच्छता अभियान के लिए भी ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे, इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि जो पीपुल्स पाटीरसिपेशन की बात है या पीपुल सेंट्रिक है, उसमें एक बैटर फैसिलिटी का जो उद्देश्य है, उस काम को भी आप करेंगे। ...(व्यवधान) जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनका जो उद्देश्य था, वह सैल्फ सस्टेनेबल का था कि हम अपनी रेलवे को खुद स्वावलम्बी बनाएंगे और उसमें जो उन्होंने कहा था कि हम ट्रैक लेंथ को 20 परसेंट और बढ़ाएंगे, जो हमारी इस समय 1.14 लाख किलोमीटर ट्रैक लाइन है, उसको 1.38 लाख किलोमीटर करेंगे। ...(व्यवधान)

मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। पिछले दिनों हम कई सांसद मिले थे कि नेपाल के समानान्तर अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बनाई थी, उसके बाद कोई बात बढ़ी नहीं। आज नेपाल का द्वार है, बढ़नी, बहराइच, श्रावस्ती तो उस बहराइच से, श्रावस्ती से लेकर लामपुर, उतरौला, डुमरियागंज, बांसी, खलीलाबाद होते हुए गोरखपुर एक नई रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, मैं समझता हूं कि उसे माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है, उस नई लाइन को निश्चित तौर से उसके लिए बजट की स्वीकृति प्रदान करेंगे, जिससे कि कम से कम जो एक 1600 किलोमीटर टनकपुर से रक्सौल में भारत नेपाल की सीमा मिलती है, वहां के भारत और नेपाल के यात्रियों को सुविधा होगी।

महोदया, जब से प्रधानमंत्री जी नेपाल गए हैं तब से भारत और नेपाल के बीच एक नए रिश्ते की शुरूआत हुई है। हम तो चाहते हैं कि बढ़नी से होकर पोखरा, बुटवल और काठमांडू तक हमारी रेलवे जाए, जिससे भारत और नेपाल के लोग और भी करीब आ सकें।

इतना कहते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कालिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

श्री कालिकेश एन. सिंह देव : हमने देखा है कि अत्यधिक व्यय एक स्थायी समस्या बन गई है। यह कोई नई बात नहीं है। हर साल सरकार अपने बजट को संतुलित करने की कोशिश करती है, लेकिन राजस्व और व्यय के गलत अनुमान के कारण पिछले चार वर्षों से हम देख रहे हैं कि एक विनियोग विधेयक को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाया जाता है। अब, चूंकि माननीय मंत्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मुझे ईमानदारी से उम्मीद है कि वे अपने खातों को बेहतर ढंग से संतुलित कर पाएंगे। हालांकि, रेलवे ने लगता है कि अभी तक अपने सबक नहीं सीखे हैं। सच्चाई यह है कि रेलवे अपने पास मौजूद संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग करने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए, वर्तमान विनियोग विधेयक, जो वर्ष 2012-13 के लिए लगभग 2,719 करोड़ रुपये के विनियोग का प्रावधान करता है, में हम पाते हैं कि छह राजस्व अनुदानों, एक पूंजीगत अनुदान, दस राजस्व विनियोगों और दो पूंजीगत विनियोगों तथा पांच अतिरिक्त विनियोगों के बावजूद अभी भी एक बकाया राजस्व तत्व है, जिसे विनियोजित करने की आवश्यकता है।

यह न केवल मंत्रालय की योजना तंत्र की विफलता है, बल्कि मंत्रालय के वित्तीय व्यय की भी विफलता है, जिसे वे पिछले चार वर्षों से लगातार पूरा करने में असमर्थ हैं। ऐसा मुख्यतः पेंशन में वृद्धि, मानव संसाधन की लागत में वृद्धि, पेंशन में 31 प्रतिशत की वृद्धि, ईंधन में 19 प्रतिशत की वृद्धि तथा रोलिंग स्टॉक एवं रखरखाव में 15 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुआ है।

हम जानते हैं कि ईंधन की कीमतें अब कम हो गई हैं। उस स्थिति में, कम से कम इस चालू वर्ष के लिए, माननीय रेल मंत्री को ईंधन व्यय के आधार पर अपने बजट को संतुलित करने में सक्षम होना चाहिए। हालाँकि, हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या रेलवे ने वास्तव में लोगों पर होने वाले भारी व्यय को ध्यान में रखा है।

हमने पाया है कि मंत्रालय अभी भी अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। वास्तव में, मेरा मानना है कि भारतीय रेलवे में जितनी रेलगाड़ियां चलती हैं, उसके अनुपात में रेल विभाग में सबसे अधिक मानव शक्ति होगी। इसका कारण प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी और नवाचार के उपयोग में कमी है। यही कारण है कि हम लगातार अपने बजट को संतुलित करने में असफल रहे हैं।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे ध्यान में रखेंगे। उदाहरण के लिए, हम रेलवे के पास मौजूद रियल एस्टेट पर नजर डालें और देखें कि किस तरह से उन्होंने कारखाने बनाने की योजना बनाई है, किस तरह से उन्होंने और अधिक रेलवे लाइनें बनाने की योजना बनाई है, आदि, तो हम पाते हैं कि रेलवे लाइनों के निर्माण में भारी देरी हो रही है। मैं आपको उस रेलवे लाइन के बारे में बताना चाहूंगा जो मेरे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के दिल के बहुत करीब है - बोलंगीर -खुर्दा रेलवे लाइन, जिसे 25 साल पहले मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, हम पाते हैं कि उस लाइन के विकास की गति अत्यंत धीमी है।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इस रेलवे लाइन के लिए लागत का 50 प्रतिशत तथा भूमि देने पर सहमति व्यक्त की है। इसके लिए मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री और माननीय रेल मंत्री दोनों को बधाई देता हूं। हालाँकि, यदि हम इस लाइन के क्रियान्वयन की योजना सही ढंग से नहीं बनाते हैं, तो हमें इसमें देरी देखने को मिलेगी, जिससे लागत बढ़ेगी तथा समय भी अधिक लगेगा। यदि हम समय पर लाइन पूरी नहीं कर पाए तो हम अगले वर्ष फिर से इस बजट में अधिक धनराशि आवंटित करने के लिए आएंगे।

कई बार समितियों ने वास्तव में स्थायी समिति और सार्वजनिक लेखा समिति दोनों में रेलवे के खातों की जांच की है। उन्होंने लगातार इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रेलवे की ओर से बजटीय योजना खराब है और क्रियान्वयन भी खराब है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं रेल मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो यह बताएं कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि भविष्य में बजट संतुलित होगा तथा रेलवे अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार समय-सीमा और लागत-सीमा का पालन करेगा।

हमारे ओडिशा राज्य के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य लंबित रखे गए हैं। एक तो यह कि हमने हमेशा पार्टी की ओर से मांग की है कि भुवनेश्वर से दिल्ली तक सम्बलपुर के रास्ते एक नई राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाए।

अपराह्न 1.00 बजे

इससे न केवल भारतीय रेल का राजस्व बढ़ेगा बल्कि यह देश के सबसे अधिक लाभदायक राज्यों में से एक, ओडिशा, की व्यवहार्यता में भी वृद्धि करेगा, क्योंकि ओडिशा भारतीय रेल को बड़ी मात्रा में राजस्व का योगदान देता है। यह उसकी व्यवहार्यता को और मजबूत करेगा। वास्तव में, यात्री तथा माल यातायात बढ़ाने के लिए अनेक लाइनों का दोहरीकरण आवश्यक है। हम जानते हैं कि अधिकांश खदानें ओडिशा में स्थित हैं; हम जानते हैं कि बंदरगाह भी वहीं स्थित हैं; और हम यह भी जानते हैं कि वहां अनेक इस्पात संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। अतः, वहां लाइनों के दोहरीकरण और पूंजी निवेश की अत्यधिक आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने इस वर्ष ओडिशा के लिए लगभग 3300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके बावजूद, पूर्वी तटीय रेलवे भारतीय रेल को लगभग 15,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करता है। मेरा मानना है कि ओडिशा राज्य में अवसंरचना के विकास के लिए और अधिक धनराशि खर्च की जानी चाहिए, ताकि राजस्व उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों को वास्तव में वह महत्व मिले जिसके वे हकदार हैं।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि कल भारतीय रेल में पीने के पानी की वेंडिंग मशीनों पर एक प्रश्न हुआ था, जिसका उत्तर माननीय रेल राज्य मंत्री दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक वेंडिंग मशीन के लिए दो या तीन लोगों की आवश्यकता होगी। फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय रेल का कार्मिक व्यय और परिचालन लागत इस कारण बढ़ेगी। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यह आवश्यक है कि भारतीय रेल और माननीय रेल मंत्री ऐसी नवीन विधियां अपनाएं, जिनसे आवश्यक और जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, बिना भारतीय रेल के कार्मिक व्यय और परिचालन लागत को

बढ़ाए। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहूंगा कि वे इन पानी की वेंडिंग मशीनों को चलाने के लिए भारतीय रेल में नए कर्मचारियों की भर्ती करने के बजाय स्वयं सहायता समूहों का उपयोग करें, ताकि वेतन व्यय न बढ़े।

मेरी पार्टी का मानना है कि रासायनिक शौचालय, जैव-अपघटनीय यंत्रीकृत शौचालय का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। जबकि हम बुलेट ट्रेन और विश्व स्तरीय स्टेशनों की आकांक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि हम शेष स्टेशनों और शेष ट्रेनों पर बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, तो इसका भारत की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे सुनिश्चित करें कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर विकलांग लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 1.02 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.15 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर पंद्रह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री हुक्मदेव नारायण यादव *पीठासीन हुए*)

अतिरिक्त अनुदान की मांगें (रेलवे), 2012-13 जारी

माननीय सभापति : श्रीमती आर. वनरोजा।

श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवन्नामलाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, *वणक्कम।* मैं वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगें पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए हमारे प्रिय नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद देती हूं।

माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि अनुदान संख्या 8, 10 और 13 के दत्तमत व्यय के अंतर्गत 1,674.66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है; तथा प्रभारित विनियोग संख्या 3, 4, 5, 7, 8, 11 और 13 के अंतर्गत 1.29 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है।

अनुदान संख्या 8 के अंतर्गत - परिचालन व्यय, रोलिंग स्टॉक और उपकरण - 2012-13 के दौरान 33,88,59,000.57 रुपये की राशि खर्च की गई, जो मुख्य रूप से डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों के अंतर्गत आती थी, क्योंकि स्टाफ लागत पर अधिक व्यय हुआ था। अतिरिक्त अनुदान की मांगों में स्थायी मार्ग और कार्यों, संयंत्र उपकरण और प्रेरक शक्ति की मरम्मत और रखरखाव के लिए पहले से किए गए और प्रत्याशित नहीं किए गए कुछ भुगतान भी शामिल हैं।

अतिरिक्त अनुदान की एक अन्य मांग, डीजल इंजनों में एच.एस.डी. तेल की प्रमुख लागत में वृद्धि तथा बाहरी स्रोतों से क्रय की गई ऊर्जा की दर में अनुमान से अधिक वृद्धि के कारण ईंधन व्यय से संबंधित है। कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित भुगतान अनुमान से अधिक होने के कारण अतिरिक्त अनुदान की मांग है।

माननीय रेल मंत्री ने इस वर्ष के प्रारंभ में अपने बजट भाषण में बाह्य स्रोतों से निवेश के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाने की रेलवे की योजना पर प्रकाश डाला था। माननीय रेल मंत्री ने एक नये अवसंरचना वित्तपोषण तंत्र का भी प्रस्ताव रखा। देश में अपनी तरह की पहली नई पहल के रूप में, तमिलनाडु इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजमेंट कंपनी, जिसे तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* द्वारा शुरू किया गया था, सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

माननीय डॉ. *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* द्वारा जारी विज़न 2023 दस्तावेज़ में तमिलनाडु में लागू की जाने वाली लगभग 1,88,400 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। तमिलनाडु से संबंधित ये 10 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं इस प्रकार हैं::

1. चेन्नई-कन्याकुमारी लाइन का सम्पूर्ण दोहरीकरण;
2. श्रीपेरम्बुदुर-गिण्डी के बीच मालगाड़ी लाइन;
3. चेन्नई-थूथुकुडी मालवाहक कॉरिडोर;;
4. चेन्नई, मदुरै और कन्याकुमारी के बीच उच्च गति यात्री रेल संपर्क;
5. मदुरै और कोयम्बटूर के बीच उच्च गति यात्री रेल संपर्क;
6. कोयम्बटूर और चेन्नई के बीच उच्च गति यात्री रेल लिंक;
7. चेन्नई-बेंगलुरु उच्च गति रेल संपर्क;
8. चेन्नई-बेंगलुरु मालवाहक कॉरिडोर;

9. अवडी-गुडुवनचेरी रेल संपर्क; तथा

10. अवडी/तिरुवल्लूर-एन्नोर बंदरगाह रेल संपर्क

इन 10 परियोजनाओं के अलावा, विज़न 2023 दस्तावेज़ में अन्य 217 परियोजनाओं की भी पहचान की गई है।

मैं यह आग्रह करना चाहती हूँ कि माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन में जिस प्रकार इन रेलवे परियोजनाओं पर जोर दिया गया है, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और संबंधित राज्य सरकार को इसमें एक सहभागी बनाया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार को अपनी तत्परता से अवगत कराया है।

मैं आग्रह करती हूँ कि चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच एक समर्पित मालवाहक कॉरिडोर स्थापित किया जाए। मैं यह भी अनुरोध करती हूँ कि चेन्नई-मदुरै-कन्याकुमारी और कोयंबटूर-मदुरै के बीच उच्च गति रेल संपर्क के क्रियान्वयन हेतु विशेष फंड जुटाने का अभियान रेलवे मंत्री द्वारा आयोजित किया जाए।

मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि, जैसा कि माननीय *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने मांग की है, इन परियोजनाओं पर शीघ्र विचार कर उन्हें मंजूरी दी जाए।

रेलवे अधिकारियों से यह जानकारी मिली है कि इनमें से कुछ परियोजनाएँ, विशेष रूप से चेन्नई-कन्याकुमारी ब्रॉडगेज लाइन का दोहरीकरण, अवडी-गुडुवंचेरी तथा अवडी/तिरुवल्लुर-एन्नोर पोर्ट संपर्क, क्रियान्वयन के लिए ली जा रही हैं। मैं माननीय रेलवे मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि इन परियोजनाओं के शीघ्र समापन हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए।

मुझे उम्मीद है कि चेन्नई-बेंगलुरु मालवाहक कॉरिडोर और चेन्नई-बेंगलुरु उच्च गति यात्री रेल संपर्क, भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रोत्साहित चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के तहत उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएँ होंगी।

तमिलनाडु एक प्रगतिशील राज्य है, जो अवसंरचना विकास के लिए धन जुटाने के नवीन तरीकों को अपनाने में अग्रणी है। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा की अध्यक्षता में तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने मदुरै-तूतीकोरिन औद्योगिक कॉरिडोर के विकास को एक एकीकृत परियोजना के रूप में स्वीकृति दी है। इस कॉरिडोर में दो प्रकार की परियोजनाएँ शामिल हैं – औद्योगिक नोड विकास और ट्रंक अवसंरचना परियोजनाएँ।

इस कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित तीन ट्रंक अवसंरचना परियोजनाएँ रेलवे परियोजनाएँ हैं:

1) चेन्नई-थूथुकुडी मालवाहक कॉरिडोर,
2) चेन्नई-मदुरै-कन्याकुमारी उच्च गति यात्री संपर्क, और
3) कोयम्बटूर-मदुरै उच्च गति यात्री संपर्क।

विजन 2023 दस्तावेज में प्रस्तावित अनुसार, इन परियोजनाओं को भारतीय रेलवे और तमिलनाडु सरकार के संयुक्त विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल में लागू किया जाना है। अतः तमिलनाडु सरकार, इन तीनों रेलवे परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने हेतु, सिद्धांत रूप में, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है।

पिछले रेल बजट में घोषित अनेक परियोजनाओं से जनता की उम्मीदें काफी बढ़ गई थीं, लेकिन इन परियोजनाओं पर काम बहुत धीमा रहा। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कृपया बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित करें।

मैं तमिलनाडु से संबंधित कुछ रेलवे परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहती हूँ, जिनके लिए काम अभी शुरू होना है।

1. मोरप्पुर से धर्मपुरी तक नई लाइन
2. (क) चेन्नई से विल्लीवाक्कम तक 5वीं और 6वीं लाइन और

   (ख) विल्लीवाक्कम और काटपाडी सेक्शन से नई लाइन

3. चिदम्बरम से अरियालुर होते हुए अत्तूर तक नई रेल लाइन
4. त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी तक दोहरीकरण
5. जोलारपेट्टी-काटपाडी-अराकोन्नम का दोहरीकरण
6. बोडिनायक्कनूर से कोट्टायम तक
7. रेनीगुंटा से अराकोन्नम तक दोहरीकरण
8. अट्टीपट्टू-गुम्मिदीपोंडी से 3 और 4 लाइन
9. जोलारपेट्टी से कृष्णागिरी होते हुए होसुर तक नई लाइन
10. मइलादुथरई-तिरुकादैयूर-थारंगम्बदी तिरुनल्लार-कराईकल के बीच नई लाइन
11. रामनाथपुरम- कन्याकुमारी से थूथुकुडी-तिरुचेंदूर तक नई लाइन
12. रामनाथपुरम होते हुए कराईकुडी-थूथुकुडी के बीच नई लाइन
13. कराईकल से सिरकाज़ी तक नई लाइन
14. सलेम (नामाक्कल)-कराइकल से पेरम्बलुर, अरियालुर से होते हुए से नई लाइन
15. इरुगुर-पोदनूर तक दोहरीकरण
16. तिरूवनन्तपुरम से नागरकोइल होते हुए कन्याकुमारी तक दोहरीकरण
17. मदुरै (बोडिनायकनुर) और एर्नाकुलम (कोचीन) के बीच नई बी.जी. लाइन
18. बोडी और थेनी होते हुए डिण्डीगुल से कुमुली के बीच नई रेल लाइन
19. नागरकोइल जंक्शन टर्मिनल सुविधाओं सहित तिरुनेलवेली से होते हुए मदुरै-कन्याकुमारी का दोहरीकरण और विद्युतीकरण
20. चेन्नई और श्रीपेरम्बुदुर के बीच सईदापेट होते हुए नई बड़ी लाइन
21. तंजावुर और अरियालुर के बीच नई रेल लाइन
22. मेलूर के माध्यम से मदुरै-कराइकुडी तक नई लाइन

मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं से संबंधित मांगों पर उचित विचार करें ताकि हम बुनियादी ढांचे के विकास से वंचित न रहें, विशेषकर रेलवे से संबंधित विकास से।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वे पिछले कई दिनों से रेलवे डिपार्टमैंट और रेलवे के कोराबार में सुधार लाये हैं। हम कई सालों से देख रहे थे कि रेल कभी टाइम पर नहीं चलती थी, लेकिन हमारा जो सैंट्रल रेलवे रूट है, साउथ रेलवे रूट हमारी कांस्टीटूएंसी के बाजू से जाता है, वहां सभी गाड़ियां टाइम पर चलने लगी हैं। इसके साथ-साथ गाड़ियों में जो सुविधाएं मिलती हैं, उनमें भी बहुत सारे सुधार किये गये हैं। इसके अलावा वहां कुछ और सुधार करने की भी जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैं बुलढाणा जिला से चुनकर आता हूं, जो महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा जिला है। वहां पर हर रोज दो से चार किसान सूसाइड करते हैं। उस बुलढाणा जिले के लोगों की सौ साल से मांग है कि वहां से शेगांव, खामगांव, जालना तक नयी रेल लाइन बननी चाहिए। इस रेल लाइन का चार साल पहले सर्वेक्षण हुआ था और वर्ष 2012-13 में रेलवे डिपार्टमैंट को 1 हजार 26 करोड़ रुपया का ऐस्टीमेट भी सादर किया गया था, लेकिन अभी उसे मंजूरी नहीं मिली। उस पर अभी भी काम नहीं हो रहा।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि बुलढाणा जिले में अगर यह रेल लाइन बनती है, तो वहां बड़े उद्योग स्थापित होंगे। जबकि हमारे बुलढाणा जिले के हजारों मजदूरों को अपना पेट भरने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। वहां बड़े उद्योग नहीं होने से बेकारी बड़ी तादाद में बढ़ रही है। अगर यह रेल लाइन बन जाती है तो हमारे जिले में भी बड़े उद्योग आयेंगे। इससे हमारे जिले का भी विकास होगा और किसानों को भी लाभ होगा। इसके साथ-साथ वहां जो बेकारी बढ़ रही है, वह भी कम हो जायेगी।

सभापति महोदय, हमारी कांस्टीटूएंसी में शेगांव रेलवे स्टेशन आता है, जो संत गजानन महाराज की पावन भूमि है। वहां पर हर रोज पन्द्रह से बीस हजार यात्री हर रोज रेलवे से आते-जाते हैं, लेकिन उस स्टेशन पर सुविधाएँ बहुत कम हैं। वहां के प्लेटफार्म की हाइट भी कम है, जिससे जो बुजुर्ग लोग वहां दर्शन के लिए आते

हैं, उन्हें चढ़ने-उतरने में बहुत असुविधा होती है। बहुत सारे लोग तो चढ़ते-उतरते समय गिर भी जाते हैं, इसलिए वहां के प्लेटफार्म की हाइट बढ़ाने की जरूरत है। मैंने पिछले साल यह भी मांग की थी कि वहां पर फुटवियर ब्रिज होना चाहिए। वह मंजूर हो गया है और उसका काम भी शुरू हो गया है। लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर किसी एमपी की कांस्टीटूएंसी में रेलवे की तरफ से कोई नया काम शुरू होता है, तो कम से कम उसकी मालूमात उस एमपी को होनी चाहिए। जब काम शुरू हो जाता है और पेपर में न्यूज आती है तब हम पढ़ते हैं। उस समय एमपी को पता लगता है कि जो मांग मैंने पिछले कई दिनों से की थी, वह आज पूरी होने जा रही है। लेकिन उस एरिया का जो डीएमआर आफिस है, वह एमपी को यह बताने की जरूरत भी महसूस नहीं करता।

सभापति महोदय, शेगांव नगरी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है। वहां पर गजानन महाराज संस्थान ने आनंद सागर नाम का बहुत बड़ा पर्यटन, जैसे एस्सल वर्ल्ड है, उस टाइप का शेगांव में कम से कम आठ से दस करोड़ रुपये की लागत से बना हुआ है। उसकी वजह से हर रोज हजारों बच्चे वहां आते हैं। देश के हर कोने से लोग वहां दर्शन और पर्यटन के हिसाब से आते हैं। वहां बहुत सारी एक्सप्रैस गाड़ियां ऐसी हैं, जो शेगांव स्टेशन से तो गुजरती हैं, लेकिन वहां रुकती नहीं हैं। उन गाड़ियों के न रुकने की वजह से लोगों की बहुत दिक्कत होती है।

मेरी रेल मंत्री जी से एक विनती है कि शेगांव से जो भी एक्सप्रैस गाड़ी जाती है, उसे वहां रुकना चाहिए, क्योंकि शेगांव में आने वाले लोगों का तादात दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। वहां 15 दिन पहले उत्सव में एक ही दिन में छः लाख लोग आए थे इसलिए मेरा निवेदन है कि एक्सप्रेस गाड़ियों के स्टापेज बढ़ाए जाएं।

कांस्टीटुएंसी के लोगों की बासिम-जालना-औरंगाबाद नई रेल लाइन की मांग है। लोनर क्रेटर वर्ल्ड फेमस है। 50,000 साल पहले आसमान से तारा टूटकर जमीन पर गिरा था जिसके कारण बहुत बड़ा तालाब बना था। इस तालाब के पानी का पीएच लैवल समुद्र से दस गुना ज्यादा है। इस पानी का पीएच लैवल अभी भी 10 है। यहां विदेशों से लोग आते हैं लेकिन यहां आने-जाने के लिए रेल की अच्छी सुविधा नहीं है। यहां तक हवाईजहाज से आने की भी कोई सुविधा नहीं है। अगर बासिम-जालना-औरंगाबाद रेल लाइन बन जाती है तो

लोनर क्रेटर में आने वाले पर्यटकों के कारण विदर्भ का पर्यटन बढ़ सकता है और देश को फॉरेन करेंसी मिल सकती है।

मेरी कांस्टीटुंएसी में बुलढाणा जिले में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन शेगांव है, इसके अलावा मलकापुर भी आता है। जिले में रेलवे बुकिंग का आफिस केवल बुलढाणा में है। मेरी माननीय रेल मंत्री जी से विनती है कि हर तहसील लैवल पर एक बुकिंग काउंटर खोला जाए ताकि हर तहसील से जो लोग आते-जाते हैं उनको सुविधा हो जाए।

एमपी के लैटर पर कम से कम दो रिजर्वेशन कन्फर्म होना चाहिए। एमपीज़ रिजर्वेशन के लिए रेलगाड़ी में कार्यकर्ता या क्षेत्र के लोगों को लैटर देते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं होता है। आपकी तरफ से सूचना जानी चाहिए कि अगर किसी एमपी का लैटर आता है तो प्रियारिटी में कम से कम एक गाड़ी में दो या तीन रिजर्वेशन मिलनी चाहिए।

महाराष्ट्र में नागपुर से नागभीड़ नेरो गेज को ब्रॉड गेज करने के काम की घोषणा 2013 में संसद में हुई थी। लेकिन अभी तक सर्वेक्षण का काम शुरु नहीं हुआ है। इस काम में कोई गति नहीं आ रही है। गढ़चिरौली, गोंदिया नक्सल एरिया में आने-जाने की सुविधा बहुत कम है। मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है कि नागपुर से नागभीड़ नेरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज किया जाए। अगर यह लाइन ब्रॉड गेज हो जाए तो गढ़चिरौली, गोंदिया जिले में आने-जाने की सुविधा हो जाएगी। यह नक्सल एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है, इस लाइन के बनने से बहुत से काम करने की सुविधा हो जाएगी।

हम रेलगाड़ी से मुम्बई, नागपुर जाते हैं। हमें जो बिस्तर या कपड़े दिए जाते हैं, इसकी साफ सफाई इतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत सी बैडशीट्स गंदी होती हैं, ऐसा लगता है ऐसे ही प्रैस करके देते हैं। यहां तक कि रेलगाड़ी का खाना कोई पसंद नहीं करता है। मेरा अनुरोध है कि खाने में सुधार करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि माननीय रेल मंत्री जी छोटी-छोटी चीजों पर भी दिल से काम कर रहे हैं और बहुत सुधार लाए हैं। अभी थोड़ा वक्त और लगेगा लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये सब सुधार जरूर किए जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर रेलवे हमारे विकास का मुख्य आधार रही है। आजादी के पहले और आजादी के बाद इस देश का चाहे आर्थिक विकास हो, औद्योगिक विकास हो, आवागमन के साधन और सुलभता के कारण शहरों का विकास हो, उसमें इस देश में रेलवे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

देश के जितने भी राजकीय उपकरण हों, चाहे सरकारी विभाग हो, उसमें जितनी करपशन में गिरावट आई है, उसके बावजूद भी हमारे देश की रेलवे करोड़ों जनता को अपने गन्तव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचाने के लिए सही तरीके से काम करने के लिए साबित हुई है। दुखद इसलिए रहा कि समय समय पर आजादी के बाद रेलवे विकास का आधार राजनीतिक रहा। जो भी माननीय मंत्री महोदय आए, उसमें उनका राजनीतिक आधार होने के कारण जो देश का व्यापक विकास होना चाहिए था, वह उतना नहीं रहा और उस विकास के विजन में कमी आई है। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सबसे पहले देश के उस अंतिम गरीब व्यक्ति की ओर ध्यान दिया गया कि देश के अंदर अगर यातायात का कोई सुलभ साधन है तो वह उस गरीब व्यक्ति के लिए रेलवे को ही एक महत्वपूर्ण साधन माना गया। इसलिए सम्पूर्ण रेल को, उस गरीब को भी समर्पित किया गया। सम्पूर्ण रेल को माल भाड़ा के रूप में आज देश के अंदर, मालभाड़े को रेल से ले जाना या ट्रक से ले जाना या समुद्री जहाज से ले जाना हो, उसमें अगर हम रेलवे को और अत्याधुनिक तरीके से अत्यधिक माल वाहक का काम अगर रेलवे विभाग को दे दें तो देश के अंदर जो सड़कें टूटती हैं, जिस तरीके का करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, उससे बचने का काम भी हो जाएगा और सुरक्षित माल पहुंचाने के लिए हम विजन के आधार पर काम करें और मालभाड़ा को कम करते हुए अगर हम इस विजन की ओर ध्यान दें तो रेलवे को काफी लाभ पहुंचाया जा सकता है।

इसीलिए हमारे रेलवे मंत्री जी ने जब पहला बजट पेश किया क्योंकि इससे पहले जब रेल बजट पेश किया जाता था तो नयी ट्रेन्स कहां चलें, ट्रेन्स का ठहराव कहां हो, ट्रेन्स कहां से होकर गुजरें, उस राजनीतिक आधार पर इस संसद में बहस होती थी। लेकिन पहली बार एक लीक से हटकर, एक विजन के आधार पर देश के अंदर रेलवे लाइन का विकास भी हो, रेल यात्रियों को अत्यधिक बेहतर सुविधाएं भी मिलें और मालभाड़े के

रूप में किस तरीके से खाद्य सामग्री से लेकर तमाम चीजों को पहुंचाने के लिए एक विजन के आधार पर काम किया जाए, इसके लिए रेलवे ने पांच वर्षीय योजना बनाई कि हम पांच वर्ष के अंदर इस विजन के आधार पर इस देश के रेल के विकास को परिवर्तित करने का काम करेंगे और इसके लिए यह भी इंतजाम किया गया। केवल मालभाड़ा, यात्रा भाड़ा बढ़ाने के आधार पर विकास की योजनाएं नहीं बननी चाहिए। विकास के अंदर राज्य सरकारों का भी योगदान हो, पीएसयूज का भी योगदान हो, आम जनता के पैसे का भी योगदान हो और पहली बार सरकार ने बहुउद्देश्यीय एजेंसियों को समझौते के आधार पर रेलवे विकास की योजनाओं को आधारभूत बनाया है। वित्त की व्यवस्था करने का आधार भी बदला है। अच्छी प्रबंधन व्यवस्था हो, उसका नया ढांचा तैयार किया है। शासन में पारदर्शिता हो और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इस बारे में विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत से परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि देश में साढ़े करोड़ से ज्यादा लोग रेल द्वारा यात्रा करते हैं। हमें रेल के विस्तार के लिए नए रेल मार्गों को बनाने की आवश्यकता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजनैतिक लाभ लेने के लिए नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की जाती थी। जो योजनाएं शुरू भी की जाती थीं, मैं एक प्रश्न के संदर्भ में लिखित उत्तर देख रहा था, आज भी बीस साल पुरानी घोषणाओं के पूरा होने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कारण रेल परियोजनाओं की उस समय की लागत थी, आज इतना समय बीत जाने के कारण उसमें कई गुना इजाफा हो गया है जिसकी वजह से रेलवे को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी ने विजन दिया है कि पहले मौजूदा परियोजनाएं पूरी की जाएंगी जो राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि जनता की सुविधा के लिए पूरी की जाएंगी जिससे कि दूर-दराज के क्षेत्रों का भी विकास हो सके। जनता की आवश्यकता के आधार पर परियोजनाओं का लक्ष्य सुनिश्चित करने का मंत्री जी का विजन निश्चित रूप से सराहनीय है। हम सदन में नए रेल मार्गों की तब तक मांग नहीं करेंगे जब तक कि मौजूदा परियोजनाएं जो जनता के लिए जरूरी हैं, उनके लिए धन की आवश्यकता पूरी होने के बाद नए रेल मार्गों की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें विचार करना पड़ेगा कि यात्री भाड़ा बढ़ाकर या माल भाड़ा बढ़ाकर नुकसान की भरपाई करनी है तो इससे काम नहीं चलेगा।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रेल की जितनी भी सम्पत्तियां हैं, जो अनुपयोगी हैं, ऐसी 15 हजार करोड़ रुपयों की सम्पत्ति है। मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन सर्वे कराना चाहिए कि ऐसी जमीन जिनकी आवश्यकता भविष्य में पचास साल तक रेलवे को नहीं है, तो हमें उन भूमि संसाधनों से रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा रेलों का विद्युतीकरण करने का काम करना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक रेलवे का स्वयं का पावर प्लांट नहीं है। रेलवे को अपनी बिजली का उत्पादन करना चाहिए क्योंकि कोयला लाने का वाहन उनके पास है। अगर रेलवे अपना स्वयं का पावर प्लांट लगाएगी, सस्ती दर पर बिजली का उत्पादन करेंगे तो रेलवे का करोड़ों रुपयों का लाभ होने की सम्भावना है। रेलवे का जितना विद्युतीकरण करेंगे, मुझे लगता है कि तुलनात्मक आंकड़ों पर रेल का परिचालन देखा जाए तो रेल चलाने में किस तरह खर्चे कम किए जा सकते हैं, इसके लिए भी विजन के आधार पर हमारे मंत्री जी ने काम करने की शुरूआत की है। इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का मन है। इस देश में गरीब व्यक्ति ट्रेन से आते-जाते हैं और उनको तीन-चार घंटे इंतजार करना पड़ता है। कई बार गांवों से, दूरदराज़ के इलाकों से व्यक्ति चलता है, आप तो गांव के आदमी हैं, यदि उसे दिन में चार बजे रेल पकड़नी है, तो वह ग्यारह बजे प्लेटफॉर्म पर आता है। कई लोग रात्रि में विश्राम करते हैं। हम लोगों ने यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए इस बार बेहतर प्रबंध करने का काम किया है। किस तरीके से यात्री सुविधाएँ बेहतर हों, यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिलें, सही समय पर ट्रेन मिले, लेकिन साथ ही जो गरीब व्यक्ति स्टेशन पर आता है, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि स्टेशन के बगल में उस गरीब व्यक्ति के ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब वे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो रात में खुले आकाश में एक चादर ओढ़कर गरीब आदमी सोता रहता है। किस तरीके से हम गरीब यात्रियों को ठहरने के लिए, उनकी सुविधाओं के विस्तार करने का काम करें ताकि अर्द्धरात्रि में भी गरीब आदमी आकर सही जगह पर विश्राम कर सके। कई बार दूरदराज़ गांवों में कोई साधन नहीं मिलता है, तो गरीब यात्री रात्रि स्टेशन पर ही बिताता है। उसके लिए यात्री विश्राम की सुविधाओं का विस्तार करने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। खानपान और तमाम सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया गया है, लेकिन गांव का आदमी तो अपनी रोटी खुद बांधकर चलता है, उसे रेलवे के खानपान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन सब

चीजों पर तो हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीजें, जो हमारा विज़न है कि हम अधिकतम गरीब व्यक्तियों को सस्ती से सस्ती दर पर और सुलभ सेवाएँ देने का काम करें, उसे उन तक पहुंचाने का काम करें। इसके लिए काम करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने घंटी बजायी है। मैं कोटा के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। कोटा रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। पूरे राजस्थान के अंदर, यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, तो हमारे राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक इलाका है। अभी राजस्थान में रेलवे से संबंधित बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं, चाहे सवाई माधोपुर से जयपुर हो, नागौर का विषय हो, जोधपुर का हो, टोंक के रेल का विषय हो, राजस्थान के तमाम इलाकों में विशेष रूप से रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान से 25 लोक सभा क्षेत्र के सदस्य हैं। बहुत अपेक्षाओं के आधार पर राजस्थान की जनता ने हमें चुनकर भेजा है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए, चाहे कोटा से जयपुर बुलेट ट्रेन हो, दस साल पहले कोटा को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की बात थी, वे सुविधाएँ अभी वहाँ नहीं मिली हैं, कोटा का डकनिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ लगभग एक लाख विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। कोटा रेलवे स्टेशन के ट्रैक का अपग्रेडेशन किया जाए, ताकि कोटा में एक से बीस किलोमीटर की दूरी तक जो यात्री जाते हैं, उनके पैसे भी बचेंगे। जिन यात्रियों को बीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वे इस दूरी से भी बचेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा यात्री सुविधाओं का विस्तार करें, तो इस क्रम में कोटा के डकनिया रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जाए। कोटा रेलवे स्टेशन से जो महत्वपूर्ण गाड़ियाँ हैं, जो पूर्वी प्रदेश हैं, जो दक्षिण का इलाका है, उन तमाम इलाकों में हमें नयी रेल चलाने की कार्य-योजना बनानी चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बार माननीय रेल मंत्री जी ने जिस विज़न के आधार पर इस देश में रेल के विकास की योजनाएँ बनायी हैं, भविष्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल का विकास, इस देश का विकास और आर्थिक रूप से इस देश को गतिमान करने के लिए प्रयास करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. रवींद्र बाबू (अमलापुरम): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले, मैं राजमुंदरी में पुष्करम में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए इतने बड़े पैमाने पर सेवा प्रदान करने के लिए रेल मंत्री को हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। इसका श्रेय सीधे रेलवे विभाग को जाता है। यदि रेलवे की इस विशाल स्तर की सेवा न होती, तो पुष्करम एक बहुत ही कठिन और अव्यवस्थित आयोजन बन जाता। रेलवे ने अतुलनीय और निर्दोष सेवाएँ प्रदान कीं। रेलवे अधिकारियों का मनोबल बहुत ऊँचा था। रेलवे ने इतनी अधिक ट्रेनों की शुरुआत की, वह भी बिना हमारी माँग के। उन्होंने पूरे भारत से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की आसानी से सेवा की।

महोदय, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, महोदय, गोदावरी *महा पुष्करम* के समय ऐसी महान सेवा प्रदान करने के लिए। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से और श्री चंद्रबाबू नायडू गरु की ओर से हम आपको हार्दिक आभार और शुभकामनाएँ प्रकट करते हैं।

महोदय, महोदय, आंध्र प्रदेश का हाल ही में गठन हुआ है। हमें सौभाग्य है कि माननीय सीतारमण जी इस सदन में मौजूद हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि अपने सद्भावनापूर्ण प्रयासों का उपयोग करते हुए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया एक नई ए.पी. एक्सप्रेस की शुरुआत करें। राज्य के विभाजन के बाद, पहले की ए.पी. एक्सप्रेस का नाम बदलकर तेलंगाना एक्सप्रेस कर दिया गया है। नई ए.पी. एक्सप्रेस का प्रारंभ विशाखापट्टनम से होना चाहिए।

आंध्र प्रदेश में सबसे लम्बी रेलवे लाइन है, जो लगभग 1,000 किलोमीटर है, लेकिन हमारे यहां कोई रेलवे रखरखाव या कोच फैक्ट्री या ट्रेनों से संबंधित कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं है। इसलिए मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे शेष बचे आंध्र प्रदेश राज्य में भी ऐसी सुविधाएं स्थापित करने पर विचार करें ताकि इससे कुछ रोजगार सृजन हो सके।

मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि कृपया हमें वह रेलवे जोन दीजिए जिसका वादा आप हमसे कर रहे हैं। अभी तक मंत्री ने इसे पूरा नहीं किया है। तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपसे रेलवे जोन की स्थापना पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इससे रेलवे के लिए बहुत सद्भावना पैदा होगी।

सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ने कोनासीमा रेलवे लाइन का वादा काफी समय पहले किया था, यानी तब बजट 800 करोड़ रुपये का था, जो अब बढ़कर 1400 करोड़ रुपये हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। इस रेल बजट में मंत्री ने कोई नई रेलवे लाइन या कोई नई रेलगाड़ी शुरू नहीं की है तथा उन्होंने केवल यह वादा किया है कि वे लंबित परियोजनाओं को पूरा करेंगे। इस कोनासीमा रेलवे लाइन की मांग लगभग 15 वर्षों से लंबित है। आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से और कोनासीमा क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां रेलवे लाइन ही नहीं है; हमने तो रेलगाड़ी भी नहीं देखी है। कृपया इस कोनासीमा रेलवे लाइन स्थापित करने के बारे में सोचें। इससे न केवल लोगों की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि इको-पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरा कोनासीमा केरल की तरह है। इससे के.जी. बेसिन में कार्गो की आवाजाही भी बढ़ेगी। कोनासीमा कृष्ण-गोदावरी तेल बेसिन का केंद्र है। इससे आपको काफी राजस्व भी मिलेगा। मैंने पहले ही इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है कि कोनासीमा रेलवे लाइन किस प्रकार आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनेगी, अथवा आर्थिक आय के संदर्भ में यह किस प्रकार एक अन्य पश्चिमी रेलवे या मध्य रेलवे बनेगी। कृपया इस मामले को गंभीरता से देखें।

मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि कृपया सामान्य लोगों के बारे में सोचें, उदाहरण के लिए बी.पी.एल. कार्ड धारक, जो लंबी यात्रा वाली ट्रेनों में पानी या भोजन की सुविधा के बिना यात्रा करते हैं। उन्हें पहले मुफ्त और रियायती टिकट मिलती थी। कृपया बी.पी.एल. कार्ड धारकों के संबंध में मुफ्त टिकट फिर से शुरू करें। कृपया भविष्य में बी.पी.एल. कार्ड धारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई रेलगाड़ियां और मुफ्त टिकट शुरू करने के बारे में सोचें।

महोदय, हावड़ा-चेन्नई के बीच विशाखापत्तनम मार्ग से जाने वाला रेलमार्ग सबसे लंबा रेलमार्ग है। तटीय क्षेत्रों में आने वाले चक्रवात अक्सर विशाखापत्तनम और टूनी के बीच यातायात को बाधित कर देते हैं। इस संदर्भ में अनकापल्ली के सांसद द्वारा एक वैकल्पिक प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। कृपया इस विषय पर ध्यान दें। यह प्रस्ताव चक्रवात के समय प्रभावित रेल लाइनों की समस्या का समाधान करेगा।

काकीनाडा, जो पूर्व गोदावरी जिले का एक अन्य नगर है, को भी पिथापुरम से काकीनाडा जोड़ने वाली नई रेल लाइन की आवश्यकता है। कृपया इस पर भी विचार करें।

मैं पुष्करम के दौरान टूनी-कोटिपल्ली रेल लाइन की शुरुआत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इसे स्थायी रूप से लागू करें, जिसके लिए लोग आपके आभारी रहेंगे, महोदय। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : धन्यवाद सभापति जी। इस समय रेल बजट पर जो चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं।

महोदय, निश्चित तौर से नई सरकार आने के बाद रेलवे ने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। ट्रेनों की गति ठीक हुई है, जो पहले बहुत लेट चला करती थीं, अब उनका समय पर चलना शुरू हुआ है। उनकी साफ-सफाई की व्यवस्था शुरू की गयी। अन्य तमाम अच्छी योजनाएं लागू की गयी हैं, उनके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

मैं कुछ सुझाव रेल मंत्री जी को देना चाहता हूं। जो बड़े रेलवे स्टेशंस हैं, वहां पर तो सफाई का काम अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन जो छोटे रेलवे स्टेशंस हैं, वहां पर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में चित्रकूट धाम और बांदा में रेलवे स्टेशंस की यही हालत है। चित्रकूट एक तीर्थ स्थल है, लेकिन वहां के रेलवे स्टेशन पर सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। जब हम इस बात की शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि कर्मचारियों की कमी है। काफी समय से हम लोग इस बारे में लिख रहे हैं कि चित्रकूट धाम और बांदा में रेलवे स्टेशंस पर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

रेलवे की सुरक्षा के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। रेल विभाग की आरपीएफ ठीक ढंग से काम कर रही है, लेकिन जीआरपी ठीक ढंग से काम नहीं करती। उसके वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा आप देते हैं और तमाम तरह की सुविधाएं भी देते हैं, लेकिन जीआरपी प्रांतीय सरकारों पर रहती है। मेरा अनुरोध है कि आपका इतना बड़ा बजट है और इतना बड़ा विभाग है, ज्यादा खर्च नहीं आएगा अगर आप जीआरपी को भी रेल मंत्रालय के अधीन ले लें। इससे आरपीएफ की तरह जीआरपी भी सुरक्षा व्यवस्था में ठीक से काम कर सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो सकेगी। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे। हमने देखा है कि कई जीआरपी के सिपाही टिकट दिलाने की लाइन में लगे रहते हैं और अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं।

अब मैं अपने क्षेत्र की बातें कहना चाहूंगा। झांसी और मानिकपुर की रेल लाइन काफी पुरानी है। बांदा और कानपुर भी काफी पुरानी रेल लाइन है, लेकिन अभी तक इन रेल लाइनों का दोहरीकरण नहीं हो सका है। पिछले एक-दो साल में 100-200 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, सर्वे भी हो चुका है, लेकिन धन एलाट नहीं हुआ है। वहां की रेल लाइनों का दोहरीकरण बहुत जरूरी है। जब वहां नई ट्रेन के बारे में बात कही जाती है तो कहते हैं कि नई ट्रेन इसलिए नहीं मिल रही है कि वहां पर समय लगता है। झांसी-मानिकपुर की रेल लाइन का दोहरीकरण करने के लिए रेल मंत्री जी शीघ्र ही धन एलाट करेंगे और बांदा से कानपुर की रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए भी शीघ्र धन आबंटित करेंगे तो लोगों को काफी सुविधा होगी।

एक इंटरसिटी एक्सप्रेस कानपुर से चित्रकूट धाम के तक जाती है। वह ट्रेन पूरा समय कानपुर में खड़ी रहती है और दूसरे दिन आती है। वहां से लखनऊ 80 किलोमीटर दूर है और यह प्रदेश की राजधानी भी है। मैं इस बारे में कई बार लिख चुका हूं, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई। आपकी सितम्बर में नई गाइडलाइंस आ रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उस ट्रेन को लखनऊ तक बढ़ाने का आदेश आप देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा।

उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन है जो उदयपुर से चलकर खजुराहो तक जाती है। वहां से चित्रकूट धाम केवल 50-100 किलोमीटर दूरी पर है। अगर उस रेलगाड़ी को चित्रकूट धाम तक और मानिकपुर तक बढ़ा दिया जाए तो दक्षिण भारत के लिए जो हमारे यहां से कोई ट्रेन नहीं है, उसकी कुछ कमी पूरी हो सकती है। इससे वह ट्रेन सीधे मानिकपुर से जुड़ जाएगी। उसमें सम्पर्क क्रांति की तरह केवल एक इंजन लगाने की जरूरत है। वह ट्रेन वहां आधी खाली हो जाती है, अगर उसे मानिकपुर तक भेज देंगे तो अच्छा रहेगा और ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। चित्रकूट और अयोध्या का हिन्दू धर्म में काफी महत्व है और इनका आपसे में नाता है। अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है और चित्रकूट में उन्होंने वनवास 12 वर्ष बिताए थे। हमारी यह मांग पूरी होने पर लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। वहां पर सरयू एक्सप्रेस आती है और दूसरे दिन अयोध्या जाती है। मानिकपुर तक डबल लाइन हो गई है। वहां से केवल 20 किलोमीटर दूरी पर चित्रकूट पड़ता है। इलाहाबाद से उस ट्रेन को बढ़ाकर अगर चित्रकूट तक कर दिया जाएगा तो उससे चित्रकूट धाम आने-जाने वाले लोगों को बहुत लाभ होगा। उसे यहां से रवाना किया जाए तो उचित रहेगा। उम्मीद है कि इसकी आप शीघ्र घोषणा करेंगे।

तुलसी एक्सप्रेस मुम्बई जाने के लिए पहले से रेलगाड़ी है। लेकिन वह दो दिन ही चलती है। जब आपके अधिकारियों से इस बारे में बात करते हैं तो वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि इसे चार दिन कर देना चाहिए। लेकिन कई बार मुम्बई की रिपोर्ट, इलाहाबाद की रिपोर्ट, नॉर्थ जोन की रिपोर्ट, झांसी की रिपोर्ट, इन तीन रिपोर्टों के चक्कर में यह अटकी पड़ी है। इसको यथाशीघ्र कम से कम चार दिन करवा देंगे तो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों को सुविधा भी होगी। इसी तरह से चम्बल एक्सप्रेस जो ग्वालियर से हावड़ा और आगरा से हावड़ा जाती है, उसमें प्रतिदिन इतनी सवारी रहती है कि उसको प्रतिदिन चलाना आवश्यक है अभी चार दिन ही चलती है। मेरा अनुरोध है कि इसको प्रतिदिन कर दिया जाए। ऐसे ही दुर्ग एक्सप्रेस है जो वहां से चलकर कानपुर तक आती है। यह भी केवल दो दिन ही चलती है और गरीब रथ को भी वहां से कम से कम चार-चार दिन किया जाए, यह मेरा अनुरोध है।

मान्यवर, एक निवेदन बहुत दिन से पड़ा हुआ है, जो स्टॉपेज से संबंधित है। मैं जब भी स्टॉपेज की बात करता हूं तो कहते हैं कि स्टॉपेज हमने पूरे देश में बंद किया हुआ है। लेकिन जहां पर स्टॉपेज बहुत जरूरी है, जैसे मेरे क्षेत्र में बदौसा है, जहां एजीटेशन हो रहा है। वहां लोग लगातार एजीटेशन कर रहे थे, मैंने आश्वासन देकर एजीटेशन खत्म करवाया था कि जैसे ही उधर कोई घोषणा होगी तो आप लोगों को दो मिनट का स्टॉपेज मिलेगा। खुरहंड, शिवरामपुर, बरगढ़ और मारकुंडी इत्यादि दो जिलों में स्टॉपेज दो-दो मिनट का दे दिया जाएगा तो वहां के लोगों को सुविधा होगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो अंडर ब्रिज बन रहे हैं, वहां अधिकतर में पानी भरा हुआ है। वहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वहां से पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे, पम्पसेट लगाएंगे या क्या करेंगे, क्योंकि वहां सीवर सिस्टम नहीं हो सकता है, क्यों कि जमीन से नीचे होता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर बहुत पैसा लग रहा है और यह बहुत अच्छी योजना है, जिसके कारण फाटक खत्म हो रहे हैं, लेकिन अंडर ब्रिज पर पानी भरा रहता है, इसको आप इंजीनियर्स को दिखाएंगे और ठीक करेंगे, तो अच्छा रहेगा। मेरा एक और अनुरोध है कि मैहर और चित्रकूट बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। मैहर मध्य प्रदेश में आता है और चित्रकूट

धाम बहुत सारे यात्री आते हैं। यहां के लिए डीएमयू ट्रेन चलाने की मांग लगातार की जाती रही है। मानिकपुर तक ट्रेन आती भी हैं, लेकिन उनको तीस किलोमीटर और बढ़ा कर चित्रकूट से जोड़ा जाएगा तो अच्छा रहेगा।

अंत में मैं अपनी बात कहता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा कि चित्रकूट धाम देश ही नहीं विश्व का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों और हर महीने लाखों यात्री आते हैं, अमावस्या को 4-5 लाख और दीपावली मेले में 25-50 लाख हो जाती है। जो तीर्थ सर्किट ट्रेन चलाने के लिए घोषणा की गयी है, उसमें चित्रकूट का नाम मुझे नहीं दिखायी पड़ा है। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि चित्रकूट धाम को भी इस तीर्थ सर्किट में शामिल किया जाए और स्टेशनों के विस्तार की व्यवस्था की जाए। इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं सबसें पहले हमारे रेल मंत्री और उनके सहयोगी मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से इन्होंने रेल का काम अपने हाथ में लिया है, तब से रेलवे को एक नई दिशा देने का प्रयास इन्होंने किया है। साथ ही साथ मैं अपनी वेदना भी यहां रखना चाहूंगा कि मुम्बई शहर के ऊपर रेल प्रशासन के माध्यम से गत अनेक वर्षों से अन्याय होता दिखायी होता है। इसके बहुत से कारण जब हम खोजते हैं तो पता चलता है कि मुम्बई शहर को कभी रेल मिनिस्टर मिला ही नहीं है। एक वर्ष के लिए इन दिनों में जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब हैं, राम नाईक जी, वे रेल राज्य मंत्री थे तो उन दिनों में कुछ कामकाज आगे बढ़ा था, लेकिन उसके बाद मुम्बई शहर पर हमेशा अन्याय ही हुआ है। हमें फिर से सुरेश प्रभु जी के नाम पर हमें अच्छे रेल मिनिस्टर मिले हैं, जिनके ऊपर बहुत प्रेशर है और बहुत बड़ा बोझ भी उनके सिर पर है और वह अपनी बुद्धि की चतुराई से रेल को संकट से बाहर निकालने का प्रयास दिन-रात मेहनत करके करते हैं, इसके लिए मैं उनका फिर एक बार अभिनंदन करना चाहूंगा।

महोदय, हम मुम्बई के लिए बहुत कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीजें है, जिन पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम मुम्बई शहर के लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। मुम्बई शहर के जो लोग रेलवे में सफर करते हैं, उनके ऊपर अगर एक प्रदर्शनी लगायी जाए तो मेरा यह विश्वास है कि देश भर में से बहुत सारे लोग मुम्बई

आ सकते हैं। वे किस तरह से रेलगाड़ी पकड़ते हैं, किस तरह से रेलगाड़ी से उतरते हैं। खासकर शाम के समय अगर कोई चर्चगेट स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाए तो हमारी बहनें जिस तरह से फास्ट ट्रेन पकड़ती हैं, उन्हें उसके लिए पुरस्कार दिया जायेगा, इस प्रकार की स्थिति मुम्बई में है। इतनी सारी मुसीबतों को लेकर मुम्बई शहर के लोग रेलवे में प्रवास करते हैं, मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में रेल यात्रियों को आसानी से सफर करने के लिए मिले, उसके लिए वारफुटिंग स्टेज पर रेल प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। मैं इसके ऊपर बहुत लम्बा भाषण नहीं करना चाहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है। लेकिन मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुम्बई शहर के छः सांसदों के साथ तुरंत एक बैठक करें और देखें कि हमारे मन में क्या है और रेल प्रशासन के मन में क्या है। अगर इन दोनों के साथ बातचीत होती है तो मुम्बई शहर के जो साठ लाख से भी ज्यादा लोग रेलवे में सफर करते हैं, उन्हें हम यह मैसेज दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग ये सारी सुविधाएं रेलवे के माध्यम से देना चाहते हैं।

मैं मंत्री महोदय से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं उनसे कई बार मिला हूं और पत्र व्यवहार भी कर रहा हूं। कांग्रेस सरकार के अंतिम दिनों में क्या हुआ, कांग्रेस के लोग कितने चतुर हैं, ये लोग फायदे का जो विषय होता है, अपने कार्यकाल में पास करते हैं और आने वाले दिनों में जब उन्हें पता चलता है कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है तो आने वाली सरकार के ऊपर ये किस प्रकार का संकट छोड़कर जाते हैं, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि 2010 में जो हमारे बूट पालिश करने वाले लोग हैं, जो गरीब और नीचे के तबके से आते हैं, उनके लिए 2010 के बाद में इन्होंने लाइसेंस देना बंद कर दिया। अब रेलवे में सफर करने वालों की संख्या बढ़ गई है। रेलवे के प्लेटफार्म्स बढ़ गये हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। जो चप्पल पहनता था, वह बूट पहनने लग गया और पालिश करने वालों की संख्या जब बढ़ती है तो नये लोगों को काम देना चाहिए तो कांग्रेस के लोगों ने उन्हें 2010 से नया लाइसेंस देना बंद कर दिया। इनकी मांग है कि हम लाइसेंस की फीस ज्यादा देंगे, हमें आप लाइसेस दीजिए, सरकार के पास से एक रूपये की आवश्यकता नहीं है और लोगों को एक अच्छी सुविधा हो सकती है। लेकिन एक साल हो गया है, उसके ऊपर भी कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता है। इसलिए बहुत वेदना के साथ मैं इस विषय को सदन में रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पूरे देश भर में जो रेलवे स्टाल्स हैं, उनके लिए कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, जिनके पास पचास, सौ या डेढ़ सौ स्टाल्स हैं, इन सारे लोगों के लाइसेंस इन्होंने रीन्यू कर दिये और जिनके पास एक, दो या तीन स्टाल्स हैं, इन सारे लोगों के ऊपर इस प्रकार का एक सर्कुलर निकाल दिया कि इनका स्टाल रीन्यू नहीं किया जायेगा और हम नया टेंडर मंगायेंगे। लोकशाही में होना यह चाहिए कि छोटे लोगों को सहूलियत दी जाए और जो बड़े लोग हैं, जो इस प्रकार से रेवेन्यू डुबाते हैं, उनके ऊपर कोई बंधन आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने गलत किया। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार आने के एक साल के बाद भी इस पर कोई सोच-विचार नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जिसके पास दो-तीन स्टाल्स से ज्यादा हैं, जब मैं दो या तीन स्टाल्स की बात करता हूं तो अगर पिता के पास एक स्टाल था, उसने अपने बच्चे के लिए ले एक स्टाल और ले लिया, अगर दूसरा कोई बच्चा है तो उसके लिए भी ले लिया तो एक व्यक्ति के पास अगर दो-तीन स्टाल्स हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन उससे ज्यादा जितने भी स्टाल्स होंगे तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो-जो लोग इन दिनो स्टाल्स चलाते हैं, वे उनके नाम पर किये जाएं। ट्रांसफर के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा भी आयेगा और जो लोग दूसरे के पास सर्विस करते हैं, उनके लिए जीवन भर का एक साधन हो जायेगा कि मेरा एक खुद का स्टाल है। हम एक बड़ा काम कर सकते हैं और जिनके पास पचास, सौ या डेढ़ सौ स्टाल्स हैं, इन सारे लोगों के स्टाल्स कैंसिल करके नये लोगों को मौका देना चाहिए, मैं यह भी मांग करता हूं।

महोदय, मुम्बई शहर में टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जायेंगी। छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार के दिन एक-एक घंटे लोगों को लाइन लगानी पड़ती हैं। टिकट वेंडिंग मशीन का जो नया आइडिया मंत्री महोदय ने फ्लोट किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन यहां मैंने साथ-साथ एक चीज की मांग की कि जो हैंडिकैप्ड लोग हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा टिकट वेंडिंग मशीन हैंडल करने का काम देना चाहिए। उसका कारण यह है कि रेलवे के लोगों ने एक नई खोज निकाली कि जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें ही यह काम दिया जाए। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। आप 58 साल की जगह साठ साल करो, बासठ साल करो, जो काम करते हैं, उन्हें

काम देते जाओ। लेकिन हम नई जनरेशन के लोगों को काम कहां से देंगे। इन्हें रिटायरमैन्ट भी मिलेगा, रिटायरमैन्ट के बाद पेंशन भी मिलती है। मेरी उनके साथ कोई

अपराह्न 3.14 बजे (श्री कोनाकल्ला नारायण राव पीठासीन हुए)

लड़ाई नहीं है, लेकिन हम लोगों को काम किस तरह से दे पायेंगे, इसके बारे में भी सरकार को सोचने की बहुत आवश्यकता है। नई पीढ़ी के बारे में भी जब हम लोग भाषण करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत में नई पीढ़ी उभरकर सामने आ रही है तो यदि हम इन्हें सही समय पर काम नहीं देंगे तो ये गलत राह पर भटक जायेंगे और उसका खामियाजा भी आने वाले दिनों में देश को भुगतना पड़ेगा। इसके बारे में भी सरकार चलाने वाले लोगों को बहुत सोच-विचार कर काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, रेलवे स्टेशनों के बारे में परसों हमारे रेल राज्य मंत्री जी ने प्रश्न-उत्तर के समय बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि रेलवे स्टेशनों पर हम वाटर वेंडिंग मशीनें भी लगा रहे हैं। आज रेलवे स्टेशनों पर पांच रुपये, दस रुपये और पंद्रह रुपये में बिसलरी पानी की बोतलें बेची जाती हैं। परंतु कोई सामान्य व्यक्ति दस रूपये की पानी की बोतल खरीद कर पानी नहीं पिएगा। वह स्टॉल पर जाता है तो स्टॉल पर भी उसको अच्छा पानी नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो इतने बड़े पैमाने पर पानी पिला करस्टॉल वाले लोग परेशान होते हैं। नए-नए सिस्टम से जब लोग सामने आ रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ भी स्वयं के पैसे से मशीन लगा कर लोगों को एक-दो रूपये में पानी पिला सकते हैं। वॉर्टर फिल्टर का इस्तेमाल करने वाली सोच, इस प्रकार की एक मानसिकता रखने वाले लोग मुंबई शहर में बहुत हैं। लेकिन अगर हम उनको आसानी से बुला कर उनको अनुमति देते हैं, इस प्रकार की सुविधा लोगों तक पहुंचाने की अगर व्यवस्था करते हैं तो बड़े पैमाने पर लोग सामने आ कर हमें मदद कर पाएंगे। प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। एक साल में भी रेलवे में शौचालय की जो मांग है, उसमें कोई बहुत बड़ा काम कोई तेजी से होता दिखाई देता नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि सरकार इसके लिए बजट का प्रावधान करे और रेलवे प्रशासन इस पर कोई खर्चा करे, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो रेलवे के अफसर हैं, वे स्वयं जा कर एनजीओस को ढूंढ-ढूंढ कर, पकड़ कर

ला कर यह काम करें। आज की स्थिति तो यह है कि काम करने वाले लोग मुंबई महानगर पालिका के दफ्तर में जाना नहीं चाहते हैं। कोई रेलवे के पास नहीं आना चाहता है। इनको जो वैलकम करना चाहिए, यह हम लोगों की टेंडेंसी कहिए या मानसिकता कहिए, वह लगभग समाप्त होती गई है। इसलिए कोई आता ही नहीं है। हमें आने वाले दिनों में लोगों को ला कर उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा तो लोग बड़े पैमाने पर इस प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार होंगे। यहां पर बैठे हुए सदस्यों को आश्चर्य होगा कि हमारे मुंबई शहर में रॉटरी क्लब ऑफ मुंबई ने 800 जगहों पर फ्री ऑफ कॉस्ट टॉयलेट बनाने का एक संकल्प इस साल में लिया है। यह केवल इस वर्ष के लिए है। एक वर्ष में वे मुंबई शहर में 800 शौचालयों का निर्माण करने जा रहे हैं। [हिन्दी] अगर हम सही समय पर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर आदि प्रोवाइड करते हैं, सुविधाएं देते हैं, इनको सम्मानित करते हैं तो ये फिगर और बढ़ा सकते हैं। प्रधान मंत्री जी के आव्हान पर पैसे वाले लोग गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे अधिकारीवर्ग के माध्यम से, उनको जो वैलकम कराना चाहिए, वह होता नहीं दिखाई देता है, इसलिए बहुत कुछ करने की इच्छा होने के बावजूद भी, कुछ होता दिखाई नहीं देता है। यह मेरी वेदना है।

सभापति महोदय, मुंबई से वैलेंकनी एक यात्रा शुरू होने वाली है। वैलेंकनी में सिर्फ कैथोलिक समाज के ही लोग ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। नॉन-कैथोलिक लोग भी बड़े पैमाने पर जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने की सुविधा न होने की वजह से उनको बहुत परेशानी है। मंत्री महोदय मैं चाहूंगा कि तुरंत अपने उत्तर में कम से कम इसकी घोषणा करनी चाहिए कि वैलेंकनी फीस्ट में जाने वाले लोगों को जितनी भी ट्रेन की सुविधा चाहिए, एक्सट्रा कोचेस या तो एक्सट्रा ट्रेन की, हमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं बहुत बड़े मन से इस बात को कहना चाहूंगा कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उनको देव दर्शन के साथ में एक पिकनिक भी हो जाती है, एक टूरिज्म भी हो जाता है। क्योंकि अन्य जगहों पर वे जा नहीं सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के जब फैस्टिवल्स आते हैं तब बड़े पैमाने पर सामान्य कुटुंब के लोग जाते हैं तो इस प्रकार की भी एक व्यवस्था आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता है।

महोदय, मुंबई के बहुत सारे विषय हैं। हर साल 3,500 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। [हिन्दी] यह संख्या ट्रेन से गिर कर मृत्यु होने वाले लोगों की है। बहुत दिनों से हम लोग इस बात को उठाते हैं, लेकिन यह संख्या आज के दिन में कम होती दिखाई देती नहीं है। हमारे पुलिस के लोग, हमारे होमगार्ड्स के लोग हैं, हमारे रेलवे के जो आधिकारी हैं, वे अगर इस बात पर ध्यान देते तो मैं गारंटी के साथ इस सभागृह में यह बात कहना चाहता हूँ कि यह फिगर हम बहुत जल्दी नीचे ला सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई काम होता दिखाई नहीं देता है। हम हर चीज़ को कमर्शियल एंगल से देखने लगते हैं कि तरह से पैसा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसा रेलवे में किस प्रकार से आए। इसमें कोई दो मत नहीं है, पैसा तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ-साथ मानव की जो जान है, उस जान की कीमत बहुत होती है, उसके लिए भी हमको सोचना चाहिए। कारगिल में 700 लोग मर गए तो हम हर साल उनको याद करते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में हर साल साढ़े तीन हजार लोग सिर्फ रेल से गिर कर, कट कर मर जाते हैं, इससे बड़ी विडंबना मुंबई शहर के लिए कोई हो सकती है, ऐसा मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुंबई शहर एक ऐसा शहर है, जो रेलवे को बड़े पैमाने पर रेवन्यु का फायदा देता है। इसलिए मुंबई शहर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) सबसे बड़ी विडंबना यह भी है क इतने बड़े मुंबई शहर के लिए अपनी बात रखने के लिए कम से कम भाषण करने के लिए भी समय नहीं मिलता है। यह सबसे बड़ी दुख की बात इस सभागृह में व्यक्त करते हुए, मैं अपनी बता समाप्त करता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान अपने चुनावी क्षेत्र परभणी की कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। सिर्फ विकास के मामले में ही पिछड़ा नहीं है, नैसर्गिक भी पिछड़ा है। पिछले तीन सालों से वहां पर बारिश ही नहीं हो रही है, उसकी वजह से सूख पड़ा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे कार्य क्षेत्र में पूर्णा तालुका है, जहाँ रेलवे का पुराना जंक्शन है। उस जंक्शन में हर तरीके की सुविधाएं थीं। वहाँ पर रेलवे के स्कूल हैं, रेलवे के अस्पताल हैं, रेलवे का सेन्ट्रल स्कूल है, इसके अलावा वहाँ पर लोकल डीजल शेड स्ट्रक्चर भी है, क्रू बुकिंग लॉबी भी है, लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी व्रू बुकिंग लाबी नांदेड़ परिक्षेत्र में ये लोग कुछ शिफ्टिंग करना चाहते हैं। क्रू बुकिंग लॉबी नांदेड़ में शिफ्ट न हो और उसे वहीं कार्यान्वित रहना चाहिए, यह मेरी पहली माँग है। उसके बाद पूर्णा में एक होम डीजल शेड कार्यान्वित होना जरूरी है। उसके बाद सी एंड डब्ल्यू वर्कशॉप पूर्णा में होना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पूरी जगह है, पूर्णा में कम से कम पाँच हजार रेलवे के कर्मचारी आज भी रहते हैं जिनमें रिटायर कर्मचारी भी हैं और रेगुलर काम करने वाले कर्मचारी भी हैं। यह सब कुछ होने के बावजूद व्रू बुकिंग लाबी नांदेड़ में शिफ्ट करने के बारे में क्यों ये लोग सोच रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं मंत्री महोदय से विनती करूँगा कि यह नांदेड़ में शिफ्ट न हो और उसी जगह पर इसे कार्यान्वित रहना चाहिए।

उसके बाद मैं माँग करता हूँ कि अकोला-खांडवा ब्रॉडगेज मार्ग तैयार करना चाहिए। हमें दिल्ली आना पड़ता है तो हमें मनमाड होकर आना पड़ता है और फिर खांडवा आते हैं, अगर अकोला-खांडवा चालू होता है तो हमें खांडवा करीब पड़ता है, हमारा 8 घंटे का सफर कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वहाँ पर सीबीएसई पैटर्न का स्कूल चालू किया है, लेकिन वहाँ पर जैसे टीचर होने चाहिए, वे नहीं है, पुराने ही टीचर सीबीएसई का पैटर्न भी पढ़ाना चाहते हैं और इस कारण से छात्रों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मुदखेड-परभणी दोहरीकरण का काम शुरू है, इसे भी ज्यादा राशि मिलनी चाहिए ताकि यह काम जल्दी पूरा हो। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन है, जो सिकन्दराबाद से मुम्बई के लिए निकलती है, लेकिन उस ट्रेन में बहुत भीड़ होती

है। मराठवाड़ा के 6 जिले के लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन उस गाड़ी में बैठने की जगह नहीं मिलती है। मैं विनती करता हूँ कि एक दूसरी ट्रेन नांदेड़ से मुम्बई के लिए चालू की जाए। एक नन्दीग्राम एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि नागपुर से मुम्बई जाती है, लेकिन नागपुर वाले कोई भी उस ट्रेन से मुम्बई नहीं आते हैं। अगर वह ट्रेन नांदेड़ से मुम्बई की जाती है या अकोला से की जाती है तो निश्चित रूप से मराठवाड़े के लोगों के लिए एक बड़ा सफल काम हो जाएगा। मैं यह मंत्री महोदय से विनती करता हूँ। इसके अलावा गंगाखेड़ में एक स्टॉपेज हम चाहते हैं, एक नांदेड़ से पूना गाड़ी जाती है, वह ट्रेन हफ्ते में दो बार जाती है, वह गाड़ी रेगुलर चलनी चाहिए, लेकिन साउथ सेन्ट्रल रेलवे के जो अधिकरी हैं और मराठवाड़े में चलने वाले जो ट्रैवल्स हैं, इन दोनों की मिलीभगत के कारण नांदेड़-पुणे रेल रेगुलर चालू नहीं की जाती है। वह हफ्ते में दो दिन जाती है, लेकिन उसके अन्दर लूज टाइम पाँच घंटे का है, जबकि कार में आदमी सात घंटे में पूना पहुँच जाता है और ट्रेन से जाने में उसको 14 घंटे लगते हैं। यह सब मिलीभगत का काम है। इसके बारे में मंत्री महोदय को सोचना चाहिए। पूना में रेवेन्यू बहुत बड़ा है, मेरे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे मराठवाड़ा में से जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वह गाड़ी रेगुलर फुल चलेगी, जिस दिन गाड़ी फुल नहीं चलेगी, हम उस दिन उसका भुगतान भरने के लिए तैयार हैं। ऐसी हम आपको हामी देते हैं, लेकिन इन अधिकारियों के ऊपर कुछ अंकुश लगाना बहुत जरूरी है ताकि मिलीभगत न हो।

इसी के साथ मैं सुविधाओं के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि गाड़ियों में सुविधा अच्छी तरीके से नहीं दी जाती है। उस ट्रेन में हमेशा पुराने डिब्बे लगाये जाते हैं। उस ट्रेन में जो बेडशीट आदि दी जाती है, वह भी पुरानी होती है और धुली हुई नहीं होती है। खाने के बारे में भी बताना चाहूँगा कि वह ठीक नहीं होता है और ट्रेनों में सफाई भी नहीं होती है। इसी के कारण मैं माँग करना चाहता हूँ कि साउथ सेन्ट्रल रेलवे में जो नांदेड़ परिमंडल जोड़ा गया है, उसे उससे निकालकर मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे में जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ जगहों पर रेलवे गेट के ऊपर ब्रिज होना चाहिए। ऐसा नहीं होने से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत जगह ट्रैफिक जाम होता है। गंगाखेड, मानवत रोड, कृषि विद्यापीठ, पिंगली, पूर्णा परतूर आदि जगहों पर ब्रिज होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को आसानी हो और उन्हें दिक्कत न हो। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि

संत जनाबाई महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हैं। उन्हीं के नाम पर गंगाखेड रेलवे स्टेशन का नामकरण होना चाहिए। यह मैं अपनी तरफ से माँग करता हूँ। इसी के साथ पंढरपुर एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ लाखों लोग हर दिन आते हैं, अषाढ़ कार्तिका, एकादशी के दिन वहाँ बहुत बड़ी यात्रा भरती है, दस-दस, बीस-बीस लाख लोग वहाँ यात्रा में शामिल होते हैं। पंढरपुर के लिए गाड़ी मराठवाड़ा से रोजाना चालू होनी चाहिए और उसमें एक ए.सी. का डिब्बा जोड़ना चाहिए। यह मैं आपसे एक माँग करता हूँ।

इसके साथ ही मैं एक और मांग करना चाहता हूँ। राज्यों में जो असेम्बली का अधिवेशन होता है, उस समय एम.एल.ए. के लिए जो डिब्बा लगाया जाता है, वह ट्रेन में सबसे पीछे लगाया जाता है। इसके कारण वहाँ पर कभी कभी बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए आपके सामने यह समस्या रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी समस्या पर मंत्री महोदय तुरंत ध्यान दें और एक नई ट्रेन नांदेड़ से मुंबई के लिए होनी जरूरी है। नंदीग्राम एक्सप्रैस को नागपुर के बजाय यदि नांदेड़ या अकोला से चलाया जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। यही मांग करते हुए मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूँ कि मैंने जो मांगे रखी हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उनको पूरा करने में आप सहयोग दें। धन्यवाद।

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : आधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं रेल बजट की अनुपूरक अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहली बार हमारे ऊर्जावान रेल मंत्री जी ने एक ऐसा आदर्श रेल बजट प्रस्तुत किया है जो किसी राजनैतिक आधार पर न होकर सार्वभौमिक, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी है। जैसा कि भारतीय रेल के बारे में आम धारणा है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कटक तक रेल दिलों को जोड़ने का काम करती है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के "सबका साथ सबका विकास" के नारे को चरितार्थ करने वाला रेल बजट हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। अभी तक तो राजनैतिक आधार पर निर्णय लिये जाते थे, लोक लुभावन रेल बजट प्रस्तुत किये जाते थे जिसमें क्षेत्रीय संतुलन का सर्वदा अभाव रहता था। उसका खमियाजा आज भारतीय रेल को भुगतना पड़ रहा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि विकास के मामलों में जब सरकारों की तरफ से भेदभाव होता है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है। परिणामस्वरूप असंतोष उत्पन्न होता है और यही असंतोष आगे चलकर माओवाद और नक्सलवाद का रूप धारण करता है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ., वहाँ दो ज़िले हैं - श्रावस्ती और बलरामपुर। श्रावस्ती महात्मा गौतम बुद्ध की पावन तपोभूमि रही है और बलरामपुर इस देश के अभूतपूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है। हमारे पूरे क्षेत्र में एकमात्र रेल लाइन है जो गोंडा से लेकर बलरामपुर होते हुए बढ़नी तक जाती है। यह अभी तक लूप लाइन थी जिसको ब्राडगेज करने का काम अभी चल रहा है, जिसकी डैडलाइन जून में ही समाप्त हो चुकी है। जैसा कि अधिकारियों ने बताया था कि जून में ही कंप्लीट कर देंगे, लेकिन काम पूर्ण नहीं हो सका है। श्रावस्ती तो मैदानी क्षेत्र का एकमात्र जनपद होगा जहाँ एक सैंटीमीटर भी रेल की लाइन नहीं है, जिसके लिए आज़ादी से लेकर अब तक तमाम आंदोलन होते रहे हैं। 1952 में वहाँ से कांग्रेस के रफी अहमद किदवई जी सांसद चुने गए थे। उन्होंने कुछ प्रयास किया था। उस समय सर्वे भी हुआ था लेकिन तब से लेकर आज तक वह योजना बट्टे-खाते में पड़ी हुई है। तमाम आंदोलन हुए और चुनाव के पहले भी कई आंदोलन हुए। श्रावस्ती को रेल से जोड़ो नामक कई समितियों का गठन किया गया। क्षेत्रीय जनता के द्वारा चुनाव के पहले जंतर-मंतर पर आकर धरना-प्रदर्शन किया गया। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महाअभियान में अपनी सहभागिता देने का काम किया, इस आशा और विश्वास के साथ कि जो हमारी मांगें हैं श्रावस्ती को रेल से जोड़ने की, उसको हमारी नई सरकार जरूर पूरा करेगी।

मैं तत्कालीन रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने पहले रेल बजट में उत्तर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र नई परियोजना के सर्वेक्षण का आदेश किया था जो बहराइच से चलकर श्रावस्ती, बलरामपुर, उतरौला और डुमरियागंज होते हुए खलीलाबाद तक को जोड़ती है। उसके सर्वेक्षण का भी आदेश हुआ था लेकिन अभी तक कार्य प्रगति पर नहीं है। हालांकि हमारी जो मुख्य मांग थी, श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनगा को जोड़ने के लिए बहराइच से भिनगा सिसरिया होते हुए तुलसीपुर जोड़ने के लिए हमारी

मांग थी लेकिन चूँकि इस योजना में कई सांसदों का क्षेत्र सम्मिलित हुआ था, इसलिए विचार-विमर्श के उपरांत हमारे शरद त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं, आपका भी उसमें समर्थन था, हमारे पाँच सांसदों के क्षेत्र उससे कवर होते थे। इसलिए विचार-विमर्श के उपरान्त इस परियोजना को लेने का निर्णय रेल मंत्री जी ने किया था और उत्तर प्रदेश की एकमात्र नई रेल परियोजना के सर्वेक्षण का आदेश रेल मंत्री जी द्वारा किया गया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक वह कार्य अभी प्रगति नहीं ले पाया है और पिछले बजटों में तो खाली घोषणाएं कर दी जाती थीं, उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम नहीं किया जाता था, क्योंकि, रेल में बजटीय प्रावधान नहीं किया जाता था। 2009-10 के रेल बजट में एक परियोजना की घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री जी के द्वारा इसी सदन में की गई थी, वुढ़वल से बहराइच, बहराइच जो हमारा श्रावस्ती का निकटतम रेलवे स्टेशन है, हम लोगों को भी अपार प्रसन्नता हुई थी कि अगर वुढ़वल बहराइच रेलवे लाइन बन जाती है तो श्रावस्तीवासियों को भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पहुंचने का और राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने का सीधा साधन मिल जायेगा, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। बहराइच गोंडा जो लूपलाइन है, अभी भी लूपलाइन चल रही है, जबकि हमारी भारतीय रेल की योजना भी चरणबद्ध तरीके से सभी लूपलाइन और नैरोगेज को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने का तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी के समय में इसका शिलान्यास भी हो गया था। गोंडा बहराइच लूपलाइन को ब्रॉडगेज करने के लिए, लेकिन आज तक उस दिशा में भी कोई ठोस काम नहीं हो पाया है। मैं मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द ब्रॉडगेज करने का काम शुरू किया जाये। हमारे क्षेत्र की जो एकमात्र रेलवे लाइन है, गोंडा से बलरामपुर होते हुए बढ़नी, गोरखपुर तक जाती है, जिसका ब्रॉडगेज का काम अभी कम्पलीट नहीं हो पाया है, जून का डैडलाइन दी गई थी, लेकिन जुलाई भी बीत गई, उसको जल्द से जल्द पूरा करके वहां पर रेलगाड़ी परिचालन शुरू किया जाये। आदरणीय अटल जी कि जन्म दिन 25 दिसम्बर के अवसर पर भारतीय रेल ने एक तोहफा देते हुए उनकी जन्मभूमि ग्वालियर से उनकी कर्मभूमि बलरामपुर तक एक नई रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की थी, उसका मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनन्दन करता हूं, लेकिन बलरामपुर की चूंकि रेलवे लाइन अभी कम्पलीट नहीं हुई, इसलिए उसका अभी

गोंडा तक परिचालन हो रहा है। जब रेलवे लाइन कम्पलीट हो जाये तो उसको बलरामपुर से भी आगे बढ़ाकर के बढ़नी तक उसको संचालित किया जाये। ...(व्यवधान)

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई (अरणी): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।

माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में 1674.66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय दर्शाया गया है। मेरे अरानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, विल्लुपुरम - काटपाडी खंड तिरुचिरापल्ली डिवीजन के पोलुर यार्ड में एल.सी. नंबर 80 कि.मी. 99/100 -200 के पास कुड्डालोर - चिथुर राज्य राजमार्ग संख्या एस.एच. -9 पर एक ओवर ब्रिज की लंबे समय से मांग चल रही है। इस समपार पर यातायात का घनत्व बहुत अधिक है। तमिलनाडु सरकार ने आरओबी में निर्माण के लिए उपरोक्त समपार को प्रायोजित किया है। अपनी ओर से, हमारी प्रिय नेता माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने इस वर्ष की पहली तिमाही में स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। इसलिए मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना की प्रगति सुनिश्चित करें।

मैं इस अवसर पर रेल मंत्री का ध्यान तिंडीवनम से नागरी तक 180 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो वंदावसी, चेय्यार, अरानी, अर्काट, रानीपेट, पल्लीपट्टू को जोड़ेगी, जिसकी घोषणा वर्ष 2006-07 में की गई थी। इस प्रकार एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और यह तिंडीवनम, वंदावसी, अरानी, चेय्यार, अर्काट को जोड़ेगी। इसे सात साल से अधिक समय हो चुका है लेकिन इस संबंध में बहुत कम प्रगति हुई है।

यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक के साथ एक बैठक में, जिसमें कुछ सांसदों ने भी भाग लिया था, महाप्रबंधक ने कहा कि 70 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाली तिंडीवनम - तिरुवन्नामलाई नई रेलवे लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा करने में लगभग 80 वर्ष लगेंगे। जब मुझे यह जवाब

सुनकर आश्चर्य हुआ तो बताया गया कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। अब जब रेल मंत्री जी विशेष वाहन व्यवस्था के माध्यम से धन जुटाने की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए।

मैं रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने अपनी ओर से पहले ही हर संभव सहयोग प्रदान कर दिया है। इस रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इसलिए, इस परियोजना में देरी करने का कोई कारण नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से इस पर पूरी गंभीरता से विचार करने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): सभापति महोदय, अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेल) पर कुछ शब्द बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से पुष्करम की पूर्व संध्या पर राजामुन्दरी, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं।

रेल मंत्री ने सेवाओं की गुणवत्ता और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किए बिना रेलवे की समग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। यात्री किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे गरीबों को राहत मिली है।

मैं श्री सुरेश प्रभु जी को 'कायाकल्प' की घोषणा के लिए बधाई देता हूं, जिसका उद्देश्य रेलवे में व्यवसाय पुनःसंरचना और नवाचार की भावना लाने के लिए एक नवाचार परिषद की स्थापना करना है। इस तरह आप भारतीय रेलवे में अपनी पहचान बना सकते हैं।

मैंने देखा कि प्रस्तावित योजना परिव्यय 1,00,011 करोड़ रुपये है, जो 52 प्रतिशत की वृद्धि है। वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बर्थ कोटे में वृद्धि की गई है तथा यात्रियों के लिए आवंटन में भी 67 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

मुझे रेल मंत्री के एक और निर्णय की सराहना करनी है, वह यह है कि महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आईआरसीटीसी गांधी सर्किट को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है, ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। यह एक बहुत अच्छा निर्णय है। हर भारतीय को गांधी के बारे में जानना चाहिए। ये यात्राएं युवा भारतीयों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करेंगी।

स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्टेशनों और ट्रेनों को साफ रखने के लिए एक नया विभाग स्थापित करना एक स्वागत योग्य कदम है। रेलगाड़ियों में जैव-शौचालय और हवाई जहाज जैसे वैक्यूम शौचालय रेलवे को स्वच्छ रखने में मदद करेंगे।

कुछ अन्य अच्छे निर्णय हैं जिनकी घोषणा रेल बजट में की गई है। वे इस प्रकार हैं: अनारक्षित वर्ग के यात्रियों के लिए टिकटों की त्वरित खरीद सुनिश्चित करने के लिए 'ऑपरेशन फाइव मिनट्स' योजना; 200 और स्टेशनों को 'आदर्श स्टेशन योजना' के तहत शामिल करना; बी श्रेणी के स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा; नौ रेल कॉरिडोरों में ट्रेनों की गति को वर्तमान 110 और 130 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर क्रमशः 160 और 200 किलोमीटर प्रति घंटे करना; दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली और ट्रेन टकराव बचाव प्रणाली; 120 दिन पहले रेल टिकटों की बुकिंग, जो उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो पहले से अपनी योजना बनाते हैं; आईआरसीटीसी द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर रेलवे सेवाएं प्रदान करता है; एसएमएस अलर्ट सेवा, जो यात्रियों को प्रारंभिक या गंतव्य स्टेशनों पर ट्रेनों के अद्यतन आगमन और प्रस्थान समय के बारे में पहले से सूचित करने में मदद करती है; महिलाओं की सुरक्षा के लिए चयनित कोच और महिला डिब्बों में निगरानी कैमरे लगाना, जिससे गोपनीयता से समझौता किए बिना सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, यह भी एक अच्छा कदम है।

रेल मंत्री के इन सभी निर्णयों की निश्चित रूप से जनता सराहना करेगी। मैं काजीपेट और विजयवाड़ा के बीच तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के शुभारंभ तथा विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा के लिए रेल मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं।

मैं रेल मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के विभाजन से कई अप्रत्याशित कठिनाइयां आई हैं। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब तक सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती, वे आंध्र प्रदेश के प्रति उदारता बरतें। आंध्र प्रदेश के लोगों में यह भावना है कि रेल बजट में आंध्र प्रदेश को ज्यादा मदद नहीं दी जा रही है। आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ लंबित मुद्दे हैं: विजाग को रेलवे जोन घोषित करना; आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए समर्पित ट्रेन; विजयवाड़ा - निदादावोले - जग्गय्यापेट - विष्णुपुरम; काकीनाडा - पीथापुरम सहित रेलवे लाइनों का निर्माण और दोहरीकरण। गुंटूर-तेनाली मार्ग, ओबुलवारीपल्ले-कृष्णापट्टनम मार्ग पर कार्यों का रेल मंत्री के भाषण में उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि राज्य सरकार ने लाइनों के विकास के लिए लागत का

पचास प्रतिशत वहन करने पर सहमति व्यक्त की है। इन पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इन पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

अंत में, महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे आंध्र प्रदेश के लंबित मुद्दों पर अपना पूरा ध्यान दें तथा आंध्र प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान जम्मू-कश्मीर की ओर दिलाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है, जहां मां वैष्णो देवी जी का बहुत बड़ा देव स्थान है और साथ ही वहां जम्मू और कश्मीर की सुंदरता भी देखने को मिलती है। देश और पूरी दुनिया भर के लोग रेल के माध्यम से जम्मू पहुंचते हैं। वहां पर जो रेलवे स्टेशन है, उसमें टोटल तीन प्लेटफार्म हैं। वहां से रोजाना करीब 30 से 35 रेलगाड़ियां निकलती हैं। जो तीन प्लेटफार्म हैं, वे बहुत ही कम हैं। वहां तीन प्लेटफार्म और बढ़ाए जाएं और उसकी सुंदरता को भी बढ़ाया जाए।

इसके साथ ही मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर एक बहुत बड़ी एजिटेशन चल रही है। जम्मू और ऊधमपुर के बीच एक रेलवे स्टेशन मनवाल है। मनवाल रेलवे स्टेशन पर कुछ गाड़ियों के ठहराव की डिमांड हो रही है, क्योंकि बीच वाला जितना भी एरिया है, जितने ब्लॉक्स और तहसील हैं, वहां लोग चाहते हैं कि मनवाल रेलवे स्टेशन पर उत्तर संपर्क क्रांति, जम्मू मेल और श्री शक्ति, तीन ट्रेनों का वहां एक मिनट के लिए ठहराव हो, ताकि लोगों को जम्मू और ऊधमपुर न जाना पड़े और लोगों का परेशानियों का सामना न करना पड़े।

मैं रेल मंत्री जी से एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हरिद्वार पूरे देश का बहुत पवित्र स्थान है और जम्मू-कश्मीर की भी उससे आस्था जुड़ी है। जम्मू-कश्मीर के जितने भी लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए लोग हरिद्वार जाते हैं। उसके लिए एक ही ट्रेन है और उसके डिब्बे भी कम हैं। मेरी प्रार्थना है कि जम्मू से हरिद्वार तक एक ट्रेन और बढ़ायी जाए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू से पुंछ तक का रेलवे लाइन का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। यह बहुत पुरानी डिमांड है। इसके साथ ही कुछ जगह पर रेल क्रासिंग भी हैं, इसकी भी चिंता रेल मंत्री जी करेंगे। इतना कहते हुए मैं आपको और रेल मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी. हरि (अराकोन्नम): माननीय सभापति महोदय, हमारे महान राष्ट्र की जीवन रेखा रेलवे से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करता है, ताकि रेलवे के उद्देश्यों के लिए 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर खर्च की गई राशि को पूरा किया जा सके, जो उस वर्ष और उन सेवाओं के लिए स्वीकृत राशि से अधिक है।

उपरोक्त विषय पर चर्चा करते हुए, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान एक चल रही परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तिंदिवनम से नागरी तक की रेलवे लाइन परियोजना, विलुपुरम, तिंदिवनम, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर और तिरुवल्लूर से संबंधित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन पर कार्य बहुत पहले शुरू हो चुका है, लेकिन धन की कमी के कारण यह कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। विनियोग विधेयक की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से लागत में वृद्धि होती है। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि लागत में वृद्धि से बचा जा सके। अतः मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना के शीघ्र समापन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

एक और बात जो मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह है कांचीपुरम और अराकोन्नम के बीच तिरुमलपुर के रास्ते एक और ट्रैक बिछाना। वर्तमान में इस क्षेत्र में केवल एक ही ट्रैक है, जिसके कारण रेल परिचालन प्रभावित हो रहा है और आम जनता को असुविधा हो रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस क्षेत्र में एक अन्य रेलमार्ग को मंजूरी दें तथा इसके लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन करें।

माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि तिरुमाला-तिरुपति मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो विश्व भर के श्रद्धालुओं के साथ-साथ घरेलू श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करता है। इसलिए, इस मंदिर शहर को जाने वाली रेलवे लाइन हमेशा एक व्यस्त क्षेत्र बनी रहती है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे दक्षिण

रेलवे को अराकोन्नम और तिरुपति के बीच तिरुत्तनी होते हुए एक और ट्रैक बिछाने का निर्देश दें। वर्तमान में इस क्षेत्र में दोहरी लाइन है जो इन क्षेत्र के बीच चलने वाली ट्रेनों की आवृत्ति को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इस पर गौर करेंगे और तमिलनाडु के लोगों के हित में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, रेलवे के एक्सेस ग्रांट पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से बोलना चाहता हूं। रेलवे की महत्ता इस बात से देखी जा सकती है कि अलग रेलवे बजट बनाना ही इसकी महत्ता को दर्शाता है। मोदी साहब की सरकार ने इसकी महत्ता को देखते हुए, बहुत ही एनजैरटिक और एफिशिएंट मंत्री जी को यह मंत्रालय सौंपा है। जो यह दर्शाता है कि इसकी महत्ता को आज की सरकार कितनी तरजीह देती है। मैं समझता हूं कि रेल विभाग ने जो अपना नाम कमाया है, उसे और कैसे आगे ले जाया जा सकता है, वैसे तो हमारे मंत्री जी अच्छी सोच रखने वाले विजनरी व्यक्ति हैं किन्तु मैं भी उन्हें कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

यह कहा जाता है कि रेल विभाग में फायनैंशियल क्रंच आ रहा है, उसको कैसे दूर किया जाये, यह सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि लंबी रूट्स की ट्रेन्स घाटे में नहीं चल सकती हैं और न चल रही हैं। पैसेन्जर्स ट्रेन्स, जिनकी गिनती 200 से भी ज्यादा हो सकती है, वे घाटे में हैं क्योंकि उनकी रूट्स और खासतौर पर उनकी पंक्चुआलिटी नहीं होती है, उनमें सफाई नहीं होती है, लेकिन उसका दोष पैसेन्जर्स को दिया जाता है कि वे सफाई नहीं रखते हैं। उसके लिए रेलवे मंत्रालय को स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे उन रूट्स को लाभकारी बनाया जाये। उसके लिए सफाई और पंक्चुआलिटी बहुत जरूरी है। आजकल पैसेन्जर्स ट्रेन्स की पंक्चुआलिटी बहुत जरूरी है। बस ट्रांसपोटर्स भी मिल कर उनको आगे-पीछे कर देते हैं, उन पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। जैसे लंबी रूट्स की ट्रेनों का विश्वास बना है, पैंसेन्जर्स ट्रेन्स भी वैसे ही विश्वसनीय होने चाहिए।

हमारे गुड्स ट्रेन्स में ज्यादातर सरकारी माल जाते हैं, प्राइवेट माल कम जाते हैं। 80 प्रतिशत लोग ट्रकों के द्वारा अपना माल ले जाते हैं। मैं देखता हूं कि उनमें चोरी बहुत होती है। दूसरा जो क्लेम है, उसका सिस्टम हुत पेचीदा है। उनको बहुत देर तक क्लेम नहीं मिलता है। तीसरा, ट्रेन की पंक्चुआलिटी का भी सवाल है। कई

बार उसमें 8-10 दिन लग जाते हैं। कोई ऐसा सिस्टम बने जिससे गुड्स ट्रेन्स समय पर पहुंचे। मैं समझता हूं कि माल भाड़ा से रेलवे की आमदनी बढ़ सकती है।

इंक्रोचमेंट बहुत है। इनकी जमीन बहुत खाली पड़ी है, उनको कैसे यूज में लाया जाये? जमीन की मल्टिपल यूज के लिए योजना बनायी जाये। जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, उन पर मॉल्स बन सकते हैं। उनकी जमीन कॉमर्शियल यूज में लायी जा सकती है। माननीय मंत्री जी की जैसी सोच है, उससे रेलवे और आगे बढ़ सकती है। मैं उनका निजी तौर पर भी धन्यवाद करना चाहता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब एक ऐसा स्थान है, जिसकी देश में बहुत बड़ी महत्ता है। हमारे लोगों की जो मांग 60-65 सालों में पूरी नहीं हो पायी लेकिन, माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे बजट पास होने के बाद एक महीने के अंदर श्री आनंदपुर साहिब को श्री अमृतसर साहिब से जोड़ने के लिए ट्रेन चला दी। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। शहिद भगत सिंह जी का जो जद्दी गांव है, वहां आप स्वयं जाकर आयें। वहां के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करके उसे सुंदर बनाने के लिए काम चल रहा है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं जो प्रदेश के लोगों की जरूरत है। अंडर पैसेज जहां आरओबी हैं, उनके लिए पहले खुला काम होता था, अब थोड़ा संकोच में हो रहा है। प्रदेश सरकारों को हिस्सा डालने के लिए कहा जा रहा है। प्रदेश सरकारों के पास पैसे नहीं होते। कनैक्टिविटी की ज्यादा जरूरत होगी। लोगों के साधन ज्यादा बढ़ गए, रोड्स ज्यादा हो गईं। प्रदेश सरकारें कहती हैं कि रेलवे लाइन उनकी रोड्स को क्रॉस करती है, इसलिए रेलवे ही उसका खर्च दे, लेकिन रेलवे कहती है कि प्रदेश सरकारें दें। इसके लिए किसी भी प्रकार आमदनी का साधन बनाया जाए। सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को यही आ रही है कि अंडर पैसेज कैसे बने और आरओबी कैसे बने। उनमें केन्द्र सरकार, रेलवे विभाग कैसे हिस्सा डाले ताकि लोगों की मुश्किल दूर हो पाए।

मैं एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर एहसान नहीं किया बल्कि सारे देश पर किया है कि श्री आनंदपुर साहेब जैसी जगह

को रेलवे से जोड़ा है। चंडीगढ़ पंजाब की ही नहीं बल्कि हरियाणा की भी राजधानी है। उससे हिमाचल और जे एंड के भी जुड़ता है। राजस्थान के गंगानगर तक चंडीगढ़ से सीधी रेल लाइन जोड़ने के लिए केवल 20 किलोमीटर का गैप - मोहाली से राजपुरा - तक है। अगर वह बन जाए तो चार-पांच प्रदेश सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसे ही श्री आनंदपुर साहेब से ट्रेन जोड़ दी, लेकिन एक सीधी रेल लाइन भी बन सकती है। मैंने इन्हें सुझाव दिया था। मैं समझता हूं कि अगर उस पर अमल किया जाए तो अच्छा होगा।

मैं अपनी ओर से एक बार फिर रेलवे की एक्सैस डिमांड्स पर मंत्री जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस अत्यंत महत्वपूर्ण बहस में हिस्सा लिया। वास्तव में, यह 2012-13 के वर्ष के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग है। मैं सभी को परिप्रेक्ष्य याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने 2015-16 के वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया था। वर्ष 2014-15 भी समाप्त हो चुका है। यह मांग 2012-13 के वर्ष के लिए है और उन अतिरिक्त अनुदानों के लिए है जो पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान बहुत स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि सरकार केवल तभी धन खर्च कर सकती है जब उसे इस माननीय संसद के सदन द्वारा अनुमोदित किया जाए। कार्यपालिका केवल तभी धन खर्च कर सकती है जब इस सदन की अनुमति हो। कार्यपालिका आकस्मिक निधि से भी धन निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए भी स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं। प्रत्येक राशि जो कार्यपालिका खर्च करती है, उसे इस सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और तभी हम भारत की संचित निधि पर एक शुल्क लगाते हैं और धन निकाल सकते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब जिस धनराशि को इस माननीय सदन द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला है, वह वास्तव में संसद द्वारा पहले अनुमोदित नहीं की गई थी, लेकिन हमने उतना खर्च किया जितना वास्तव में तय किया गया था उससे अधिक। इसलिए, जैसा कि संविधान मांग करता है, यह मामला लोक लेखा समिति के पास गया और लोक लेखा समिति ने इस पर सहमति व्यक्त की। लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार को वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि अतिरिक्त व्यय की बार-बार होने वाली घटनाओं को न्यूनतम स्तर तक कम किया जा सके, यदि पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सके।

इसलिए, महोदय, हम एक कार्य कर रहे हैं जो हमारी सरकार से सीधे संबंधित नहीं है। हमारी सरकार को सत्ता में आए केवल 15 महीने हुए हैं। लेकिन हम दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, हम संसद के सुचारू संचालन में विश्वास करते हैं। हम यह भी मानते हैं

कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। हमारा भी यह मानना है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रहित बाकी चीजों से ऊपर हो। इसलिए, सब कुछ राष्ट्रीय हित के अधीन है। इसलिए मुझे आशा है कि सभा इसे मंजूरी देगा। लोक लेखा समिति ने भी कहा कि आप इसे सदन में लायें, इसलिए मैं वास्तव में इसे सदन के ध्यान में ला रहा हूं। मुझे यकीन है, आप इस पर ध्यान देंगे। यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली यह सरकार संसद के लोकतांत्रिक कामकाज के उच्चतम सिद्धांतों में विश्वास रखती है। इसलिए हम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।

महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस बहस में भाग लिया। कई सदस्यों ने केवल बीते वर्ष की ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की भी बात की। स्वाभाविक है कि हमें जीवन की ओर देखना चाहिए; जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अनेक सदस्यों ने वर्तमान वर्ष तथा आने वाले वर्षों के लिए कई नए विचार प्रस्तुत किए हैं। मैं संक्षेप में उन पर प्रतिक्रिया देना चाहूँगा।

जैसा कि आप जानते हैं, 26 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया था, जो मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट था। मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014-15 का ऑपरेटिंग अनुपात पिछले सात वर्षों में सबसे अच्छा रहा है। वर्ष 2014-15 का संशोधित ऑपरेटिंग अनुपात, जो इस सरकार का पूरा वर्ष है, पिछले सात वर्षों में बी.ई. के मुकाबले सबसे बेहतर है। यदि आप चाहें तो मैं इसके विस्तृत विवरण भी प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय मित्र श्री तथागत सत्पथी जी ने इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। यदि आप चाहें तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता सकता हूँ।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष हम अब तक का सर्वाधिक 1983 किलोमीटर लम्बा बुनियादी ढांचा तैयार कर सके। यह हमारा दावा नहीं है कि एक साल में हमने इसे बनाया। हम यह कह रहे हैं कि हमने इसे एक वर्ष के लिए चालू किया है। तो, जाहिर है कि यह चल रहा था। यह कई वर्षों से चल रहा था; आप एक वर्ष में नई लाइन नहीं बना सकते। यह किसी का दावा नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अब तक की सर्वोच्च

पूर्णता दर हासिल कर सकें। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमने वे सभी मुद्दे सामने रखे हैं जो ऐसा करने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार, 1983 किलोमीटर कुल लाइनें बनाई गईं, जो अब तक की सर्वाधिक है; 1375 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण पूरा किया गया, जो अब तक की सर्वाधिक है; 723 किलोमीटर दोहरीकरण का काम पूरा किया गया तथा हम 1320 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा सके।

महोदय, पूर्वोत्तर से जुड़ने के लिए - वहां मेरे कई मित्र हैं - कल प्रधानमंत्री ने हमारे अच्छे मित्रों नागाओं के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कोई अकेली घटना नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ कोई लाभ कमाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं; यह पूर्वोत्तर विकास की हमारी समग्र रणनीति का हिस्सा है। हम महसूस करते हैं कि भारत का जो हिस्सा उपेक्षित रहा है, उसे एकीकृत किया जाना चाहिए और इसलिए, महोदय, इस वर्ष हमने कहा है कि बराक घाटी को ब्रॉड गेज के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगले कुछ दिनों में, हम वास्तव में यात्री ट्रेन शुरू करेंगे। अरुणाचल प्रदेश को नाहरलुगन, ईटानगर के माध्यम से जोड़ा गया है; मेघालय को मेंदीपाथर के माध्यम से जोड़ा गया है तथा मिजोरम के लिए नए रेल मार्ग की आधारशिला रखी गई है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हम अपनी सभी महत्वपूर्ण आठ बहनों को आपस में जोड़ सकें। वहां सात बहनें थीं, हमने सिक्किम को जोड़ दिया और अब हमारी आठ बहनें हो गयीं। इसलिए, हम इन बहनों में विश्वास करते हैं; हमारा मानना है कि बहनों को केवल राखी के दिन ही याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बहनों को हमेशा याद किया जाना चाहिए। इसलिए हम वास्तव में इसे आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपको बजट रणनीति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैं फिर से बजट के बारे में बात नहीं करना चाहता, बल्कि केवल कार्यान्वयन भाग के बारे में बात करना चाहता हूं। पहली तिमाही में, अर्थात् अप्रैल से जून तक, हमारा कुल अनुमानित व्यय 13,000 करोड़ रुपये था। हमने वास्तव में 17,734 करोड़ रुपये खर्च किये हैं जो आनुपातिक बजट का 134 प्रतिशत है। हमने वास्तव में इस समस्त पूंजीगत व्यय को दोगुना कर दिया है, जो बजट आंकड़े का 125 प्रतिशत है। नई लाइन बजट का 130 प्रतिशत है। आमान परिवर्तन बजट का 108 प्रतिशत है। इस वर्ष विद्युतीकरण के लिए बजटीय राशि 967.61 करोड़ रुपये है जो कि बजटीय राशि

का 116 प्रतिशत है। यह वास्तव में खर्च की गई राशि है। साथ ही, ट्रैक नवीकरण बजट का 140 प्रतिशत है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धन खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे के पास बड़ी जिम्मेदारी है और मैं यह नहीं बताना चाहता कि हमने कितनी नई लाइनें बिछाई हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं एक मुद्दे पर बात करना चाहूंगा जिसे मेरे अच्छे मित्र श्री चंदूमाजरा ने उठाया है। वह मेरे सच्चे मित्र हैं और वह गुरुद्वारे से लाया गया *लंगर प्रसाद* भी मेरे साथ बांटते हैं। उनके आशीर्वाद से, हमने 54,834 करोड़ रुपये की कुल लागत से 1,300 आर.ओ.बी. और 5,554 आर.यू.बी. का कार्य तेजी से पूरा किया है। नये कार्यों की स्वीकृति में पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना वृद्धि हुई।

यात्री सुविधाओं के लिए हमारा लक्ष्य 154 करोड़ रुपये है और हमने अब तक 160 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। मैं इन सब के विवरण में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यहां यह मुद्दा उठाना चाहूंगा कि हम इस तिमाही के लिए निर्धारित बजट से अधिक पूंजीगत व्यय कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले नौ महीनों में हम लक्ष्य से आगे बढ़ जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हम वास्तव में अर्थव्यवस्था को गति देंगे तथा अपने सभी वादे पूरे करेंगे। मैं सिर्फ प्रत्येक बजट की समीक्षा कर रहा था। घोषणाओं को कार्य-बिन्दु में परिवर्तित कर दिया गया है। ई-समीक्षा के माध्यम से इसकी नियमित निगरानी की जाती है। मुझे आज यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पहले तीन या चार महीनों में ही बजट की 79 मदों को क्रियान्वित किया जा चुका है। यह सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप इसे वहां देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद सूची दूंगा।

हमने अब तक के सबसे बड़े जनसंपर्क कार्यक्रमों में से एक का आयोजन किया है। हम इसे रेलयात्री पखवाड़ा कहते हैं। यह रेल यात्रियों के लिए पखवाड़ा है, जो 26 मई से शुरू होकर 9 जून तक चलेगा, जो इस सरकार की पहली वर्षगांठ है। यह 15 दिनों के लिए था। इस अवधि में अकेले यात्री सुविधाओं के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत की 233 बड़ी परियोजनाएं शुरू की गईं या पूरी की गईं। यात्री सुविधाओं से संबंधित लगभग 550 करोड़ रुपये की 73 परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ।

अपराह्न 4.02 बजे [श्री रामेन डेका *पीठासीन हुए*]

मेरे अच्छे मित्र गोपाल शेट्टी मुझसे एन.जी.ओ. के बारे में पूछ रहे थे। रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से लगभग 7 मिलियन यात्रियों से संपर्क किया गया। सभी प्रकार के गैर सरकारी संगठनों, चाहे वे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, धार्मिक संगठन या कोई अन्य गैर सरकारी संगठन हों, उनसे संपर्क किया गया और उन्हें यहां लाया गया। लगभग 7,500 सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाए गए। इसके परिणामस्वरूप, मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि रेलवे में बदलाव आया है, बल्कि मैं यह दावा कर रहा हूं कि रेलवे में सुधार हुआ है। मुझे इसके बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर हर दिन बहुत सारे संदेश मिलते हैं। मैं कई स्टेशनों और अन्य स्थानों की तस्वीरों को देखकर भी आश्चर्यचकित हूं जो पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें लंबा रास्ता तय करना है लेकिन हमने बस एक शुरुआत की है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह पहली तिमाही है। यह पहली बार है जब मैं त्रैमासिक प्रतिवेदन बना रहा हूं। यह पहले नहीं किया गया है। मैं इसे एक अभ्यास बनाऊंगा। हम रेलवे के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करेंगे। गहन सुरक्षा अभियान के तहत रेलवे अधिकारियों द्वारा लगभग 8,500 निरीक्षण किए गए हैं। 30.05.2015 से 20.06.2015 की अवधि के दौरान लगभग 4000 खानपान सेवाओं की जांच की गई थी। लगभग 4,600 गहन टिकट चेकिंग अभियानों से 9 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह एक बहुत व्यापक पखवाड़ा था जिसमें हमने सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। हमारे पास इस पर एक फिल्म भी उपलब्ध है। यदि आप अनुमति दें, तो मैं यह फिल्म सभी माननीय सांसदों को ई-मेल कर दूँगा ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें।

जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने बजट घोषणाएं की हैं। उनमें से कई को पूरा कर लिया गया है। मैं सिर्फ उनमें से कुछ के बारे में बात कर रहा हूं। माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। उनमें से एक स्वच्छता के बारे में है। हमने लगभग 1500 रेलगाड़ियों में ई-केटरिंग सेवा शुरू कर दी है। यह यात्रियों को एक विकल्प प्रदान करता है। पहले आपको रेलवे द्वारा परोसा जाने वाला भोजन खरीदना पड़ता था। अब, ई-केटरिंग किसी भी स्थान से भोजन ऑर्डर करने के लिए यात्री को एक संभावना या विकल्प प्रदान करता है। हमने यात्रा के दौरान

यात्री से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक ऐसा कार्यक्रम भी है जिसमें हम उनकी यात्रा पूरी होने के बाद उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। हर दिन हम यह पता लगाने के लिए लगभग 4 लाख कॉल करते हैं कि यात्री इसके बारे में क्या महसूस करता है। यदि उसे अपनी यात्रा के दौरान कोई समस्या हो रही है, तो हम सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। यह एक नया कार्यक्रम है जिसे हमने शुरू किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए यह चल भी रहा है।

अब मैं लॉन्ड्री के प्रश्न पर आ रहा हूँ। इस विषय पर कई लोगों ने चर्चा की, जिनमें मेरे महाराष्ट्र से आए मित्र भी शामिल हैं। मैं उनसे सहमत हूँ। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने मशीनीकृत लॉन्ड्री शुरू की हैं। इस वर्ष हमने पहले से स्थापित 35 लॉन्ड्रियों के अतिरिक्त दो या तीन नई लॉन्ड्री शुरू की हैं। आगे आने वाले कुछ वर्षों में हम कम से कम 22 और नई लॉन्ड्री शुरू करने जा रहे हैं।

हमने कुछ नए विचार भी लागू किए हैं, जिनका उल्लेख मेरे मित्र श्री गोपाल शेट्टी ने किया। पहले लोगों को पानी की बोतल खरीदनी पड़ती थी। मैंने अपने बजट भाषण में बताया था कि हम एक नई व्यवस्था शुरू करेंगे, जिसके तहत लोग पानी को जरूरी नहीं कि बोतल में ही खरीदें, बल्कि वेंडिंग मशीन के माध्यम से भी खरीद सकेंगे। हमने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। इसके लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा पहले ही टेंडर आवंटित किए जा चुके हैं। अब अगले चरण में हम और भी अधिक स्टेशनों को कवर करेंगे। तब लोगों को 10 या 15 रुपये में बोतलबंद पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे इसे बहुत कम कीमत पर प्राप्त कर सकेंगे। इससे लोगों का पैसा बचेगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जो इन मशीनों का संचालन करेंगे।

हमने आरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। अब आई.आर.सी.टी.सी. पोर्टल पर सैकड़ों शिकायतें हैं। हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बदल दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि यह वास्तव में एक सहज अनुभव है। अब कुछ ही मिनटों में टिकट बुक किया जा सकता है। यह नई बात है जो हमने शुरू की है।

मुझे पता है कि कई माननीय सदस्यों ने पहले यह मुद्दा उठाया था और पूछा था: "खर्च करने के लिए धनराशि कहाँ से आएगी?" हमने एलआईसी के साथ 1,50,000 करोड़ रुपये का समझौता किया है। इस वर्ष के बजट में 17,000 करोड़ रुपये की कमी थी। एलआईसी का यह समझौता हमें अगले पांच वर्षों में 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का अवसर देता है। इसलिए यदि हमारे पास परियोजनाएँ हैं, तो हम उन्हें लागू कर सकते हैं।

कुछ लोगों ने मानव संसाधन के बारे में उल्लेख किया। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही मानव संसाधन लेखा परीक्षा कर रहे हैं कि इस पहलू से संबंधित इन सभी मुद्दों का समाधान किया जाए।

जहां तक लेखांकन का संबंध है, बिबेक देबरॉय समिति द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं। हम पहले से ही उनमें से कुछ को क्रियान्वित कर रहे हैं, जैसे लेखांकन सुधार, प्रतिनिधिमंडल, कुछ क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना। हमने संयुक्त उद्यम भी किये हैं। आप में से कई जानते हैं कि 17 राज्य हमारे साथ संयुक्त उद्यम करने के लिए सहमत हुए हैं। इसका क्या मतलब होगा? आजकल परियोजनाओं का क्रियान्वयन केवल रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब हम राज्य सरकारों की भागीदारी से परियोजनाओं को लागू कर सकेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे के लिए पूंजी के रूप में अपने बजट से 10,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। यह अभूतपूर्व है। महाराष्ट्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की राशि रखी है। इसी प्रकार, अन्य राज्यों में भी हमारा यही अनुभव है। ओडिशा की सरकार भी ऐसा कर रही है। मैं आपको सिर्फ यह उदाहरण दे रहा हूं। सभी 17 राज्य अपने बजट से पैसा अलग रखने पर सहमत हुए हैं। उस धन को हमारी पूंजी के साथ इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित धन से हम महाराष्ट्र राज्य में 80,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित कर सकें। हम ओडिशा में भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह सिर्फ निर्णय और सहमति मात्र नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, मुहर लगाई जाती है और इसे वितरित किया जाता है। ओडिशा के मामले में, हमने पहले ही ऐसे तीन सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं और हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं।

हमने पहले ही अधिकांश शक्तियां महाप्रबंधक और डी.आर.एम. जैसे स्थानीय पदाधिकारियों को सौंप दी हैं ताकि वे ऐसा कर सकें। हमने बंदरगाह संपर्क परियोजनाएं शुरू कीं। हमारे पास पहले से ही ऐसी तीन परियोजनाएं हैं। एक, दिघी बंदरगाह को जोड़ने के लिए है; दूसरा, जयगढ़ बंदरगाह को जोड़ने के लिए है; और तीसरा, गांधीधाम और संभवतः गुजरात के बंदरगाह के बीच है।

हम अभी भी जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं – मुझे यह स्वीकार करना होगा – उनमें से एक है समयपालन की समस्या। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली कई ट्रेनों में यह समस्या है। दिल्ली और कोलकाता के बीच के खंड में भी हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि इस खंड की क्षमता 150 प्रतिशत तक अत्यधिक उपयोग हो चुकी है। एक ही मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या अधिक होने से कई कठिनाइयाँ हो रही हैं। बीच में हमें दोहरी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इटारसी में एक दुर्घटना हुई, जिसमें पूरा आरआरआई पैनल जल गया। रिकॉर्ड समय में हमने उसे बहाल कर दिया, लेकिन इससे समस्याएँ हुईं। इसके अलावा राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ, जिससे फिर से ट्रेनों में व्यवधान आया और देरी हुई। यह समस्या – ट्रेनों में देरी – अब भी एक चुनौती बनी हुई है। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। इसमें सुधार हुआ है, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि ट्रेनों के संचालन में समयपालन अवश्य लाया जाए। इसका समाधान क्षमता वृद्धि है। आप केवल तभी क्षमता बढ़ा सकते हैं जब डबलिंग और ट्रिपलिंग परियोजनाएँ पूरी हों। इन परियोजनाओं को पूरा करने में समय लगता है। इसलिए हम इन परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक पर डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। जब यह होगा, तब हम न केवल इन परियोजनाओं को पूरा कर पाएंगे बल्कि समयपालन भी बेहतर ढंग से ला सकेंगे।

मेरे कुछ मित्र बुलेट ट्रेन के बारे में जानना चाहते थे। हम कई क्षेत्रों में योजना बना रहे हैं लेकिन यह ऐसा काम है जो आम आदमी की सेवाओं की कीमत पर नहीं हो रहा है। आम आदमी को सर्वोत्तम सेवाएँ मिलेंगी। बजट केवल उन पर ही केन्द्रित था। यह विचार कई वर्षों से चल रहा था, केवल हमारी सरकार द्वारा ही नहीं। लेकिन हम व्यवहार्यता का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन के लिए हमारे पास जे.आई.सी.ए., जापानी सरकार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट है। हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

हम एक नई प्रणाली लागू करने का प्रयास कर रहे हैं – मुख्य परिणाम क्षेत्र– जिसे महाप्रबंधक, डीआरएम और स्टेशन मास्टर के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा, ताकि कोई यह न कह सके कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार, किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी। हम जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं ताकि अधिकारी उसे अपने ऊपर लें और उसका निर्वहन करें।

मुंबई के मामले में, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि मुंबई में 75 लाख यात्री हर रोज यात्रा करते हैं। यह किसी भी शहर में सबसे अधिक संख्या है और वास्तव में, यह मुंबई की जीवन रेखा है। इस खंड में रेलवे को भारी नुकसान होता है। यह धारणा है कि रेलवे पैसा कमाता है, लेकिन इस विशेष खंड में रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा विचार है कि मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-III के माध्यम से मुंबई की प्रणाली में सुधार किया जाए, जो बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करती है। हमने पहले ही महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया है और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो मैं यहीं, इस सदन के पटल पर घोषणा करता हूं कि हम मुंबई परिवहन प्रणाली के लिए एक पोर्टल बनाएंगे। हर कोई समाधान के बारे में अपने विचार दे सकता है। यदि वे बेहतर होंगे, तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे और लागू करेंगे। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे। हम मुंबई के लिए जितना संभव है, उतना करने का प्रयास कर रहे हैं।

स्टेशन विकास के बारे में बात की गई। हमारे पास विचार हैं और हम दो-तीन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक तो यह है कि रेलवे स्वयं कुछ स्टेशनों का विकास करेगा। कैबिनेट ने 400 स्टेशनों, जो सभी ए और ए1 श्रेणी के स्टेशन हैं, को एक बहुत ही पारदर्शी प्रणाली के तहत विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कोई भी आकर इसके लिए बोली लगा सकता है और बोली की प्रक्रिया वेबसाइट पर डाली जाएगी। यह सबसे पारदर्शी अभ्यास होगा। मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि इस खबर को सब तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें। इससे हमें सबसे कम समय में अधिकतम लाभ मिलेगा और कुछ राजस्व भी प्राप्त होगा, जैसा कि मेरे मित्र प्रो. चंदूमाजरा ने कहा।

यह शिकायत की गई कि कुछ कार्यक्रमों में सांसदों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा। मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। मैंने अपने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि माननीय सांसदों को वह सम्मान नहीं दिया गया, जिसके वे हकदार हैं, तो हम व्यक्तिगत कार्रवाई करेंगे। यह एक स्पष्ट निर्देश है और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। हमने एक कदम आगे बढ़ते हुए क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सांसद करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ होगा।

कुछ माननीय सदस्य: धन्यवाद।

श्री सुरेश प्रभु: मैंने यह काम पहले ही कर लिया है ताकि आप अपने मन में आए विचारों पर काम कर सकें और उन्हें क्रियान्वित कर सकें। आप इसकी निगरानी करेंगे। यह पहले ही तय हो चुका है।

हमने आरक्षण के विषय में भी निर्णय लिया है। इस संबंध में मेरा पत्र आपको प्राप्त हुआ होगा। मुझे पता है कि सांसदों की यह शिकायत रहती है कि जब वे आरक्षण कराने का प्रयास करते हैं और पत्र भेजते हैं, तो इसमें कठिनाई होती है। मैंने कहा था कि इसमें कुछ दुरुपयोग भी हुआ है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सांसद का नाम किसी गलती के बिना खराब हो। इसलिए, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पर सही तरीके से काम हो। मुझे कई सांसदों से इसकी पुष्टि मिली है। कुछ को यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा। यदि किसी को पत्र नहीं मिला है तो मैं उन्हें पुनः भेजूंगा। लेकिन, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।

ऊर्जा के संबंध में मेरे अच्छे मित्र श्री ओम बिरला ने एक बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है - क्यों न हम स्वयं अपनी ऊर्जा उत्पन्न करें। दरअसल, मैं आपको बता दूं कि जब मैं ऊर्जा मंत्री था और श्री नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि हम एक संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। इसलिए, हम बिहार में नबीनगर परियोजना नामक एक परियोजना स्थापित कर रहे हैं, जिसका स्वामित्व रेलवे और एन.टी.पी.सी. के पास संयुक्त रूप से होगा। लेकिन हम विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, अगले कुछ दिनों में हम एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि हम इनमें

से कुछ परियोजनाओं के संयुक्त मालिक बन सकें। सुबह मैंने एक कार्यक्रम में भाग लिया; और हम सभी रेलवे परिचालनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार, सौर ऊर्जा का अधिकतम उत्पादन किया जा सकेगा। ऊर्जा हमारा प्रमुख क्षेत्र है। इसलिए हम इस पर भी काम कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने पुलिस के बारे में कहा -- जी.आर.पी. को क्यों नहीं लाया गया? [हिन्दी] आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि संविधान के तहत कानून और सुव्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। इसीलिए यदि हम उसमें कुछ करना चाहेंगे तो राज्य सरकार की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को खत लिखा था, उनसे विनती की थी कि आप यह जिम्मेदारी हमें दीजिए ताकि एक सिमिलर पॉलिसी होगी। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपकी राय और आपका सुझाव बिल्कुल सही है कि सही मायने में इसको ज्यादा करना चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं जो हम पूरे पीरिएड में अमल में लाएंगे कि हमारे देश में जितने भी अलग अलग तरह के रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका एक इंफ्लुएंस लोगों के ऊपर होता है। वे हमारे अलग अलग धर्म से जुड़े होंगे। हिन्दू होंगे, मुस्लिम होंगे, जैन होंगे, ईसाई होंगे या सिख होंगे, उन सभी से मैंने विनती की है कि आप सभी लोग आइए और हम साथ मिलकर रेल को साफ करने का काम करेंगे तथा यह कार्यक्रम बहुत ही जल्दी होगा और यह कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में ही करने की हमें उम्मीद है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था, जैसे हमारे जगदम्बिका पाल जी ने सुझाव दिया था कि वर्ष 2012 में इतना ज्यादा खर्च हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014-15 में हमने एक भी एक्सैस एमाउंट खर्चा नहीं किया।

सभापति जी, ओडिसा के कुछ लोगों ने सुझाव दिया था, उसके बारे में मैंने बता दिया है। ओम बिरला जी ने कोटा क्षेत्र की बात कही है, उसके बारे में भी जरूर ध्यान रखेंगे। टीडीपी के राव साहब ने कहा है कि स्पेशल ट्रेंस चलाई गईं। ऐसा करके हमने कोई उपकार नहीं किया है बल्कि यह हमारा फर्ज था। हमें काम करना ही चाहिए। ओडिसा में जब जगन्ननाथ जी की यात्रा थी, तब भी हमने ऐसा किया था। आपने एक नए पर्व के बारे में भी कहा है, उसके लिए भी हम ट्रेंस चलाएंगे। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के लिए भी 240 से ज्यादा ट्रेंस देंगे।

जैसा गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि बूट पालिश करने वालों के लिए समस्या है। बूट पालिश करने वाले भी हॉकर्स हैं। जो आम जनता ट्रेवल करती है, उनकी राय है कि एक भी हॉकर को आने नहीं दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हॉकर्स को ज्यादा लाइए। इसे बैलेंस करने की जरूरत है। यदि हम कहें कि सभी हॉकर्स ही चलेंगे तो भी यात्रा करने वालों को तकलीफ होगी और अगर हॉकर्स को नहीं आने दिया तो उन्हें तकलीफ होगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने ज्वायंट ग्रुप बनाया है। पांच मिनट में टिकट के लिए भी हमने आभियान शुरू किया है। इसका इम्प्लिमेंटेशन हो रहा है। शर्मा जी ने जम्मू-कश्मीर के बारे में कहा है। आपको पता होगा, तीन-चार दिन मैंने जम्मू, खासकर कश्मीर वैली का दौरा किया। वहां के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में जा कर उसे देखने की कोशिश की। जम्मू में भी जरूर जाऊंगा। माजरा जी का कहना भी सही है कि गुड्स ट्रेन का टाइम टेबल ही नहीं है। गुड्स ट्रेन को अहम स्थान देने के लिए डेडीकेटिड फ्रेट कोरिडोर है, वह जितनी जल्दी पूरा होगा, तब हम गुड्स ट्रेन का भी टाइम टेबल कर सकेंगे। आपकी राय सही है कि निजी क्षेत्र से जो माल जाता है, उसे जब तक अपने पास नहीं लाएंगे तब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी। ऐसा करने के लिए हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, रिलायबिलिटी लानी पड़ेगी और चोरी न हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन तीनों चीजों पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर में पिछले छह महीने में टेंडर इश्यू किए, केपिटल एक्सपेंडिचर किया। जब से डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर शुरू हुआ है, तब से ऐसा नहीं हुआ था। अगले 9 महीने में हम सबसे ज्यादा टेंडर देंगे। 82 हजार करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। केबिनेट ने एप्रूवल दिया है। उसका लाभ यह भी होगा कि यह सिर्फ गुड्स ट्रेन्स के लिए नहीं है। जब गुड्स ट्रेन्स ट्रैक से चली जाएंगी तो पैसेंजर ट्रेन्स पूरी स्पीड से चल पाएंगी। इसका दोहरा लाभ हमें मिलेगा।

यह बात भी सही है कि एनक्रोचमेंट की भी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारें हमारी इस काम में मदद करें ताकि आगे आने वाले दिनों में इस समस्या से निजात पाई जा सके। आज डिजिटल मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है ताकि आगे से जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसके बारे में पता चल सके। हमारे तमिलनाडु के मित्रों ने काफी अच्छी बात कही है। हम यह भी बताना चाहते हैं कि अम्मा के आशीर्वाद से

तमिलनाडु में अच्छा काम चल रहा है। हम जरूर चाहेंगे कि तमिलनाडु के प्रोजेक्ट्स पूरे हों। आपको सुन कर खुशी होगी कि वर्ष 2008 में 900 करोड़ का बजट था वर्ष 2009-2010 में छह सौ करोड़ रुपये था वर्ष 2010-2011 में आठ सौ करोड़ रुपये था उसे हमने बढ़ाकर वर्ष 2015-2016 के बजट में 1452 करोड़ रुपये [अनुवाद] हमने तमिलनाडु राज्य के लिए इसे 809 करोड़ रुपये से बढ़ाकर निर्धारित किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम इससे बहुत खुश हैं। हम इससे और अधिक चाहते हैं और इसलिए मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे हमें और अधिक परियोजनाएं शुरू करने में मदद मिलेगी। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अंत में तमिलनाडु 29 राज्यों में से एक है। हम ओडिशा जैसे सभी राज्यों के साथ न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि इस बजट में उन्होंने पहले से कहीं अधिक कल्पना की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ओडिशा खुश है क्योंकि वे अधिक चाहते हैं।

तमिलनाडु को अपेक्षाकृत अधिक धनराशि मिली है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें उनकी सारी माँगें पूरी हो गई हैं। फिर भी उन्हें इसे सापेक्ष रूप से देखना चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने वादे पर खरे उतरें, हम एक कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार भी भागीदार होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा।

इसलिए, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आप सभी के माध्यम से फिर से जनता के करीब पहुंच सकूं और उन्हें यह बता सकूं कि हमने कितनी प्रगति की है। अतः, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इस विधेयक को पारित कराने में आपके और अधिक समर्थन की आशा करता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अब मैं वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि आदेश पत्र के तीसरे स्तंभ के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशि से अधिक न होने वाली संबंधित अतिरिक्त धनराशि भारत के राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से प्रदान की जाए, ताकि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों में हुई अधिकता की पूर्ति की जा सके, जो मांग संख्या 8, 10 और 13 के विरुद्ध दूसरे स्तंभ में दर्ज की गई मांगों के संबंध में है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अपराह्न 4.23 बजे</u>

विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2015[16*]

माननीय सभापति: मद संख्या 20 – माननीय रेल मंत्री।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेल के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेल के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित[17**] करता हूं।

माननीय सभापति: मद संख्या 21 – माननीय रेल मंत्री।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

16* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2 में दिनांक 4.8.2015 में प्रकाशित।

17** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

"31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेल के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेल के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

प्रश्न यह है:

"वह खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

यह विधेयक पारित किया जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

यह विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.

माननीय सभापति : अब हम मद संख्या 22 - श्री थावर चंद गहलोत पर विचार करेंगे।

<u>अपराह्न 4.25 बजे</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव[18*] करता हूं :

"कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

सभापति महोदय, यह कानून वर्ष 1989 से बना हुआ है और कानून लागू भी है, बहुत बार ऐसी घटना होने की जानकारी मिलती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय-अत्याचार की घटनाएं होती रहती हैं। कोर्ट में केसेज चलते हैं, कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है और उसके कारण ऐसा महसूस किया जाने लगा कि वर्ष 1989 के कानून में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। बिल पर विचार-विमर्श किया गया, वर्ष 2013 में यह बिल लोक सभा में प्रस्तुत हुआ, किन्तु उस समय चर्चा में नहीं आ सका और पारित नहीं हो सका। उसके बाद वर्ष 2014 में फिर से इस बिल को प्रस्तुत किया गया। यह बिल संसदीय स्थायी समिति के पास भी गया, संसदीय स्थायी समिति ने उस पर गंभीरता से विचार करके अपना प्रतिवेदन भी दिया। इस बिल में सामान्यतया कुछ नई परिभाषाएं शामिल की गयी हैं, मौजूदा धाराओं की शब्दावली में कुछ परिवर्तन

[18*] राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

किया गया है, पुनर्वास के क्षेत्र को विस्तारित करने की बात कही गयी है, संस्थागत सुदृढीकरण की बात भी इसमें कही गयी है, अपील के संबंध में नियमों में कुछ सुधार करने की बात कही गयी है, पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों को सुदृढ़ करने की कोशिश की गयी है, निरोधक उपायों को भी सुदृढ़ करने का इसमें प्रावधान है। मैं मानता हूं कि यह बिल पारित होने के बाद जब कानून बनेगा तो देशहित में होगा, जनहित में होगा, छुआछूत का जो वातावरण आज यदा-कदा दिखाई देता है, उसे समाप्त करने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। इस देश में समरसता की महती आवश्यकता है और समरसता के लिए कानूनी प्रावधान भी होना चाहिए और साथ ही समन्वय का वातावरण भी बनना चाहिए, तभी समरसता आ सकती है। इन उद्देश्यों को लेकर इस बिल में प्रावधान किए गए हैं। मैं इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ कहूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। विचार-विमर्श के बाद अंत में जब जवाब देना होगा, उस समय अगर कोई बात आएगी तो उसके संबंध में मैं जानकारी दूंगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : धन्यवाद सभापति महोदय।

महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने के लिए लाया गया है, बहुत ही स्वागतयोग्य है। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए 12 दिसम्बर, 2013 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तथापि इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी। आज इस पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही, मैं माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चन्द गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिल को आज प्रस्तुत किया है और आज इस पर चर्चा हो रही है।

मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी। वह इस बात का उल्लेख जनता के बीच में चुनावों के समय करते थे और फिर सरकार बनने के बाद भी कहते हैं कि हमारी सरकार गरीबों के हित के बारे में काम करेगी। उसी बात को दृष्टि में रखते हुए यह बिल यहां पेश किया गया है। गरीबों को ध्यान में रखकर ही इस सरकार की नीतियां बन रही हैं और कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मोदी जी की मौजूदा सरकार इस बिल को लेकर आई है, यह उस वर्ग के लिए है जो इस देश की 25 प्रतिशत आबादी है और जो हजारों वर्षों से पीड़ित रही है। खासकर अस्पृश्यता का वातावरण इस देश में बना रहा और हमारे समाज में इसे एक कलंक कहा जा सकता है। उसे समाप्त करने के लिए यह बिल 2013 में लाया गया था, जो 1989 का अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने से सम्बन्धित है। यह जो बिल यहां कानून बनने के लिए पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि यह सामयिक भी है और जरूरी भी है।

आज इस बात का हमें खेद है कि सामने की बैंचों पर जो लोग इस देश में 50-60 साल तक राज करते रहे, जिन्होंने दलितों की वजह से अपनी कुर्सियां बचाए रखीं और प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री बने, उस कांग्रेस पार्टी ने लगातार इन वर्गों का प्रयोग अपने हित में किया और काम उनके लिए कुछ भी नहीं किया। दलितों के लिए केवल मात्र इतना किया कि उन्हें वोटों की राजनीति बनाए रखा। आज इस विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है, जिसे पिछली सरकार 2013 में नहीं ला सकी थी। जब आज यह बिल सदन में आया है चर्चा के लिए तो हमारे सामने की बैंचें खाली हैं। वे लोग नहीं चाहते कि देश की 25 प्रतिशत आबादी जो दलित वर्ग की है, जिन पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा हो और कोई ठोस कानून उनके हितों के लिए लाया जा सके। मैं समझता हूं कि वे हाउस में नहीं हैं, जिस प्रकार से वे सदन में व्यवधान डालते रहे, जनता उसे अच्छी तरह समझ चुकी है। प्रधान मंत्री जी और इस सरकार ने जो यह बिल पेश किया है, उसमें वे योगदान नहीं करना चाहते, ऐसा मेरा मानना है।

यह जो कानून है, इसकी आवश्यकता थी। मोदी जी की सरकार गरीबों की है और इस देश में अधिकांश गरीब अनुसूचित जाति एवम् जनजाति वर्ग के लोग हैं। जब हमारे प्रधान मंत्री जी जन-धन योजना लाए तो उन्होंने हिन्दुस्तान की जनता को फाइनेंशियली इंक्लूजन की बात की थी कि हर व्यक्ति का बैंक में एकाउंट हो और उसे वह आपरेट करे, जिससे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उसके माध्यम से उसे उनका लाभ मिल सके। यह एक आधार है, जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का। वे लोग अगर एकाउंट खोलेंगे तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति एवम् जनजाति वालों को जो इतने वर्षों से समाज में उपेक्षित और वंचित रहे हैं, सीधे-सीधे लाभ मिलेगा। अगर 15-17 करोड़ लोगों ने जीरो पैसे पर एकाउंट खोले हैं तो उसका विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि उनमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी गरीबों, दलितों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के हितों के बारे कितनी चिंता करते हैं।

सुरक्षा बीमा योजना की बात होती है तो इस योजना के तहत 12 रुपये में बीमा हो रहा है यानि एक रुपया एक महीने का जमा कराएंगे तो आपका बीमा हो जाएगा। अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना आपके साथ घटित

हो तो दो लाख रुपये का बीमा जो होगा, वह मिलेगा। इसी तरह पेंशन योजना चलाई गई है और मुद्रा बैंक की बात कही गई है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह बहुत ही अच्छी बात की है। उन्होंने मुद्रा बैंक की स्थापना कर देश में छः करोड़ लोगों की पहचान की है। ये वे लोग हैं जो देश के 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। उनके लिए बैंक सुविधा की व्यवस्था नहीं है। वे गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग से हैं या गांवों में मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, जूते बनाते हैं और छोटा-मोटा काम करते हैं। अब इन लोगों को मुद्रा बैंक से, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है, ऋण आदि की व्यवस्था होगी।

मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे मंत्री श्री थावरचंद गहलोत का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनाएं लाकर दलितों को आर्थिक तौर से सबल बनाने और समाज को वे कुछ दे सकें और केवल मात्र आरक्षण पर ही निर्भर न रहें, वे आर्थिक तौर से भी मजबूत हों, इस प्रकार की नीतियां हमारी एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार लायी है, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

मैं इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर चर्चा करने से पूर्व हमारे देश के प्रांतों में इस वर्ग के साथ हो रही कुछ घटनाओं को सदन में रखना चाहता हूं। देश में इसके लिए कड़े से कड़ा कानून बनाया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जो कि अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए उसमें ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। उसके बाद वर्ष 1989 में विधेयक लाया गया और उसमें कठोर प्रावधानों को रखा गया, लेकिन फिर भी हम रोज अखबारों में देखते हैं और आठ-दस खबरें दलितों पर अत्याचार की होती हैं, महिलाओं पर अत्याचार की होती हैं। असमाजिक तत्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, मैं समझता हूं कि उसमें यह विधेयक लाभकारी होगा। अगर हम नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देखें तो जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ हैं, दलितों पर एट्रोसिटीज़ के मामलों को अगर देखें तो वे लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वजह से मैं समझता हूं कि यह कानून लाया जा रहा है। अगर हम वर्ष 2011 का आंकड़ा लें तो इसमें 39401 दलितों पर अत्याचार के मामले दर्ज हुए। वर्ष 2012 में ये बढ़कर 39512 हो गए और इसी तरह वर्ष 2013 में आंकड़ों में उछाल आया और 46114 हो गए तथा इसी प्रकार से

आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम यह देखें कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के मामलों में अगर पहले दस राज्यों को लिया जाए तो हम देखते हैं कि राजस्थान पहले स्थान पर है। वहां दिनों-दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और इसका प्रतिशत 53 है। बिहार में 40.6 प्रतिशत है, ओडिशा में 36.1 प्रतिशत है, गुजरात में 29.2 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 26 प्रतिशत है, केरल में 24.9 प्रतिशत है, झारखंड में 24.5 प्रतिशत है, कर्नाटक में 24.5, आंध्र प्रदेश में 23.6 और उत्तर प्रदेश में 17.1 प्रतिशत है। ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के लिए पहले दस राज्यों को देखें तो केरल में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामले सामने आए हैं, जो कि 27.8 प्रतिशत है। राजस्थान में 17.9, कर्नाटक में 12.6, आंध्र प्रदेश में 11.4, मध्य प्रदेश में 8.5, ओडिशा में 8.3, सिक्किम में 8.2, बिहार में 6.8, गोवा में 6.7 और झारखंड में 4.6 प्रतिशत है। इस प्रकार अगर हम इसका विशलेषण करते हैं तो लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए जरूरत है कि कोई कठोर कानून लाया जाए, ताकि समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो लगातार गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को टार्गेट बनाते हैं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि रेट ऑफ कनविक्शन कम होता जा रहा है। न्यायालय में दोष सिद्धि के मामले समाप्त हो जाते हैं। न्यायालयों में कितने सारे मामले अनुसूचित जाति और जनजाति के लम्बित पड़े हैं, जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 20011 में दोष सिद्धि से 30 प्रतिशत मामले समाप्त हुए, जबकि वर्ष 2012 में 23.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार से वर्ष 2013 का आंकड़ा 22.8 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित न्यायालयों में लम्बित मामले वर्ष 2011 में 79.9 प्रतिशत थे। 2012 में 83.1 और 2013 में यह बढ़कर 84.1 परसैन्ट हो गये, यानी लगातार ये बढ़ रहे हैं। इसी तरह से दलित महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगर हम 2009 का आंकड़ा लें तो 1346 मामले हैं, 2010 में 1557, 2011 में 1576 हैं, इस तरह ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और उनके साथ जो न्याय होना चाहिए, वह न्याय उन्हें नहीं मिल रहा है।

महोदय, आज मंत्री जी सरकार की तरफ से जो विधेयक लाये हैं, वह इसलिए भी आया है, क्योंकि आज दलितों को सार्वजनिक स्थलों पर पानी नहीं पीने दिया जाता है। आज उन्हें सहभोज करने की इजाजत

नहीं है। श्मशान घाटों पर उनके शवों का दाह-संस्कार नहीं करने दिया जाता है। शादी में घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता है, दूल्हे को सेहरा नहीं लगाने दिया जाता है। दूल्हा घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकता है। महिलाओं को नंगा करके खुलेआम घुमाया जा रहा है। दलित महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं दिनों-दिन बढ़ रही हैं और मैं यहां तक कहता हूं कि अभी अखबारों में छपा कि शेड्यूल्ड कास्ट के एक बच्चे की परछाई पड़ गई तो उसे प्रताड़ित किया गया। मैं कुछ खबरे, कुछ हैडिंग्स जो आज अखबारों में आ रहे हैं, वे मैं संसद के समक्ष रखना चाहता हूं कि आज ये खबरें हम पढ़ते हैं तो उनसे समाज में क्या मैसेज जा रहा है। ऊंची जाति की लड़की से बात करने पर दलित युवक की हत्या। यह पुणे का मामला है। पांच साल का बच्चा कहीं पेशाब कर रहा था तो उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, क्योंकि वहां किसी एक अपर कास्ट के आदमी की मिल थी, जहां वह पेशाब कर रहा था। उसी के साथ बदायूं में दो चचेरी बहनों के साथ बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, जब वे रात में शौच के लिए घर से निकली थीं। दलित को मानव मल खाने के लिए मजबूर किया गया। यह कितनी खतरनाक बात है कि आदमी के एक्सक्रेटा को फोर्सफुल्ली किसी को खिलाया जा रहा है।

एक मामला मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि एक प्राइमरी स्कूल मेघवालों की ढाणी, यह बीकानेर का मामला है। हमारे श्री अर्जुन मेघवाल जी वहां से आते हैं। वहां स्कूल में कुल 25 बच्चे हैं, जिनमें से 20 बच्चे दलित हैं और दलितों के टीचर को पनिश कर दिया गया, क्योंकि शिक्षक के लिए पीने का पानी की मटकी को उसने टच कर दिया, इसलिए उसे पनिश कर दिया गया। इस प्रकार के मामले आज देश में देखे जाते हैं, इसीलिए आज यह विधेयक लाया जा रहा है। इसी तरह से अम्बेडकर जी पर आधारित रिंगटोन रखने पर दलित की हत्या कर दी गई। मैं समझता हूं कि जो ऐसे मामले हैं, इस विधेयक के लाने से जरूर लाभ होगा और जो प्रतिक्रियात्मक रुकावटें हमारे 1989 के विधेयक में आ रही थीं, उसमें प्रोसीजरल हर्डल दूर हो सकेगी और जो डिले इन ट्रायल्स था, जो कन्विक्शन रेट था, वह पूरा हो सकेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विशेष न्यायालय धारा 14 में लाये जा रहे हैं और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स को नियुक्त किया जा सकेगा। एक नया अध्याय 4क इसमें

इंट्रोड्या ूस हो रहा है। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि सरकार सामयिक तरीके से इस विधेयक को लाई है और इस विधेयक के पारित होने से हमारे समाज में दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें रुकावट आयेगी।

अंत में मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री मोदी जी, अपने मंत्री जी और अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि दलित समुदाय की अनुसूचित जाति और जनजाति की जो एक लांग अवेटिड डिमांड थी, वह पूर्ण हो सकेगी और समाज में जो गलत काम करने वाले लोग हैं, उन्हें कठोर दंड भी मिलेगा और जो लोग परेशानी में आते हैं, उन्हें न्याय भी मिलेगा।

आपने मुझे बोलने का पूरा समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

डॉ. के. गोपाल (नागपट्टिनम): माननीय सभापति महोदय, वणक्कम!

मैं अपनी प्रिय नेता, माननीय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा को अपना आदर और सम्मान व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014' पर बोलने की अनुमति दी।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, "अस्पृश्यता के खिलाफ मेरी लड़ाई मानवता में व्याप्त अशुद्धता के खिलाफ लड़ाई है"। जातिगत भेदभाव की केंद्रीय विशेषता 'अस्पृश्यता' की अवधारणा है जो इस धारणा पर आधारित है कि कुछ जाति समूहों को अन्य जाति समूहों की तुलना में 'अशुद्ध' माना जाता है, जिससे मानव गरिमा को नकार दिया जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' की प्रथा को गैरकानूनी बनाता है। हालाँकि, कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों तथा सकारात्मक योजनाओं के बावजूद, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अस्पृश्यता के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई निर्योग्यता या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यह भी गारंटी देता है कि प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता होगी।

वर्तमान विधेयक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 का स्थान लेता है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने का प्रयास करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराध करने पर प्रतिबन्ध लगाता है तथा ऐसे अपराधों की सुनवाई और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है।

वर्ष 1989 में संसद द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पारित किये जाने तक 'अत्याचार' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। कानूनी भाषा में, अधिनियम इस शब्द का अर्थ धारा 3(1) और (2) के तहत दंडनीय अपराध समझता है।

विशिष्ट शब्दों में, 'अत्याचार' एक अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग आमतौर पर भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह अत्याधिक क्रूर और अमानवीय होने की गुणवत्ता को दर्शाता है, जबकि 'अपराध' शब्द कानून द्वारा दंडनीय कृत्य से संबंधित है। इसका तात्पर्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के विरुद्ध गैर-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा अथवा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध गैर-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी अपराध है। अत्याचार के मामले में ऐसे अपराध के लिए जाति को एक प्रेरक तत्व के रूप में लेना आवश्यक नहीं है। यह उन अपराधों को दर्शाता है जो किसी न किसी रूप में पीड़ा देते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग के लिए शामिल किया जाना चाहिए। यह इस धारणा पर आधारित है कि जातिगत विचार ही अपराध का मूल कारण है, भले ही जातिगत विचार अपराध का मुख्य उद्देश्य न हो।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ लगातार भेदभाव किया जाता है और उनके खिलाफ गंभीर अपराध किए जाते हैं। इनमें जातिसूचक शब्दों से गाली-गलौज, हत्याएं, बलात्कार, आगजनी, सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार, दलित महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाना तथा उन्हें जबरदस्ती मूत्र पीने और मानव मल खाने के लिए मजबूर करना जैसे जघन्य कृत्य शामिल हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ भेदभाव के कई प्रकार हैं, जैसे गैर-दलितों के घरों और पूजा स्थलों में प्रवेश पर रोक, भोजन साझा करने पर पाबंदी, श्मशान और कब्रिस्तान तक पहुंच से वंचित करना, पानी के स्रोतों तक पहुंच से रोकना, विवाह जुलूसों पर रोक आदि।

भारत के अपराध सांख्यिकी के अनुसार, हर 18 मिनट में अनुसूचित जातियों के खिलाफ एक अपराध होता है; हर दिन, उनके खिलाफ 27 अत्याचार होते हैं, जिनमें तीन बलात्कार, 11 हमले और 13 हत्याएं शामिल हैं; हर हफ्ते, उनके पांच घर जला दिए जाते हैं और छह लोगों का अपहरण कर लिया जाता है।

ज्ञात सार्वजनिक हस्तियों के विरुद्ध भेदभाव के निम्नलिखित मामले समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। नवम्बर 2011 में, एक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा कि वर्ष 2001 से उनकी जाति के कारण साथी न्यायाधीशों द्वारा उन्हें अपमानित किया गया था। जून 2011 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, जो स्वयं एक दलित हैं, को एक हिंदू मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। जुलाई 2011 में, एक विधान सभा के दलित सदस्य को एक आधिकारिक बैठक में अपने सहयोगियों के साथ भोजन करने की कथित रूप से अनुमति नहीं दी गई थी।

अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, आर्थिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करने, भेदभाव, शोषण और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग आदि के लिए आपराधिक अपराधों को अंजाम देने वाले विभिन्न व्यवहारों से संबंधित 22 अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है। चूंकि अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों द्वारा की गई कार्रवाइयों को अपराध माना जाएगा, इसलिए विधेयक कुछ मौजूदा श्रेणियों में संशोधन करता है और अपराधों के रूप में मानी जाने वाली कार्रवाइयों की नई श्रेणियां जोड़ता है। किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने या न देने के लिए कानून के विरुद्ध तरीके से मजबूर करना अधिनियम के तहत अपराध है। विधेयक में कहा गया है कि मतदान से संबंधित कुछ गतिविधियों में बाधा डालना भी अपराध माना जाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना इस अधिनियम के तहत एक अपराध है। इस संदर्भ में 'अवैध' शब्द की परिभाषा विधेयक में शामिल की गई है, जो 1989 के अधिनियम में नहीं की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र की महिला उत्पीड़न पर विशेष रिपोर्ट ने उल्लेख किया है कि "दलित महिलाएं लक्षित हिंसा, यहां तक कि बलात्कार और मौत का सामना करती हैं, जो राज्य के कारक और शक्तिशाली सवर्ण जातियों के सदस्य इन तरीकों का उपयोग राजनीतिक सबक देने और समुदाय के भीतर असहमति को कुचलने के लिए करते हैं।" अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला पर हमला करना या उसका यौन शोषण करना अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि: (क) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को उसकी सहमति के बिना यौन रूप से जानबूझकर छूना, या (ख) यौन प्रकृति के शब्दों, कृत्यों या इशारों का प्रयोग करना, या (ग) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को किसी मंदिर में देवदासी के रूप में समर्पित करना, या इसी तरह की कोई भी प्रथा भी अपराध मानी जाएगी। सहमति को मौखिक या गैर-मौखिक संचार के माध्यम से स्वैच्छिक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है।

राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए हमें महिलाओं को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए विशेष अदालतें होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों की सुनवाई महिलाओं के लिए विशेष अदालतों द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें महिला न्यायाधीश और महिला लोक अभियोजक हों, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से हों। तमिलनाडु में पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन - जो विश्व में अपनी तरह के पहले हैं- तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा की सोच का परिणाम हैं। ये महिला पुलिस स्टेशन सभी महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहायता करते हैं तथा उनकी शिकायतों का निवारण करते हैं। देश के अन्य सभी राज्य महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए इस पद्धति का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं।

विधेयक के अंतर्गत जोड़े गए नए अपराधों में शामिल हैं: (क) जूते-चप्पलों की माला पहनाना, (ख) मानव या पशु के शवों को दफन करने या ले जाने के लिए मजबूर करना, या हाथ से मैला ढोने का काम करना, (ग) सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जातियों या जनजातियों को जाति के नाम से गाली देना, (घ) अनुसूचित

जातियों या जनजातियों के प्रति वैमनस्य की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करना या किसी मृत व्यक्ति का, जो अत्यधिक सम्मानित हो, अपमान करना, और, और (ङ) सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार थोपना या उसकी धमकी देना।

मैं समझता हूं कि अनुसूचित जातियों या जनजातियों को निम्नलिखित गतिविधियों को करने से रोकना अपराध माना जाएगा: (क) साझा संपत्ति संसाधनों का उपयोग करना, (ख) किसी भी सार्वजनिक रूप से खुले पूजा स्थल में प्रवेश करना, और (ग) किसी शिक्षा या स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश करना।

संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि निम्नलिखित कृत्यों को दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है: (1) अधिनियम के तहत झूठे मामले दर्ज करना, (2) झूठे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना और नौकरियों, प्रवेश आदि में आरक्षण लाभ का दावा करना, और (3) भूमि प्राप्त करने या चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने हेतु अंतर्जातीय विवाह करना।

अधिनियम के अंतर्गत दायर झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के संबंध में, समिति ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रासंगिक प्रावधान अपर्याप्त हैं, तथा इस समस्या से निपटने के लिए अधिनियम में प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 इसी तरह के खंड का प्रावधान करता है। मैं आग्रह करता हूँ कि स्थायी समिति की इन सिफारिशों को विधेयक में शामिल किया जाए।

अधिकांश मामलों में, अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने में अनिच्छा जातिगत पूर्वाग्रह से उत्पन्न होती है। उच्च जाति के पुलिसकर्मी, अधिनियम द्वारा लगाए गए दंड की कठोरता के कारण, अपनी ही जाति के सदस्यों के विरुद्ध मामले दर्ज करने में अनिच्छुक रहते हैं; अधिकांश अपराध गैर-जमानती हैं तथा इनमें न्यूनतम पांच वर्ष के कारावास का दंड है। अधिनियम में यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो उसे छह महीने से एक वर्ष तक के कारावास की सजा दी

जाएगी। विधेयक में कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है, जिनमें शामिल हैं: (क) शिकायत या एफ.आई.आर. दर्ज करना, (ख) मौखिक रूप से दी गई जानकारी को पढ़ना, तथा उसके बाद मुखबिर के हस्ताक्षर लेना और इस जानकारी की एक प्रति मुखबिर को देना, आदि।

अधिनियम के तहत, जिला स्तर पर सत्र न्यायालय को अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय माना जाता है। इस अदालत में मामलों के संचालन के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। यह विधेयक इस प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है और यह निर्दिष्ट करता है कि विधेयक के तहत अपराधों की जांच करने के लिए जिला स्तर पर एक विशेष न्यायालय स्थापित की जानी चाहिए। जिन जिलों में मामले कम हैं, वहां अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम होनी चाहिए।

दो महीने के भीतर मामलों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। इन न्यायालयों की अपीलें उच्च न्यायालय में होंगी तथा उनका निपटारा तीन महीने के भीतर किया जाना होगा। प्रत्येक विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के लिए क्रमशः एक लोक अभियोजक और एक अनन्य लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा।

विधेयक में पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों पर एक अध्याय और जोड़ा गया है। पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों की सुरक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य सरकार पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना निर्दिष्ट करेगी। विधेयक के अंतर्गत स्थापित न्यायालय निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं: (1) गवाहों के नाम छिपाना, (2) पीड़ित, मुखबिर या गवाह के उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत के संबंध में तत्काल कार्रवाई करना आदि। ऐसी किसी भी शिकायत पर मुख्य मामले से अलग से सुनवाई की जाएगी तथा दो महीने के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा।

माननीय सभापति जी, इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने मांग की है, मैं माननीय केंद्रीय सामाजिक

न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अनुसूचित जाति के ईसाइयों को हिंदुओं, सिखों या बौद्धों के समान समझें तथा उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करें। माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

तमिलनाडु सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू कर रही है। टी.ए.एच.डी.सी.ओ. के माध्यम से स्वरोजगार उद्यमों के लिए 370 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 1004 करोड़ रुपये की ऋण सहायता, 78339 महिला सदस्यों वाले 6528 स्वयं सहायता समूहों को 116 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 262 करोड़ रुपये की ऋण सहायता और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपये का निधि आवंटन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अग्रणी कदम हैं। जो पीड़ित वास्तव में शिकायत दर्ज कराने में सफल हो जाते हैं, उनके सामने बड़ी बाधा होती है। न्यायिक प्रणाली के निचले स्तर पर मामलों की आगे की कार्यवाही में विफलता चिंताजनक रूप से स्पष्ट है।

<u>अपराह्न 4.59 बजे</u> (श्री आनन्दराव अडसुल *पीठासीन हुए*)

विशेष कानूनों के माध्यम से न्याय पाना आसान कार्य नहीं है क्योंकि इसमें पीड़ित, आरोपी, पुलिस, विशेष लोक अभियोजक और मामले से जुड़े अन्य सभी पक्षों की ओर से प्रत्येक चरण में अनेक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, जो अक्सर पीड़ितों के लिए अत्यधिक महंगा, थकाऊ और समय लेने वाला साबित होता है। इस दौरान आरोपी कई शरारती गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जिनमें पुलिस को रिश्वत देना, सबूतों से छेड़छाड़ करना, पीड़ितों पर मामले के अदालत के बाहर निपटारे के लिए दबाव डालना, पीड़ितों और उनके गवाहों को धमकाना आदि शामिल हैं। यदि पीड़ित इन सबके बावजूद मामले को आगे बढ़ाते हैं, तो यह उनके "जीविकोपार्जन के साधनों, गरिमा, शांतिपूर्ण जीवन और कभी-कभी उनके जीवन" की कीमत पर होता है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियां, पुलिस और न्यायपालिका को इस स्थायी सामाजिक समस्या को संबोधित करने के लिए जातिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य बुनियादी मानवाधिकारों और न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा करना है। दलित समुदाय और उनके समर्थकों के बीच डॉ. भीमराव अंबेडकर का यह कथन आज पहले से कहीं अधिक गूंज रहा है – “मेरी अंतिम सलाह यह है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, आंदोलन करो; अपने आप पर विश्वास रखो।” क्योंकि यह लड़ाई न तो धन के लिए है, न शक्ति के लिए। यह स्वतंत्रता की लड़ाई है। यह मानव व्यक्तित्व की पुनःप्राप्ति की लड़ाई है।

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयक के ऊपर बोलने के लिए मुझे मौका दिया।

जब रिजर्वेशन लागू हुआ, जब 1950 में संविधान बना, तब से रिजर्वेशन हरिजनों और आदिवासियों के लिए लागू हुआ। रिजर्वेशन लागू करने का मकसद क्या था, यह रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं था, क्योंकि, आज के दिन अगर हम देखते हैं तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पियोन से लेकर सैण्ट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट सैक्रेटरी तक नौकरियां सिर्फ पांच करोड़ होती हैं। आज की आबादी के हिसाब से लगभग चार प्रतिशत लोग ही नौकरी कर सकते हैं। वही बात हरिजनों और आदिवासियों के लिए भी लागू होती है। अतएव सिर्फ नौकरी में रिजर्वेशन रखकर आदिवासियों और हरिजनों का कल्याण करने के लिए कतई हमारे संविधान के रचयिता लोगों ने नहीं सोचा था। रिजर्वेशन के पीछे मकसद यह था कि कुछ सालों बाद आदिवासी हरिजन, जो और जातियों से कई हिसाब से पीछे हैं, वे लोग सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और शिक्षागत तौर पर, इन चार तौर पर बराबर हो जायें। रिजर्वेशन रखकर आज लगभग 65 साल हो गये, लेकिन आज जैसा हमारे पहले वक्ता ने बोला कि दिनों-दिन एट्रोसिटीज़, अत्याचार आदिवासी हरिजनों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। यह अत्याचार प्रिवेंशन कानून पहली बार 1989 में आया। इसका मतलब यह है कि पहले अत्याचार था भी तो उस मात्रा में नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ते गये, यह अत्याचार और बढ़ता गया। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि रिजर्वेशन के चलते और जातियों में एक दुर्भावना पैदा हुई कि एक विशेष वर्ग को इतने सालों से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, यह एक मेन मुद्दा अत्याचार का, एट्रोसिटी का है। जब तक हम बाकी जो डिस्पैरिटी है, बाकी जो विषमता है, आर्थिक अवस्था में, शिक्षागत अवस्था में, सांस्कृतिक स्तर में, सामाजिक स्तर में, इन चारों स्तरों में जब तक हम बराबरी लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो न यह रिजर्वेशन कभी खत्म होगा, न यह अत्याचार कभी खत्म होगा, चाहे आप कितने भी कानून बनायें। कानून में परिवर्तन लाने के लिए मंत्री महोदय ने जो प्रयास किया है, सरकार ने जो प्रयास किया है, यह सराहनीय है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि, इस कानून को अगर हम अच्छे ढंग से पढ़ लें तो इसमें सिर्फ सामाजिक चिन्ताधारा

को ही लगाया गया है। किसी ने साला बोल दिया, किसी ने जाति से कुछ बोल दिया, किसी ने किसी को खींच दिया, किसी को पकड़ लिया, किसी को कुछ कर लिया, इस ढंग के बहुत सारे इसमें प्रावधान हैं, जो विशेष करके 99 परसेंट सामाजिक व्यवहार को इंडिकेट करते हैं, बाकी जैसे अत्याचार और भी हैं, यह इसमें शामिल ही नहीं हुआ है, जैसे अभी इंस्टीट्यूशनल अत्याचार भी होता है। कैसे, अभी कुछ दिन पहले आई.आई.टी. रुड़की में कुछ छात्रों को इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दिया गया। किसलिए, कि बच्चे कम से कम 50 प्रतिशत मार्क्स नहीं लाये, जबकि उनमें से काफी बच्चे पास हुए थे। उसके बाद भी उन 73 बच्चों को निकाल दिया गया। उनमें साधारण वर्ग के भी कुछ बच्चे थे, कुछ ओ.बी.सी. वर्ग के भी थे, लेकिन ज्यादातर एस.सी. एस.टी. के थे। पास होने के बाद भी उनको कालेज से निकाल दिया गया। यह क्या अत्याचार नहीं है? यह प्रावधान इस कानून में जरूर लाना चाहिए था। जब हम लोग स्वाधीन हुए, तब हो सकता है कि आदिवासियों की साक्षरता एक, दो या तीन परसेंट रही होगी। पर, आज तो स्थिति बदली है। आदिवासी में करीब 35-40% लोग शिक्षित हो चुके है और हालत यह है कि कई विभागों में पिउन का पद भी खाली पड़ा है। मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी स्थायी समिति में हूं। हमने जितने विभागों का उस कमेटी में रिव्यू किया है, सभी विभागों में एस.सी., एस.टी. के खाली पद हैं। यहां तक कि पिउन के पोस्ट भी खाली पड़े हैं। उसके बारे में पूछने पर जवाब यह मिलता है कि उसके लिए एलिजिबल कैंडीडेट नहीं मिले। पिउन के लिए भी एलिजिबल कैंडीडेट नहीं हैं। यह जो इंस्टीट्यूशनल अत्याचार है, उसका समाधान इस कानून में नहीं है। इससे न ही उस व्यक्ति को नुकसान हुआ, बल्कि देश भी उसकी सेवा से वंचित रहा।

उसी हिसाब से, बहुत सारे शिक्षा संस्थानों की सीट्स में भी यह स्थिति है। जैसे मैं एम.सी.आई. का उदाहरण देता हूं। उसके लिए हम एक साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर आदिवासी हरिजन बच्चे 35% तक मार्क्स रखते हैं, तो उन्हें इंट्रैंस में कंसीडर किया जा सकता है। आदिवासी, हरिजनों की सीटों को भरने के लिए उसे और भी रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन एम.सी.आई. उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी वज़ह से कई स्कूलों और कॉलेजों में आदिवासी, हरिजनों की सीटें खाली हैं। क्या यह अत्याचार नहीं है? चाहे हम जितना भी कानून बना लें, पर जब तक यह इंस्टीट्यूशनल अत्याचार खत्म

नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। हम आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पैरामीटर की बात कर रहे हैं। सामाजिक रूप से तो हम कभी बराबर हो ही नहीं सकते। जहां तक हम शिक्षा में और आधिक बराबर नहीं होते हैं।

महोदय, कई ज़गहों पर, जैसे मेरे राज्य में आदिवासी लोग अपनी ज़मीन को मौर्टगेज करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक लोन नहीं ले सकते हैं। न ही आदिवासी अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। यह कानून वर्ष 1956 में बना है। यह हो सकता है कि उस समय आदिवासी लोग पढ़े-लिखे नहीं थे और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में समझ नहीं थी। पर, वह कानून आज भी है कि आदिवासी लोग अपनी ज़मीन न किसी को बेच सकते हैं, न ही अपनी ज़मीन को मौर्टगेज रख सकते हैं और न ही उस ज़मीन पर लोन लेकर कोई उद्योग लगा सकता है या कोई बिजनेस कर सकता है। वे आदिवासी लोग ओडीशा को छोड़ कर किसी दूसरे ज़गहों पर जाकर बस जाएं तो भी वे अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। यह विशेषकर ट्राइबल सब-प्लान एरिया में है। क्या यह अत्याचार नहीं है? सरकार भी हम लोगों पर अत्याचार कर रही है। जब इस तरह का अत्याचार चलता रहेगा, तो आदिवासी, हरिजनों का कभी कल्याण ही नहीं हो सकता है। इस कानून को बदलने के पहले सरकार बाकी कानूनों को भी बदले। तब ही आदिवासी, हरिजनों का कल्याण हो सकता है। इसके लिए मेरा निवेदन है।

महोदय, इस कानून में है कि आदिवासी, हरिजन अगर कोई केस लड़ता रहेगा, तो उसे आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी। पर, वह सहायता कितनी दी जाएगी, वह लिखा नहीं है। किसी को जेल भेजने के बाद उस पर फाइन भी किया जाएगा। पर, वह फाइन की मात्रा कितनी होगी, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। अगर किसी को फाइन कर रहे हैं तो उस फाइन की मात्रा इतनी हो कि उसे थोड़ी चुभे कि उस पर फाइन लगा है। जैसे स्विट्ज़रलैण्ड में अगर कोई ट्राफिक उल्लंघन का जुर्म करता है तो उसके एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टैण्डर्ड के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाता है, ताकि उसे चुभे। ऐसा नहीं है कि अगर हम करोड़पति हैं तो एक हजार रुपये देकर बेल लेकर चल दिए और कोई गरीब आदमी है तो ऐसे ही पड़ा रहे। इसलिए यह जो आर्थिक रूप से फाइन लगाने की बात की गयी है तो उसकी परिभाषा को भी थोड़ा बदलें कि किसे कितनी फाइन लगायी जानी चाहिए।

महोदय, इस कानून में यह भी है कि लोगों ने इसे विलफुल (जानबूझकर) किया है या नहीं किया है। इसका मतलब उन्होंने ऐसा जान-बूझकर किया है या नहीं। यह कौन प्रमाणित करेगा कि इन्होंने ऐसा जान-बूझकर किया है या नहीं? यह प्रमाणित करना बहुत मुश्किल है। कल कोई केस आएगा तो यह कहा जाएगा कि पहले इसे प्रमाणित करें कि इसने यह गलती जान-बूझकर की है। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, जिन्हें यहां से हटाना जरूरी है।

महोदय, हमारे कुछ और माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि इसका मतलब यह नहीं है कि समाज में सिर्फ आदिवासी और हरिजन ही अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, बल्कि यह भी है कि कुछ आदिवासी और हरिजन लोग इस प्रिवेंशन कानून को लेकर गलत केस भी करते हैं। उस तरह के केस न हों, उसके लिए भी कुछ प्रावधान इसमें होना चाहिए कि अगर कोई गलत केस कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन किया जाए।...(व्यवधान)

मैं आदिवासी हूं और मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है।...(व्यवधान) इसका मतलब क्या कोई गलत केस करेगा?...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप लोग आपस में बात मत करिए।

... (व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी : महोदय, मैं आदिवासी हूं।...(व्यवधान) मैं भी केस कर सकता हूं।...(व्यवधान)

महोदय, इन्हें चुप कराइए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : इसे रिकॉर्ड में न लीजिए।

... *(व्यवधान)*... [19*]

[19*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बलभद्र माझी : अगर मेरा कहा कुछ गलत है, तो उसे निकाल दीजिए, एक्सपंज कर दीजिए। आप उसमें से निकाल सकते हैं। ...(व्यवधान) आप ऐसा समझें तो ...(व्यवधान) लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि कोई गलत केस करे। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह नहीं चलेगा, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : कार्रवाई से हरिजन शब्द निकाला जाए। ...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी (धेंकानाल) : क्यों निकाला जाए? ...(व्यवधान) आप आसन पर बैठ जाइए। ...(व्यवधान) वह सही बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर : यह सही नहीं बोल रहे हैं।

माननीय सभापति : ठीक है, हम देखेंगे। प्लीज आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए, हम देख लेंगे।

... (व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी : महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसके साथ-साथ बाकी जो प्रावधान हैं, उनको मेरे सुझाव के साथ ग्रहण करते हुए यह भी प्रावधान कानून में रखा जाए कि अगर कोई गलत केस करता है तो उसे भी पनिशमेंट देने का प्रावधान होना चाहिए। गलत केस आने के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ...(व्यवधान) इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मल्याद्री श्रीराम (बापटला): महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, आजादी के 67 या 68 साल बाद भी भारत दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार से आजाद नहीं हुआ है। आज भी दलितों पर अत्याचार, भेदभाव और वंचना जारी है। मुझे नहीं पता कि भारत में अपराध-मुक्त समाज बनने में कितने साल लगेंगे।

महोदय, यह सच है कि पिछले 60 से 70 वर्षों से पूरे भारत में अत्याचार हो रहे हैं। यद्यपि कई कानून बनाए गए हैं - अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया गया है - फिर भी, उसके बाद भी, दलितों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के खिलाफ अत्याचार कम नहीं हुए हैं। मैं एन.डी.ए. सरकार को कम से कम अब कुछ संशोधन पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से, इस विधेयक को पारित कराने के लिए मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ।

यह उन समुदायों की लंबे समय से लंबित मांग है जो बहुत पिछड़े हैं, तथा जिन्हें अपने विकास के लिए सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। दलितों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, नेता पार्टियां बदलते रहते हैं। वादे किये जा सकते हैं और तोड़े भी जा सकते हैं। मुद्दे सामने आ सकते हैं और छिपाए भी जा सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत में एक बात स्थिर रही है, वह है दलित समुदाय पर होने वाला अविश्वसनीय स्तर का उत्पीड़न।

यद्यपि आरक्षण की व्यवस्था ने दलितों को शिक्षा और रोजगार में अवसर प्रदान करने में कुछ हद तक मदद की है, लेकिन सामाजिक संबंध अभी भी समय के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं।

हाल ही में दलितों पर क्रूर हमले की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, क्योंकि उसके मोबाइल फोन पर अंबेडकर रिंगटोन थी। यह घटना महाराष्ट्र में हुई। इस

संदर्भ में, मैं केवल आपके ध्यान में दो उदाहरण लाना चाहता हूं जो आंध्र प्रदेश में हुए, एक वर्ष 1985 में और दूसरा वर्ष 1992 में। निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों द्वारा 30 वर्षों के बाद निर्णय सुनाए गए हैं। एक अदालत में माननीय न्यायाधीश ने यह कहकर अपराधियों को बरी कर दिया: "यह सच है कि 7 से 8 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर सका कि हत्या किसने की है।" अदालतें भी इसी तरह काम कर रही हैं।

एक अन्य मामले में, 30 वर्ष बाद भी यह अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाया है। यहां तक कि ...[20*] भी इस देश के दलितों के हितों के खिलाफ हैं। इसलिए, मैं आपका ध्यान देश भर में दलितों के विरुद्ध अत्याचार की घटनाओं में हो रही चिंताजनक वृद्धि की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

सार्वजनिक निंदा, जागरूकता अभियान और दंडात्मक कार्रवाई की धमकियों के अलावा, जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मुझे भेदभाव के मामले का उल्लेख करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोग, जो दमित और उत्पीड़ित हैं, किसी अन्य धर्म में जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि समाज को इसके पीछे के कारण के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। लोग अपने धर्म को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं इस सभा में अपने भाइयों और सहकर्मियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावशीलता की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। देश में उनके साथ हुए अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के दर्ज मामलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और और इसे और मजबूत करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास करे।

[20*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

भूमि विवाद, भूमि हस्तांतरण, ऋण ग्रस्तता, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना तथा जातिगत पूर्वाग्रह, गहरी जड़ें जमाए सामाजिक असंतोष आदि जैसे गैर-आर्थिक कारण अत्याचार के अपराधों में प्रकट हो सकते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के दशक के प्रारंभ में अधिनियमित और लागू किया गया था तथा अधिनियम के प्रावधानों को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इसके कार्यों की निगरानी करे तथा समय-समय पर विशेष पुलिस स्टेशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करके अधिनियम को सुदृढ़ बनाए। विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रयास किए जाने चाहिए; अत्याचारों से प्रभावित पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह समाज के कमजोर वर्गों के बीच जागरूकता सृजन कार्यक्रम शुरू करे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कानूनी सहारा खोले तथा निवारक उपाय करने के लिए अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करे।

मैं इस बात को ध्यान में लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार भी समय-समय पर उन्हें अत्याचार निवारण अधिनियम को अक्षरशः लागू करने की सलाह देती रही है, जिसमें पुलिस कर्मियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया गया है, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों की जांच में विलम्ब को कम करने, जांच की गुणवत्ता में सुधार लाने, अधिनियम के तहत मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करने तथा दोषमुक्ति वाले मामलों की समीक्षा करने पर जोर दिया गया है। अधिकांश मामलों में, जांच ठीक से नहीं की जाती है। एस.एच.ओ. को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जांच अधिकारी डी.एस.पी. स्तर का होना चाहिए ताकि सफल मामलों का प्रतिशत अधिक हो। दुर्भाग्य से, इन मामलों के संबंध में सफलता दर नगण्य है। इसलिए मैं

मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिल सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दलितों के कल्याण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थागत तंत्र को मजबूत और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

सम्मानित सभा और मंत्रालय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को लेकर गंभीर चिंता करनी चाहिए। यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि एससी और एसटी महिलाएं अक्सर यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं, उन्हें पीड़ा और आघात सहना पड़ता है। इसके बाद, दबाव, भय और संकोच के कारण ये महिलाएं अदालत की कार्यवाही के दौरान भी आत्मविश्वासहीन और हिचकिचाहट महसूस करती हैं, जो अधिकांशतः पुरुष प्रधान वातावरण में होती है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और भी अधिक स्पष्ट रूप से देखी जाती है। समिति का दृढ़ मत है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए तत्काल आवश्यकता है कि इनके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं, जिनमें महिला न्यायाधीश और महिला लोक अभियोजक हों, और अधिमानतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हों।

कुछ प्रावधान जो जोड़े गए हैं, वास्तव में अच्छे हैं। झूठे मामलों के पंजीकरण पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत और पुनर्वास को बढ़ाया जाना चाहिए। भारत सरकार इस प्रकार अत्याचार निवारण अधिनियम, 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन और आगे इसे सुदृढ़ करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।

मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और मुद्दों को उठाएं तथा माननीय सदन को आश्वासन दें। इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं, महोदय।

श्री वारा प्रसाद राव वेलागापल्ली (तिरुपति): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं वर्तमान सरकार और पिछली सरकार को इस संशोधन को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं जो सामाजिक समानता लाने के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे कितने भी कानून हों, देश भर में दलितों पर अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बल्कि अत्याचार की स्थिति और भी बदतर होती जा रही है।

हाल की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि पिछड़े वर्ग, जो कई दशकों से दबाये गये थे, अब गरीब दलितों पर अत्याचार करने में मुख्य अपराधी बन गये हैं। ये अत्याचार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अक्सर होते रहते हैं। इसलिए, मैं इन राज्यों के पिछड़े वर्गों के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने समुदायों से दलितों के खिलाफ अत्याचार न करने की अपील करें। मेरी उनसे अपील है कि इन दलितों के साथ भी मानवीय गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए।

फिर, जब तक पुलिस को समुचित रूप से संवेदनशील नहीं बनाया जाएगा, तब तक कितने भी अधिनियमों का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए हमारे देश के कई राज्यों ने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन शुरू किए हैं। इसी प्रकार, यदि दलितों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए वास्तव में राजनीतिक इच्छाशक्ति है, तो एकमात्र उपाय यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से पुलिस थाने खोले जाएं, तभी अत्याचारों पर रोक लग सकती है। अन्यथा, यहां मुख्य दोषी पुलिस है क्योंकि वे मामले दर्ज नहीं करते, गवाहों को पेश नहीं करते, अत्यधिक देरी करते हैं और वे अन्य समुदायों के साथ समझौता और मिलीभगत का सहारा लेते हैं। इसलिए, मेरा दृढ़ मत है कि जहां-जहां मामलों की संख्या अधिक है, वहां विशेष न्यायालयों के साथ-साथ विशेष पुलिस थाने भी स्थापित किए जाएं और इन्हें केवल दलितों द्वारा संचालित किया जाए।

महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले कई सदस्यों ने दलितों के खिलाफ अत्याचार की कुछ सबसे खराब घटनाओं का उल्लेख किया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी बातें दोहराना अशोभनीय है। लेकिन फिर

भी यहां उपस्थित सभी सदस्यों के लाभ के लिए मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। एक नाबालिग दलित लड़की की इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि उसकी छाया दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर पड़ गई थी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग भोजन साझा नहीं कर सकते। वे अन्य समुदाय के लोगों की आंखों में भी नहीं देख सकते। महाराष्ट्र में तेरह परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। महाराष्ट्र में एक दलित युवक की सिर्फ इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि वह अंबेडकर टूर्नामेंट में खेल रहा था। पांच दलित महिलाओं को निर्वस्त्र कर उत्तर प्रदेश में घुमाया गया। घोड़े की सवारी करने पर दलित दूल्हे पर हमला किया गया। एक दलित लड़के को जलाकर मार दिया गया। एक दलित परिवार के तीन सदस्यों को एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया था। कर्नाटक के गांवों में दलितों के बाल नहीं काटे जाते। दलितों को मानव मल खाने के लिए मजबूर किया गया। शिक्षकों के लिए रखा गया पानी पीने पर दलितों को दंडित किया गया।

तो, जहां भी प्रणाली में, विशेष रूप से अदालतों और पुलिस थानों में, कोई कमी है, जब तक उसे दूर नहीं किया जाता, तब तक कितने भी अधिनियम दलितों को न्याय नहीं दिला सकते। मैं यहां माननीय मंत्री जी से यह फिर से कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्षों के बाद, यदि हम वास्तव में इन गरीब लोगों के साथ मानवीय सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि विशेष न्यायालयों और विशेष पुलिस स्टेशनों का संचालन इन समुदायों के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। अन्यथा इस समस्या का कोई समाधान नहीं है।

महोदय, हमारे पास देश में एक उचित कानूनी प्रणाली है। लेकिन दुर्भाग्य से गरीबों के लिए बनी कानूनी व्यवस्था अलग से काम कर रही है। यदि यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ निकट समन्वय में काम करे, तो गरीबों को उपलब्ध कानूनी सहायता का लाभ उठाया जा सकेगा। मैं यहां बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है, उनमें से 93 प्रतिशत लोग दलित समुदाय के हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे एक उचित वकील को नियुक्त करने में सक्षम नहीं हैं।

यद्यपि, नाम के लिए हमारे देश में कानूनी सहायता प्रणाली है, लेकिन यह इस कारण से प्रभावी नहीं है कि दलितों को उचित वकील नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनके लिए विशेष अदालतें होनी चाहिए, पुलिस थानों में विशेष पुलिस अधिकारी होने चाहिए तथा कानूनी सहायता प्रणाली को विभागों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह प्रभावी हो सके। जब भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो, तो उन्हें कानूनी सलाह के लिए उचित और अच्छे अधिवक्ता दिए जाने चाहिए।

मुझे नहीं पता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिकारियों को उनकी लापरवाही के लिए इससे क्यों बाहर रखा गया। गैर-दलितों के साथ-साथ, यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन न करने में लापरवाही बरतते हैं, तो उन्हें भी समान रूप से दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि वे लोगों के साथ मिलीभगत कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि वे रिश्वत ले सकते हैं और इस तरह की गतिविधियों को अनदेखा कर सकते हैं। इसलिए गैर-दलितों के साथ-साथ दलित अधिकारियों को भी लापरवाही के लिए दंडित किया जाना चाहिए। अमानवीयता के चरम मामलों में, जैसे हम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए मृत्युदंड की सजा दे रहे हैं - यह भी मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ है - मेरा भी यह दृढ़ मत है कि जब भी दलितों के खिलाफ अत्यधिक अमानवीय अत्याचार होता है, तो मृत्युदंड सहित अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए। यही एकमात्र समाधान है, अन्यथा अत्याचार निरंतर जारी रहेगा। दुर्भाग्य से, यहां उन्हें तृतीय श्रेणी के नागरिक के रूप में माना जा रहा है। इसलिए मेरी राय है कि इनमें से कुछ सुझावों पर भी विचार किया जा सकता है ताकि दलित भी देश में गरिमा के साथ रह सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं भारत के लाल जननायक नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय थावर चंद गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूं। आज सारा राष्ट्र बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहा है और उस अवसर पर दलितों की रक्षा के लिए, उनके ऊपर उत्याचार को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल इस महान सदन में लाया गया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। 68 साल की आजादी के बाद बार-बार यह मांग क्यों उठती है, क्यों दलितों के ऊपर अत्याचार दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी महिलाओं को बलात्कार का निशाना बनाया जा रहा है? उनकी प्रोपर्टी को नष्ट किया जा रहा है, उनको मेनटली टार्चर किया जा रहा है। अभी दो-तीन साल पहले दिल्ली से एक चिंगारी उठी, वह मेरी बेटी, वह मेरी बहन, निर्भया के गैंग रेप के बाद देश में एक बहुत बड़ी बहस चली और उस बहस में यह निष्कर्ष निकल आया कि महिलाओं के ऊपर रेप का संबंध अधिकतर मनुष्य की मेनटलिटी से है। अगर हम उस अत्याचार को कम करना चाहते हैं तो हमें इंसान की मेनटलिटी को बदलना होगा। आज 68 साल की आजादी के बाद दबंग लोग दलितों को अपने पांव के नीचे क्यों कुचलना चाहते हैं। क्या भगवान ने उनको इंसान नहीं बनाया है, ये लोग इन्हें रेंग-रेंग कर चलने पर क्यों मजबूर करते हैं? एक दलित का लड़का दुल्हा के रूप में घोड़े के ऊपर चढ़ कर घुड़चढ़ी की रस्म अदा करे यह भी इन्हें नहीं भाता और इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अपने मोबाइल का रिंगटोन लगाने से ही किसी के दिलो दिमाग पर पहाड़ टूट पड़ता है जिससे वह उस बच्चे की निर्मम हत्या कर देता है। यह वही मेन्टैलिटी है। आज 68 साल बाद उस मेन्टैलिटी को बदलने की जरूरत है।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत लंबी सोच के तहत हिन्दुस्तान में एक स्वच्छता अभियान चलाया। यह न केवल स्वच्छता अभियान है, बल्कि इसका संबंध गरीबों पर होने वाले अत्याचारों को भी कम करना है। हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में आज भी 60-65 प्रतिशत महिलाएं रात्रि के समय या सूर्य निकलने से पहले जब शौच के लिए जाती हैं तब ये रेप के दरिंदे सक्रिय हो जाते हैं और उनकी अस्मत को लूटते हैं। आज इस ओर भी बहुत सख्त कानून बनाये जाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, इस बिल में कहा गया है कि एक्सक्लूसिव, स्पेशल कोर्ट्स बनायी जायें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान 125 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला देश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक भी शैड्यूल कास्ट का जज नहीं है। इस देश की विभिन्न हाई कोर्ट्स में एक भी दलित चीफ जस्टिस नहीं है। यह क्या इंडिकेट करता है? मैं भारत माता के लाल प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से इस प्रजातंत्र के मंदिर के माध्यम से, इस महान सदन के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यूपीए शासन के दस वर्षों मे हमारे ऊपर जो मेन्टली टार्चर हुआ है, एट्रोसिटीज हुई हैं, उन सबका निराकरण करने के लिए भारत सरकार तुरंत कदम उठाये। इन सब बातों का संबंध मान और मर्यादा से होता है, डिग्निटी से होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया और इन दबे-कुचले लोगों की आवाज को उठाया। वे एक बहुत बड़ा कारवां अपने पीछे छोड़कर चले गये थे। आज इस महान सदन में जो हमारे जन-प्रतिनिधि बैठे हैं, उस कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब पर आयी है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें कन्विक्शन रेट 25 परसेंट, यानी बड़ी मुश्किल से कन्विक्शन हो पाती है और जो 75 परसेंट कातिल हैं, जो अत्याचारी हैं, वे बचकर निकल जाते हैं। इस दृष्टि से भी कानून के शिंकजे को और सख्त बनाना होगा। हर रोज सेक्सुअल हरासमैंट के केस आते हैं। मेन्टैलिटी का इस बात से भी पता चलता है कि आपने किसी को किस नीयत से छुआ है। इसके ऊपर भी सख्त कानून बनने चाहिए और अत्याचारों की परिभाषा को स्पष्ट तौर से कहा जाना चाहिए। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दलित महिलाओं को सरेआम से नंगा करके घुमाया गया। क्या सभ्य देश को यह अच्छा लगता है कि किसी एक वर्ग की महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाये? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ये बातें हो चुकी हैं, इसलिए कृपया करके आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं। वहां पर एक ...[21*] शासन था, दस साल तक कांग्रेस का शासन रहा। मिर्चपुर की घटना मेरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के शासन

[21*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

काल में हुई थी, जहां पर दलितों को जिंदा जला दिया गया था। इससे पूरी दुनिया में भारत का सिर झुक गया था, नीचा हुआ था। ...(व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और आदरणीय थावर चंद गेहलोत जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि इस विषय में सख्त से सख्त कानून बनाकर हमारे इस दलित समाज को राहत प्रदान की जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति जी, आज एक अच्छे कानून का प्रावधान लोक सभा सदन में हो रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बहुत दर्द होता है। दर्द इस बात का है कि सभापति जी, आप और हम राजनीति में जिस दिन से आए, शिवसेना में गए। हमारे नेता वंदनीय शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे जी ने हमारी कच्ची मिट्टी पर संस्कार दिए, वह संस्कार जाति निर्मूलन का था। जब शिव सेना का निर्माण हुआ तो उन्होंने कहा था कि 80 प्रतिशत सामाजिक कारण हैं और 20 प्रतिशत राजनैतिक कारण हैं, जब चुनाव हों तब राजनीति करो। उन्होंने उस वक्त 80 प्रतिशत सामाजिक नीति पर मराठी में कहा था-

ब्राहमण ब्राहमणेतर, मराठा मराठेतर,

इाहाण्णव कुली, ब्याण्णव कुली

उच्च नीच दलित दलितेतर,

कोंकणी ये सारे जाति भेद निकालकर एक हो जाओ।

मैंने पहले मराठी में बोला है ताकि गहराई से पता चल जाए। इसका मतलब है कि सारे भेद से निकलकर मराठी इकट्ठे हो जाओ तब तुम्हें न्याय मिलेगा और हम यही संस्कार लेकर हम बड़े हुए। बालासाहब ने अपनी जिंदगी में किसी की जाति नहीं पूछी। आपको याद होगा जब मंडल आयोग आया तो इस देश में किसी ने विरोध किया तो बालासाहब ठाकरे जी ने किया, हमारे आदरणीय नेता ने किया, इसलिए किया क्योंकि जाति की दीवारें टूटनी चाहिए। लेकिन इसे तोड़ने के बजाय हमने इसे ज्यादा दृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त यहां बैठे थे, हम बात कर रहे थे कि हमने स्कूल में पास बैठे दोस्त से कभी नहीं पूछा कि तेरी जात क्या है। अब पता चला जब चुनाव का समय आया। चुनाव के समय में आरक्षण आया तब बाला साहब जी को पूछना पड़ा कि तेरी क्या जात है, मेयर बनाना है। विधान सभा या जिला परिषद का चुनाव आया, तब पूछना पड़ता था, तब वे कहते थे कि किसी को यह पूछने में बहुत दर्द होता है। यहां जितने भी महाराष्ट्र के सदस्य हैं, उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें यह पूछने में कितना दर्द होता था। हम इस संस्कार के साथ आगे आए हैं।

महोदय, यह ठीक है कि इस कानून में 'स्पेशल कोर्ट का' प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता पूर्व तिलक जी और अगरकर जी की लड़ाई होती रही क्योंकि तिलक जी कहते थे कि इस देश को स्वतंत्रता की जरूरत है जबकि अगरकर जी कहते थे कि देश को समाज सुधार की जरूरत है। पहले स्वतंत्रता लेंगे और फिर समाज सुधार करेंगे, इसमें उनकी लड़ाई होती रहती थी और आज हम लोक सभा में स्वतंत्रता मिलने के 60 वर्ष बाद दलित भाइयों के लिए स्पेशल कोर्ट का प्रावधान कर रहे हैं। क्या सामाजिक सुधार हुआ? मैं इससे ज्यादा व्यथित हूं। मेरे दोस्त कह रहे थे कि स्पेशल कोर्ट बनाओ, दलित पुलिस लगाओ, अगर दलित पुलिस सही काम नहीं करती है दलित पुलिस को कानून में सजा दो। मेरा कहना है कि मानसिकता सही होनी चाहिए। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की मां के संस्कार थे, वह अपने मायके नहीं गई क्योंकि उनका मायका रईस था। वह कहती थी कि नहीं जाऊंगी, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सोने की रस्सी पर कपड़े सुखाउंगी। यह बात अंदर से आती है कि मुझे कुछ करना है। दलितों के संबंध में महाराष्ट्र में बहुत प्रगति है। मुझे बहुत दर्द होता है बुरी चीजें जैसे अत्याचार हुआ, ब्लात्कार हुआ, अखबार और मीडिया में पहले पेज पर होती हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है लेकिन इसे इतना बढ़ावा दिया जाता है ताकि लोगों के मन में कभी जाति के आधार पर, कभी प्रांत के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर और जहर फैलाया जाए। गुनाहगार तो गुनाहगार है चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। उसे सजा देनी चाहिए, कड़ी सजा देनी चाहिए। अभी यहां जो कहा जा रहा था, मुझे बुरा लग रहा था। अभी हाल ही में घटना हुई, छोटी बच्चियां जो कलियों की तरह फल रही हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। मुझे सुनकर दर्द होता कि तीन-चार वर्ष की बच्ची पर अत्याचार हो रहा है, 70 वर्ष की मां पर अत्याचार हो रहा है। यह कौन सी मानसिकता है? ये चीजें सोशल मीडिया की वजह से हो रही हैं। कल कोर्ट में 'पॉर्न' और 'गे' के बारे में बात होने लगी थी। हमें कहां गे के बारे में पता था? क्या हमें बचपन में गे सोसाइटी के बारे में मालूम था? अब तो इसकी सोसाइटी हो गई है।

महोदय, मेरी बिल्डिंग में पंजाबी सिख लोग रहते थे, जब बच्चा पैदा होता था तो कुछ लोग नाचने आते थे, मैं क्षमा चाहता हूं, उनको महाराष्ट्र में हिजड़ा कहा जाता है। यह संसदीय है या नहीं, अगर नहीं है तो निकाल दो। वे नाचने के लिए आते थे। बाकी हम जानते थे कि गे सोसाइटी क्या होती है। इसके जरिए जो बुराइयां हैं, वे

गांव तक जाती हैं। अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे, इजरायल में किसी का खून हुआ तो छोटी सी न्यूज आ जाती है लेकिन किसी ने संशोधन किया तो पहले पेज पर न्यूज आएगी। हमारे यहां वह नहीं होता। मैं इसीलिए व्यथित हूं कि कानूनन प्रावधान करने के बावजूद क्या अत्याचार रुकने वाले हैं? इसका डिसएडवांटेज भी लिया जाता है। किसी को बोलो तो वह कहता है कि, अच्छा, मुझे बोला। अब मैं तुझे बताता हूं। अरे, क्या पता, तेरी जात क्या है? हमने महाराष्ट्र सदन में रोटी नहीं खिलाई थी, पता नहीं था कि कौन है तो फिर पन्द्रह दिन बाद तक न्यूज आती रही कि रोटी खिलाई। वह रमजान का समय था। वह मुसलमान था। अरे, हमें क्या मालूम। होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, अगर बाल मिला तो भी हम उठाकर कहते हैं कि इसमें बाल मिल गया। क्या हमें मालूम है कि होटल का मालिक मुसलमान है या हिन्दू है? उस मामले को तुरंत ही रंग दिया गया कि मुसलमान को रोटी खिलाने की कोशिश की गई जबकि रमजान का समय था। ऐसा क्यों करते हो? इसलिए रोक लगाते समय पहले इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

मैं एक उदाहरण देता हूं। नगर जिले में एक हादसा हुआ। हमारी दलित महिला पर अत्याचार हुआ। खून भी हुआ। अखबारों में 8-10 दिन न्यूज चलती रही। दलितों के सारे नेता वहां भी जाते रहे। रोज टी.वी. अखबार में आता रहा लेकिन जिस दिन गुनहगार पकड़ा गया, उन्हीं के परिवार का आदमी था। अब क्या करोगे? अब किस पर अत्याचार का आरोप लगाओगे? दिलीप गांधी जी बैठे हैं, तब तक अत्याचार की बात चलती रही। समाज में ज़हर फैलाया जाता है...(व्यवधान) दिलीप गांधी जी यहां बैठे हैं। वह नगर जिले के हैं। उनसे आप पूछिए। इसलिए मैं कानून का स्वागत करता हूं लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं पर हम संस्कार में कम हो रहे हैं। दलितों को अगर ऊपर लाना है तो सिर्फ नौकरियों में आरक्षण दे दो, प्रमोशन के लिए क्यों भागते हो? [अनुवाद] बच्चे को मछली खाना मत सिखाइए, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखाइए। [हिन्दी] बच्चे को मच्छी पकड़ना सिखाओ। फिर खाना सिखाओ। पकड़ना सिखाने के लिए उसको पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी को सिखाओ, वैसे ही मैं भी बात कर रहा हूं। [अनुवाद] बच्चे को मछली खाना मत सिखाइए, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखाइए। [हिन्दी] इस माध्यम से कानून का स्वागत करते समय मैं एक चीज की मांग करता हूं कि हम दलितों के संबंध में कानून लेकर आए हैं। बच्चों को शिक्षा मिले लेकिन नहीं मिल रही है। हमारे मुसलमान समाज

की भी वही समस्या है। शिक्षा से वे दूर हैं। एजुकेशन में जिस दिन आएंगे, सारी चीजें भूल जाएंगे। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करते समय कानून का कोई नाजायज फायदा तो नहीं लेगा, इस बात को भी देखना चाहिए। इसका भी उसमें प्रावधान होना चाहिए कि यदि किसी ने अत्याचार के बारे में गलत शिकायत की तो गलत शिकायत करने वाले को भी सजा होनी चाहिए क्योंकि समाज में जाति पांति के आधार पर वह दीवारें खड़ा कर रहा है। इस बिल का स्वागत करते समय एक बात और कहूंगा कि दलित भाइयों के लिए ऊंची शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हमारी सरकार कोशिश करती रहे। धन्यवाद।

डॉ. किरीट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2014 पर बोलने की अनुमति दी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारी सरकार एवं हमारे विद्वान मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत जी का बहुत बहुत आभिनंदन एवं बधाई देता हूं।

महोदय, मैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार और हमारे विद्वान मंत्री श्री थावर चंद गहलोत का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती चल रही है और जो अधिनियम वर्ष 1989 में बना था, उसमें जिस तरह से प्रावधान थे, उस तरह से वह सफल नहीं हुआ था। कब से वह अधिनियम लम्बित था और हमारी सरकार ने आर्डिनेंस 2014 में लाकर आज सदन में पारित करने के लिए पेश किया है, मैं इसके लिए गर्व महसूस कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रृद्धांजलि हमारी सरकार द्वारा दी गई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक दलित लोगों का सवाल है, ये लोग अस्पृश्यता का भोग बनते आ रहे हैं। आज के समय में अस्पृश्यता कम हुई होगी, मगर इसकी जगह आज " मैंटल अनटचेबिलिटी " ने ले ली है। मैं समझता हूं कि मैंटल अनटचेबिलिटी शारीरिक अनटचेबिलिटी से भी ज्यादा भयानक है और इसका निवारण हम नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बैंगलूरू में सम्पन्न हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है कि आज भी लोग सिर पर मैला उठाते हैं, यह हमारे लिए नेशनल शेम का विषय है। हमें इस प्रथा को समाप्त करना है और एक अभियान के तहत हम इस प्रथा को समाप्त करने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यहां तक कहा है कि इस कार्य में हमारे एससी और एसटी कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं होंगे बल्कि इस कार्य में अपर कास्ट के लोग शामिल होंगे। कानून बनाने से ज्यादा जरूरी जनआंदोलन चलाना जरूरी है। लोगों की सोच को बदलने के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, उसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल दलितों के लिए ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी किया है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं चाहे पाकिस्तान हो, मालद्वीप हो, श्रीलंका हो कहीं भी लोकतंत्र नाम की चीज बची नहीं है। आज लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जड़े भारत में मजबूत हुई हैं। अगर इसके लिए किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए तो बाबा साहब अम्बेडकर को दिया

जाना चाहिए। भारत के आजाद होने के बाद बाबा साहब ने संविधान दिया फिर भी उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। मैं गर्व महसूस करता हूं कि जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के स्मारक का शिलान्यास किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की एक लम्बी सोच है। कानून बनाना और लोगों की सोच बदलना तथा दलितों को कैसे सामाजिक न्याय दिया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। दलितों के लिए वर्ष 1989 के बाद अत्याचार कानून बनाया गया, अगर आप आंकड़े देखें तो लगभग 75-80 परसेंट से भी ज्यादा है लेकिन किसी को सजा नहीं मिली है। इस कानून का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसकी जो जांच प्रक्रिया है चाहे वह एफआईआर का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे इसमें पोस्टमार्टम करने की बात हो, हर जगह दलितों के साथ अन्याय किया जाता रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो पोस्ट-मॉर्टम होता है, उसमें एक पैनल पोस्ट-मॉर्टम की तरह पोस्ट-मॉर्टम किया जाना चाहिए। जिस प्रकार यदि कहीं पर युवा महिला की डेथ होती है, तो पैनल पोस्ट-मॉर्टम होता है, दो-तीन डॉक्टर मिलकर पोस्ट-मॉर्टम करते हैं, इसी तरह से इसमें प्रावधान करना चाहिए।

जहाँ तक केस रजिस्ट्रेशन का सवाल है, उसमें एस.पी. लेवल के आधिकारी उसे करते हैं। उसमें भी पैनल होना चाहिए। अभी-अभी पिछली लोक सभा में जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उसमें एक ऐसी बात हुई थी कि दलितों के स्पेशल कंपोनेंट प्लान का 700 करोड़ रुपया घोटाले के रूप में ट्रांसफर किया गया था। सरकार से मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी ऐसा करता है, उस पर एट्रोसिटी ऐक्ट लागू करना चाहिए और कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार इस बिल को लेकर आयी है, तो मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि पूरा सदन एकजुट होकर इस बिल का समर्थन करेंगे।

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ।

सदन की शुरुआत होने से पहले, राष्ट्रीय गीत से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है, तो इतिहास याद आता है कि हमारा भारत देश साढ़े छः सौ सालों तक मुगलों का गुलाम था तथा डेढ़ सौ सालों तक अंगरेज़ों का गुलाम था। इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए तमाम वर्गों के लोगों ने आपस में सुर में सुर मिलाकर भाईचारा बनाकर भारत माता के नारे को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए भारत माता के वीर सपूतों तथा वीर महिलाओं ने अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद कराने का काम किया था। उनके साथ-साथ देश के तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े समाज के लोगों ने भी अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद कराने का काम किया था। उनको भी आशा थी कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, तो हम भी स्वतंत्र होंगे। हमको दो जून की रोटी मिलेगी, तन पर कपड़ा होगा, रहने के लिए मकान होगा, खेती के लिए जमीन होगी, पढ़ने के लिए स्कूल होगा और दवा के लिए अस्पताल होगा। लेकिन, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के 68 वर्षों के बाद भी आज भी 30 प्रतिशत लोग गुलामी की जंज़ीरों में जकड़े हुए हैं। उनकी दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हमारे देश में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। लेकिन, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश में हमारे समाज के लोगों की बहुत दुर्दशा हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तमाम सरकारें आयीं और गयीं, लेकिन दलितों पर अत्याचार, शोषण, बलात्कार, सामूहिक हत्याएँ, आगजनी आदि की घटनाएँ होती रही हैं तथा आज भी हो रही हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों की दशा जस की तस है। अत्याचार को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम कानून बनाकर राज्य सरकारों को भेजा जाता है। किन्तु राज्य सरकारों की दलितों के प्रति साफ मानसिकता नहीं है। इसलिए कानून जस की तस धरी की धरी रह जाती है। इस संबंध में मैं कुछ उदाहरण बताना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले में तीन दलित परिवारों की हत्या करके शव को सूखे कुएं में डाल दिया गया, अमृतसर में पैसे के लेन-देन के लिए दलित को पिंजरे में बंद करके उसी में कुत्ता छोड़ दिया गया, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक बाल्मीकि को पूजा करने से मंदिर

से भगा दिया गया, उत्तर प्रदेश में बागपत में एक दलित के शव को दबंगों द्वारा श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा पर माला पहनाने पर मूर्ति की धुलाई की गयी, मध्य प्रदेश के कुँवरपुर गांव में दलित महिला को गोबर खिलाया गया, राजस्थान के जलेसर तहसील के गांव सिकन्दरपुर में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गयी। मध्य प्रदेश के रतलाम के नेगरूण गांव में दलितों की बारात पर पथराव किया गया क्योंकि दूल्हा घोड़ी पर सवार था। महाराष्ट्र कि शिरडी नगर में युवा दलित होटल में बैठा था, उसके मोबाइल पर बाबा अम्बेडकर साहब की टोन बजी तो आठ लोगों ने पवन कुमार को मोटरसाइकिल से जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में दलितों को नल से पानी लेने से मना कर दिया गया, आज वे लोग दो किलोमीटर दूर से पानी लेने जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के दातारामगढ़ गांव में जमीन के मामले में दलितों का पूरा गांव जला दिया गया। राजस्थान के नागौर जिले के ही डांगावास गांव में जमीन के मामले में तीन दलितों को गोली मार दी गयी और एक महिला की आंख में लकड़ी भोंक दी गयी। राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में ही पांच दलितों की जमीन विवाद को लेकर हत्या कर दी गयी। बिहार के सासाराम के मोहनपुर में खेत में बकरी के जाने की वजह से दलित को जिन्दा जलाया गया। बिहार के गया जिले के पुरागांव में तीन सौ दलित परिवार दबंगों के डर से गांव छोड़कर चले गए। हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव की चार दलित लड़कियों को घसीटकर कार में डाल दिया गया और दो दिनों तक दर्जन भर लोग बलात्कार करते रहे। हरियाणा के जींद जिले के रैवासा गांव में बच्ची को दूध पिला रही महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। हरियाणा के हिसार जिले के गांव ढोवी में एक दलित युवा की हत्या करके शव को पानी की टंकी में डाल दिया गया। हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव में दो दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। मैं कहां तक प्रमाण दूं।

मैं कहना चाहती हूं कि हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पैंतालीस-पचास साल तक रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्या दिया है - भेड़ पालन के नाम पर कर्ज, बकरी पालन के नाम पर कर्ज,

सुअर पालन के नाम पर कर्ज, मुर्गी पालन के नाम पर कर्ज, गधा पालन के नाम पर कर्ज देकर उनका वोट लेती रही और उनके साथ धोखा करती रही। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की दशा और दिशा में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आज भी वे लोग मरे जानवरों का चमड़ा छीलकर, गन्दी नालियों की सफाई करके, गन्दे कपड़े धुलकरके, दूसरों की गुलामी करके अपनी दो जून की रोटी चलाने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिस तरीके से देश में हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, बहन-बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उनके गांव के गांव फूंक दिए जाते थे, सामूहिक बलात्कार होते थे, सामूहिक हत्याएं होती थीं और सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रहती थी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यदि भारतीय संविधान में हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की होती तो आज अनुसूचित जाति के लोगों को न नौकरी में, न शिक्षा में, न राजनीति में आगे बढने का मौका मिलता। यदि उनको यह मौका मिला है तो यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत मिला है। आज मुझे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का जो अवसर मिला है, यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत मिला है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कृत्यों का नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में वर्ष 1950 में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। उस समय अनुसूचित जाति के लोगों की पापुलेशन बहुत कम थी, लेकिन आज की तारीख में अनुसूचित जातियों की पापुलेशन काफी बढ़ चुकी है, आज उस अनुपात में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में भी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दी गयी है, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह किसी भी पद पर हो, आज भी उनके साथ धोखा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज अनुसूचित जाति के लोग नौकरी से वंचित हैं। तमाम ऐसी जगहें हैं, जिस पर आज भी अनुसूचित जाति के लोग नहीं पहुंच सके हैं।

ऐसी स्थिति में आज मैं इस सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य सताए गए समाज के लोगों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को पूरे तरीके से लागू किया जाए। जब तक पूरे तरीके से उस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे, तब तक अनुसूचित जाति के लोगों का मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकती है।

मैं कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों को आजादी के 68 साल बीत जाने के बाद यह लगा कि हमें भी सम्मान चाहिए, हमें भी घर चाहिए, हमें भी रोटी चाहिए, हमें भी व्यवस्था चाहिए तो माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का इस देश में उदय हुआ।

सायं 6.00 बजे

जब मोदी जी इस देश का नेतृत्व करने के लिए हर राज्य और हर जिले में तथा गांव-गांव जाते थे तो लोगों से कहते थे कि हमारी सरकार जो होगी वह दलितों की, गरीबों की सरकार होगी। हम जब सरकार में आएंगे तो सब बेघरों को घर देंगे, सबका विकास करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। इसीलिए उन्होंने 'सबका साथ सबका विकास' का नारा दिया था। तब चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों ने विश्वास करके वोट दिया, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। चाहे जन-धन योजना हो या बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना हो, इस तरह की कई योजनाओं को शुरू करके उन्होंने हम लोगों को लाभ देने का काम किया है। हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी और मंत्री थावर चंद जी की मैं आभारी हूं, जिन्होंने अनुसूचित जाति का सम्मान करने और उन्हें सुरक्षा देने के बारे में चिंता करके उस पर कार्य करने का प्रयास किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति जी आपको भी धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

माननीय सभापति : अभी छः बज रहे हैं, इस बिल पर तीन-चार और सदस्यों को बोलना है, फिर मंत्री जी जवाब देंगे। उसके बाद हम शून्य काल लेंगे। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य: ठीक है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय सभापति जी, हमारे कई साथियों ने हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जो स्थिति है, उस पर विस्तार से अपनी बातों को रखा है। हमारे मंत्री थावर चंद जी जो विधेयक यहां लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सारी घटनाओं को बताते हुए कई वक्ताओं ने अपनी बातों को कहा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ-साथ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहां पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक स्थितियां हैं। जब तक हम समाज की कमजोरियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता।

इस समय जो सरकार है, इस सरकार ने ऐसी बहुत सी चीजों यानि कमजोरियों को चिन्हित किया है, चाहे उत्तर-पूर्व का क्षेत्र हो या जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र हो। उसके साथ ही साथ जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य मामलों में भी पिछड़े हुए हैं, उन्हें देश की मुख्य धारा में लाने की बात इस सरकार ने कही है, क्योंकि यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसी जिम्मेदारी के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक यहां पेश किया गया है।

कई वक्ताओं ने कई घटनाओं का वर्णन यहां किया है। इन घटनाओं का घटना हमारी मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। मानसिक स्थिति शिक्षा और सामाजिक संस्कारों का पूरी तरह से प्राप्त न होने के कारण प्रभावित होती है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनमें कुछ न कुछ खामियां रह जाती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए ही यह संशोधन विधेयक यहां पेश किया गया है।

ऐसी कई बातें हैं, जिनके द्वारा हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को देश की मुख्य धारा में ला सकते हैं, पर जरूरत है प्रयास करने की और कानून को सही ढंग से लागू करने की। हम यह भी नहीं कहते कि कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, आज़ादी के बाद बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। जिसके चलते कई अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग समाज में बड़े-बड़े स्थानों पर बैठे हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि क्रिमीलेयर

के जो लोग हैं, संविधान और कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन अनुसूचित जाति के भाइयों में भी जो लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, वह आरक्षण का लाभ न लेना और अपने दूसरे भाई जो नीचे हैं, उनको ऊपर लाना, ये सारे प्रयास उन लोगों को करने चाहिए, जिससे ये स्थितियां सुधरेंगी।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें यहां रखना चाहता हूं। अभी सावित्री बाई फूले बोल रही थीं। इनका क्षेत्र बहराइच है और मेरा लखीमपुर है। यह क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है। जिसमें बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जो जंगल में बसे हुए हैं। वहां के कुछ लोगों को जनजाति का दर्जा प्राप्त है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जनजाति के दायरे में आने चाहिए, लेकिन वे नहीं आ पा रहे हैं। वोठ और गुर्छिया जातियां लखीमपुर और बहराइच में है। मैंने उनके बारे में पूर्व में भी निवेदन किया था। उन जातियों के बारे में भारत सरकार के जनजाति आयोग के समक्ष 19.08.2013 में एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। निदेशक जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को भेजा गया था, अपनी संस्तुति करने के लिए। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजनैतिक कारणों से प्रदेशों की सरकारें ऐसी संस्तुतियां नहीं करती हैं, वह केवल राजनैतिक लाभ के लिए ही संस्तुतियां करती हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कानून में यह संशोधन किया जाए कि ऐसी जितनी भी जातियां हैं जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से जनजाति के दायरे में आने योग्य हैं, अगर प्रदेश की सरकार उनकी संस्तुति नहीं करती है तो भारत सरकार स्वयं संज्ञान लेकर ऐसी जातियों को जनजाति का दर्जा दे, यह मेरा आपसे निवेदन है। उसके साथ-साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि मुझे अभी-अभी व्हट्स-एप के द्वारा सूचना मिली है जो मेरे जिले संबंधित है और जनजाति के लोगों से संबंधित है। इसमें मुझे यह मिला है कि जंगल से हटाए जाएंगे 1899 घर। यह हो रहा है। लखीमपुर जिले में ऐसे 5-6 गांव हैं, सूरमा और कांपटांडा जैसे कुछ गांव हैं, जहां थारू जनजाति के लोग रह रहे हैं। उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि वहां से बाहर जमीन खरीद कर उन जनजाति के लोगों को अपने गांवों से, जहां वह पचासों सालों से रह रहे थे, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ मैं अपने क्षेत्र के गांव कांपटांडा की ओर ले जाना चाहता हूं। जहां जंगल का क्षेत्र होने के कारण जंगल के अधिकारी कोई भी विकास का काम नहीं होने दे रहे हैं। सड़के, बिजली और पीने का साफ

पानी नहीं है। हद तो यह है कि उनके यहां अगर कोई शादी ब्याह होता है तो बारात जाने के लिए उनको गाड़ी भी ले जाने नहीं देते हैं। गाड़ी ले जाने के लिए 1600 रुपये उनसे लिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि संशोधन करके वोठ, गुर्छिया जैसी जातियां जो मेरे जिले की हैं। कांपटांडा और सूरमा जो गांव हैं, उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए और राजस्व गांव का दर्जा देकर जो विकास कार्य हो सकते हैं, उन कामों को करने का काम किया जाए।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा जो जंगल का क्षेत्र है, वहां बहुत सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं। रेलवे का ब्रॉड गैज कनवर्जन का एक बड़ा काम होने जा रहा है। मैलानी और बहराइच स्टेशन के बीच एक बड़ा जंगल का क्षेत्र है। लेकिन वन विभाग के द्वारा एनओसी न देने के कारण वहां रेल लाइन का ब्रॉड गैज में कनवर्जन नहीं हो पा रहा है, जिससे रेल की यात्रा धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर हम ऐसी जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो उनको शिक्षा और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसमें माननीय मंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसका परिणाम मिलेगा। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि विधेयक में संशोधन करके ऐसी जातियों को जो पात्रता रखती हैं, लेकिन उनको अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भारत सरकार सीधे-सीधे संज्ञान ले और वोठ और गुर्छिया जाति को जनजाति का दर्जा दे।

[अनुवाद]

डॉ. रवींद्र बाबू (अमलापुरम): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब भी भारत में जब हम कंप्यूटर, सुपर कंडक्शन, बुलेट ट्रेन और हवाई अड्डों के बारे में बात कर रहे हैं; हम अभी भी दलितों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बात कर रहे हैं। ये अत्याचार क्या हैं? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? उनका गलती क्या है? क्या वे इंसान नहीं हैं? क्या उन्हें उनके मटा-पिता नहीं हैं? क्या उनका जन्म सामान्य जन की तरह नहीं हुआ है? उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? उन्हें क्यों मारा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? यह कोई समाधान नहीं है। कोई भी कानून कभी भी कोई समाधान नहीं दे सकता। यह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम इस बीमारी का निदान नहीं करेंगे। यह बीमारी लोगों के मन में गहराई से बैठा हुआ पूर्वाग्रह है। जाति एक ऐसी विचित्र चीज है जो केवल भारत में पाई जाती है। यह दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती। [हिन्दी] कास्ट सिस्टम कहीं भी नहीं है। पता नहीं अपने देश में यह कैंसर कैसे आ गया है, यह कैंसर कौन लेकर आया है, इस कैंसर को कैसे खत्म करना है, इसका इलाज कैसे करना है। एट्रोसिटीज एक्ट की वजह से इस कैंसर का निर्मूलन कभी नहीं हो सकता। कैंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन आने के बाद जो एक्ट लाया जा रहा है, यह इसका ट्रीटमैन्ट है। लेकिन बार-बार यह कैंसर क्यों आ रहा है। [अनुवाद] यह कैंसर भारतीय राजनीति को क्यों प्रभावित कर रहा है? इसका कारण यह है कि लोगों के मन में गहराई से बैठा हुआ पूर्वाग्रह है। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, जब तक भारत के लोग भारतीय होने पर गर्व महसूस नहीं करते। मुझे यह महसूस होना चाहिए कि मैं भारत का हिस्सा हूं। मुझे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं दलित जाति से हूं। मुझे अपनी जाति या अपने जन्म पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। यहां जन्म ही जाति तय करता है, पेशा नहीं।

महोदय, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद है, जहां नस्लीय भेदभाव होता है, जिसके खिलाफ गांधीजी ने संघर्ष किया। अमेरिका में भी अश्वेत लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव होता है। हम इसे समझ सकते हैं क्योंकि वहां

भेदभाव त्वचा के रंग या पेशे के आधार पर होता है। लेकिन यहां, सभी भारतीय एक जैसे दिखते हैं। फिर भी, हम जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के परिवार में पैदा हुआ है, न कि उसकी किसी गलती के कारण।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण को अधिनियम बनाया जाना चाहिए। अत्याचार अधिनियम एक तरफ है, लेकिन आरक्षण को अधिनियम बनाया जाना चाहिए। हम सरकार के आभारी हैं, हम भारतीय प्रणाली के आभारी हैं। ये माननीय इतने दयालु हैं कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रवेश स्तर पर कुछ आरक्षण देकर पांच साल की छूट दे दी है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवानिवृत्ति के समय भी पांच वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाए ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी अधिकारी सचिव स्तर के अधिकारियों के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए उपलब्ध हो सकें। मेरे सहयोगी ने पहले ही कहा है कि उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश नहीं हैं, क्योंकि उनका प्रवेश बहुत देर से हुआ है। इसलिए सेवा निवृति के लिए पांच साल का विस्तार दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, 2014 पर अपना मत रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि विशेषकर जब हमारे देश का संविधान बना तो देश में जो पिछड़ी जातियां थीं, उन पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था निर्माण की गई थी, पिछले 68 सालों में आज भी वे जातियां मुख्य धारा में नहीं आईं और उसी का परिणाम है कि हम लोगों को पिछड़ी जातियों को न्याय देने के लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाने का काम करना पड़ता है, ऐसा प्रावधान लाना पड़ता है।

महोदय, आर्टिकल 340, 341 और 342 इन तीनों आर्टिकल से पिछड़ी जातियों को एजूकेशनली और फाइनेंशियली मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था की गई। परंतु क्या इतने सालों में आज भी संविधान की उस धारा के आधार पर ये जातियां मुख्य प्रवाह में आई हैं? मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि इतने सालों में डा.बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसका उपयोग पिछड़ी जातियों के उत्थान में नहीं हुआ और उसके परिणामस्वरूप एट्रोसिटीज जैसे कानून को लाना पड़ता है। आज जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, डीएनटी आदि जातियां, जो समूहों में रहती हैं, उन समूहों को आपस में लड़ाया जाता है। आज यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एट्रोसिटीज एक्ट का मिसयूज किया जाता है। आज भी देश में जिनती एट्रोसिटीज़ के गुनाह दाखिल हुए थे, उसमें से कितनों को हमने शिक्षा दी? उसमें से अगर एवरेज़ में देखा जाए तो 95% लोग बेगुनाह निकले। सभापति महोदय, जिन लोगों पर गुनाह दाखिल किया गया, वह नॉन-बेलेबल ऑफेंस रहता है। उन लोगों की क्या स्थिति रहती है, उनके ऊपर क्या अन्याय होता है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सौ लोग होंगे और उसमें 99% प्रतिशत लोग अगर दोषी हैं और एक निर्दोष हो तो एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस कानून के माध्यम से हम लोग निर्दोष लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं। कानून में एक प्रावधान करने की गरज है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि जो इसका मिसयूज़ किरेगा तो उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल करने की व्यवस्था इस कानून में होनी चाहिए। मैं यह मांग यहां पर करता हूँ।

सभापति महोदय, गुनहगार की कोई जात नहीं होती है। उसको हम जात के आधार पर तौलते जाएंगे तो निश्चित रूप से इस कानून का असर नहीं होगा। निश्चित रूप से पिछड़ी जातियों के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए उस तरह के प्रावधान करने का समय अब आ गया है। हम लोग अगर यह नहीं करेंगे तो हम आपस में लोगों को लड़ाते रहेंगे और उससे हमारा देश टूटता जाएगा। मैं इस बिल के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि गलत मिसयूज़ करने वालों पर इसके ऊपर कार्यवाही करने की व्यवस्था, इस कानून के माध्यम से होनी चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी, आज ओबीसी की व्यवस्था क्या हुई है? हम लोग न तो उनको आरक्षण देते हैं, न उसकी एजुकेशन की व्यवस्था का निर्माण करते हैं, न नौकरी में उनका रिज़र्वेशन है, न उनको

हम मौका देते हैं और एससी, एसटी और ओबीसी की लड़ाई ग्रामीण और शहरी भागों में देखने को मिलती है। मैं इस माध्यम से इतना ही कहूंगा कि ओबीसी के लिए भी एक कानून बनाया जाए, जिसके माध्यम से उनके एजुकेशन और रिज़र्वेशन की भी सब व्यवस्था वहां निर्माण की जाएं। मैं बताता हूँ कि जिस दिन शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को और शेड्यूल्ड ट्राईब के लोगों को हम एजुकेशनल मज़बूत करेंगे, उनको मुख्य धारा में लाएंगे तो इस कानून की गरज नहीं पड़ेगी और इसके आधार पर निश्चित रूप से यह व्यवस्था सरकार निर्माण करे। इस कानून में थोड़े संशोधन किए जाएं, और निश्चित रूप से इस कानून का मैं समर्थन करता हूँ और एक अच्छा कानून इस देश में बने, इतनी ही मांग करता हूँ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आदरणीय थावर चंद गहलोत जी के प्रस्ताव का मैं अभिनंदन करती हूँ। वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार के निवारण के लिए जो संशोधन लाए हैं, वे बहुत ही जरूरी संशोधन हैं। आज हम लोग सोचते हैं कि आजादी के बाद क्या हो रहा है। इतने वर्षों के बाद भी इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। इन लोगों पर जिस तरह के कष्ट होते हैं, हम लोग जा कर देखते हैं कि इनको घर का आधिकार नहीं मिलता है, जो अनाज का आधिकार है, वह नहीं मिलता है। इन लोगों को किस तरह दबाया जाता है, आज इन सारी स्थितियों को देखने के लिए मैं खड़ी हूँ। प्रत्येक वर्ग में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वे समझिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं सभी जाति वर्ग की तुलना इसलिए कह रही हूँ कि अगर किसी वर्ग की महिला आती है, तो उनको नीची दृष्टि से देखा जाता है। उन पर किस तरह की लांछनाएं लगाई जाती हैं और किस तरह दबा कर रखा जाता है। आज मैं सदन में खड़ी हूँ। मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि कितनी बार मैं इस चीज़ को रखना चाहती हूँ कि चाहे कोई विषय हो, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। मैं मुख्य सचेतक जी का आभिनंदन करती हूँ कि कभी-कभी तकलीफ होती है कि अगर बोलने के लिए हम खड़े होते हैं, हम सांसद हैं, हम किसी को सांस देने के लिए आए हैं, सांस छीनने के लिए नहीं आए हैं। हम अंदर की भावना को रखने के लिए आए हैं। जब हम नहीं रखेंगे, जब हम नहीं बोल पाएंगे तो यहां पर बैठ कर हम क्या करेंगे? हम जिस परिस्थिति को झेलते हैं, उससे बड़ी तकलीफ होती है।

सावित्री बाई फूले ने बहुत सारी बातों को रखा है, जिनमें बिहार और यूपी की परिस्थिति दर्शायी है, मैं उनको दिल से स्वीकार करती हूँ। आज बिहार में क्या परिस्थिति है, वहाँ किस तरह लोग जी रहे हैं, यह भी हमने देखा है। कांग्रेस पार्टी की जो पिछली सरकार थी, उसने कैसे लोगों को जीवित रखा, उसने किस तरह से दलितों को छोटा-छोटा उपहार देकर उसका वोट लेने का काम किया और उसे गरीब रखने का काम किया। आज जो परिस्थिति है, जहाँ तक भी हम देखते हैं, किसानों की भी बुरी हालत हो गई है। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जब खेतों में काम करने जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, यह भी हमने देखा है। किस तरीके से उनके अधिकारों को छीनने का काम होता है। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जनजातियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय मिले। परिस्थिति ऐसी आती है कि

केस होता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। बहुत देर हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ तक किस बात को कहें? हमारे ऊपर भी हरिजन एक्ट लगाया गया। ऐसी स्थिति को सांसद होते हुए भी मुझे झेलना पड़ा। आज की परिस्थिति को देखते हुए, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मंत्री जी को कि वे इसे लाए हैं, इसका निवारण करने के लिए इसे लाए हैं, उस चीज को करने के लिए आगे बढ़ें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया, उनके बनाये कानून के तहत ही हम लोग यहाँ खड़े हैं। अगर वे कानून नहीं बनाते तो हमें यहाँ खड़े होने का अधिकार नहीं होता। जिस परिस्थिति से हम लोग लड़ाई लड़े हैं, हम कहना चाहेंगे-

"मजबूर की मजबूरियों को सोचकर देखो और प्रेम की इन झोपड़ियों को बीच में खोजकर देखो,

अगर इंसानियत को फिर से धरती पर बुलाते हो, किसी रोते हुए के आंसू को पोछकर देखो।।"

तब जाकर यह नियम कानून आपका बरकरार रहेगा। नियम बनते रहेंगे, उसका पालन अगर नहीं होता है, तो रमा देवी ऐसी आग में तड़पती रहती है, बोलती रहती है, लेकिन असर नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि दुरूपयोग होने वाले जितने एक्ट हैं, जो आदमी गलत केस करते हैं, उन पर भी केस हो, जाँच सही हो, नहीं तो आज जो बिहार सरकार में हो रहा है, उससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी आए, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो हिम्मत मिली है, उनको लगता है कि उनका आधिकार वापस आएगा, इसीलिए हमें इतने बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला है। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं कि इनका अधिकार कैसे मिल जाएगा और अच्छे दिन कैसे आ जाएंगे? अच्छे दिन नहीं आए, ऐसा बोलकर इन पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी एक हल्ला बोलकर तमाशा बनाए हुए है और इतने दिनों से सदन को नहीं चलने दे रही है। हम समझते हैं कि करोड़ों रूपए प्रतिदिन खर्च होते हैं। जिस स्थिति में हमें अच्छे दिन लाने हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके अच्छे दिन आएं, उनको पीने का पानी मिले, उनको जनवितरण की दुकान से अनाज सही मिले, उनका जो घर बनने का काम है, वह हो और जो एपीएल, बीपीएल की गड़बड़ियां हैं, उसे ठीक करने का मौका मिले। अब बिहार सरकार देखती है कि किसी तरह से वोट ले लें और दलित, महादलित करके वोट को

बाँटते हैं। हम लोग तो जानते भी नहीं हैं कि कौन-कौन जाति का है और वहाँ जाति की प्रथा बहुत जड़ पकड़े हुई है। वहीं नहीं हर जगह ऐसा है और वो लोग चाहते हैं कि ये लोग इसी तरह से गरीब बने रहें।

माननीय सभापति : कृपया, कंक्ल्यूड कीजिए।

श्रीमती रमा देवी : मैं कंक्ल्यूड कर रही हूँ। मुझे बोलने का बहुत कम समय मिलता है। मैं एक शायरी कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी।

"कि आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की,

मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की।।

हिम्मत और हौसला बुलंद है, मैं खड़ी हँ, अभी गिरी नहीं हूँ, अभी बाकी है और मैं हारी भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उस काम को करने आई हूँ, करके जाऊंगी, चाहे कितनी भी बाधाएं आएंगी, कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, मैं संघर्ष करूंगी और उस स्थान पर पहुँचाऊंगी जिन्होंने बहुत वर्षों से पीड़ा झेली है, बहुत वर्षों से उनका अधिकार छीना गया है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज को स्थापित करके जाऊँ। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना): माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूँ। महोदय, आज मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिए मुझे पाँच मिनट के बजाय छः-सात मिनट दे दिए जाएँ, मैं छः-सात मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। ...(व्यवधान)

महोदय, 1947 से पहले जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जहाँ पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो कुछ लोग असमानता से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं उन सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो न सिर्फ गुलाम हैं, बल्कि गुलामों के द्वारा भी गुलाम बनाए जाते हैं। इस देश की बड़ी विचित्र सी स्थिति है। जो व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम करता है, कष्टकारी और दुर्गन्ध वाला काम करता है, उसको सबसे कम वेतन मिलता है। एक सफाई कर्मचारी जो सुबह चार बजे से शुरू हो जाता है और सबसे अधिक मेहनत करता है, दुर्गन्ध के बीच रहता है, उसे स्थायी नौकरी नहीं मिलती। ठेका प्रथा में उसके सभी अधिकारों का हनन कर लिया जाता है। सरकार भी उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखती। अगर बीमार हो जाए तो चिकित्सा सुविधाएँ भी उसको नहीं मिल पातीं। लेकिन जो व्यक्ति बड़े-बड़े पदों पर सरकारी नौकरियों में हैं, उनके परिवार वालों को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं। एक मज़दूर जो सारे दिन मेहनत करके बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज़ बनाता है, अपनी जान का जोखिम उठाता है, उस व्यक्ति को इस देश में सिर ढकने के लिए एक छत नहीं मिल पाती। जो लोग खाना नहीं खा पाते, उन्हें ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता इस देश में मिलता है। लेकिन जो भूखा है, उसे इस देश में दो जून की रोटी तक प्राप्त नहीं हो पाती। यहाँ पर मंदिरों में भगवान को छप्पन भोग लगाए जाते हैं, टनों दूध से उन मूर्तियों को नहलाया जाता है पर मंदिर के सामने बैठा हुआ गरीब और दलित भूख के मारे दम तोड़ देता है। बड़ी विचित्र स्थिति इस देश की है। दलित इन सब पीड़ाओं को रोज़ सहन करता है। इसका मतलब यह नहीं कि दलित समाज के पास बुद्धि की की कमी है, इसका मतलब यह भी नहीं कि दलित समाज के लोगों के पास किसी क्षमता की कमी है। अगर कमी है तो इस देश के सभ्य समाज के द्वारा उनके अधिकारों के हनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थिति से उनके पास संसाधनों की कमी है।

महोदय, अगर हम देखें तो दलित समाज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बड़ा शायद ही कोई बिल्डर इस देश में होगा, शायद ही कोई बड़ा उद्योगपति इस देश में होगा, शायद ही कोई बड़ी शिक्षण संस्था का मालिक इस देश में होगा, शायद ही कोई बड़ा ठेकेदार इस देश में होगा और इस देश के उन 9000 परिवारों में से जो इस देश की 70 प्रतिशत संपत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं, अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं होता। यह सब दलितों को उनके अधिकार न मिलने के कारण है। महोदय, ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति अपने आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु उसके साथ कदम-कदम पर अन्याय होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, उसे गरीब बनाए रखने के लिए षड्यांत्र रचे जाते हैं चाहे वह सरकारी स्तर पर हों या सामाजिक स्तर पर। उदाहरण के तौर पर अगर हम बैंकों के द्वारा लोन देने वाली प्रक्रिया को देखें तो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन का 0.04 परसेंट से भी कम इस समाज के लोगों को दिया जाता है। तरह-तरह के बहाने बनाकर इस समाज के लोगों को लोन से वंचित रखा जाता है जिससे वे अपने उद्योग स्थापित नहीं कर पाते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कोई अलग योजना बनाकर बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए लोन की सुविधा दिलाई जाए।

महोदय, यहाँ मुझे यह कहते हुए गुरेज़ नहीं कि सरकार की नीतियाँ अभी तक दलितों के पक्ष में नहीं रही हैं। जो भी योजनाएँ चलाई गई हैं, उनका स्वरूप ऐसा रखा गया है कि उनमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से घर कर गया है। आज चाहे प्राइवेट शिक्षण प्रणाली के कारण सरकारी स्कूल सिर्फ एस.सी. एस.टी. के संस्थान बनकर रह गये हैं, जिसके कारण वहां पढ़ाने वालों की रुचि समाप्त हो गई है और वहां का शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता चला जा रहा है। प्राइवेट कम्पनियों में भी जो नौकरियां दी जाती हैं, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का रिप्रेजेण्टेशन बहुत कम है, क्योंकि, उसमें तो नाम के आगे और नाम के पीछे लगने वाले सरनेम को देख कर ही रोजगार दिया जाता है।

मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में जो अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नौकरियों का जो आरक्षण नहीं भरा गया है, यह भी एक साजिश के तहत है। इसको भी एट्रोसिटीज़ के अन्दर लाना जरूरी है कि जो नोट सुटेबल बताकर लोगों को सरकारी नौकरियों का रिप्रेजेण्टेशन न देकर

वंचित रखा जाता है, इसको भी एट्रोसिटीज़ एक्ट के अन्तर्गत लाना बहुत जरूरी है। हम दलित एवं पिछड़े समाज के लोग बहुत मजबूत मिट्टी के बने हुए हैं, जो हर कष्ट सहन कर लेते हैं, परन्तु दिल तो जब दुखता है, जब हमारे बराबरी के सामाजिक अधिकारों का हनन होता है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में एक दलित महिला को इसलिए बुरी तरह से पीटा जाता है, क्योंकि उसकी परछाई दबंगों के ऊपर पड़ जाती है। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। महाराष्ट्र में दलितों को मजबूरन गांव छोड़कर जाने के लिए विवश कर दिया जाता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : पाइंट ऑफ ऑर्डर। अगर यह बात गलत है तो मैं कार्रवाई से निकलवाने के लिए कहता हूं, लेकिन मैं इनको प्रूफ दूंगा। आपसे बाद में बात करूंगा।...(व्यवधान) मैं आपके साथ खड़ा होकर बात करूंगा कि किसको बाहर निकाला, बताओ।

डॉ. यशवंत सिंह : डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के गाने की रिंगटोन मोबाइल पर लगाने पर दलित को पीट-पीट कर मार दिया जाता है। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जिसमें दलित महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है।

माननीय सभापति : ऐसी घटनाएं बहुत आई हैं, अभी बन्द करो।

डॉ. यशवंत सिंह : महोदय, हद तो तब हो जाती है, जब माननीय न्यायालय द्वारा भी बिहार में रणवीर सेना द्वारा मारे गये 23 लोगों के हत्यारों को बरी कर दिया जाता है और यह इसलिए किया जाता है, क्योंकि, कोई गवाह नहीं मिलता। ...(व्यवधान)

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय सभापति महोदय, अभी तक 14 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं आभारी हूं, आदरणीय वीरेन्द्र कश्यप जी का, डॉ. गोपाल जी का, बलभद्र जी का, मलायाद्री जी का, वी.रामा प्रसाद जी का, रतन लाल कटारिया जी का, अभिजीत जी का, किरीट सोलंकी जी का, साध्वी सावित्री जी का, अजय मिश्रा जी का, पी.वी. रविन्द्रन जी का, नाना पटोले जी का, रमादेवी जी का, अरविन्द सावन्त जी का और डॉ. यशवन्त सिंह जी का। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, जो कुछ बिन्दु आये हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। सरकार ने पिछले एक वर्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वे नहीं हों, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर के एक नहीं, अनेक प्रयास किये हैं। जैसे हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का एक एक्ट लागू किया है और उस एक्ट पर अमल कर दिया है। हमें जैसे ही पता लगता है कि हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा के अन्तर्गत कोई सफाई कर्मचारी काम में लगा है, उसको उससे मुक्त कराते हैं। चालीस हजार रुपये एकमुश्त उसको आर्थिक सहायता देते हैं और 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनको मानदेय भी देते हैं और ट्रेनिंग के बाद में स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की ओर से सस्ते ब्याज पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। पहले जो लोग परमानेंट थे, उनको काम पर रखने की भी हम कार्रवाई करते हैं। जो महिलाएं सफाई कर्मचारी के परिवार से संबंधित हैं, ऐसी 250 महिलाओं को कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस देने की दृष्टि से मोटर मैकेनिक और ड्राइविंग का काम सिखाने के लिए हमने एक कैम्प आयोजित किया है। वह तीन महीने से चल रहा है। अगर माननीय सदस्यगण वहां जाकर उसे देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें खुशी होगी। कुल मिलाकर, पहले जो अन्याय, अत्याचार होता था, उसको परिवर्तित करके ठीक करने की दिशा में यह कदम है। लोगों की मानसिक परिस्थिति और मानसिकता को परिवर्तित करके 'हम सब एक हैं' ऐसा भाव, और सबके प्रति हमारा जो कर्तव्य बोध है, उसका अहसास कराने की दृष्टि से अम्बेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ को साल भर मनाने की दृष्टि से हमने एक कार्य-योजना बनाई है।

देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता आभियान प्रारंभ किया है। यह स्वच्छता अभियान निश्चित रूप से सफाई कर्मचारियों के हित संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि असत्य प्रकरण दर्ज कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की जो दंड प्रक्रिया संहिता है, उसमें आई.पी.सी. की अनेक ऐसी धाराएं हैं कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ न्यायालय को कार्रवाई करने का अधिकार है और अनेक अवसरों पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई भी है। इसलिए इसके लिए अलग-से कुछ संशोधन लाने की या इसके लिए अलग-से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं।

महोदय, यहां रिक्त आरक्षित पदों की भी बात आई है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है और इसके लिए एक कमेटी भी बनी है कि जितने भी आरक्षित पद रिक्त हैं, उसके लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें भरने की कार्रवाई की जाएगी।

महोदय, विशेष थाने और विशेष न्यायालय स्थापित करने की भी बात आई है। वर्तमान में जो प्रोवीजन है, उसमें ऑलरेडी यह प्रावधान है। वर्ष 1995 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित जो कानून बने थे, उसमें इसका उल्लेख है। जहां तक विशेष न्यायालय बनाने की बात है तो आज भी इसके लिए प्रावधान है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के यहां आवेदन करने पर, उनसे अनुरोध करने पर वे विशेष न्यायालय की अनुमति देते हैं। विशेषकर, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालयों पर अलग-से विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं और वकील की भी सहायता दी जाती है। इस प्रकार, कुल मिलाकर पहले से ही बहुत सारे प्रावधान विद्यमान हैं। अभी यह जो हम बिल लाए हैं, इसमें भी हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं।

महोदय, हम जो-जो प्रावधान इस कानून में जोड़ रहे हैं, मैं सोचता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद उस कानून का युक्तियुक्तकरण भी हो जाएगा। इसके लिए उचित प्रावधान होने के कारण कुछ अंकुश इससे भी लगेगा। लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करके अमन-चैन का वातावरण बनाने की दृष्टि से हम सब एक

परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य के रूप में दूसरे परिवार के सदस्य के प्रति हमारा जो कर्तव्य-बोध है, उसका अहसास कराने की दृष्टि से भी हमने अनेक कार्य-योजनाएं बनाई हैं। हम उन सब कार्य-योजनाओं पर अमल करने का काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं इससे ज्यादा कुछ कहूं, इसकी आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित करने में अपना योगदान दें।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सदन विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 धारा 2 का संशोधन

माननीय सभापति: अब, डॉ. ए. संपत संशोधन संख्या 30 और 31 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन संशोधन संख्या 38 और 39 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 धारा 3 का संशोधन

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री बी. विनोद कुमार संशोधन संख्या 12, 13 और 14 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री जितेंद्र चौधरी संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

डॉ. ए. संपत संशोधन संख्या 32 और 33 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री बलभद्र माझी संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 नए प्रतिस्थापन

धारा 4 के लिए धारा

माननीय सभापति : श्री बी. विनोद कुमार संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

डॉ. शशि थरूर संशोधन संख्या 18 और 19 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री बलभद्र माझी संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 8 धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

माननीय सभापति : श्री रवीन्द्र कुमार जेना संशोधन संख्या 10 और 11 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री बी. विनोद कुमार संशोधन संख्या 16 और 17 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

डॉ. शशि थरूर संशोधन संख्या 20 और 21 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री बलभद्र माझी संशोधन संख्या 37 और 46 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

खंड 8 विधेयक का हिस्सा बना रहेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

डॉ. ए. संपत संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 नए **अध्याय 4 क का अंतःस्थापन**

माननीय सभापति : श्री जितेंद्र चौधरी संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन संशोधन संख्या 43, 44 और 45 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

श्री बलभद्र माझी संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करेंगे। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं? वह प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 **2014 का अध्यादेश 1**

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2 पेश किया जाए।

[हिन्दी] संशोधन किया गया :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, में "2014" के स्थान पर "2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री थावर चंद गहलोत)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 1, यथासंशोधित, विधेयक का अंग है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 , यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1 पेश करने वाले हैं।

संशोधन किया गया :

[हिन्दी] "कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "पैसठवें" के स्थान पर " छियासठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।" (1)

(श्री थावर चंद गहलोत)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित विधेयक का अंग होगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित *विधेयक में जोड़ा गया।*

शीर्षक को विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय सभापति : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब हम शून्यकाल शुरू करते हैं। प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया जाएगा।

श्री नागेंद्र कुमार प्रधान (संबलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन (ए.आई.आर.ई.एफ.) जो भारतीय रेलवे के लगभग 80,000 जूनियर इंजीनियरों और वरिष्ठ अनुभाग का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिदिन लाखों यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए काम कर रहा है। ए.आई.आर.ई.एफ. अपने इंजीनियरों के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, भर्ती के तरीके, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा स्थिति आदि की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को उचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मान्यता की लंबे समय से मांग कर रहा है। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा समीक्षा समितियों (खन्ना, वांचू समितियां, आदि) ने अलग मंच की सिफारिश की है। चूंकि इंजीनियर पर्यवेक्षी श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें रक्षा मंत्रालय आदि की तरह रेलवे के श्रमिक संघों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस मामले पर गौर करे और रेलवे सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की बेहतरी के मद्देनजर रेलवे बोर्ड के आर.पी.एफ., ग्रुप 'ग' और ग्रुप 'घ' संघों की तरह रेलवे इंजीनियरों के लिए एक अलग संघ का दर्जा प्रदान करे, ताकि वे अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकें।

श्रीमती के. मरागाथम (कांचीपुरम): सभापति महोदय, मैं आपको इस अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूं।

नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, एक खनन एवं बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है, जो चेन्नई को पानी भी उपलब्ध कराती है। हाल ही में यह अपने विनिवेश योजना और इसके 27,000 कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण समाचारों में रही है। नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तमिलनाडु के लिए बिजली के प्रमुख स्रोतों में से एक है क्योंकि इससे राज्य को 1,450 मेगावाट बिजली मिलती है। लगभग 12,000 नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के कर्मचारी 20 जुलाई, 2015 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और वे उच्च वेतन की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अंतरिम राहत दी गई है,

उनका वेतन समझौता 1 जनवरी, 2012 से लंबित है। अब तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि यह हड़ताल जारी रहती है, तो इससे उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है और तमिलनाडु में बिजली संकट उत्पन्न हो सकता है।

हमारी प्रिय नेता और तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने एन.एल.सी. कार्यकर्ताओं की शिकायतों के संबंध में माननीय प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। *अम्मा* ने प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि वे कोयला मंत्रालय को एन.एल.सी. के प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करने का निर्देश दें ताकि तमिलनाडु के बेहतर हित में हड़ताल को यथाशीघ्र समाप्त किया जा सके। इसलिए, मैं सरकार से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूँ।

श्री कराडी संगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान कोप्पल में संभागीय डाकघर और छंटाई कार्यालय की स्थापना के साथ-साथ अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाकघरों के लिए स्वयं के भवनों के निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, वर्ष 1997-98 में, कर्नाटक सरकार ने कोप्पल सहित सात नए जिलों की घोषणा की थी। अब कोप्पल को छोड़कर सभी नए घोषित जिलों का अपना संभागीय डाकघर और छंटाई कार्यालय है। इसके कारण गडग और कोप्पल के बीच की दूरी लंबी होने के कारण कोप्पल के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कोप्पल सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए गडग मंडल कार्यालय से जुड़ा हुआ है। डाकघर के लोगों और कर्मचारियों के लिए गडग संभागीय कार्यालय से सेवा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है।

एक अन्य मुद्दा कर्नाटक, विशेषकर कोप्पल जिले में डाकघरों के लिए अपने भवनों के निर्माण से संबंधित है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 271 डाकघर हैं। 271 में से, केवल 11 डाकघरों के अपने भवन हैं और शेष किराए के भवनों से काम कर रहे हैं, जबकि सरकार किराए का भुगतान करने से बचने के लिए अपने भवनों का निर्माण

कर सकती है। स्वयं के भवन न बनने के कारण डाक विभाग को इन भवनों के लिए हर माह भारी भरकम किराया देना पड़ रहा है।

इसलिए, मैं माननीय संचार मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर गौर करें और कोप्पल में एक संभागीय डाकघर और छंटाई कार्यालय खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जिससे लोग आसानी से अपना काम कर सकें और उन्हें 100 किलोमीटर की दूरी न तय करनी पड़े। मैं मंत्री जी से एक ऐसी योजना बनाने का भी अनुरोध करूंगा जिसके द्वारा सभी डाकघरों को अपने भवनों में स्थानांतरित किया जा सके जिससे भारत सरकार अब इन भवनों को किराए के रूप में भुगतान की जा रही धनराशि को बचा सके।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय को यहां शून्यकाल के माध्यम से उठाना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं, बिहार राज्य से 15 नवम्बर, 2000 को 81 विधान सभा के साथ झारखंड राज्य बनाया गया था। झारखंड की भौगोलिक संरचना एक पहाड़ी क्षेत्र की है। साथ ही जनसंख्या का घनत्व भी कम है और फैला हुआ है। विधान सभा क्षेत्र भी काफी फैला हुआ है जिससे इस पिछड़े राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 में संशोधन कर झारखंड विधान सभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 150 की जाएं। इस संबंध में झारखंड विधान सभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव दो बार केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य में विधान परिषद का भी प्रावधान था और है जिसमें झारखंड की सहभागिता थी। लेकिन अलग राज्य बनने से झारखंड में विधान परिषद नहीं बनाई गई है। झारखंड राज्य में कई ऐसे जिले हैं जिसमें सभी विधान सभा सीटें आरक्षित हैं। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए झारखंड राज्य में विधान परिषद के गठन की आवश्यकता है जिससे समाज का समन्वित स्वरूप राज्य में प्रतिनिधित्व करते हुए दिखे और एक स्थायी राजनीतिक दिशा मिल सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री सुनील कुमार सिंह को श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेंथिलनाथन (शिवगंगा): माननीय सभापति महोदय, महान स्वामी विवेकानंद ने कहा था, "मुझे 100 ऊर्जावान युवा दीजिए, मैं भारत को बदल दूंगा"। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का लक्ष्य भारत में परिवर्तन लाने के लिए करोड़ों युवाओं को प्रेरित करना, उन्हें आकार देना और उनका मार्गदर्शन करना है। डॉ. कलाम, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास के लिए एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया, एक महान दूरदर्शी, वैज्ञानिक और मानवतावादी हैं। रामेश्वरम भारत को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। डॉ. कलाम ने रामेश्वरम और राष्ट्र को वैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से जोड़ा।

डॉ. अब्दुल कलाम की स्मृति में, हमारे प्रिय नेता माननीय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने पूर्व राष्ट्रपति के युवाओं के प्रति लगाव के कारण डॉ. कलाम के जन्मदिन को तमिलनाडु राज्य में 'युवा पुनरुत्थान दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री अम्मा ने डॉ. ए.पी.जे. कलाम के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें आठ ग्राम का स्वर्ण पदक और पांच लाख रुपये नकद शामिल हैं, जो हर साल स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु राज्य के विज्ञान, मानवता और छात्रों के कल्याण के क्षेत्र में योग्यता के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा।

ऐसे महान नेता की स्मृति में, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह दिल्ली से तमिलनाडु में शिवगंगा *होते हुए* रामेश्वरम तक एक नई आधुनिक सुपर-फास्ट दैनिक ट्रेन शुरू करे। नई ट्रेन का नाम 'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सुपर-फास्ट एक्सप्रेस' रखा जाना चाहिए, जिसमें छात्रों के लिए रियायती किराया हो और छात्रों के लिए एक अलग कोच हो, जिसमें एक ग्रंथालय हो जिसमें डॉ. कलाम की जीवनी, डॉ. कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तकें, डॉ. कलाम के बारे में अन्य लोगों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और डॉ. कलाम की पसंदीदा पुस्तकें हों।

रामेश्वरम में एक स्मारक के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में 10, राजाजी मार्ग पर उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया जाना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

माननीय सभापति : श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल शेवाले, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, श्रीमती वी. सत्यबामा, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, श्री पी.पी. चौधरी, श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्रीमती कोथापल्ली गीता को श्री पी.आर. सेंथिलनाथन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : महोदय, मैं गोवंश आधारित कृषि के संवर्धन हेतु अपील करना चाहता हूं। क्या सरकार महंगी कृषि से आहत कृषकों के कल्याण हेतु मशीन व ट्रैक्टर आधारित कृषि से मुक्ति दिलाकर गोवंश आधारित कृषि के विस्तार पर ध्यान देगी? सरकार पिछले वर्षों में बंजर होती कृषि भूमि व डार्क जोन में बदलते क्षेत्र से मुक्ति पाने हेतु रसायनिक खादों के बजाए जैविक कृषि के विस्तार पर ध्यान देगी? क्या सरकार प्रतिवर्ष डीजल व विदेशी बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर अनावश्यक सब्सिडी दे रही है। क्या गोवंश के सदुपयोग से रसायनिक खाद व कीटनाशकों पर हो रहे व्यय को कम नहीं किया जा सकता है? क्या देश में पिछले 10-12 वर्षों में 1 करोड़ कृषकों ने कृषि से नाता तोड़ा है, कई कृषकों ने आत्महत्या की है, ऐसी स्थिति में गोवंश उत्पाद (जैसे गोमूत्र से कीटनाशक, केंचुआ खाद, कम्पोस्ट, अमृतपानी, गोमूत्र अर्क टिकिया, मालिश तेल, मच्छर क्वाइल, फिनाइल, कागज जैसे वैज्ञानिक प्रमाणित 40-50 श्रेष्ठ उत्पाद) पर आधारित सहकारी संस्थाओं को 6 लाख गांवों में गठन कर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ा सकती है? प्रदूषित अन्य व जल से मानव स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है ऐसी स्थिति में रोगप्रतिरोधक क्षमता ए-2 प्रोटीन जो देशी गाय के उत्पाद में पाया जाता है उसके उत्पादन वृद्धि से स्वस्थ राष्ट्र के स्वप्न को नहीं बढ़ाया जा सकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर के कृषक प्रतिदिन 1 लाख लीटर दुध दिल्ली भेजते हैं, क्या उन्हें देशी नस्ल की गाय के दुध उत्पादन

हेतु सब्सिडी योजना पर विचार करेंगे क्या? मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि स्वस्थ, सम्पन्न और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना गोवंश आधारित कृषि से ही संभव है मशीन आधारित कृषि से नहीं।

माननीय सभापति : श्री सी.आर.चौधरी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री भैंरो प्रसाद मिश्र को श्री सुधीर गुप्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में तीन ऐसे स्थानों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो धामिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ से 45 किलोमीटर दूर नेशनल हाइवे - 27 पर 12वीं सदी के राजा पृथ्वी राज चौहान द्वारा ऐतिहासिक महत्व का एक मंदिर शिवालय जिसे वास्तु और शिल्पकला की वजह से मिनी खुजराहो के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक जलप्रपात के कारण देश और विदेश के पर्यटकों का वहां आना-जाना लगा रहता है।

<u>सायं 7.00 बजे</u>

यह स्थल सघन वन क्षेत्र से हरा-भरा है। उसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बून्दी, रणथम्भौर व सरिस्का के पर्यटकों का भी यहां आना-जाना रहता है। 28 जून, 2015 को आकाशवाणी के मन के कार्यक्रम में पूरे देश से जनता द्वारा भिजवायी गयी दुर्लभ प्राकृतिक स्थानों में से माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा मैनाल जल प्रभात का स्मरण करना अपने आप में उस स्थान के महत्व को प्रकट करता है।

सभापति महोदय, मैं एक ऐसा स्थान मातृकुण्डिया के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेवाड का हरिद्वार कहलाता है। वह भगवान परशुराम की तपस्थली रही है। उस तप स्थली पर एक बहुत बड़ा जल कुण्ड है, जिसके कारण उसे मातृकुण्डिया का स्थान कहा गया है। प्रतापगढ़ जिले में अरनोद के पास एक गौतमेश्वर महादेव गुफा में बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ नहाने से ही पाप से मुक्ति मिल जाती है। ये तीनों ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटक स्थल हैं और पुरातत्व विभाग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग इसके लिए एक विशेष पैकेज बनाकर बजट आवंटित करे। इससे निश्चित रूप से हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक, पुरातत्व और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को विकसित करने का काम होगा।

माननीय सभापति : श्री सी.आर. चौधरी को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : माननीय सभापति जी, आपने हमें बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हू। मैं एक अति लोक महत्व का विषय शून्य काल में उठाना चाहती हं। हमारे संसदीय क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ जनपद में पड़ता है। आजमगढ़ जनपद में व्याप्त गौहत्या व गौमांस की तस्करी का कारोबार उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के संरक्षण में धड़ल्ले से जारी है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जनपद के थाना दीदारगंज के ग्राम दरियापुर में भारी मात्रा में गौमांस की बरामदगी है। पिछले माह गौवध के लिए ट्रकों में भरकर सरायमीर, कप्तानगंज, अतरौलिया और कंधरापुर में ले जा रही गायों की खेप का जनता द्वारा पकड़ा जाना और प्रशासन द्वारा गायों से लदी ट्रक को छोड़ देना और इस घृणित कार्य का विरोध करने वाली जनता को गंभीर धाराओं के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाना घोर निंदनीय है। मैं इस सदन के माध्यम से इस घृणित मामले और उत्तर प्रदेश शासन-प्रशासन की घोर निंदा करती हूं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि दरियापुर की घटना में लिप्त मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाये और कानून बनाकर पूरे देश में गौहत्या पर रोक लगायी जाये तथा गौ संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाये जायें। सरकारी खर्च से देश के सभी जिले मुख्यालयों में गौशाला की स्थापना की जाये। इसके साथ मैं यह भी मांग करना चाहती हूं कि जो वाहन इस गौमांस के साथ पकड़ा जाये, उस वाहन का लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाये।

सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री अजय मिश्रा टेनी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सी. पी. जोशी, श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री राम मोहन नायडु किंजरापु को श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में तरह-तरह के बदलाव देखने में आ रहे हैं। बाढ़, सूखा, भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना और चक्रवात आदि की घटनाओं से पूरा देश परेशान है। अभी वर्तमान में देश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं कई राज्यों में अल्प वर्षा या वर्षा हुई ही नहीं है। इस कारण किसानों के समक्ष बहुत गंभीर संकट खड़ा हो गया है। किसानों के साथ-साथ खेती के काम में लगे हुए मजदूरों के सामने भी मजदूरी, रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों जैसे उज्जैन, रतलाम और झाबुआ में बहुत भीषण बारिश हुई। अभी पिछले दिनों उज्जैन के बारे में समाचार आये थे कि वहां पर सिंहस्थ होने जा रहा है। वहां सारे मंदिर डूब गये हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और बुन्देलखंड के लगभग 19 संभाग सूखे की चपेट में हैं। वहां सामान्य से कम बारिश हुई है। गुजरात में आति वर्षा से दस शेर और 90 चीतलों की जान गयी। वहीं राजस्थान में भी लगभग 80 मौतें आति वर्षा से हुईं। मणिपुर में भी 30 लोगों की मृत्यु हुई। नागालैंड में भी काफी जनधन की हानि हुई। मध्य प्रदेश में 37 लोग बाढ़ के कारण मरे और 70 जानवर बाढ़ की चपेट में आये। इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल में 50 लोगों की मौत आति वर्षा से हुई है। ओडिशा में भी बड़ी संख्या में लोग कालगर्भित हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे देश में इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जहां किसानों ने बोनी कर दी थी, वहां पर पानी नहीं गिरा, तो उनकी फसलें खराब हो गयीं। जहां पर बोनी करने के बाद आति वर्षा हो गयी, वहां पर भी उनकी फसलें नष्ट हो गयी हैं। जहां आति वर्षा से नुकसान हुआ है या जहां अल्प वर्षा होने के कारण पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया ह,ै मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से अनुरोध करना चाहता हें कि केंद्र सरकार ऐसे सभी राज्यों का सर्वे कराकर किसानों को राहत देने के लिए बीज, खाद, चारे, डीजल

में सब्सिडी देने की कार्य योजना बनाए। मेरा यह भी कहना है कि जहां पेयजल का संकट है, वहां परिवहन के माध्यम से पेयजल की सुनिश्चित व्यवस्था कराने के लिए कदम उठाए जाएं।

माननीय सभापति : श्री पी. पी. चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री अजय मिश्र तेनी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय सभापति जी, मैं इस विषय को पहले भी सदन में रख चुका हूं और आज फिर रख रहा हूं। देश में भारतीय संविधान धारा 340 के अनुसार पिछड़े वर्ग को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार है। मंडल आयोग के अनुसार ओबीसी 27 प्रतिशत का हकदार है। देश में 27 प्रतिशत आरक्षण होने के बावजूद भी ओबीसी के लिए 19 फीसदी आरक्षण देने का सरकारी रिकॉर्ड है। इससे ओबीसी समाज को पूरी तरह आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात सामने आई है। इन पर शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश, डेमिसाईल, क्रीमीलेयर आदि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में पर्याप्त आरक्षण एवं सुविधा ने देने के कारण अन्याय हो रहा है। गत छः वर्ष से महाराष्ट्र में विद्यार्थियों को शिक्षावृत्ति अनुदान राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके परिणामस्वरूप कई विद्यार्थियों को शैक्षणिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है, भविष्य खराब हुआ है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति संबंधी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र में गड़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी समाज को सिर्फ छः परसेंट आरक्षण दिया जाता है। इस तरह देश के कई राज्यों ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। वर्ष 1921 से अभी तक ओबीसी समाज की जातीय जनगणना नहीं हुई है।

2011 में देश में जातीय जनगणना हुई थी, सरकार को इसे बारे में घोषणा करनी चाहिए। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि देश में ओबीसी समाज के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए।

माननीय सभापति : श्री प्रहलाद सिंह पटेल को श्री नाना पटोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 एवं राष्ट्रीय राजमार्गज- 6 के बहरागाड़ा से जमसोला ओडिशा सीमा तक के जर्जर हालत एवं दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 जिसे झारखंड की जीवनरेखा माना जाता है, एक लम्बे अरसे से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह मार्ग जगह-जगह पर गड्ढों में तब्दील हो चुका है। कई लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। इस मार्ग पर एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक वर्ष 50 से 60 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। रांची से बहरागोड़ा तक लगभग 200 किलोमीटर सड़क पर गड्ढे जगह-जगह पर दुर्घटनाओं को आमांत्रण देते रहते हैं। बारिश की वजह से स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि जहां-तहां जाम लग जाता है और 12 से 14 घंटे तक जाम लगा रहता है। यह मार्ग झारखंड को पश्चिम बंगाल और ओडिशा से जोड़ता है तथा खूंटी, रांची और जमशेदपुर तीन संसदीय क्षेत्रों में विस्तारित है। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर बदहाली के कारण विकास योजनाएं भी बाधित हो रही हैं जिसके कारण अक्सर कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। इस राजमार्ग को दो से चार लेन में बदलने हेतु स्वीकृति मिली है जिसके तहत रांची से मोहली तक 112 किलोमीटर की लंबाई का कार्य एक कंपनी को दिया गया है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां कार्य की प्रगति काफी धीमी है, वहीं दूसरी ओर किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। इसी तरह मोहली से बहरागोड़ा होते हुए खड़गपुर तक लगभग 80 किलोमीटर की लंबाई का कार्य जिस कंपनी को दिया गया है, वह कंपनी काम बंद करके चली गई है। इस कारण तीनों राज्यों के लोगों को यातायात हेतु काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे आग्रह पर राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 पर हो रही दुर्घटनाओं से मौत का शिकार हो रहे लोगों के हित को ध्यान में रखकर हाइवे पर त्वरित चिकित्सा सुविधा सेवा हेतु रांची से मोहली तक एंबुलेंस सेवा का प्रारंभ किया है जिससे लोगों में हर्ष का माहौल है। मेरा निवेदन है कि अब उक्त सेवा को मोहली से बढ़ाकर बहरगोड़ा तक किया जाए।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 को चार लेन मार्ग बनाने की प्रक्रिया के कार्य में तेजी लाई जाए तथा यथाशीघ्र जनहित में मोहली से बहरागोड़ा तक

अविलम्ब जीर्णोद्धार किया जाए। मोहली से बहरागोड़ा होते हुए खड़गपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 की लगभग 80. किलोमीटर की लंबाई के कार्य की निविदा जल्द से जल्द की जाए एवं राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से मौत का शिकार हो रहे लोगों के हित को ध्यान में रखकर हाइवे पर त्वरित चिकित्सा सुविधा हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था रांची से मोहली से बढ़ाकर बहरागोड़ा तक की जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): माननीय सभापति महोदय, बच्चों से संबंधित अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं।

इस संसद द्वारा 4 अगस्त, 2009 को, संयोग से उसी दिन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। यह 1 अप्रैल से लागू हुआ था। सरकार ने देश में शिक्षा प्रदान करने और शत-प्रतिशत साक्षरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। हम युवा भारत में प्रवेश कर रहे हैं और आज की युवा पीढ़ी इस देश के भविष्य के नागरिक हैं। इस विशेष परिस्थिति में, मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याण छात्रावासों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

बच्चे बुनियादी ढांचे की कमी के कारण परेशान हैं। उन्हें सही भोजन नहीं मिल रहा है। हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की बात करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि बच्चों को निम्न गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा है। उन्हें दिए जाने वाले भोजन की निगरानी बिल्कुल नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बच्चे बिना बिस्तर के जमीन पर सोने को मजबूर हैं। ग्रामीण भारत के कई स्कूलों और कल्याण छात्रावासों में यही स्थिति बनी हुई है।

इतना ही नहीं, महोदय, स्कूल और छात्रावास बहुत दूर हैं; और बच्चे स्कूल से छात्रावास तक पैदल जाते हैं। कई क्षेत्रों में लोग बच्चों को मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए स्वस्थ माहौल नहीं दिया जा रहा है। ये सभी समस्याएं सभी कल्याणकारी छात्रावासों में बनी हुई हैं। हम

कल्याण छात्रावासों का दौरा कर रहे हैं और वहां भी ऐसी ही स्थिति है। हालांकि एक डाइट चार्ट मौजूद है, लेकिन स्कूलों के प्रबंधन द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। सही ढंग से निगरानी भी नहीं हो रही है। जबकि सांसद किसी जिले की सतर्कता और निगरानी समिति के अध्यक्ष होते हैं और सरकार को रिपोर्ट भी सौंपते हैं, फिर भी इन वार्डनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार बच्चों के लिए लेकर आई हैं लेकिन इन योजनाओं को सही से लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए, मैं माननीय सामाजिक न्याय मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे हस्तक्षेप करें और ऐसे कानून पारित करें जो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए सही हों। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरो सिंह मिश्रा को श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

पारिवारिक एक लाख रुपये की आय वाले विद्यार्थियों के लिए केन्द्र शासन से राज्य शासन को 100 फीसदी स्कॉलरशिप मिलती है परंतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने विद्यार्थियों को केवल पचास प्रतिशत राशि ही वितरित की जाती है। पचास प्रतिशत स्कॉलरशिप की रकम कहां खर्च होती है, इस बारे में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से ब्यौरा लेना चाहिए। वर्ष 2002 से लेकर 2014 तक राज्य सरकार ने करीब 74 लाख विद्यार्थियों के लिए 63 करोड़ 1 लाख 80 हजार 893 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की है परंतु शेष 60 करोड़ रुपये की जो केन्द्र सरकार से राज्य शासन को रकम प्राप्त हुई, उस रकम का क्या हुआ? यह बची हुई पचास प्रतिशत रकम जो कहीं अन्य काम के लिए खर्च की जाती है, उसका ब्यौरा राज्य शासन से लेना जरूरी है। सरकार को यह ब्यौरा राज्य सरकार से लेना चाहिए। केन्द्र से राज्य सरकार को मिलने वाली स्कॉलरशिप की

रकम न मिलने से कम स्कॉलरशिप के कारण लाखों गरीब विद्यार्थियों को भारी नुकसान हो रहा है। चालू शैक्षणिक सत्र में 2015 में स्कॉलरशिप नहीं मिलने से लाखों गरीब विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा देनी भी मुश्किल लग रही है। इन विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में रखने का काम राज्य सरकार द्वारा होता है। मेरी सरकार से विनती है कि केन्द्र और राज्य सरकार के विवादों में लाखों गरीब विद्यार्थियों का नुकसान न होने पाए, इसका ध्यान सरकार रखे और उनका भविष्य बर्बाद होने से बचाए। तत्काल प्रभाव से स्कॉलरशिप का वितरण गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए जिससे विद्यार्थी 2015 की अंतिम परीक्षा दे सकें। धन्यवाद।

श्री राजन विचारे (ठाणे) : सभापति जी, मैं सदन का ध्यान बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसका संबंध मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे से है। कल आधी रात को करीब सवा दो बजे मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के डी-केबिन परिसर में कृष्णा निवास अपार्टमेंट की तीन मंजिल इमारत गिर गई। इस भयंकर दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई एवं लगभग सात लोगों के घायल होने की जानकारी है। मृतकों में छह पुरुष और छह महिलाएं हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे शहर में जर्जर इमारतों की संख्या 2697 है और मेरे मीरा भायेन्द्र में जर्जर इमारतों की संख्या 16 है और नवी मुम्बई में जर्जर इमारतों की संख्या 92 है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए आदेश हो चुका है लेकिन अभी तक इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है जिसके कारण सैकड़ों लोग इन जर्जर इमारतों में रहने के लिए मजबूर हैं।

मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दे कि महाराष्ट्र सरकार ने जो जर्जर इमारतों के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना मंजूर की है, उस योजना को तुरंत लागू करे और इस घटना में मारे गए लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए मुआवजा दे।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र अम्बाला में रेलवे कनेक्टिविटी की तरफ दिलाना चाहता हूं। यद्यपि भारत सरकार ने अम्बाला रेलवे स्टेशन को ए-1 और यमुना नगर रेलवे स्टेशन को ए-क्लास बनाने का निर्णय किया है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का पूर्वी हिस्सा मेरे लोक सभा क्षेत्र पंचकुला में आता है। वहां 700 एकड़ जमीन खाली पड़ी है।

वहां रेलवे यात्री निवास बनाया जा सकता है। वहां बिजनेस काम्प्लेक्स खोला जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि उसे इस्तेमाल में लाया जाए।

इसके साथ हमारी एक बहुत पुरानी मांग यमुना नगर से चंडीगढ़ रेलवे लाइन की है। पिछले कई सालों के बजट सत्र में उसका जिक्र हुआ लेकिन उसके लिए पैसे की अलाटमेंट आज तक नहीं हुई है। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी इस बारे में कई बार बात की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हरियाणा को मिलकर कमेटी बनाई है, जो इस बारे में विचार करे। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुरंत इस विषय पर निर्णय लिया जाए। इसके आतिरिक्त पंचकुला के सैक्टर 19 में एक अंडर ब्रिज बनाने का मामला है। अम्बाला रेलवे रोड पर अंडर ब्रिज बनाने का मामला है। रदौर रोड पर अंडर ब्रिज बनाने का मामला है। मुस्ताबाद में ओवर ब्रिज बनाने का मामला है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जन हित में इन सभी अंडर ब्रिजिज और ओवर ब्रिजिज को बनाया जाए ताकि जनता को सहूलतें प्रदान की जा सकें।

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): महोदय, अधिकांश घरेलू कामगार अशिक्षित हैं तथा पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं। उनमें से बड़ी संख्या प्रवासी कामगारों की है। कई कामगारों की तस्करी की जाती है और उन्हें बेच दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। उनके काम का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता, उन्हें कम वेतन दिया जाता है और उनका कार्य पूरी तरह से विनियमित नहीं है। उचित वेतन और कार्य स्थितियों का अभाव, निर्धारित कार्य समय, झूठे वादे, कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न उनकी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं।

सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं, को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन यह अधिनियम न तो उनके कार्य को विनियमित करता है और न ही उन्हें शोषण और दुर्व्यवहार से बचाता है। 100वें अंतर्राष्ट्रीय

श्रम सम्मेलन ने 16 जून, 2011 को घरेलू कामगारों के लिए सभ्य कार्य पर एक सिफारिश के साथ एक अभिसमय को अपनाया। भारत सहित अधिकांश देशों ने सम्मेलन के पक्ष में मतदान किया। यह पुष्टि करता है कि उनके पास कुछ बुनियादी श्रम अधिकार होने चाहिए जो अन्य श्रमिकों के लिए उपलब्ध हैं।

महोदय, मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि घरेलू कामगारों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून बनाकर उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री के. अशोक कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसी लोक मांग के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो अब एक राष्ट्रीय गूंज बन चुकी है।

इतिहास में कभी भी क्रूरता को जगह नहीं मिली और भविष्य में कभी उसे याद भी नहीं किया जा सकता है। वहीं पर उदारता को याद किया जा सकता है। अभी अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम जी का निधन हुआ, जब वे स्वर्गस्थ हुए, तो पूरा राष्ट्र शोक-मग्न था। मैंने स्वयं देखा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन्हें सलामी देकर श्रद्धांजलि दी थी। करोड़ों युवा आज उन्हें आदर्श मानते हैं। लेकिन, इसी दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, यहीं पर एक रोड है, जो औरंगज़ेब रोड के नाम से जाना जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब जो एक शासक था, उसकी क्रूरता का उदाहरण इतिहास में है। ऐसे क्रूर शासक के नाम पर भारत में औरंगज़ेब रोड है। इतिहास में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को भविष्य में सुधारने का यही अवसर है।

मैं यह मांग करता हूँ, हमारे मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी यहाँ पर हैं, यह उनके विभाग के अंतर्गत आता है। मैंने उन्हें भी पत्र दिया है। मैंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भी पत्र दिया है। मीडिया और सोशल मीडिया के लाखों लोगों ने मेरी इस मांग का समर्थन किया है। संसद के कई मित्रों ने समर्थन किया है। मैं यह मांग करना चाहता हूँ

कि आने वाले 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्व के दिन उस औरंगज़ेब रोड को डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड के नाम से घोषित किया जाए और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए। यह मेरा आग्रह है।

माननीय सभापति : सर्वश्री अरविन्द सावंत, राजन विचारे, श्रीरंग आप्पा बारणे, राहुल शेवाले, राम मोहन नायडू किंजरापु, एम. मुरली मोहन, निशिकांत दुबे, प्रह्लाद सिंह पटेल, भानुप्रताप सिंह वर्मा, पी. पी. चौधरी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, सुधीर गुप्ता, अजय मिश्रा टेनी, अर्जुन राम मेघवाल, भैंरो प्रसाद मिश्र तथा सुनील कुमार सिंह को श्री महेश गिरी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विष्णुपद राय- उपस्थित नहीं।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर, महाराष्ट्र में लगभग 107 एकड़ में फैला भारतीय खेल प्राधिकरण(एसएआई) का हरा-भरा परिसर है। यह परिसर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने 99 वर्ष के लीज़ पर दिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के इस खेल परिसर में बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और बहुत-सी अन्य सुविधाओं को निकट भविष्य में शुरू किया जा सकता है।

पिछले दो वर्षों से मैं संभाजीनगर, महाराष्ट्र के भारतीय खेल प्राधिकरण को क्षेत्रीय केन्द्र (रीजनल सेंटर) का दर्जा देने की मांग कर रहा हूँ1 परन्तु आज तक मेरी यह मांग पूरी नहीं हुई है1 इस केन्द्र को अभी उप-केन्द्र का दर्जा प्राप्त है और इसे पश्चिमी क्षेत्र के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से मेरी मांग है कि संभाजीनगर, महाराष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण को क्षेत्रीय केन्द्र (रीजनल सेंटर) का दर्जा तुरंत दिया जाए। इसके साथ ही साथ इस केन्द्र में आवश्यक खेल सुविधाएँ जैसे सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी सरफेस, इंडोर शूटिंग रेंज और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का निर्माण तुरंत किया जाए एवं इसके लिए आवश्यक बजट जारी किया जाए। इस प्रकार की खेल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त केन्द्र अब मिल पाना मुश्किल है। 25 फरवरी, 2015 को संभाजीनगर में ही भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय केन्द्र बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को लिखित रूप से पत्र के माध्यम से सिफारिश किया है।

अतः संभाजीनगर में भारतीय खेल प्राधिकरण की 107 एकड़ जमीन, हरा-भरा क्षेत्र, यहाँ की सुविधाएं और विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए तुरंत इसे क्षेत्रीय केन्द्र घोषित किया जाए, मैं ऐसी मांग करता हूँ।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा जनहित में कई ऐतिहासिक योजनाएँ शुरू की गयी हैं, जिनका देश के प्रत्येक नागरिक द्वारा खुले मन से स्वागत किया गया है। बैंक खाते खुलवाना हो, बीमा बचत, पेंशन की योजना हो, कौशल विकास की योजना हो या डिजीटल भारत योजना हो, देश के हर व्यक्ति के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कोई न कोई योजना के माध्यम से देश के गरीब से गरीब को मुख्य धारा में शामिल किये जाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन, धरातल पर उन योजनाओं की सफलता आज हम सब के सामने है। योजनओं का पूर्णतः सफल होना, योजना का लाभ केवल लाभार्थियों तक पहुंचाने पर ही निर्भर करता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका योजना की जानकारी पहुंचाने की है।

सरकारें इस विषय पर सैकड़ों-करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च करती आ रही हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार की योजना का विवरण संबंधित शैक्षणिक पाठ्याक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया जाए जिससे छात्र-छात्राओं को उनके विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा इन सभी योजनाओं के उद्देश्य, लक्ष्य आदि के बारे में अध्ययन कराया जाए, तो निःसन्देह इन योजनाओं की पहुंच आसानी से देश के हर घर में हो जाएगी। प्रत्येक घर मैं मौखिक जानकारी और लिखित जानकारी पहुंचाने का यह एकमात्र सुलभ रास्ता है, जिसमें देश के गरीबों को उन योजनाओं का फायदा पिछले 65 वर्षों तक नहीं मिला है, उनको फायदा मिलना शुरू होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं को लागू किया है, उन योजनाओं का टारगेट था कि वे घर-घर तक पहुंचे और इसी वजह से इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अतः सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सरकारी योजनाओं को समावेश शैक्षणिक पाठ्याक्रम में विशेष विषय के रूप में किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई दक्षिण-मध्य में सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र धारावी है। वैसे धारावी स्लम क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं बनाईं, कुछ पर कार्य भी हुआ, परन्तु यदि मुंबई के धारावी स्लम क्षेत्र को केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत लाया जाए तो इस स्लम क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सकेगा। मेरा सुझाव है कि धारावी डेवलपमेंट अथारिटी को स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत लाया जाए, जिससे धारावी के विशाल स्लम क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित किया जा सके। धारावी के निवासियों के लिए इस योजना के तहत पुनर्वासन के लिए बहुमंजिली इमारतें बनाकर मकान उपलब्ध कराए जाएं। इस तरह से मुंबई के सबसे बड़े और पुराने स्लम को एक नई विकसित वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप किया जा सकेगा।

अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि धारावी डेवपलमेंट अथारिटी को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लाकर मुंबई धारावी स्लम क्षेत्र का समुचित विकास किया जाए और इस विशाल क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने पर कार्य किया जाए। धारावी को एक नया रूप और नई पहचान केन्द्र सरकार के माध्यम से देनी चाहिए। धारावी रिडेवलपमेंट अथारिटी के माध्यम से ग्लोबल टेंडर निकालने वाले हैं। अगर ये ग्लोबल टेंडर स्मार्ट सिटी के नाम से निकालेंगे तो निश्चित रूप से हम धारावी को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं और धारावी को एक नई पहचान देते हुए, पूरे विश्व में धारावी का नाम कर सकते हैं।

माननीय सभापति : श्री अरविंद सावंत और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): सभापति महोदय, मैं शून्य काल में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हमारे पास देश में नैदानिक के लिए विशिष्ट मानक नहीं हैं। प्रयोगशाला दर प्रयोगशाला मूल्य बदलते रहते हैं। भारत में लगभग हर अस्पताल की अपनी प्रयोगशाला है। डॉक्टर चाहते हैं कि मरीज केवल उनकी लैब में ही

जांच करवाएं। इन लैब्स के मानकों पर बड़ा सवालिया निशान है। गरीब लोग इन मानकहीन लैब्स से प्राप्त असंगत रिपोर्टों के कारण अपना पैसा ही नहीं, बल्कि कई बार अपनी कीमती जान भी गंवा देते हैं।

डायग्नोस्टिक सेवाएं केवल कॉर्पोरेट अस्पतालों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे निजी चिकित्सकों के लिए भी एक बड़ा व्यवसाय बन गई हैं।

अब समय आ गया है कि हम डॉक्टरों और क्लिनिकल लैब्स के लिए आचार संहिता के नियम एक अधिनियम के रूप में बनाएं, जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एमसीआई और सीवीसी के समग्र नियंत्रण में लागू किया जाए। सरकारी अस्पतालों की लैब्स के मानक भी संतोषजनक नहीं हैं। हम डायग्नोस्टिक मशीनरी की खरीद पर भारी धनराशि खर्च करते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उनके रखरखाव की उपेक्षा करते हैं। हमें सरकारी अस्पतालों में लैब सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित डायग्नोस्टिक लैब्स को आउटसोर्स करना चाहिए। मानक देश स्तर पर तय किए जाने चाहिए। ऐसी सेवाओं की लागत नियंत्रित की जानी चाहिए और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत न्यूनतम संभव कीमतों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।इससे हमारे गरीब लोगों की जान और उनकी मेहनत की कमाई दोनों की सुरक्षा हो सकेगी। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री निशिकांत दुबे को श्री थोटा नरसिम्हम द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, 25 अतिरिक्त वक्ता हैं। यदि उनमें से प्रत्येक केवल एक मिनट बोले, तो हम उन सभी को बोलने की अनुमति देंगे।

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदय, सभा को आठ बजे तक स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना है। इसे ध्यान में रखते हुए, अध्यक्षपीठ जो भी निर्णय लेना चाहें, ले सकते हैं।

माननीय सभापति : हम चर्चा आठ बजे तक बंद समाप्त कर देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति जी, मैं यह मामला पूर्व में भी उठाना चाहती थी, लेकिन कारणवश यह अधूरा रह गया था इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे इस मामले को यहां उठाने के लिए कृपया दो मिनट का समय दें। मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम, मल्लावा के ग्राम बीकापुर, ब्लाक मल्लावा की ओर दिलाना चाहूंगी। बीकापुर में करीब 24 साल पहले एक निजी कम्पनी ने चीनी मिल लगाने के नाम पर 284 किसानों की 300 बीघा जमीन आधिग्रहीत कर ली थी। इस जमीन पर न तो अभी तक मिल लगी है और न ही इन किसानों को कोई मुआवजा मिला है। जिला प्रशासन भी इस मुद्दे पर चुप है। करीब तीन साल पहले किसानों ने हंगामा किया तो मिल प्रबंधन ने जमीन पर कुछ सामान रखवा दिया। जब विरोध थमा तो सामान सहित गार्ड भी गायब हो गए। ये किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बीकापुर में 1991 में पेट्रान शूगर लिमिटेड का बोर्ड लगा दिया और किसानों को सपना दिखाया गया कि यहां चीनी मिल लगने से सैंकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन न तो वहां लोगों को रोजगार मिला और न वहां चीनी मिल स्थापित हुई। आएदिन वहां के किसान धरने पर बैठ रहे हैं, वे जिला पर भी बैठते हैं और ब्लाकवाइज भी बैठते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि जो जमीन बीकापुर, बरौना, बारापुर, राघौरामपुर और नवादा गांव के किसानों से ली गई है, उस पर वह संज्ञान ले। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी, उन्हें वर्तमान मूल्य पर उचित मुआवजा दिया जाए तथा अधिग्रहीत जमीन पर मिल स्थापित कराकर वहां रोजगार मुहैया कराया जाए। वहां का किसान जो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वह भुखमरी की हालत है, अपनी जिंदगी को फिर पटरी पर ला सके।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय सभापति महोदय, नॉर्थ ब्लॉक में अंग्रेजी में और साउथ ब्लॉक में फारसी में एक उद्धरण अंकित है, जो कहता है:

"स्वतंत्रता लोगों को नहीं मिलेगी; लोगों को स्वयं स्वतंत्रता की ओर बढ़ना होगा। यह एक आशीर्वाद है जिसे इसका आनंद लेने से पहले अर्जित किया जाना चाहिए। "

भारत ने वर्ष 1947 में ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ सड़कों के नामों के रूप में औपनिवेशिक विरासत की छाप अभी भी मौजूद है, जैसे मिंटो रोड, हैली रोड और चेम्सफोर्ड रोड। एक स्वतंत्र राष्ट्र को ऐसे नामों के साथ जारी रखने की कोई बाध्यता नहीं है जो औपनिवेशिक विरासत को दर्शाते हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूँगी कि इन सड़कों के नाम बदले जाएं और इनका नाम भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाए।

माननीय सभापति : श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल शेवाले, श्री राम मोहन नायडू, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, संयोगवश मैं यहां नई दिल्ली से सांसद के रूप में उपस्थित हूं। मेरे दो मित्र, श्री महेश गिरी और श्रीमती अनुप्रिया जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये मुद्दे 2014 से एनडीएमसी के समक्ष लंबित पड़े हुए हैं। मैंने पहले ही 2014 में इस संबंध में पत्र लिखा था और मई 2015 में औरंगजेब रोड के काले रंग से संबंधित घटना हुई थी। उस समय भी मैंने पत्र लिखा था। मैं अपने दोनों मित्रों को आश्वस्त करती हूं [हिन्दी] यह पुराने मसले हैं जो 2014 और 2015 में कौंसिल की मीटिंग में लिए गए हैं। इसके बावजूद आप दोनों का जो आग्रह आया है, मैं एनडीएमसी कौंसिल को अवगत कराऊंगी। मैं पूर्व में इसकी चेयरमेन थी। मैं आपको एश्योर कराती हूं कि जो मसले पहले मैं उठा चुकी हूं और आपकी भी स्वीकृति है, तो हम इस पर काम करेंगे। लेकिन आज जिस मसले को लेकर मैं सदन के सामने आई हूं, वह मसला है कि बाहर कई तरह के नारे लग रहे हैं। कोई कहता है कि मर्डर आफ डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि मर्डर आफ डेमोक्रेसी इस ऑगस्त हाउस का हुआ, जब डिसकशन, डिबेट और डिसेंट जैसी परम्पराओं को छोड़कर

लोग प्राइवेट टीवी चैनल्स पर आकर बोलने लगे। जब से टीवी चैनल्स ने इस सदन को कवर करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने पैम्फलेटबाजी और तरह-तरह के जो पोस्टर्स हैं, उनका चलन सदन में शुरू किया। मेरा यह मानना है कि अगर देश का, लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन, जो कि यह संसद है, इस संसद का इस्तेमाल अपने विषयों और मुद्दों को उठाने के लिए होना चाहिए। जो मुद्दे हम यहां उठाते हैं, वे टीवी चैनल्स पर चलने चाहिए, न कि इसके विपरीत अवरोध हो।

[अनुवाद] हमने देखा है कि इस सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही है। जनता ने हमें चुना है और हमें एक कर्तव्य तथा जिम्मेदारी सौंपी है। यह कर्तव्य और जिम्मेदारी का अर्थ है कि हम इस राष्ट्र की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 81 करोड़ रुपये का नुकसान राजकोष को हुआ है, और 2013 में लगभग 145 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। मेरा मानना है कि यह सही तरीका नहीं है। हमारी जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति है। अब समय आ गया है कि हम शपथ लें कि हम नियमावली का पालन करेंगे। नियमावली भी इसी सदन द्वारा बनाई गई है और इस सदन को इसका पालन करना चाहिए। जब लोग कुछ सांसदों के निलंबन की आलोचना कर रहे हैं, तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि माननीय अध्यक्ष ने इस विशेष प्रक्रिया को अपनाने में अत्यधिक संयम बरता है। अंततः उनका धैर्य परखा गया और नियमावली के अंतर्गत उन्होंने वही कदम उठाया जो अतीत में भी उठाया गया है। मैं केवल यह चाहती हूं कि यह सदन इसका स्वागत करे और हम सभी यह संकल्प लें कि हम सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, श्री निशिकांत दुबे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : महोदय, माहवार और राज्यवार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करके तथा एक ऑनलाइन वेब

आधारित निगरानी प्रणाली जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली कहा जाता है, राज्य संस्थानिक एजेंसियों जैसे मार्कफेड आदि माध्यम से रेलवे रैक इंडेंट देकर आपूर्ति को कारगर बनाया है। उर्वरक प्रेषित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। एफसीओ राज्य सरकारों को तर्कसंगत कीमतों पर अपने-अपने राज्यों में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की शक्ति प्रदान करता है। उर्वरक की समय पर उपलब्धता के लिए जनपद लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में रेलवे रैक उतारी जाए, जिससे समय पर खाद उपलब्ध होने का प्रभाव उत्पादन पर व किसान की आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा। कीटनाशक रसायनों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है तथा उर्वरक सब्सिडी का सीधा लाभ किसानों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा देने की व्यवस्था की जाए। इन प्रयत्नों से किसानों को सीधा लाभ प्राप्त होगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदय, आठवीं बार नोटिस देने के बाद आज मुझे बोलने का मौका मिला है।

महोदय, मैं मणिपुर के एक संवेदनशील मामले को सदन में उठाना चाहता हूं। 8 जुलाई से एक छात्र का मृत शरीर वहां रखा है, जिसकी अंत्येष्टि नहीं हो सकी है। उसका दुष्परिणाम यह है कि 8 जुलाई से 14 जुलाई तक दिन और रात का कर्फ्यू रहा है। रात में सरकार का कर्फ्यू रहता है और दिन में हड़ताल का कफ्यू रहता है। यह बात मैं सदन को इसलिए बताना चाहता हूं कि जब किसी की टीआरपी नहीं होती है तो शायद उस राज्य की चिंता नहीं होती है। वहां बाढ़ भी आयी है। उसके कारण कुछ और हो सकते हैं। मैं सरकार का ध्यान सिर्फ इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्याहरवीं का छात्र रॉबिनहुड सिंह की मौत एक मामूली सी मांग के पीछे होती है। यदि किसी का सस्पैंशन होना चाहिए तो वहां की राज्य सरकार जो इतना भी काम नहीं कर सकती है और पूरे राज्य को आफत में, आग में झौंक देना चाहती है। उस राज्य के आधे हिस्से में प्रकृति के तांडव के कारण बाढ़ है और तीस लोग मर चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां जाकर काम करना चाहती है, लेकिन मणिपुर की सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसके पीछे सिर्फ एक कारण देखता हूं कि वहां जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, वे दब जाएं। इसलिए चाहे राज्य जल जाए और मैंने पहली बार देखा कि वहां के वकील और वहां के आम लोग, पॉलीटिकल पार्टियां नहीं बोल पा रही हैं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे

हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस पर तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उस बच्चे का मृत शरीर जो रखा है, उसे उसके मां-बाप लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उसकी अंत्येष्टि करा कर उस राज्य की शांति बहाल करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती वी. सत्यबामा (तिरूप्पुर): महोदय, मैं हमारी प्रिय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा की आभारी हूं।

तिरूप्पुर, बुने हुए और होजरी वस्त्रों का केंद्र है और विश्व बाजार में एक प्रमुख निर्यातक है। यहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक मिश्रणों वाली टी-शर्ट और बुने हुए कपड़े का निर्यात किया जाता है और इनमें से अधिकांश छोटे व्यापारियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे केंद्र सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होता है। ये व्यापारी तिरूप्पुर से देश के विभिन्न भागों में छोटे पार्सल बुक करने के काम आते हैं।

रेलवे ने अब तिरूप्पुर में ट्रेन के ठहराव की अवधि पांच मिनट से घटाकर दो मिनट कर दी है और इसके परिणामस्वरूप वे परिवहन के लिए पार्सल बुकिंग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों के पास अपने पार्सल को अन्य माध्यमों से अन्य स्टेशनों तक ले जाने की वित्तीय क्षमता नहीं होती, जिससे उनकी उपज की लागत में भारी वृद्धि हो जाती है। रेलवे के इस कदम से तिरूप्पुर के विनिर्माताओं की लागत बढ़ जाएगी और प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में उन्हें भारी नुकसान होगा।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से विनम्र अनुरोध करती हूं कि स्थानीय निर्माताओं की सुविधा के लिए तिरूप्पुर में ट्रेनों के ठहराव की अवधि को बढ़ाकर पांच मिनट किया जाए अथवा तिरूप्पुर से नियमित अंतराल पर विशेष पार्सल ट्रेनें चलाई जाएं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला जो हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां गिरिडीह-कोडरमा रेललाइन 12 बरस से अधूरी पड़ी

हुई है। इस विषय के बारे में हम कई बार मंत्री जी से मिले हैं, लेकिन सब लोगों के द्वारा यह आश्वासन मिलता गया कि बहुत जल्दी यह पूरा किया जायेगा और जिसके कारण कोडरमा-हजारीबाग रेल लाइन का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है, हालांकि वह चालू हो चुकी है।

मेरा रेल मंत्रालय से दूसरा निवेदन है कि आठ वर्ष पहले हावड़ा-दानापुर रेलगाड़ी में हावड़ा और पटना के लिए कोच लगती थीं, अब उन दोनों कोच को हटा दिया गया और उन्हें आनन्द विहार जाने वाली ट्रेन में लगा दिया गया, जो आठ-आठ घंटे लेट चलती है। इस विषय के बारे में भी हम लोग आठ वर्ष से मंत्री जी से कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है।

इसके साथ-साथ गोमो स्टेशन, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रेल स्टेशन है, वहां एक साल पहले आरओबी के लिए शिलान्यास हुआ था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब इस पर कार्रवाई की जाए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रवासी भारतीयों की कुछ मुश्किलें हैं, जिन्हें मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेशी मामलों के मंत्रालय के सामने रखना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों कनाडा और यूएसए गया था। वहां हजारों लोग ऐसे हैं, जिन्हें हमारी ऐम्बेसी की ओर से पासपोर्ट्स इश्यु नहीं हो रहे हैं। आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि वहां माननीय प्रधान मंत्री जी गये थे, उन्होंने वहीं पर बहुत सारी मुश्किलों का समाधान ढूंढा और उन्हें हल किया। किंतु बहुत सारी मुश्किल ऐसी थीं, जिनका समाधान करने का उन्होंने वायदा किया था। यह पासपोर्ट का मामला है, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि बहुत से लोग इल्लीगल मीन्स से वहां जाते हैं और वहां एक कानून है कि जिसके पास पासपोर्ट नहीं होता है, उसे वे पोलिटिकल शरण दे देते हैं, जिसे राष्ट्रीय शरण कहते हैं। उन लोगों को राष्ट्रीय शरण तो मिल गई है, लेकिन वे अब अपने देश में अपने बच्चों के पास आना चाहते हैं, यहां इनवैस्टमैन्ट करना चाहते हैं। परंतु हमारी भारत सरकार का कानून उन्हें आने नहीं देता है। जबकि उनके विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं हैं।

इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि उन लोगों के पासपोर्ट जारी करने के लिए भारत सरकार कानून में अमैंडमैन्ट करें, ताकि वे अपने परिवार और अपने बच्चों के पास आ सकें और यहां निवेश भी कर सके।

इसके अलावा जो कांसुलेट जनरल के आफिसेज हैं, वे विदेशों में बहुत दूर-दूर हैं। जैसे एल.ए. के लोग हैं, उन्हें हजारों मील दूर स्थित दफ्तर में जाना पड़ता है। इसी तरह से डेनबर्ग के लोगों को 1500 मील दूर स्थित कांसुलेट जनरल के आफिस में जाना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है कि वहां सब-ऑफिस बनाये जाएं, जिससे कि वे अपनी समस्या का हल ढूंढ सकें।

इसके अलावा कुछ लोगों की ब्लैक लिस्ट बनी हुई है, लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं है, इसलिए ब्लैक लिस्ट खत्म होनी चाहिए। जिनके ऊपर एक भी केस नहीं हैं, उनकी ब्लैक लिस्ट खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को वहां से अपने देश में वापस नहीं आने दिया जा रहा है। इसलिए ब्लैक लिस्ट को तुरंत खत्म किया जाए। धन्यवाद।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गंभीर प्रकरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तराखंड जैसी देवभूमि में एक ऐसा स्टिंग आपरेशन सामने आया है, जिसने न केवल देवभूमि को शर्मसार किया है, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की गरिमा को भी गिराया है। मुख्य मंत्री के सचिव उस स्टिंग आपरेशन में पकड़े गये हैं, जिसमें शराब के कारोबारियों के साथ बीस करोड़ रुपये के लेनदेन के दौरान कहा गया कि मुख्य मंत्री, जिनसे बात होने के बाद यह लेनदेन दिल्ली में होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आज तक उस सीडी के सामने आने के बाद भी न तो मुख्य मंत्री, उत्तराखंड, श्री हरीश रावत ने इस्तीफा दिया है और न ही वह सचिव, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का आधिकारी है, सीनियर आईएएस है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और न मुकदमा दर्ज हुआ है। यह बहुत गंभीर विषय है। जब वर्तमान सी.एम. यहां पर कैबिनेट मंत्री थे, गुजरात कैडर का वह अधिकारी दिल्ली में लाया जता है और उसके बाद उसको उत्तराखण्ड ले जाया जाता है और बजाय उसके खिलाफ कार्यवाही हो, सीबीआई की इंक्वॉयरी हो, वहां धमकी दी जाती है और धमकी यह दी जाती है कि उत्तराखण्ड का पानी नहीं पिया, यदि

सीडी का बदला नहीं लिया और उसी प्रकरण पर आज एक पत्रकार के मकान को ढहाया गया। लोग सड़कों पर हैं और यही हाल आपदा में भी हुआ। देश के 24 राज्यों के हजारों लोग हताहत हुए थे, हजारों लोग आज भी लापता हैं।

श्रीमन, उसमें भी करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम में बहुत स्पष्ट आ गया है। सूचना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई की इंक्वॉयरी होनी चाहिए। लेकिन आज तक नहीं हुई है, इसलिए वह सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वॉयरी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री निशिकांत दुबे को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय, सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में सौ शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है और यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक राज्य अपने शहर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहता है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पिंपरी चिंचवड़ शहर आता है, जिसकी आबादी लगभ 20 लाख से ज्यादा है, यहां पर स्कूल, अस्पताल, विज्ञान केंद्र, ऑडिटोरियम तथा ऑटो कलस्टर, बीआरटी बस सेवा सुविधा है। इसके साथ ही साथ यहां पर दो आईटी पार्क भी हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, बजाज, अन्य छोटी-मोटी दो सौ से ज्यादा कंपनियों के साथ-साथ विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, आईबीएम, साइनटेल जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं और पिंपरी चिंचवड़ भारत के बिगेस्ट कॉर्पोरेशन में से एक बेहतरीन कॉर्पोरेशन भी है और यह शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सभी मापदंडों को पूरा करता है।

वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार ने पंपरी चिंचवड़ शहर को पुणे शहर के साथ जोड़ कर स्मार्ट सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव किया है, जबकि पिंपरी चिंचवड़ शहर पुणे से अलग शहर है और जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनर्निर्माण योजना के तहत एक अलग सिटी के रूप में विकसित हुआ है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पिंपरी चिंचवड़ शहर को स्मार्ट सिटी योजना के फेज 1 के अंतर्गत पृथक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए इसको अलग से दर्जा मिले।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री अरविंद सावंत और श्री राहुल रमेश शेवाले को श्री श्रीरंग अप्पा बारने द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, 19 जुलाई, 1978 को बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच जो नदी जल का बंटवारा हुआ, जो समझौता हुआ, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ, संथाल परगना, वहां दुमका में मसानजोड़ डैम है, जो मयुराक्षी नदी पर है। उसकी जो पूरा जमीन है, जिस पर यह डैम बना है, वह झारखण्ड में है। क्योंकि वह उस वक्त बिहार का पार्ट था, लेकिन उसका जो पानी है, वह पानी हमारे राज्य को नहीं मिलता है। पीने का जो पानी दुमका जिले को मिलना है, उसमें भी पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा रोड़ा अटकाती है। जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ का पानी पूरे दुमका जिले को डुबो देता है।

सभापति महोदय, 19 जुलाई 1978 का, जो समझौता है, यह केवल मयुराक्षी नदी का नहीं है या केवल मसानजोड़ डैम का नहीं है, पंचैट है या मैथन डैम है, ये सारे डैम आपको आश्चर्य होगा कि सब झारखण्ड की धरती पर बने हैं, लेकिन इसके सिंचाई का कोई भी साधन जो है, वह झारखंड की सरकार को नहीं मिलता है। उसी तरह से अजय बेसिन है, जो कि मेरे इलाके देवघर में है। जहां हम लोग पुनासी डैम बना रहे हैं, अजय डैम बनना है या वहां बुढ़ैयी डैम बनना है, पुनासी डैम बनना है, इसका जो पानी है, वॉटर का जो सोर्स है, पश्चिम

बंगाल सरकार कहीं न कहीं इस डैम को बनने में भी रोड़ा अटकाती है। मैं आपके माध्यम से इस सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह 1978 का समझौता है, 37 साल हो गए हैं, इस समझौते को रिव्यू किया जाए और झारखण्ड के हिस्से का जो पानी है, झारखण्ड के जो विस्थापन का पानी है, झारखण्ड के किसानों को जो पानी चाहिए, झारखण्ड के लोग जो बाढ़ और सुखाड़ से दोनों तरफ जूझते हैं, उनके साथ न्याय कर के इस फैसले को पुनः पुनर्जीवित किया जाए।

[अनुवाद]

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क ओडिशा में दैतारी से पारादीप तक सड़क को जोड़ता है। यह देश के महत्वपूर्ण राजमार्गों में से एक है, क्योंकि खनिजों के परिवहन के दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। कीओंझार और जाजपुर के खनन क्षेत्रों से पारादीप पोर्ट तक बड़ी संख्या में लोहे के अयस्क और कोयले से लदे ट्रक चल रहे हैं, जिससे गंभीर ट्रैफिक जाम उत्पन्न हो रहा है और केंदरापाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर और कीओंझार के आसपास के जिलों के लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, सरकार ने केंदरापाड़ा, जगतसिंहपुर, कीओंझार और जाजपुर जिलों के कलेक्टरों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, जो इस समस्या का समाधान करने में विफल रही है। मेरे विचार में, इस समस्या का बेहतर समाधान तभी संभव है जब उक्त राजमार्ग को चार लेन की सड़क में परिवर्तित किया जाए।

इस संबंध में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क, जो दैतारी को पारादीप से जोड़ता है, को चार लेन का बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करे ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगे और पारादीप बंदरगाह तक खनिजों का सुचारू परिवहन हो सके।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, पूरा सदन आपका आभारी है कि आपने कम से कम इस शून्य प्रहर में हमारे सहयोगियों और माननीय सम्मानित सदस्यों को इतने महत्वपूर्ण विषयों को उठाने का अवसर दिया है, जो सीधे देश की जनता की समस्याओं से जुड़े हुए ज्वलन्त प्रश्न हैं। आपने देखा कि देश के बाढ़ के हिस्सों की भी चर्चा हुई, किसी इलाके में सूखे की बात है, महा पुरूषों की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात है, निश्चित तौर से देश की जनता यही अपेक्षा करती है और जनता की आकांक्षायें भी होती हैं, जिसके प्रति हम सबका उत्तरदायित्व है, हमारी जवाबदेही है। अभी हमारे साथियों ने इस प्रश्न को उठाया और इस सदन में जब हम पूरी शिद्दत से उठाते हैं, जैसे आज अगर देश के पाँच राज्यों में इस समय जिस तरह से जल प्लावन है, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है, वह गुजरात हो, राजस्थान हो, मणिपुर हो, वेस्ट बंगाल है, ओडीशा है, इन राज्यों में गृह मंत्रालय का आँकड़ा है कि 86 मौतें हो चुकी हैं। लगभग 25 लाख लोग प्रभावित हैं, फसल का बहुत नुकसान है और जब यह बात उठती है, तमाम राज्यों में केन्द्र की ओर से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड (एनडीआरफ) की टीमें गई हैं। फिर हम मुआवजे की बात करते हैं, अभी-अभी एक माननीय सदस्य बाढ़ में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की बात कर रहे थे कि बाढ़ है और मुआवजा दिया जाए। मैं उससे हटकर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर केन्द्र सरकार किन्हीं राहत कार्यों के लिए, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, अगर उस नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से राज्यों को पैसा देती है तो निश्चित तौर से वह एक मानक के आधार पर पैसा देती है। केन्द्र अपनी एक सर्वे टीम भेजता है, वह सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट देती है और फिर उसके आधार पर राज्यों को पैसा मिलता है। पिछले दिनों अभी जहाँ यह बाढ़ आई थी, मार्च-अप्रैल में पूरे देश के उत्तर भारतीय इलाकों में, राज्यों में जिस तरह से ओलावृष्टि हुई थी और फसल का नुकसान हुआ था। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मथुरा हो, आगरा हो, सिद्धार्थ नगर हो, बस्ती हो, वहाँ काफी मौतें हुई थीं। उसमें निर्देश हुआ था और गृह मंत्री जी ने 503 करोड़ रूपया पहले दिया रिलीफ फंड और अभी दो हजार करोड़ रूपया गया है। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहाँ उस वितरण के काम में पक्षपात हो रहा है। अगर बस्ती जनपद के 14 विकास खंडों में वितरण हो रहा है तो सिद्धार्थ नगर के केवल दो विकास खंडों में वितरण हो रहा है। कम से कम एक पैरामीटर यह हो कि अगर कोई जनपद ओलावृष्टि से पूरा प्रभावित है, किसान की फसल का नुकसान हुआ

है, अगर उसको किसी आधार पर पिक एंड चूज करके प्रशासन के लोग मुआवजा बांटते हैं तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से माँग करता हूँ कि निश्चित तौर से भारत सरकार के मानकों के अनुसार अब जो दो हजार करोड़ रूपया गया है, उसका ठीक से वितरण हो।

[22*]**श्री आर.के. भारती मोहन (मयिलादुथुराई):** माननीय सभापति महोदय, वणक्कम। हर व्यक्ति को सब कुछ मिलना चाहिए और इस देश से गरीबी का पूरी तरह उन्मूलन होना चाहिए। इसी दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ, माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार द्वारा फसल ऋण पर दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त किसानों को 4% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। लघु अवधि के कृषि ऋणों को ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप किसान समय पर इन ऋणों का पुनर्भुगतान कर पाते हैं। हमारे जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों को कृषि ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र में विकास सुनिश्चित हो सके। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने समय-समय पर यह जोर दिया है कि फसल ऋण सब्सिडी में बदलाव केवल राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग की बैठकों में सहमति बनने के बाद ही किया जाना चाहिए। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि कृषि ऋणों पर वर्तमान ब्याज अनुदान योजना तब तक वर्तमान ब्याज दरों के साथ जारी रहे जब तक बदलाव के लिए सहमति नहीं बन जाती। धन्यवाद।

[22*] मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक बड़े सैंसिटिव मामले पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं आपका ध्यान महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर दिलाना चाहता हूँ जिसमें दिल्ली की राज्य सरकार ...[23*] कर रही है। जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर उस ... * में बर्बाद कर दिया। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि दिल्ली की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए दखल दें।

दिल्ली भी अन्य देशों की राजधानियों की तरह राष्ट्रीय राजधानी है। विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सभी की राजधानियाँ सीधे राज्यों के अधीन न होकर केन्द्र शासित होती हैं। केन्द्र सरकार का नैतिक अधिकार है कि दिल्ली की राज्य सरकार की ... * से दिल्ली की जनता को निजात दिलाएँ।

मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो महिला सुरक्षा की बात का डंका पीट रही है, उनके पूर्व मंत्री व विधायक की पत्नी मुख्य मंत्री व महिला आयोग से अपने साथ हुए अत्याचार के लिए गुहार लगाती रहीं। उक्त महिला के अनुसार उनको गर्भावस्था के दौरान कुत्तों से कटवाया और उनको प्रताड़ित किया गया, जिसके लिए वे अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए मेडिकल जांच की रिपोर्ट तक दिखाती रहीं। उसकी सुरक्षा का क्या हुआ? उसी नेता द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है कि अगर पुलिस हमारे अंडर आ जाए तो सुन्दर महिलाएँ खुले रूप से घूम सकती हैं। उनकी पत्नी की टिप्पणी आई है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ये अत्याचार करते हैं।

इनके ही एक बहुचर्चित कवि नेता ने केरल की हमारी बहनों के बारे में कहा था और केरल की नर्सों के बारे में टिप्पणी की थी। इन्हीं के उस नेता के खिलाफ मुख्य मंत्री से वह महिला गुहार लगाती रही कि मैं चुनाव

[23*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

के दौरान काफी गई थी, जिससे इनके-मेरे संबंध के कारण से मेरा घर बिगड़ रहा है और मेरी रक्षा की जाए। इन्होंने उसकी बात नहीं सुनी।

एक समाचार पत्र के मुताबिक उनके पूर्व मंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अश्लील वैबसाइट के डोमेन नेम्स बेचने में लिप्त पाए गए। एक महिला प्रशासनिक अधिकारी के मात्र दस दिन के लिए कार्यकारी मुख्य सचिव बनने पर अभद्र टिप्पणियों द्वारा उसका शोषण करना, क्योंकि महिला अधिकारी होने के कारण वे उनके काले कारनामों में सहयोग नहीं कर पाती थीं।

ऐसे ... [24*] ने जो बजट में पैसा बर्बाद किया, जिस महिला की हत्या को लेकर इन्होंने ... * की है कि 32 चाकू उसको मारे गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 8 चाकुओं के निशान आए। उस परिवार के लोग कल उस सदन को देखने जाने वाले थे, लेकिन उस महिला मीनाक्षी के परिवार को सदन में आने की इजाज़त नहीं मिली। यह महिलाओं की ... * जो ... * कर रहा है, चुनाव से पूर्व उन्होंने जो वायदे किए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड लगाने थे, वह नहीं लगे। 10 हजार महिलाओं की भर्ती करनी थी, वह नहीं की गई। इन्होंने कहा था हम सुरक्षा दल बनाएँगे, वह नहीं बनाए। ऐसे ... * के खिलाफ निश्चित रूप से केन्द्र सरकार निर्णय ले, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी): महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

राजामुन्दरी संसदीय क्षेत्र जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, की जनसंख्या 4,78,199 है। इस धरती पर खेल के क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवा भारतीय हैं। हालाँकि, मुझे यह बताते हुए खेद है कि स्वतंत्रता के 68 साल बीत जाने के बाद भी, राजामुन्दरी में एक भी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि स्पोर्ट्स और खेल के क्षेत्र में युवा भारतीयों को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है।

[24*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अधिक इनडोर स्टेडियमों का निर्माण करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमारे पास 4.5 एकड़ भूमि उपलब्ध है। हमें स्टेडियम बनाने के लिए वित्तीय सहायता की ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सक्षम और गतिशील नेतृत्व में, तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय ने "खेलों के माध्यम से जीवन में परिवर्तन" की थीम के साथ, पूरे देश में खेल की खदानों में कई अज्ञात रत्नों के बीच आशा की किरण जगाई है।

इसलिए, खेलों को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, मैं भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.), केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह युवा मामले और खेल मंत्रालय की शहरी खेल अवसंरचना योजना के अंतर्गत राजामुन्दरी में एक इनडोर स्टेडियम का निर्माण करें।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : सभापति जी, आज देश में कैंसर एक भयानक महामारी के रूप में फैल रहा है। जगह-जगह बड़ी संख्या में कैंसर के रोगी मिल जाते हैं। यह एक ऐसी समस्या है कि अधिकतर अंतिम स्टेज पर पता लगता है। प्रथम और द्वितीय स्टेज तक तो थोड़ा बहुत थैरेपी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंतिम स्टेज पर लोगों को भारी असह्य शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है और लोग आर्थिक रूप से हर प्रकार से टूट जाते हैं। उनके घर-परिवार भी तबाह हो जाते हैं। केन्द्र सरकार ने उनकी सहायता के कई उपाय तो किये हैं, लेकिन वे नाकाफी साबित हो रहे हैं।

रात्रि 8.00 बजे

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी रोकथाम के पर्याप्त उपाय करने व मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट में एक कैंसर हॉस्पिटल यथाशीघ्र खोलने हेतु निर्देश देने व बजट एलाट कर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही कैंसर रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

[अनुवाद]

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, तमिलनाडु राज्य हज समिति को हज 2015 के लिए तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों से 15,032 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारत की हज समिति ने इस वर्ष के लिए केवल तमिलनाडु को 2585 सीटों का कोटा आवंटित किया है। हज 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्धारित कोटे में से 1699 तीर्थयात्रियों का चयन आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत किया गया है, जबकि 886 सीटें सामान्य श्रेणी के तीर्थयात्रियों के लिए उपयोग की गई हैं। इससे 12,000 आवेदक निराश हो गए।

पिछले वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने कोटे के अतिरिक्त अतिरिक्त सीटें जारी की थीं, जिससे तमिलनाडु से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हज करने में सक्षम हुए। हज 2013 और 2014 के दौरान क्रमशः कुल 3696 और 2858 तीर्थयात्रियों ने हज यात्रा की।

तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री, पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था। अंत में, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त कोटा जारी करना चाहिए ताकि इस वर्ष अधिक तीर्थयात्री हज पर जा सकें तथा आने वाले वर्षों में तमिलनाडु के लिए कोटा बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ष अधिक तीर्थयात्री हज पर जा सकें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, अप्रैल से स्कूल-कालेजों में नए सत्र की शुरूआत हुई तो नई कक्षाओं में प्रवेश हुए हैं। प्रवेश के समय अभिभावकों को पब्लिक स्कूलों द्वारा किस प्रकार लूटा जाता है, वह चिन्ता पैदा करने वाला है। पब्लिक स्कूलों में फीस की मनमानी के साथ ही अभिभावकों को स्कूलों की ओर से तय किए गए पुस्तक और ड्रैस विक्रेताओं से सामान खरीदने के लिए विवश किया जाता है। कितने ही स्कूलों के द्वारा अपनी कापियों के कवर पेज भी अलग डिजाइन कराकर एक ही दुकान से खरीदने की शर्त रख दी जाती है। इतना ही नहीं सी.बी.एस.ई. के स्कूल होने के बावजूद किताबों की संख्या और रेट में भारी अन्तर देखने को मिलता है। केन्द्रीय विद्यालय में जो किताबें 150 रुपये में मिल जाती हैं, वे इन स्कूलों में दो हजार रुपये तक में दी जाती हैं तथा इसके अलावा अन्य प्राइवेट किताबें खरीदने को भी मजबूर किया जाता है। पुस्तक विक्रेता

किताबें लगवाने के लिए 30 से 40 प्रतिशत तक का कमीशन विद्यालयों को देते हैं। इस प्रकार कुछ विद्यालयों को केवल किताबों और कापियों के कमीशन से ही 20 लाख रुपये तक की अवैध आय हो जाती है। कमीशन का यह खेल यूनीफॉर्म में भी चलता है तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की प्रत्याशा में अभिभावक इस आर्थिक शोषण का शिकार होते रहते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि विद्यालयों में प्रतिवर्ष चलने वाली इस लूट की जांच कराई जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार की लूट भविष्य में सम्भव न हो।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालोन गरौठा भोगिनीपुर में जो हमारा क्षेत्र कानपुर से लेकर झांसी के बीच एन.एच. 27 पर आता है, उसमें पूरे दस साल पूर्व कानपुर से लेकर झांसी तक होल लॉक बना दिया गया है, मात्र कालपी नगर के पास, जो मात्र 1.7 किलोमीटर है, पौने दो किलोमीटर के करीब, वहां ओवरब्रिज न बनाने की वजह से आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों की वहां मौतें हुई हैं और निश्चित ही वहां पर आये दिन जाम लगा रहता है। जाम की तो यह स्थिति है कि रात-रात भर वहां जाम लगा रहता है और सारा आवागमन ठप्प हो जाता है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है, माननीय परिवहन मंत्री जी से मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर, जो मात्र 1.7 किलोमीटर जो रोड है, वहां ओवरब्रिज बनना था, कालपी नगर के पास, उसके दोनों तरफ कालपी नगर बसा हुआ है। वहां शीघ्र ओवरब्रिज बनायें, जिससे वहां आवागमन सुचारू रूप से हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई (अरणी): माननीय सभापति महोदय, नदियों को आपस में जोड़ना देश में उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करने तथा तमिलनाडु जैसे जल की कमी वाले राज्यों की समस्या का समाधान करने का एकमात्र तरीका है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित हैं क्योंकि इसमें तमिलनाडु के करोड़ों लोग और उनका कल्याण शामिल है। हमारे मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कानून लाए और सरकार से मांग की

थी कि उसे प्राथमिकता दी जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी मांग की है कि महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी-वैगई-कुंडारू जैसी नदियों को जोड़ने के काम में तेजी लाई जाए। हमारी मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने भी पम्पा नदी की धारा मोड़ने की मांग की है, क्योंकि इससे तमिलनाडु को 22 टी.एम.सी. पानी का लाभ होगा, जो फिलहाल समुद्र में जा रहा है।

इसलिए, पम्पा – अच्छनकोविल – वैप्पार नदियों को आपस में जोड़ने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे तमिलनाडु और केरल दोनों को लाभ होगा। हमारी मुख्यमंत्री ने यह भी मांग की है कि सरकार को तमिलनाडु में छह नदियों को जोड़ने के लिए धन आवंटित करना चाहिए, अर्थात् पेन्नैयारु - पलारु दोनों सथन्नूर और नेदुंगहाल बांधों पर, कावेरी - सरपंगा, अथिकादावु - अविनाशी, थमिरापरानी - नंबियारु।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा की मांग के अनुसार इन सभी नदियों को जोड़ने को प्राथमिकता दे, क्योंकि यह तमिलनाडु के करोड़ों लोगों के कल्याण से जुड़ा मुख्य मुद्दा है।

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अत्यंत लोक महत्व का एक विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। केन्द्र और राज्य सरकारें विद्युत आपूर्ति के लिए हाई-टेंशन तारें विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं। लेकिन, जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उन तारों के नीचे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग अपनी ज़मीनों पर रहने के लिए आवास बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास वही ज़मीन है। वे अपना आवास और कहां बनाएंगे? इस परिस्थिति में कभी-कभी हाई-टेंशन की तारों की दुर्घटना में जान-माल की क्षति होती रहती है। हाई-टेंशन तारों से स्पर्श होने के कारण लोगों की जानें चली जाती हैं। अभी मेरे क्षेत्र चन्दौली के लाखापुर गांव में श्री विजय गोस्वामी की 11,000 वोल्ट के हाई-टेंशन की तार के स्पर्श से मृत्यु हो गयी। उसे अभी कोई सहायता भी नहीं दी गयी है। मैं उसके परिवार के लिए सहायता की भी मांग करता हूं।

महोदय, भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गांवों के विद्युतीकरण के लिए बहुत बड़ी राशि 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' के अंतर्गत दिया है। शहरों के लिए सरकार ने 'आई.पी.डी.एस.' के लिए भी बहुत बड़ी राशि दी है। मेरा निवेदन है कि हाई-टेंशन तारों से होने वाली दुर्घटना से मरने वाले लोगों की जिंदगी बचाई जाए। उस परियोजना की गाइडलाइंस में यह निर्देश चला जाए कि अगर जरूरी हो तो इसमें हाई-टेंशन के तारों को भी शिफ्ट करने पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें भारी राशि दी जा रही है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. महेंद्र नाथ पांडे द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां हैं, जो अपने पिछले कार्यकाल में ग्रामीण विकास मंत्री थे।

महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने जिला-परिषद् की बैठक में था। वहां के जनप्रतिनिधि जो वहां बैठे थे, मनरेगा की गाइडलाइंस के बारे में तीन समस्याएं थीं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आप उन तीनों प्वायंट्स पर ध्यान दें। पहला प्वायंट यह था कि सरपंच साहब, जो मनरेगा के तहत पक्के कार्य करवाते हैं, उसके लिए उन्हें टेन्डर इंवाइट करने होते हैं, जबकि वहां बी.एस.आर. रेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। इसका निर्णय जिला समिति द्वारा किया जा रहा है। [हिन्दी] टेन्डर्स के द्वारा आधिकतर उनके जो विपक्षी लोग हैं, वे उन्हें नीचा दिखाने के लिए बी.एस. आर. रेट से 30-40% नीचे टेन्डर करते हैं। मैं यह अपने जिले की ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की बात बता रहा हूं। कृपया मनरेगा के गाइडलाइंस में यह तय किया जाए कि यदि 10% से नीचे के टेन्डर्स आते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। [हिन्दी] इससे गुणवत्ता बनी रहेगी।

मेरा दूसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे एक मिनट और दें। मेरा दूसरा प्वायंट यह है कि पक्के कार्यों के अंदर 49% मैटेरियल कॉम्पोनेंट किया जाए। अभी जो 40% मैटेरियल कॉम्पोनेंट और 60% लेबर कॉम्पोनेंट हैं, उससे पक्के और ड्यूरेबल कार्य नहीं हो रहे हैं।

मेरा तीसरा बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिहीन किसान, लघु, सीमांत और इसी प्रकार एस. सी. और एस.टी. किसान जैसे चार प्रकार के लोगों के लिए कार्य किए जाते हैं। इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 60% एग्रीकल्चर की राशि मनरेगा पर खर्च करने के आदेश दिए हैं। अब 60% राशि खर्च नहीं हो पाएगी। इसका कारण यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पहले से ही इसमें शामिल हैं। [हिन्दी] अब सीमांत किसानों को इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह था कि उसे समान करके सीमांत काश्तकारों को भी इसके साथ लिया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि एस.सी., एस.टी. के बाद सीमांत काश्तकारों को लें। आप चारों को एक साथ लें।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी रेल का जो सप्लीमेंट्री बजट आया, उस पर चर्चा हो रही थी। बहुत सारे लोग बुलेट ट्रेन्स आदि माँग रहे थे। मैं जब अपने क्षेत्र की तरफ देखता था तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। जनपद लखीमपुर खीरी भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और नेपाल का सीमावर्ती जिला है, जो बाढ़ से भी प्रभावित है। जंगल और अच्छी सड़कें न होने के कारण वहाँ परिवहन के साधनों का अभाव है, जो इस क्षेत्र के अविकसित रह जाने का प्रमुख कारण है। रेल परिवहन की दृष्टि से भी यह जिला अत्यंत पिछड़ा हुआ है। केवल यहाँ पर मीटर गेज की रेल लाइन है और दो रेल मार्ग हैं। एक लखनऊ-लखीमपुर से मैलानी होते हुए पीलीभीत तक है और दूसरा मैलानी से बहराइच है, जो इस जिले के मात्र 20 प्रतिशत हिस्से को ही छूता है और केवल 20 प्रतिशत आबादी को रेल परिवहन का लाभ मिल पाता है। यहाँ पर जो प्रथम मार्ग है, उस पर तो ब्रॉड गेज का कन्वर्जन का काम प्रारम्भ हो गया है, लेकिन मैलानी और बहराइच जो रेलवे लाइन का दूसरा हिस्सा है, वहाँ पर अभी केवल मीटर गेज की रेल लाइन है। रेल यातायात प्रारम्भ है। उसका कुछ हिस्सा दुधवा नेशनल पार्क में पड़ता है। जिनकी आपत्ति के कारण वहाँ पर गेज कन्वर्जन का काम नहीं हो पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय से यह माँग करता हूँ कि उनको एनओसी दी जाए, क्योंकि अगर वह रेल लाइन बंद हो गई तो हमारे जिले का बहुत बड़ा हिस्सा रेल यातायात के कारण बुरी तरह से प्रभावित होगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एनओसी देकर के ब्रॉड गेज कन्वर्जन का काम मैलानी-बहराइच रेल लाइन पर कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): महोदय, मैं बिहार से से आता हूं। पूरे बिहार में सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई है, खासकर उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण में। मेरे संसदीय क्षेत्र में त्रिवेणी कैनाल के साथ-साथ दोन कैनाल, तिरहुत कैनाल है, जिसके माध्यम से किसानों का पटवन हुआ करता था, लेकिन इधर कुछ सालों से कैनाल का टेंडर नागार्जुन कंपनी को दिया गया, जिसमें कंपनी द्वारा भारी पैमाने पर अनियमितता बरती गई। नहर की खुदाई इतनी गहरी कर दी गई कि नहर से खेतों में पानी जाना मुश्किल हो गया है। बिहार में ट्यूबवेल की कमी है और व्यवस्था नहीं है। इस कारण किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और केवल मानसून के भरोसे ही बैठे हुए हैं। आधा मानसून बीत जाने के बाद भी अभी तक बारिश का नामोनिशान नहीं है, खेतों में दरार पड़ गई है, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इसको देखा भी जा सकता है।

अतः सदन के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस संवेदनशील बिंदु पर ठोस कदम उठाया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

दूसरा, एक तरफ हमारे यहां किसानों को गन्ना का पेमेंट नहीं मिल रहा है और वह उधर भी मार झेल रहा है। ...(व्यवधान)

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : महोदय, मैं शून्य काल में आति लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ब्राम्बे, रांची स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वहां व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में मैं बताना चाहूंगा। उस विश्वविद्यालय के हॉस्टल में खराब भोजन के कारण 35-40 लड़कों की तबियत खराब हो गई थी। इस कारण छात्रों ने धरना दिया। जब वे धरने पर बैठे तो उन लोगों को 31 तारीख को 12 घंटे में हॉस्टल खाली करने का आदेश वहां के प्रबंधन ने दिया है। एक वर्ष से वहां कोई कुलपति नहीं है। प्रभारी कुलपति

के भरोसे एक साल से विद्यालय चल रहा है। जिन छात्रों को 12 घंटे में हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है, उनमें बाहर के भी बहुत से छात्र हैं। वे 12 घंटे में कहां जाएंगे और क्या खाएंगे? वहां अव्यवस्था फैल गई है और छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी में रहना पड़ रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से और शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि वहां कुलपति की नियुक्ति की जाए।

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन (तंजावुर): माननीय सभापति महोदय, हमारी माननीय तमिलनाडु मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा के मार्गदर्शन में, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि देश भर में सिजेरियन डिलीवरी की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा कई निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुल बच्चों की डिलीवरी में से लगभग 10-15 डिलीवरी सिजेरियन से होने चाहिए तथा सिजेरियन डिलीवरी केवल जटिल गर्भधारण के मामलों में ही की जानी चाहिए।

लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे देश में सीजेरियन डिलीवरी की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई निजी अस्पतालों में यह सामान्य प्रसव से अधिक हो गई है। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि कुछ निजी अस्पताल वित्तीय लाभ के लिए जानबूझकर सीजेरियन डिलीवरी कर रहे हैं।

सामान्य डिलीवरी के विपरीत, अनावश्यक सीजेरियन डिलीवरी माताओं और बच्चों के लिए कई जटिलताएं पैदा करती है। माताओं के लिए जटिलताओं में लंबे समय तक दर्द, संक्रमण, रक्तस्राव, एनेस्थीसिया के प्रति प्रतिक्रिया, पैरों और फेफड़ों में रक्त के थक्के शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह माताओं की मृत्यु के जोखिम को तीन गुना बढ़ा देती है।

अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सीजेरियन डिलीवरी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाए और सभी अस्पतालों, विशेषकर निजी अस्पतालों, को यह निर्देश दे कि वे राज्य और केंद्र सरकार को अपने यहां की गई सीजेरियन डिलीवरी की संख्या की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि भविष्य में कम से कम इनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पर अधिकारियों पर दबाव बनाने के कारण दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में छात्राओं का विद्यालय जाना भी कठिन हो गया है। मेरे यहां बेंवार गांव में समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा एक छात्रा से बदतमीजी की गयी है। जब उसके परिवार के लोग थाने में गये लेकिन वहां एफ.आई.आर. नहीं लिखी गयी तो उसने अपने घर जाकर आत्मदाह कर लिया, जिसके कारण पूरे गांव के लोग आंदोलित हो गये। उसके बाद जब उन्होंने हाईवे जाम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर वहां की पुलिस ने, प्रशासन ने वहां पर गोली चलायी, एक छात्र को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गयी। पिछले सात दिनों से वहां पर पूरा बाजार बंद है, सभी लोग सड़कों पर हैं, जिला मुख्यालय पर धरणा चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाये और वहां पर जितनी भी अराजकता का वातावरण है, उससे निजात दिलायी जाये।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सभा की बैठक कल 5 अगस्त, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित की जाती है।

<u>रात्रि 8.17 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 अगस्त, 2015/14 श्रावण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित